रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8—दिसम्बर 14, 2012 (अग्रहायण 17, 1934)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8—DECEMBER 14, 2012 (AGRAHAYANA 17, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 961

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1221

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 3

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1817

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1851

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 12893

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1015

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	961
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1221
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1817
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1851
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	12893
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1015
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2012

संख्या 120-प्रेज़/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर उप कमांडेंट मोहम्मद शाहनवाज (0641-ई) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

उप कमांडेंट मोहम्मद शाहनवाज (0641-ई) ने 27 दिसम्बर, 2004 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 26 नवम्बर, 2011 को पोत, एमएसवी ऐव मारिया चक्रवात की चपेट में आ गया था। प्रचण्ड घूर्णन और दोलन के कारण पोत का रडर उखड़ गया और पोत अनियंत्रित हो गया। क्षेत्र में मौजूद पोत एमवी ओथेलो को, एमएसवी ऐव मारिया के 11 कर्मी सदस्यों (सभी भारतीय) का बचाव करने के लिए तटरक्षक समुद्री समन्वय केन्द्र (मुम्बई) द्वारा दिशानिर्देशित किया गया। पोत एमएसवी ऐव मारिया से कर्मी सदस्यों की निकासी करने के लिए अफसर की कमान अधीन भारतीय तटरक्षक पोत सी-134 ने लगभग शून्य दृश्यता के साथ विपरीत मौसमी परिस्थितियों में विझिंजम बंदरगाह से नौचालन किया।

3. पोत एमवी ओथेलो निर्दिष्ट स्थान पर पोत के पास पहुंचा। हालांकि, पोत ने 11 कर्मियों के पोतावरोहण करने के लिए खराब समुद्र स्थिति के कारण पोत सीढ़ी लटकाने से मना कर दिया। अफसर ने पोत एमवी ओथेलो को अपने पायलट द्वार खोलने के लिए सुझाव दिया ताकि कर्मियों के पोतावरोहण को सरल बनाया जा सके। अफसर पोत का स्वयं नियंत्रण कर रहे थे और वे अपने पोत के सुस्पष्ट रूप से पोत एमवी ओथेलो के पार्श्व में ले गये। इस अवधि के दौरान पोत सी-134 लगातार उलट जाने के जोखिम में था। पोत के 11 नाविक बुरी तरह थक चुके थे, और उनको भारतीय तटरक्षक पोत सी-134 में अंतरित करने के लिए शारीरिक रूप से सहायता देने की जरूरत थी। 07 उत्तरजीवियों के सफलतापूर्वक बरामद करने के उपरांत, डैक पर एक जोरदार लहर आयी और सी-134 पर पोतारोहित हो रहे एक उत्तरजीवी को अपने साथ बहा जे गयी। उत्तरजीवी ने किसी तरह पोत की रक्षा पटरी (गार्डरेल) को पकड़ लिया और वह डांवाडोल हो रहे दोनों पोतों के बीच खतरनाक ढंग से लटकने लगा। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 64 वर्षीय यह वृद्ध उत्तरजीवी निश्चित रूप से हिल्लौर मारती समुद्री लहरों में गिर जाएगा। हालांकि, अफसर ने अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना, अपने हाथों और घुटने के बल चलते हुए, सफलतापूर्वक उत्तरजीवी को पकड़ लिया तथा पूरी शक्ति लगाकर, थके हुए, उत्तरजीवी को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया। सभी 11 नाविकों को सफलतापूर्वक बरामद करने के पश्चात् तटरक्षक पोत, एमवी ओथेलो के पास से अलग हुआ और बचाये गये उत्तरजीवियों को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द करने हेतु विझिंजम बंदरगाह को रवाना हुआ।

4. उप कमांडेंट मोहम्मद शाहनवाज (0641-ई) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 121-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर चंदन कुमार दास, उत्तम नाविक (विद्युत), 04915-डब्ल्यू को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

चंदन कुमार दास, उत्तम नाविक (विद्युत), 04915-डब्ल्यू ने 28 जनवरी, 2003 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. भर्ती कार्मिक एक वायुकर्मी गोताखोर है और वह 01 सितम्बर, 2008 से 842 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) में तैनात है। 04 अगस्त, 2011 को, चन्दन कुमार दास को चेतक हेलिकॉप्टर सीजी 811 पर एक खोज एवं बचाव अभियान के लिए मुक्त गोताखोर के रूप में तैनात किया गया। विपरीत मौसमी परिस्थिति में लगभग 20 मिनट की उड़ान भरने के उपरांत, वायुयान ने संकटग्रस्त पोत, जिसका अगला आधा भाग पानी में डूबा हुआ था और पूरा पोत आगे की ओर झुक गया था, को ढूंढ लिया। खराब मौसमी परिस्थितियों ने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया था। तेजी से डूब रहे पोत पर उत्तरजीवियों का एक समूह दिखाई दिया। स्थिति का तुरंत मूल्यांकन करने के उपरांत, पोत पर मुक्त गोताखोर को उतारने का निर्णय लिया गया ताकि कर्मियों की तीव्रतम बचाव को सुनिश्चित किया जा सके।

3. चन्दन कुमार दास, को पोत के क्वार्टर डैक पर विंच से उताना गया, जोकि पोत के आगे की ओर झुकने के कारण तीक्ष्ण रूप से झुक गया था और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नाकाफी था, फिर भी कर्मी सावधानी से उत्तरजीवियों के समूह के पास पहुंचा। अति कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए, उसने तुरंत पोत के सभी कर्मी सदस्यों को एकत्रित किया और उनको हेलिकॉप्टर में विंच द्वारा ऊपर खींचे जाने की बचाव कवायद तथा बचाव अभियान के पूर्ण होने से पूर्व पोत के डूब जाने की स्थिति में आकस्मिकता योजना के विषय में शीघ्रता से समझा दिया। तत्पश्चात, उसने घूर्णनमय डैक पर पर्याप्त जोखिम में विंच योग्य क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और हेलिकॉप्टर को बचाव कार्य शुरू करने का संकेत दिया।

4. चन्दन कुमार दास ने बचाव हेलिकॉप्टर द्वारा बरामद किए जाने वाले प्रत्येक सदस्य की सहायता के लिए अथक परिश्रम किया। कार्य संकटपूर्ण था क्योंकि इसमें, डूबते पोत पर समुद्र की भयंकर लहरों के पड़ने से डैक के प्रक्षालित होते हुए प्रत्येक जोखिम विद्यमान था। विपरीत मौसम और तेज हवाओं में डटे रहने के दृढ़-संकल्प के परिणामस्वरूप एक अन्यत्र निश्चित जलमग्न विनाश से 15 कर्मियों की तेजी से निकासी हो सकी।

5. चंदन कुमार दास, उत्तम नाविक (विद्युत), 04915-डब्ल्यू ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 122-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

महानिरीक्षक सुरेश कुमार गोयल, तटरक्षक पदक (5001-पी)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 123-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) कमांडेंट नालम वेंकट रामा राव (0175-वी)
(ii) कमांडेंट आलोक कुमार मधुकर (0176-एक्स)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 124-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री वी. शिव कुमार
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

तमंचो और छुरों से लैस सात डाकुओं का एक गैंग लोगों से उनका धन और कारें छीनने में लिप्त था जिसने वर्ष 2006 में पुणे में श्री अधव, पुलिस निरीक्षक और एक कांस्टेबल की हत्या सहित मुम्बई में 16 जघन्य अपराधों और बंदूकों और छुरों की नोक पर मुम्बई में एक बैंक डकैती और आन्ध्र प्रदेश के साइबराबाद आयुक्तालय में 7 डकैतियों को अंजाम दिया था। उन्होंने विभाग को चुनौती दे दी थी और साइबराबाद पुलिस के लिए यह अग्निपरीक्षा जैसी थी। इस कुख्यात गैंग को पकड़ने के लिए श्री वी. शिव कुमार, उप-निरीक्षक को विशेष रूप से चुना गया था। श्री वी. शिव कुमार, उप-निरीक्षक दिनांक 6.10.2011 दिनांक को साइबराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कोण्डापुर में रविताला को पकड़ने में सफल हो गए।

जब माधापुर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक, श्री वी. शिव कुमार ने दो कांस्टेबलों के साथ दिनांक 6.10.2011 को गैंग के मुखिया को रोका, तो आग्नेयास्त्रों से लैस दो अन्य लोगों के साथ वह पुलिस दल पर झपटा और उनमें से एक ने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरु कर दी। श्री वी. शिव कुमार या तो उनकी गोलियों का शिकार बन जाते या अपनी और अन्य लोगों तथा दो निहत्थे सिपाहियों की जान की कीमत पर उन्हें पकड़ते। श्री वी. शिव कुमार ने द्रुतगति से कार्रवाई की और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। किन्तु जब उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां दागनी शुरु कर दीं, तो इन्होंने भी बदले में उन पर गोली चलाई जिससे एक अपराधी गोली लगने से जख्मी होकर गिर गया, जबकि आग्नेयास्त्रों से लैस दूसरा अपराधी पकड़ा गया और गैंग का तीसरा सदस्य भाग गया तथा बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यदि श्री वी. शिव कुमार ने समय पर अपराधियों पर गोलियां न चलाई होती, तो वे निश्चित रूप से पुलिस दल को मार डालते और इस प्रकार उन्होंने पुलिस दल की जान बचाई और उन सभी को पकड़ भी लिया। माधापुर पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने हैदराबाद का दौरा किया और दोषियों को उनके मामलों के संबंध में पी टी वारंट पर ले लिया। इस प्रकार आग्नेयास्त्रों आदि से नृशंसतापूर्वक अपने कार्य से अंजाम देने वाला एक अन्तरराज्यीय गैंग पकड़ा गया और महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के अनेक मामलों का पता लगा लिया गया।

श्री वी. शिव कुमार ने साहस और प्रतिबद्धता दर्शाई और स्वार्थी सशस्त्र डाकुओं की गोलियों की बौछार में अपनी जान खतरे में डालकर जबावी कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप गैंग का एक सदस्य गोली से घायल हो गया और दूसरा सदस्य पकड़ा गया।

की गई बरामदगी

1. इटली में निर्मित 7.65 एम एम की 2 स्वचालित पिस्तौलें।
2. 8 एम एम के 3 देशी तमंचे।

3. 7.65 एम एम के 4 जिंदा गोला-बारुद।
4. 32 एम एम का एक जिंदा राउंड।
5. 8 एम एम के 3 खाली कारतूस।
6. एक टाटा इंडिका कार।
7. पहले लूटी गई धनराशि से खरीदी गई 25 लाख रूपए की सम्पत्ति के दस्तावेज।

इस मुठभेड़ में श्री वी. शिव कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 06.10.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 125-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. ए. प्रभु,
   जूनियर कमाण्डो
2. नागुरू अनिल कुमार,
   जूनियर कमाण्डो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24.09.2011 को ओ एस डी कोथागुडम से चारला पुलिस स्टेशन की सीमा में वेंकटपुरम एरिया कमेटी के माओवादियों के लगभग 20 सदस्यों द्वारा अपराध करने की गतिविधियों की विश्वस्त सूचना मिलने पर ग्रेहाउण्ड्स टीम, जिनमें क्रम से 1 और 2 पर श्री ए. प्रभु, जूनियर कमाण्डो और नागुरू अनिल कुमार, जूनियर कमाण्डो शामिल थे, को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया।

दिनांक 25.09.2011 को ग्रेहाउण्ड्स टीम ने 6 माओवादियों को गहरे हरे रंग के कपड़ों में हथियारों सहित दक्षिण से उत्तर की और भागते हुए देखा और इसकी सूचना ग्रुप-इन-चार्ज श्री डी.एन. रेडडी को दी। माओवादियों ने टीम को देख लिया था और हमला करने के लिए तैयार थे।

लेकिन श्री ए. प्रभु, जे.सी. और एन. अनिल कुमार, जे.सी. अन्य लोगों के साथ, 3-3 लोगों की 2 टीमें बनाकर निपुणता के साथ तुरंत आगे बढ़े और माओवादियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन तभी माओवादियों ने श्री ए. प्रभु, जूनियर कमाण्डो और एन. अनिल कुमार, जूनियर कमाण्डों पर गोली चला दी। निपुणता से गोलियों का सामना करते हुए, श्री ए. प्रभु, जे.सी. और श्री एन. अनिल कुमार, जे.सी. ने बांई और दांई साइड को कवर किया और जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप दो कट्टर माओवादी मारे गए और गोलाबारी के स्थल से एक 7.62 एम.एम. की एस एल आर, 16 जिंदा राउंड, हथियार में फंसा एक खाली खोखा और 16 जिंदा राउंड सहित एक 8 एम एम की राइफल बरामद की गई।

श्री ए. प्रभु, जूनियर कमाण्डो, ग्रेहाउंड्स ने माओवादियों का पीछा करते हुए अदम्य वीरता, दृढ़ निश्चय और साहस का परिचय दिया। हमला करने वाले माओवादियों से अपनी जान को खतरा होने के बावजूद श्री एन. अनिल कुमार, ग्रेहाउड्स ने भी गोलीबारी करने तथा माओवादियों का पीछा करने में सक्रिय भागीदारी की। इस प्रकार, श्री ए. प्रभु, जूनियर कमाण्डो और नागुरू अनिल कुमार, जूनियर कमाण्डो की बहादुरी, दृढ़ निश्चय, साहस और जोखिम भरे कार्यों से पुलिस का मनाबेल बढ़ा है क्योंकि वे अपनी जान की परवाह किए बगैर माओवादियों द्वारा लगातार की जा राही गोलियों की बौछारों का सामना करते हुए आगे बढ़े और उनका सफाया कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री ए. प्रभु, जूनियर कमाण्डो और नागुरू अनिल कुमार, जूनियर कमाण्डो ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.09.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 126-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एन. रामोजी नाइक
जूनियर कमाण्डो

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

खम्माम जिले में गुण्डाला पुलिस स्टेशन की सीमा में खम्माम, करीमनगर और वारंगल एरिया कमेटी के माओवादियों की गतिविधियों के बारे में जी सी (आपरेशन) ग्रेहाउडंस से विश्वस्त

सूचना प्राप्त होने पर और ओ एस डी, कोथागुडेम से ब्रीफिंग के पश्चात, ग्रेहाउंड्स की एस-9 बी और एस-8 बी आक्रमण यूनिटों के के.के. डब्ल्यु एरिया कमेटी के प्रतिबंधित माओवादियों पर हमला करने के एक अभियान की योजना बनाई।

दिनांक 20.02.12 की रात में श्री एन. रामोजी नाइक, जूनियर कमाण्डो अपनी यूनिट के साथ लगभग 2015 बजे सायनापल्ली की बाहरी सीमा में पहुंचे और सायनापल्ली गांव की उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़े। उसी समय यूनिट प्रभारी को प्रतिबंधित माओवादियों के गुण्डाला पुलिस स्टेशन की सीमा के कोम्मुगुडेम (v) में आने के बारे में जूनियर कमाण्डो (आपरेशन) का फोन आया। यूनिट प्रभावी ने अपने कार्मिकों को 4 दलों में बांटा ताकि उस क्षेत्र से भाग निकलने के सभी 4 रास्तों को घेरा जा सके। यूनिट प्रभारी ने दामूपेट पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक को ग्रेहाउंड्स के एन. रामोजी नाइक, जूनियर कमाण्डो सहित (6) जूनियर कमाण्डो मार्ग-4 को घेरने के लिए सौंप दिए और बाकी दल को शेष 3 रास्तों को घेरने का कार्य सौंपा। श्री एन. रामोजी नाइक, जूनियर कमाण्डो, अपने प्रभारी उप-निरीक्षक के साथ गांव की उत्तरी दिशा में पहुंचकर मार्ग-4 की निगरानी कर रहे थे, तभी उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर गहरे हरे रंग की यूनिफार्म में और घातक हथियारों से लैस माओवादियों को देखा। उन्होंने तत्काल उनकी पुष्टि माओवादियों के रूप में की और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस दल को मारने के इरादे से ए.के. 47 और अन्य घातक आग्नेशस्त्रों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी, जिससे एक गोली श्री नाइक के बायें हाथ में लग गई। उनका काफी खून बह रहा था, किन्तु अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने माओवादियों पर जबावी गोलीबारी की जिसकी वजह से सी पी आई माओवादी की के के डब्ल्यू कम्पनी का 45 वर्षीय डिप्टी दल कमाण्डर सुथारी पापा राव उर्फ सिंगाना की उसी जगह मृत्यु हो गई और गोलीबारी के स्थल से मैगजीन सहित 2 एस एल आर हथियार और एस एल आर के 68 जिन्दा राउंड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री एन. रामोजी नाइक, जूनियर कमाण्डो ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.02.12 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 127-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. प्राजंल प्रतिम सैकिया (मरणोपरान्त)
   उप निरीक्षक

2. भाबेन बोराह
   हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

15 मार्च, 2011 को लगभग प्रात: 11.30 बजे विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना मिलने पर कि काकोपातर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत तंगाना, मजगांव और बोंगलीगांव क्षेत्रों में उल्फा काडर के उग्रवादी के छिपे हुए हैं, तिनसुखिया जिला पुलिस और सेना के संयुक्त दल द्वारा 3 छोटे समूहों में फैल कर एक तलाशी अभियान शुरु किया गया और प्रत्येक समूह ने 9-10 घरों वाली प्रत्येक बस्ती की अलग-अलग तलाशी की। लगभग 1345 बजे जब प्राजंल प्रतिम सैकिया, उप निरीक्षक (पी) के नेतृत्व में पुलिस अभियान दल तंगाना बोगली गांव के किसी सर्वेश्वर मोरन के घर पहुंचा तब अचानक छापा मारने के लिए वे हवलदार भाबेन बोराह के साथ रेंगते हुए सावधानीपूर्वक घर के पिछले प्रवेश द्वार पर गये, जबकि अन्य लोगों ने थोड़ी दूरी पर घेरा डाल दिया। तथापि, अंदर छिपे हुए उल्फा उग्रवादियों के दल ने सम्भवत: छप्पर के घर की खिड़की से झांककर पुलिस दल को आते हुए देख लेने पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। उप निरीक्षक (पी) प्रांजन प्रतिम सैकिया और हवलदार भाबेन बोराह ने सीधी गोलीबारी का सामना होने पर ठीक घर के बाहर फुर्ती से अपना बचाव किया और रेंगते हुए सुरक्षित स्थान पर आ गए और पास में ही एक पेड़ के पीछे छिप गए और उसी समय अपने हथियारों से जबाबी गोलीबारी शुरु कर दी। गोली लगने के बावजूद, उप निरीक्षक (पी), प्रांजल प्रतिम सैकिया, हवलदार भाबेन बोराह के साथ गोलियां चलाते रहे और उनकी जवाबी गोलीबारी के परिणामस्वरूप, उन्होंने देखा कि उग्रवादी घर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उप निरीक्षक (पी) प्रांजल प्रतिम सैकिया ने जख्मी होने के बावजूद हवलदार भावन बोरह के साथ उग्रवादियों की ओर गोलीबारी शुरु कर दी और उन्होंने 2 उग्रवादियों को गोली से जख्मी कर दिया जिनकी बाद में वहीं पर मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग बच कर निकल जाने में सफल हो गए। उप निरीक्षक (पी) श्री प्रांजल प्रतिम सैकिया को वहां से ले जाया गया किन्तु छाती में गोली लगने से अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हवलदार भाबेन बोराह के साथ उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाते हुए अपनी जान को गंभीर खतरे की परवाह न करके अदम्य साहस का परिचय देते हुए सशस्त्र उग्रवादियों को उलझाए रखा और आमने-सामने की गोलीबारी में 2 (दो) उग्रवादियों को मार गिराया, बाद में जिनकी पहचान कटर उल्फा उग्रवादियों के रूप में हुई और ये दोनों तिनसुखिया जिले के पिन्कू महन्ता उर्फ इल्लु पुत्र लखेश्वर महन्ता, गांव खेरजन पुलिस स्टेशन काकोपातर और लुलु मोरन पुत्र सुरजया मोरन, गांव मामरोनी, पुलिस स्टेशन डिग्बोई के थे।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि उप निरीक्षक (पी) प्राजंल प्रतिम सैकिया ओर हवलदार भाबेन बोराह ने द्रुतगति से कार्रवाई करके कर्त्तव्यपरायणता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, अभियान के नेतृत्व आगे रहकर किया और गोली लगने से घायल होने के बावजूद उग्रवादियों को मारे जाने तक उन्हें उलझाए रखने में अत्यधिक साहस का परिचय दिया और अन्त में कर्त्तव्य निभाते हुए अपना अन्तिम बलिदान दिया। इस प्रकार इन दोनों ने वीरता, नेतृत्व और बलिदान के ऐसे उच्चतम मानदण्ड प्रस्तुत किए हैं, जिनकी देश के

सच्चे सिपाही से अपेक्षा की जाती है और जो उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा विधिवत सम्मान प्रदान किए जाने का पात्र बनाते हैं।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित मदें बरामद की गई थीं:-

ए.के. 56 राइफल	-	1
ए के 56 के जिन्दा गोला बारुद	-	19 राउंड्स
ए के सीरीज के खाली खोखे	-	05
चली हुई गोली	-	02
क्षतिग्रस्त ए के गोला बारुद	-	01
मोबाइल हैण्डसेट	-	02
मोबाइल सिमकार्ड	-	04
अभिशंसी दस्तावेज	-	01
लूटपाट के नोट पैड	-	02
7.65 एम एम पिस्तौल	-	01
7.65 एम एम के जिन्दा गोला बारुद	-	03
7.65 एम एम के खाली खोखे	-	03
नकदी (भारतीय मुद्रा)	-	1500/-रू.

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री प्रांजल प्रतिम सैकिया, उप निरीक्षक और भाबेन बोराह, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15.03.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 128-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. आनंद प्रकाश तिवारी, पुलिस अधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. देबेन चुटिया, ए बी कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

3. रत्नेश्वर कलिता, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

2 फरवरी, 2010 को 1545 बजे श्री ए.पी. तिवारी, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक उदलगुडी को असम के उदलगुडी जिले के कलाईगांव पुलिस स्टेशन के भेकुलीकाण्डा गांव में उल्फा की 27वीं बटालियन के कमाण्डर सहित कट्टर उल्फा उग्रवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल विस्तृत योजना बनाई और भेरगांव के एस डी पी ओ के दल और सशस्त्र पार्टी सहित कलाईगांव पुलिस स्टेशन से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांव की ओर गए। सूचना के अनुसार, वे चतुराई से चुपचाप उस मकान तक पहुंचे, जहां उग्रवादी छिपे हुए थे। मकान से लगभग 50 मीटर पहले उन्होंने सभी पुलिस दलों को रोका और आर्मी जो निश्चित समय पर वहां पहुंच गई थी सहित उन सभी को ब्रीफ किया। पुलिस दलों को आता देख रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उल्फा उग्रवादियों ने मकान के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरु कर दीं, जिससे आर्मी का एक जवान और एक 11 वर्षीय सिविलयन लड़का गोली लगने से घायल हो गया। घायल जवान और सिविलियन लड़के दोनों को तत्काल वहां से हटाया गया। यद्यपि पुलिस और आर्मी दल भारी गोलीबारी में फंस गए थे तथापि, श्री ए.पी. तिवारी, आई पी एस, भेरगांव के एस डी पी ओ श्री टी.आर. पेगु और (1) सी/344 रत्नेश्वर कलिता (पी आर सी) और ए बी सी/255 देबेन चुटिया नामक दो कांस्टेबलों के साथ आगे बढ़े और संकट की घड़ी में असाधारण एवं उच्च कोटि के नेतृत्व गुण का परिचय दिया और भारी गोलीबारी के बावजूद अविचलित बने रहे और पुलिस बल के कार्मिकों को एकजुट रखने और सामने से जवाबी कार्रवाई करने में सफल रहे। उक्त अधिकारी ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना दिमाग लगाया और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर वाहनों को घेराबंदी के क्षेत्र में लाया गया तथा उनकी रोशनी योजनागत तरीके से छिपने के मकान की ओर कर दी गई। श्री आनंद प्रकाश तिवारी, पुलिस अधीक्षक, श्री देबेन चुटिया, ए.बी. कांस्टेबल और श्री रत्नेश्वर कलिता, कांस्टेबल घर के भीतर से भारी गोलाबारी के बीच निस्वार्थ साहस दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे और जिस घर में उग्रवादी छिपे हुए थे उसकी ओर जवाबी गोलीबारी करते रहे। प्रभात बेला में घर के अंदर से गोलियां चलनी बंद होने पर घर के भीतर तलाशी की गई। ए के 56 राइफल, 2 पिस्तौलों, गोला बारुद समेत 4 ग्रेनेड, पाउच आदि के साथ दो उग्रवादी मृत पड़े हुए थे। इसके शीघ्र बाद ही, इन दोनों की पहचान, एस एस कैप्टन बोशा सिंह उर्फ रामुज्जल काकोती उल्फा की 27वीं बटालियन के कमांडेन्ट और एस एस सार्जेंट मेजर विष्णु राम डेका उर्फ उल्फा की 27वीं बटालियन के अकुं बनिया के रूप में की गई।

श्री ए.पी. तिवारी, आई पी एस ने एक बुद्धिमान और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में उग्रवादियों के बारे में स्वयं ही सूचना एकत्र की। उन्होंने स्वयं आगे रहकर अभियान का नेतृत्व

करके असाधारण पराक्रम, उच्चकोटि की जिम्मेदारी और नेतृत्व का परिचय भी दिया। स्पष्ट रूप से यह तथ्य जानते हुए कि उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों और ग्रेनेडों से लैस हैं, उन्होंने अभियान का नेतृत्व किया। देश के हित में उच्चस्तरीय प्रेरणा और समर्पण से अपने वीरतापूर्ण कार्य कर्त्तव्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और कारगर नेतृत्व के माध्यम से श्री ए.पी. तिवारी, आई पी एस, एस.पी. उदलगुडी श्री टी.आर. पेगु, एस डी पीओ, भेरगांव और सी/244 रत्नेश्वर कलिता (पी आर सी) और ए बी सी/255 देबेन चुटिया के साथ ऐसे उग्रवादियों को निष्प्रभावी बनाने में सफल हो हुए, जो हमारे देश की मूल प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता को चुनौती दे रहे थे। ए के-56 राइफल-01, ए.के. 56 मैगजीन-02, ए के 56 गोलाबारुद-05,, 9 एम एम पिस्तौल-01, 9 एम एम मैगजीन-01, 9 एम एम गोला बारुद जिन्दा-03 राउंड्स, 7.65 मैगजीन-01, 7.65 गोलाबारुद 6 राउंड्स, हैण्डग्रेनेड-04, चार्जर सहित सैटेलाइट फोन-01 सैटेलाइट सिम-01, मोबाइल फोन-05, नए सिमकार्ड-15 पुराने सिमकार्ड-60, मोटरबाइक हीरोहोण्डा-01, ए के-56 के खाली खोखे-70, 9 एम एम के खाली खोखे-03, 7.65 पिस्तौल-01, 7.65 मैगजीन-01, 7.65 जिन्दा गोला बारुद-06 बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आनंद प्रकाश तिवारी, पुलिस अधीक्षक, देबेन चुटिया, ए बी कांस्टेबल और रत्नेश्वर कलिता, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02.02.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 129-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. रमेश प्रसाद वर्मा, उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)
2. प्रवेन्द्र भारती, उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 08.04.2009 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री कन्नन को विश्वस्त सूचना मिली कि कई आपराधिक मामलों में वांछित शम्भू सिंह और उसके खतरनाक गैंग ने खोदवानपुर

पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले लखनपट्टी में आश्रय लिया हुआ है। तत्काल उनकी कमान में संघटित बल और अधिकारीगण पूरे दल-बल सहित उस स्थल की ओर भागे।

दो दलों को लखनपट्टी गांव के उन मार्गों को घेरने का काम सौंपा गया, जिनसे अपराधी गांव में प्रवेश कर सकते थे। पहला मार्ग मोरथाटर में था, जो घटना स्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित एक निकास बिन्दु था और दूसरा मार्ग लखनपट्टी चौर में था जो घटना स्थल के पश्चिम में लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित था। चूंकि अपराधी चारों ओर से घने पेड़-पौधों से घिरे हुए घने मक्का के खेत में छिपे हुए थे, इसलिए पुलिस बाएं और दांए दोनों ओर से उन तक पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक ने रणनीति के तहत बाईं ओर ज्यादा लोगों को तैनात कर दिया ताकि अपराधियों को पेड़-पौधों का लाभ उठाकर भाग निकलने का मौका न मिले। छापा मार दल सड़क से लगभग 400 मीटर तक रेंगकर उत्तर की ओर से घटना स्थल तक पहुंचे। अचानक पुलिस के वहां पहुंच जाने पर अपराधी सदमें में आ गए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरु कर दी, जिससे उपनिरीक्षक रमेश प्रसाद वर्मा के दाएं कन्धे और गाल पर गहरी चोट आई। तुरन्त कार्रवाई करते हुए, पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों की गतिविधि को रोकने के लिए दोनों ओर टुकड़ियों को फैला दिया। किन्तु अपराधियों ने, पुलिस को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। पुलिस के बार-बार चेतावनी देने पर अपराधियों ने प्रतिक्रिया में और गोलियां दागी। पुलिस कार्मियों की जान बचाने और सरकारी हथियारों को लूटने से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने दायीं टुकड़ी को नियंत्रित गोलीबारी करने और बायीं टुकड़ी को अपनी ओर से उन पर दबाव बनाने के आदेश दिए।

इसी बीच, अधिक खून बहने के कारण घायल उपनिरीक्षक की हालत गम्भीर हो गई। गोलीबारी के बीच उन्हें उस जगह से बाहर लाना और भी कठिन काम था। छापामार दल के सदस्य बाल-बाल बचे थे। ढाई घण्टे तक गोलीबारी होने के बाद, अपराधियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई। तब बाई टुकड़ी ने तलाशी के लिए सतर्कता पूर्वक मक्के के खेत की ओर बढ़ना शुरु कर दिया।

मक्के के खेत में अभी तक छिपे, बबलू सिंह नामक एक अपराधी ने अचानक बाईं टुकड़ी पर गोलियां चलाईं, ताकि वह बचकर पूरब दिशा की ओर जा सके। उसे दो हथियारों सहित सफलतापूर्वक दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान, गोली से हताहत हुए मृतकों की पहचान गैंग के नेता शम्भू सिंह और सुरेश मेहतों के रुप में हुई और घटना स्थल से शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि शम्भू सिंह को छः हत्या के मामलों सहित पच्चीस मामलों में चार्जशीट और सुरेश मेहतों को चार हत्या के मामलों सहित सात मामलों में चार्जशीट किया गया था।

इस भीषण मुठभेड़ में, आगे से कमान सम्भाले पुलिस अधीक्षक पी. कन्नन अपनी सावधानी पूर्ण रणनीतिक योजना से पूरे अभियान के दौरान मार्गदर्शक शक्ति बने रहे। वे तब भी मजबूरी से डटे रहे जब उनका एक सिपाही अपराधियों द्वारा गम्भीर रुप से घायल हो गया था और उन्होंने पुलिस की ओर से न्यूनतम किन्तु प्रभावकारी गोलीबारी सुनिश्चित की। उप निरीक्षक रमेश प्रसाद वर्मा ने प्रत्यक्ष रुप से अत्यन्त वीरता पूर्ण पराक्रम का प्रदर्शन किया। मौत के मुंह से बाल-बाल बचने के बावजूद, उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से नौ राउण्ड गोलियां चलाईं। उप निरीक्षक प्रवेन्द्र भारती ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बबलू सिंह को पकड़ने की हिम्मत की जो अपनी भरी हुई कारबाइन और पिस्तौल से गोलियां चलाकर पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहा था। कांस्टेबल भूषण झा और विजय कुमार अदम्य साहस और अनुशासन दर्शाते हुए पूरे अभियान के दौरान मजबूती से दल के साथ खड़े रहे जो वीरतापूर्ण एवं साहसिक कृत्य था। इस अभियान में निम्नलिखित बरामदगी की गई थी:-

(क)	डबल बैरल रेगुलर गन	-	01
(ख)	देशी कारबाइन	-01	
(ग)	मस्कट	-	03
(घ)	देशी पिस्तौल	-	03
(ड.)	12 एम एम कैलिबर के जिन्दा गोला बारुद	-	03
(च)	.35 एम एम कैलिबर के जिन्दा गोला बारुद	-	23
(छ)	.9 एम एम कैलिबर के जिन्दा गोला बारुद	-	01
(ज)	.9 एम एम कैलिबर के खाली खोखे	-	03
(झ)	12 एम एम कैलिबर के खाली खोखे	-	07
(ञ)	.315 एम एम कैलिबर के खाली खोखे	-	16
(ट)	मोबाइल सेट	-	02
(ठ)	सिम कार्ड	-	05
(ड.)	नकदी	-	21880/-रुपए

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रमेश प्रसाद वर्मा, उप निरीक्षक, प्रवेन्द्र भारती, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 08/04/2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 130-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बाबू राम, (मरणोपरान्त)
ई एच सी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 9.12.2009 को लगभग सुबह 4.00 बजे गश्त लगा रही पी सी आर संख्या 34, गुड़गांव के पुलिस कर्मचारियों ने खांड़सा रोड पर पहुंचने पर देखा कि अनाज मण्डी की ओर से आती हुई एक बोलेरो जीप पुलिस की गाड़ी को देखकर वापस मुड़ी और तेजी से निकल गई। पुलिस नियंत्रण कक्ष गुड़गांव को यह सूचित किया गया कि एक वाहन पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, गुड़गांव की पी सी आर 26 को टक्कर मारकर भाग निकला है जिससे पी सी आर का एक कर्मचारी घायल हो गया है। पी सी आर 34 के खांड़सा रोड, सेक्टर-10 गुड़गांव पहुंचने पर, सनराइज हास्पिटल के मोड़ पर गुड़गांव सिटी से आती हुई एक इंडिका कार संख्या डी एल आई वाई ए 7559 को पी सी आर पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच के लिए रोका गया। इसी दौरान उपर्युक्त बोलेरो गुड़गांव सिटी की ओर से आई, जिसे श्री बाबू राम, ई एच सी ने रूकने का इशारा किया। बोलेरो के ड्राइवर ने गति बढ़ा दी और पी सी आर 34, जिसे श्री बाबू राम, ई एच सी चला रहे थे, को टक्कर मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बोलेरो का नम्बर एच आर-26 ए एम 5646 था। अंधेरे का लाभ उठाते हुए उसका ड्राइवर और 2/3 सहयात्री भाग निकले। इस संबंध में सेक्टर-10 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 302/307/353/34 के अन्तर्गत दिनांक 9.12.2009 का मामला एफ आई आर संख्या 365 दर्ज है।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, श्री बाबू राम, ई एच सी ने असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने में असाधारण साहस, सूझ-बूझ, कर्त्तव्यपरायणता और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने अपराध और अपाधियों को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना कर्त्तव्य निभाते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री बाबू राम, ई एच सी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9.12.2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 131-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अमरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. जाविद अहमद याटू, निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 16.09.2010 को तराल के उप पुलिस अधीक्षक को एस एच ओ, पुलिस स्टेशन, तराल, एस ओ जी, तराल की नफरी 3 पी ए आर ए, 42 आर आर सहित बदकानी दुधकलियां के जंगलों में गश्त लगाने के दौरान उस जंगल में एच एम आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। तदनुसार, तत्काल सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। तथापि, वहां मौजूद बड़ी संख्या में बकरवाल चरवाहों और गुजरों को उनके पशुओं और सामान सहित हटाकर निकटवर्ती सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान घनी झाड़-झंखाड़/झाड़ियों में छिपे उग्रवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। जवाबी गोलीबारी की गई और पूरे दिन दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं और आतंकवादी अपनी पोजीशन/स्थान बदलते रहे। तदनुसार, श्री अरमजीत सिंह, डी एस पी तराल, निरीक्षक जाविद, तत्कालीन एस एच ओ, पुलिस स्टेशन तराल की कमान में चार तलाशी दल ओर 3 पी ए आर ए तथा 42 आर आर के सेना अधिकारियों की कमान में दो दल बनाए गए। सभी चारों दलों ने जंगल के अलग-अलग कोनों से तलाशी शुरु की। डी एस पी तराल के साथ-साथ कांस्टेबल नजीर अहमद, कांस्टेबल अब. कयूम, कांस्टेबल मंजूर अहमद, एस पी ओ अली मोहम्मद, एस पी ओ अब. रशीद, एस पी ओ नजम-उद-दीन ओर अन्य सेना कार्मिकों को पहला दल था, जिस पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। निरीक्षक जाविद अहमद की कमान में दूसरे दल ने डी एस पी तराल के नेतृत्व वाले दल को गोलियां चलाकर सुरक्षा कवर प्रदान किया। सभी दलों ने तत्काल छिपे हुए उग्रवादियों को चारों ओर से घेरकर मोर्चा संभाल लिया और भागने के सभीरास्ते बंद कर दिए। आतंकवादियों दो दलों में बंट गए और पुलिस/सेना के दलों को दो अलग-अलग स्थानों पर उलझा दिया। डी एस पी तराल के नेतृत्व वाला एक दल आतंकवादियों की भारी गोलाबारी में फंस गया, किन्तु भारी गोलीबारी के बावजूद दल के सदस्य इस प्रकार स्थिति सम्भालने में सफल हो गए कि तीन आतंकवादी चारों ओर से घिर गए और दोनों ओर से कई घण्टों तक गोलियां चलने के बाद तीन उग्रवादी मारे गए। इसी दौरान, निरीक्षक जाविद अहमद के नेतृत्व वाले दल ने उप निरीक्षक

नजीर अहमद और अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ शेष बचे दो अन्य उग्रवादियों को उलझाए रखा। पूरे दिन दोनों ओर से गोलीबारी होती रही और अन्य दोनों आतंकवादियों के मारे जाने पर ही बंद हुई। तदनुसार, तलाशी अभियान शुरु किया गया जिसमें शस्त्रों/गोलाबारुद सहित 5 आतंकवादियों के शव बरामद हुए। इस अभियान के दौरान, श्री अमरजीत सिंह, (उप पुलिस अधीक्षक, तराल) और निरीक्षक जाविद अहमद ने असाधारण साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना घने जंगली क्षेत्र में उग्रवादियों के साथ आमने-सामने लड़ते रहे। निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद बरामद किए गए थे:-

1.	ए.के. 47/56 राइफलें	05
2.	मैगजीन ए.के. 47	09
3.	जिन्दा कारतूस ए के 47	120 राउण्ड
4.	खाली कारतूस	40
5.	हैण्ड ग्रेनेड	12
6.	ब्लाइंड ग्रेनेड	02
7.	पाउच	05

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अमरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और जाविद अहमद याटू, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16.09.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 132-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री हरबंस लाल
एसजी. कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 07.05.2009 को खुरहामा लोलाब के सामान्य क्षेत्र के अफ्फान नार में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष सूचना मिलने पर, एस ओ जी कुपवाड़ा और 18 आर आर की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान के

दौरान, घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने अभियान दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस दल ने उस लक्षित क्षेत्र को घेर लिया, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। चूंकि आतंकवादियों ने घने जंगलों का सहारा ले रखा था, इसलिए अभियान दल पूरे मन से दृढ़निश्चय और एकाग्रता के साथ अभियान में लगा रहा। 7वीं बटालियन के एस जी कांस्टेबल हरबंस लाल ने, जिन्हें विद्रोह-रोधी अभियानों का अच्छा अनुभव है, कुशलतापूर्वक इस अभियान को संचालित किया और आनी नफरी को इस प्रकार तैनात किया ताकि आतंकवादियों के बचकर निकलने की कोई गुजाइंश न रहे और उन्हें आतंकवादियों को एक तरफ से उलझाए रखने का निदेश दिया। उन्होंने बड़ी कुशलता से अभियान चलाया और अपनी जान की परवाह किए बिना लक्षित क्षेत्र की ओर बढ़े और आतंकवादियों के निकट ऐसी जगह पर पहुंच गए, जहां बाजी उग्रवादियों के हाथ में थी। एस जी कांस्टेबल हरबंस लाल ने अपने दल के साथ अत्यन्त बहादुरी, पेशवर तरीके से और वीरता पूर्वक उग्रवादियों के हमले का जवाब दिया। इस मुठभेड़ के दौरान, एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के-47 राइफल	:	01 (क्षतिग्रस्त)
2.	ए के-47 मैगजीन	:	02
3.	ए के-47 गोला बारुद	:	31 जिन्दा राउंडस

इस मुठभेड़ में श्री हरबंस लाल, एस जी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 08.05.2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 133-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री मुस्ताक अहमद
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 04.04.2010 को 2010 बजे एच एम गुट के कुछ आतंकवादियों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री अब. गनी दार के रेहमू स्थित आवास में उनके पी एस ओ के रूप में तैनात पुलिस कार्मिकों सहित उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के इरादे से घुसने की

कोशिश की। आतंकवादी पुश्ता-दीवार पर चढ़कर गार्ड रूम के पास पहुंच गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों को दरवाजा खोलने और अपने शस्त्र उन्हें सौंपने के लिए कहा। ड्यूटी पर तैनात पी एस ओ कांस्टेबल अर्थात मुस्ताक अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से कार्रवाई की और उनसे कहा कि दरवाजा खुला हुआ है। ज्योंही उग्रवादियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, गार्ड रूम में खड़े चौकस कांस्टेबल ने एक आतंकवादी पर निशाना साधकर उसे घायल कर दिया, जिससे अन्य आतंकवादी सुरक्षा प्राप्त उक्त अध्यक्ष के लान में भागने पर बाध्य हो गए। बहादुर कांस्टेबल गार्ड रूम से बाहर आया ओर लान में एक आतंकवादी को गोलियों से भून दिया जबकि दूसरा आतंकवादी घायल हो गया।

इसी बीच, पुलवामा पुलिस को भी इस घटना की सूचना दे दी गई थी जिसने 53 आर आर और सी आर पी एफ की 183 बटालियन के निकटतम सुरक्षा बलों के कैम्पों को उक्त स्थल पर पहुंचने के लिए सूचित किया। वहां पुलवामा से और सहायता बलों के पहुचंने से पूर्व, 53 आर आर ने सबसे पहले पहुंचकर उस क्षेत्र को घेर लिया। 2040 बजे जब पुलिस उस स्थल पर पहुंची तो घेरे को और सुदृढ़ कर दिया गया और 2100 बजे आतंकवादियों की खोज शुरु की गई और एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान असलम कलास उर्फ जांबाज पुत्र इल्मा कलास निवासी नसेरपुरा केलर के रूप में की गई। पहचान होने के पश्चात, मारे गए आतंकवादी का शव आगे और कार्यवाही/कानूनी औपचारिकताओं हेतु पुलिस दल को सौंप दिया गया। तथापि, सहयोगी सुरक्षा बलों की मदद से अन्य आतंकवादियों की तलाश जारी रखी गई और 0200 बजे लक्षित घर के निकट एक और आतंकवादी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आतंकवादी की पहचान अर्शीद अहमद पारे पुत्र मेहराज-उद-दीन निवासी चोवान केलर के रूप में की गई जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पुलवामा ले जाया गया। मारे गए/गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के कब्जे से शस्त्र/गोलाबारुद भी बरामद किया गया। उक्त आतंकवादी जिले में विभिन्न उग्रवाद संबंधी गतिविधियों में शामिल थे और उनकी मौत एच एम गुट के लिए एक बड़ा झटका थी और पुलिस के लिए वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी जो श्री मुस्ताक अहमद, कांस्टेबल की अनुकरणीय/वीरतापूर्ण/साहासिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारुद बरामद किए गए थे:-

1.	चीन में निर्मित पिस्तौल	01
2.	पिस्तौल – मैगजीन	01
3.	पिस्तौल राउण्ड्स	03 राउण्ड्स
4.	चीन में निर्मित मोबाइल	01
5.	नोकिया मोबाइल	01
6.	काले रंग का पर्स	01
7.	मोबाइल बैटरी	02

8.	एयरटेल का सिम	02
9.	चीन में निर्मित ग्रेनेड	01

इस मुठभेड़ में श्री मुस्ताक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04.04.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 134-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शमशीर हुसैन,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 18.07.2010 को एक विशिष्ट सूचना मिलने पर कि गुलाम मोह-उ-द्दीन भट पुत्र अब्दुल रहीम भट निवासी गरुरा के घर में पाक निवासी एल ई टी का डिवीजनल कमाण्डर अबु जार उर्फ अजमल शाह मौजूद है, बांदीपुरा के एस ओ जी ने 10 गढ़वाल रेजीमेन्ट की सहायता से उक्त घर के चारो ओर घेराबंदी कर दी। वहां छिपे उग्रवादी ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर घेरा तोड़ने की कोशिश की और वहां नागरिकों के हताहत होने की आशंका से सुरक्षा बल पूरी तरह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। बांदीपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री शमशीर हुसैन ने जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे सेना के प्राधिकारियों के परामर्श से नागरिकों को वहां से हटाने और उन्हें अभियान के दौरान किसी भी प्रकार क्षति से बचाने की एक योजना बनाई। श्री शमशीर हुसैन एस पी अपने आप को अत्यधिक जोखिम में डालते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन घरों में कोई नागरिक मौजूद नहीं है लक्षित घर के अत्यन्त निकट स्थित मकानों की ओर बढ़े। यह प्रक्रिया पूरी रात चलती रही।

अगले दिन दिनांक 19.07.2010 की सुबह आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी और लक्षित घर से बाहर आ गया। बदले में गोलियां चलाई गयीं किन्तु वह भीतरी घेरा तोड़ने में सफल रहा और घनी झाड़ियों और लक्षित घर के आस-पास लगे फलों के पेड़ों का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा। श्री शमशीर हुसैन, एस पी वहां से भागे आतंकवादी के पते-

ठिकाने के बारे में विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से उसी क्षेत्र में रहे। लगभग 1700 बजे उक्त अधिकारी को स्थानीय स्रोत से भागे आतंकवादी के किसी मोहम्मद रमजान गनी निवासी मीर मोहल्ला, गरुरा, के घर में मौजूद होने के बारे में विशेष सूचना मिली। तदनुसार, एस ओ जी बांदीपुरा द्वारा 10 गढ़वाल रेजीमेन्ट की सहायता से घेरा डाला गया। पुलिस बलों को लक्षित घर की ओर आते देख, आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। पुन: सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की गई। दल का नेता होने के नाते अधिकारी ने पुन: यह सुनिश्चित किया कि आस-पास के घरों से सभी नागरिकों को हटा दिया गया है और उसके बाद अपनी जान की परवाह किए बिना पेशेवर तरीके से प्रभावी रूप से जवाबी गोलीबारी की और अपनी तरफ बिना किसी हानि या नुकसान के आतंकवादी को वहीं मार गिराया। मारा गया आतंकवादी पाक निवासी अबू जार उर्फ अजमल शाह, एल ई टी गुट का डिवीजनल कमाण्डर था जो उत्तर कश्मीर का अति वांछित उग्रवादी था जिसने इस क्षेत्र में बहुत आतंक फैलाया हुआ था और बहुत से स्थानीय युवाओं को आतंकवादी काडरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता भी करता था। काडरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता भी करता था। वह वर्ष 1998 से उत्तर कश्मीर में सक्रिय था और अनेक आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के-47	01	
2.	ए के – मैगजीन	04	
3.	ए के राउण्ड्स	187	
4.	चीन में निर्मित ग्रेनेड	03	(नष्ट किए गए)
5.	पाउच	01	
6.	टार्च सेल	19	
7.	ट्रांजिस्टर	01	
8.	सेल फोन	01	

इस मुठभेड़ में श्री शमशीर हुसैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.07.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 135-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमित कुमार,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.10.2010 को किसी अब्दुल मजीद भट पुत्र स्व. गुलाम कादिर भट निवासी मलूरा सम्बल के घर में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर, श्री अमित कुमार, आई पी एस, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वेस्ट जोन, श्रीनगर की कमान में श्रीनगर पुलिस द्वारा बांदीपुरा पुलिस और सुरक्षा बलों की सहायता से गहन तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरु किया गया था। जब घेराबंदी की जा रही थी, तब आतंकवादियों ने उस घर से भाग निकलने का प्रयत्न किया। पुलिस दल को आतंकवादियों की गतिविधि का बोध होते ही उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जिन्होंने बदले में तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। तथापि, पुलिस अधीक्षक (वेस्ट) की कमान में पुलिस दल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दृढ़ निश्चय और साहस का परिचय देते हुए जवाबी गोलीबारी की और लक्षित मकान की ओर बढ़े।

ज्योंही अभियान दल लक्षित मकान के निकट पहुंचा, आतंकवादियों ने उन पर भारी मात्रा में गोलियां चलानी शुरु कर दीं, किन्तु पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गये। इसी बीच पुलिस दल को पता चला कि लक्षित मकान के पास वाले मकान में कुछ नागरिक फंसे हुए हैं। श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की छोटी सी टुकड़ी की सहायता से उन नागरिकों को वहां से सुरक्षित हटा दिया। असादुल्लाह उर्फ शोएब नामक एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने घेरे में से बचकर निकलने की कोशिश की। तथापि, एस पी की कमान वाले पुलिस दल ने उसकी कोशिश नाकामयाब कर दी और उसे वहीं पर मार गिराया। बाद में, दो अन्य आतंकवादी भी मारे गए जिनकी पहचान यासिर भाई उर्फ यूसुफ भाई, पाकिस्तान निवासी और मुबशीर भट उर्फ मुमताज पाकिस्तान निवासी के रूप में हुई। मारे गए तीनों आतंकवादी 'ए' श्रेणी के आतंकवादी थे। निम्नलिखित शस्त्र और गोला बारुद बरामद किए गए थे:-

1.	ए के राइफल	03
2.	ए के मैगजीन	15
3.	ए के गोलाबारुद	265 राउण्ड्स
4.	हैण्ड ग्रेनेड	02
5.	यू बी जी एल ग्रेनेड	06

6.	पाउच	02
7.	रेडियो एन्टीना	02

इस मुठभेड़ में श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21.10.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 136-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गुलाब सिंह, (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19.03.2011 को एस आई गुलजार अहमद (आई सी पुलिस कैम्प केलर) को पुलिस दल और 44 आर आर के साथ गांव दोनाडू शोपियाँ में गश्त लगाने के दौरान, इसी गांव के शाह मोहल्ले में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एस आई गुलजार अहमद, हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह, हेड कांस्टेबल महेश कुमार और सार्जेंट स्वर्ण सिंह के साथ अपनी-अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी शाहनवाज हुसैन शाह पुत्र खादम शाह के संदिग्ध मकान में तलाशी के लिए गए। ज्योंही वे उक्त मकान में घुसे, छत के नीचे छिपे आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल तत्काल छिप गया और उन्होंने बहादुरी से बदले में गोलियां चलायीं और मुठभेड़ शुरु हो गई जिसमें एक कट्टर आतंकवादी अब. रशीद अवान पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी रेख पहलीपुरा दोनाडू केलर मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह ने भी देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह अपने अमूल्य जीवन की परवाह किए बिना स्वेच्छा से लक्षित घर में घुसे और उन्होंने उक्त अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मुठभेड़-स्थल से निम्नलिखित शस्त्र और गोला बारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के-56 राइफल	01
2.	ए के – मैगजीन	02

3.	ए के – गोलाबारुद	07 राउण्ड्स
4.	चीन में निर्मित हेण्ड ग्रेनेड	01
5.	पाउच	01
6.	सोलर प्लेट	01
7.	चाकू	01
8.	नोकिया मोबाइल सेट (सिम के बिना)	01
9.	नोकिया बैटरी	01

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19.03.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 137-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. संजीत सिंह,
   हेड कांस्टेबल
2. मोहम्मद रफी,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 28.11.2010 को गंडोह पुलिस स्टेशन के कलामल क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में प्राप्त विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की टुकड़ियों, 26 आर.आर. और सी आर पी एफ की 151वीं बटालियन गंडोह द्वारा कलामल क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरु किया गया था। उस क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गयी और इस बात का पता लगते ही वहां छिपे आतंकवादियों ने अभियान दल को मारने के उद्देश्य से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। अभियान दल ने आत्मरक्षा में बदले में प्रभावी ढंग से गोलियों चलाईं और आतंकवादियों और अभियान दल में मुठभेड़ हो गई। हेड कांस्टेबल संजीत सिंह और कांस्टेबल

मोहम्मद रफी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बिना प्रभावी ढंग से और बहादुरी से सामने से जवाबी गोलीबारी करते रहे।

अनुवर्ती मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जिनकी पहचान बाद में (1) तौसिफ अहमद पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी मुख्यास तहसील, गंडोह 'ए' श्रेणी के एच एम आतंकवादी और (2) इम्तयाज अहमद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी टांडला तहसील गंडोह "बी" श्रेणी के एच एम आतंकवादी के रूप में की गई। दोनों ही कट्टर आतंकवादी गंडोह पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उग्रवाद/विद्रोह से संबंधित अनेक गतिविधियों में शामिल थे। मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद भी बरामद किए गए थे:-

1.	एल एम जी	:	01
2.	मैगजीन एस एल आर	:	01
3.	बिना मैगजीन के पिस्तौल (चीन निर्मित)	:	01

इस मुठभेड़ में श्री संजीत सिंह, हेड कांस्टेबल और मोहम्मद रफी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.11.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 138-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री कासिम दीन
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 21.04.2011 को किश्तवार जिले के सरनवन केशवन क्षेत्र में एल ई टी गुट के आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस/सेना और सी आर पी एफ के संयुक्त अभियान दल द्वारा उक्त क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरु किया गया। तलाशी दल को निकट आते देखकर आतंकवादियों ने गोली चलाकर घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। इस पर, तलाशी दल ने आत्मरक्षा में बदले में गोलियां चलाईं। इसके बाद हुई गोलीबारी

में दो आतंकवादी नामत: (i) मोहम्मद सुलतान भट पुत्र अब्दुल गनी भट निवासी नाइक मोहल्ला सरनवन उर्फ अबू न्यूमन (ii) जान मोहम्मद पुत्र मोहम्मद खलील निवासी हरकानी द्रुबील मारे गए, जबकि अन्य आतंकवादी बचकर निकलने में सफल हो गए। मारे गए आतंकवादियों से एक 'सी' श्रेणी का आतंकवादी था।

हेड कांस्टेबल कासिम दीन ने, जो मुख्य हमला दल का सदस्य था, अपने स्तर पर विशेष सूचना इकट्ठी की और स्वयं ही अभियान दल का नेतृत्व किया और अनुकरणीय साहस, समपर्ण कर्त्तव्यपरायणता और उच्च स्तरीय बहादुरी दिखाते हुए मुठभेड़ अभियान की कमान सम्भाली और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर जबावी कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त आतंकवादी मारे गए। तात्कालिक अभियान में हेड कांस्टेबल कासिम दीन की भूमिका अत्यन्त सराहनीय थी। निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए थे:-

1.	ए के – 56 राइफल	:	1
2.	ए के – 56 मैगजीन	:	2
3.	ए के – 56 गोलाबारुद	:	12 राउण्ड्स

इस मुठभेड़ में कासिम दीन, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21.04.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 139-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. अल्ताफ अहमद खान,
   पुलिस अधीक्षक
2. मोहम्मद शफी,
   हेड कांस्टेबल
3. अथर परवेज,
   एसजी. कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 06/07.05.2010 को लश्कर-ए-तैयब्बा (एल ई टी) आतंकवादियों के एक समूह की आवाजाही/मौजूदगी के संबंध में प्राप्त विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम डोगरीपुरा में पुलिस अधीक्षक सोपोर अल्ताफ अहमद के पर्यवेक्षण में 30 आर आर की सहायता से सोपोर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया। श्री अल्ताफ अहमद, जो अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे, 1 बटालियन के हेड कांस्टेबल मोहम्मद शफी तथा एसजी. कांस्टेबल अथर परवेज के साथ सबसे आगे थे। मकान से नागरिकों को बाहर निकालने के बाद दल ने मकान की तलाशी शुरु कर दी और इसी तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने अभियान दल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करनी शुरु कर दी जिसके फलस्वरूप लाँस नायक अनूप कुमार को गंभीर चोटें आईं जिन्होंने चोट लगने की वजह से बाद में दम तोड़ दिया। तथापि, श्री अल्ताफ अहमद ने अपनी हिम्मत बनाए रखी तथा उन्होंने अपने साथियों, विशेष रूप से हेड कांस्टेबल मो. शफी तथा एसजी. कांस्टेबल अथर परवेज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। जवाबी गोलीबारी में छः आतंकवादी ढेर हो गए, जिनमें से तीन आतंकवादियों की पहचान फरहत आलम उर्फ अबू साद निवासी पाकिस्तान उर्फ कासिम उर्फ सईद भाई निवासी पाकिस्तान तथा गुलाम मोहम्मद कुमार पुत्र सुभान कुमार निवासी तकिया पंजला के रूप में की गई। अधिकारी तथा उनके सहयोगी कार्मिकों ने अत्यधिक फुर्ती/पेशेवरता का परिचय दिया जो लश्कर-ए-तैयबा गुट के छः दुर्दान्त आतंकवादियों, जिनमें दो कमांडर भी शामिल थे, का सफाया करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। इस पूरे अभियान में पुलिस अधीक्षक अल्ताफ अहमद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद शफी तथा एसजी. कांस्टेबल अथर परवेज़ ने अदम्य साहस का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप न केवल छः दुर्दान्त आतंकवादियों का सफाया संभव हो पाया, अपितु भोले-भोले आम नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारुद बरामद किए गए:

1.	ए के – 47 राइफलें	:	06
2.	ए के – मैगजीन	:	20
3.	ए के गोलाबारुद	:	470 राउंड
4.	पिस्तौल	:	04
5.	पिस्तौल मैगजीन	:	05
6.	पिस्तौल गोलाबारुद	:	67
7.	यू.बी.जी.एल.	:	14
8.	हैंड ग्रेनेड/चीन निर्मित	:	09
9.	ग्रेनेड थ्रोअर	:	01
10.	पाकेट डायरी	:	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अल्ताफ अहमद खान, पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद शफी, कांस्टेबल और अथर परवेज, एसजी. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 07.05.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 140-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पी.एन. टिक्कू,
उप पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.05.2009 को ग्राम गुड्डेर कुलगाम के जंगलों में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में प्राप्त विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, छिपे हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार करने/उनका सफाया करने के लिए कुलगाम पुलिस द्वारा 09 आर आर, के.रि.पु.बल की 18वीं एवं तीसरी बटालियन की टुकड़ियों की सहायता से एक संयुक्त अभियान चलाया गया। लक्षित क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए अभियान दल को चार समूहों में विभाजित किया गया। उप पुलिस अधीक्षक (अभियान), कुलगाम श्री पी.एन. टिक्कू के समग्र पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में एस ओ जी दलों ने घनी झाड़ियों वाले जंगलों में तलाशी अभियान शुरु कर दिया, ताकि आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके। प्रात: लगभग 0810 बजे जब लक्षित क्षेत्र में तलाशी का कार्य चल रहा था, आतंकवादियों ने विभिन्न दिशाओं से अभियान दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरु कर दी। तथापि, उप पुलिस अधीक्षक, (अभियान), कुलगाम ने अपनी हिम्मत बनाए रखी तथा अपनी पूरी ताकत के साथ गोलीबारी का जवाब दिया जिसके फलस्वरूप उन्होंने लगभग डेढ़ घंटे तक आतंकवादियों को भीषण गोलीबारी में उलझाए रखा। स्पष्ट रूप से दिखाई न देने तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने के बावजूद उप पुलिस अधीक्षक श्री पी.एन. टिक्कू उनमें से एक आतंकवादी का सफाया करने में सफल रहे, जिसकी बाद में अहमद दीन पुत्र ममदू उर्फ वसीम निवासी शबरश महूर के रूप में पहचान की गई। वह पी पी आर के एच एम गुट का एक खूंखार आतंकवादी था।

उप पुलिस अधीक्षक (अभियान) कुलगाम श्री पी.एन. टिक्कू ने अत्यधिक सावधानीपूर्वक अभियान की योजना बनाई तथा अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे रहकर स्वयं नेतृत्व करते हुए अभियान को अंजाम दिया और इसमें उन्होंने कर्त्तव्य के प्रति गहन निष्ठा एवं लगन का परिचय देते हुए निर्भीक कार्रवाई करके अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारुद बरामद किये गये:

1.	ए के राइफल	:	01
2.	पिस्तौल (चीन निर्मित)	:	01
3.	ए के मैगजीन	:	04
4.	पिस्तौल मैगजीन	:	02
5.	ए के गोलाबारुद	:	98 राउंड
6.	पिस्तौल गोलाबारुद	:	08 राउंड
7.	सैटेलाइट फोन	:	01
8.	वायरलैस सेट	:	01

इस मुठभेड़ में श्री पी.एन. टिक्कू, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21.05.2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 141-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री मुमताज़ अहमद
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26.05.2011 को लगभग 1225 बजे पुलिस कैम्प, केलर के प्रभारी उप-निरीक्षक गुलजार अहमद को बोनागम केलर में कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए उप-निरीक्षक गुलजार अहमद पुलिस कैम्प केलर के दस्ते तथा के.रि.पु.ब. की 14वीं बटालियन के सैन्य दल

सहित उक्त गाँव की ओर गए तथा उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक शोपियान उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) इमाम साहिब के साथ उस स्थान पर पहुँचे तथा स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात उन्होंने पुलिस/के.रि.पु.ब. के दलों से तलाशी का कार्य प्रारम्भ करने के लिए कहा। तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस अधीक्षक शोपियान श्री मुमताज़ अहमद तथा उनके पी एस ओ कांस्टेबल फज़ल रहमान पर किसी बिलाल अहमद खांडे पुत्र कादिर खांडे निवासी बोनागम केलर के रिहाइशी मकान के भीतर छिपे हुए आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी करनी शुरु कर दी जिसमें पुलिस दल बाल-बाल बच गया। अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाने से पूर्व, लक्षित मकान के भीतर तथा उसके आस-पास फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया ताकि किसी भी प्रकार की जन-हानि न हो। अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक शोपियान तथा उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) इमाम साहिब की कमान में दो आक्रमण दलों का गठन किया गया। श्री मुमताज़ अहमद, पुलिस अधीक्षक शोपियान के नेतृत्व में प्रथम दल ने लक्षित मकान में सामने से प्रवेश करने का प्रयास किया जिसे उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) इमाम साहिब की कमान में द्वितीय कमान दल ने कवरिंग फायर प्रदान की।

ज्योंही आक्रमण दल संदिग्ध मकान के मुख्य द्वार के पास पहुँचा, मकान के भीतर घिरे आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेंके तथा उन्होंने अपने स्वचालित/अत्याधुनिक हथियारों से अभियान दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरु कर दी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाले अभियान दलों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को उस स्थान से भाग निकलने का कोई मौका नहीं दिया। असाधारण सूझ-बूझ एवं साहस का परिचय देते हुए पुलिस अधीक्षक की कमान में पुलिस दल ने अपने बहुमूल्य जीवन की परवाह न करते हुए लक्षित मकान के निकट आड़ ली तथा सामने से डटकर मुकाबला किया। दिन भर चली भारी गोलीबारी के दौरान जैश-ए-मुहम्मद गुट के दो आतंकवादी मारे गए, जिनकी पहचान काटी जुबैर निवासी पाकिस्तान (केन्द्रीय कमांडर) तथा इमरान खान पुत्र मोहम्मद मकबूल निवासी केलर के रूप में की गई। दोनों आतंकवादियों ने लोगों में आतंक फैलाया हुआ था तथा ये आतंकवादी वर्ष 2009 में गुज्जर समुदाय के 06 सदस्यों, जिनमें 03 महिलाएं तथा 01 बच्चा शामिल था, की नृशंस हत्या में भी शामिल थे। निम्नलिखित हथियार तथा गोला-बारुद बरामद किया गया:

1.	ए के – 56	:	01	5.	.99 गोलाबारुद	:	08
2.	ए के – 47	:	01	6.	डायरी	:	01
3.	ए के – गोलाबारुद	:	65 राउंड	7.	पाऊच	:	02
4.	ए के – मैगजीन	:	05	8.	पहचान पत्र	:	02

इस मुठभेड़ में श्री मुमताज़ अहमद, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.05.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 142-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अब्दुल जब्बार भट, (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   एसजी. कांस्टेबल
2. निसार अहमद, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 17.06.2010 को मोहम्मद रमज़ान गनी तथा मकबूल गनी पुत्र अजीज गनी निवासी पुशनाग करीरी के मकान में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली। यह सूचना सेना के 29 आर आर, के.रि.पु.ब. 53 बटालियन तथा 129 बटालियन को भी दी गई और तदनुसार श्री मोहम्मद यूसिफ – के पी एस (उप पुलिस अधीक्षक – आपरेशन) बारामुला द्वारा अति सावधानीपूर्वक अभियान की योजना बनाई गई/उसे शुरू किया गया। उप पुलिस अधीक्षक यूसिफ की कमान में एस ओ जी कार्मिकों तथा सेना 29 आर आर द्वारा लक्षित मकान की प्रारम्भिक घेराबंदी बड़ी तेजी से की गई। आतंकवादियों ने अभियान दल पर गोलीबारी शुरु कर दी, तथापि, पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी नहीं की क्योंकि लक्षित/समीप के मकानों में नागरिक फंसे हुए थे और इसलिए उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) मोहम्मद यूसिफ की कमान में पुलिस/के.रि.पु.ब. के संयुक्त दल ने बचाव अभियान शुरु किया, जबकि मेजर अनिल शर्मा के नेतृत्व में सैन्य दल ने बचाव पार्टी को कवरिंग फायर प्रदान की तथा आतंकवादियों को गोलीबारी में उलझाए रखा। इस पूरे बचाव अभियान के दौरान खूंखार आतंकवादियों ने अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी तथापि, बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। अंधेरा होने के कारण घेरे को अक्षुण्ण रखते हुए दिनांक 17/18.06.2010 की रात्रि के दौरान अभियान को स्थगित कर दिया गया और दिनांक 18.6.2010 को सुबह के समय छिपे हुए आतंकवादियों ने लक्षित मकान के पीछे की ओर घेरा

दल पर घेरे को तोड़ने तथा बचकर भाग निकलने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, किन्तु उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसिफ के नेतृत्व में पुलिस के घेरा दल और के.रि.पु.ब. के दल ने बड़े प्रभावी ढंग से जवाबी गोलीबारी की और आतंकवादियों को लक्षित मकान में रोके रखा।

चूंकि दिनांक 18.6.2010 को सुबह के समय दोनों आतंकवादी अभी भी अभियान दल के साथ लड़ाई लड़ रहे थे तथा उन्होंने लक्षित मकान में सुरक्षित पोजीशन ले ली थी और दुर्दान्त आतंकवादियों का खात्मा करना सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसलिए उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसिफ, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन, अब्दुल जब्बार भट तथा कांस्टेबल निसार अहमद के एक छोटे पुलिस दल ने आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए लक्षित मकान में प्रवेश करने का विकल्प चुना। सैन्य दल/के.रि.पु.ब. ने घेरे को मजबूत बनाए रखा और घेरा दल के साथ अत्यधिक समन्वय रखते हुए हमला दल ने अपने कार्मिकों की सुरक्षा की परवाह किए बिना और उच्च स्तर की पेशेवरता का परिचय देते हुए लक्षित मकान में प्रवेश किया। हमला दल ने सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद उन कमरों में ग्रेनेड फेंके/गोलीबारी की, जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे और इसके बाद हुई गोलीबारी में एच यू एम गुट के दोनों आतंकवादी ढ़ेर हो गए जिनकी पहचान बाद में उर्फ उमर निवासी पाकिस्तान तथा उर्फ साजिद, निवासी पाकिस्तान के रूप में की गई। मारे गए आतंकवादी बहुत ही दुर्दान्त, लड़ाकू और काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे।

निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के 47 राइफल	:	02
2.	ए के मैगजीन	:	04
3.	ए के गोलाबारुद	:	04
4.	वायरलेस सेट	:	01
5.	यू बी जी एल ग्रेनेड	:	02

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अब्दुल जब्बार भट, एसजी. कांस्टेबल और निसार अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.06.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 143-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अमरजीत सिंह,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. राशिद अकबर,
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 28.9.2009 को ग्राम अलमर में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में एक विशिष्ट सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस थाना अवंतीपुरा के पुलिस कार्मिकों तथा के.रि.पु.ब. की 180 वीं बटालियन की सैन्य टुकड़ियों द्वारा उक्त गांव की घेराबंदी कर दी गई तथा निरीक्षक राशिद अकबर, एस.एच.ओ., पुलिस थाना अवंतीपुरा की कमान में तलाशी की गई। गांव में मौजूद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप के.रि.पु.ब. के दो कार्मिकों तथा एक आम नागरिक को चोटें आईं। तलाशी दल ने गोलीबारी का जवाब दिया। इसी बीच, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ट्राल की कमान में क्यू आर टी, 42 आर आर बटालियन से अतिरिक्त सहायता दल, 185 बटालियन के.रि.पु.ब. तथा एस.ओ.जी. ट्राल सहित पुलिस अधीक्षक, अवंतीपुरा घटना स्थल पर पहुँचे। अभियान दल ने नागरिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया तथा अभियान को पुन: प्रारम्भ किया गया जिसके लिए पुलिस अधिकारियों के एक छोटे से दल का गठन किया गया ताकि आतंकवादियों को निष्क्रिय किया जा सके।

इसी बीच, आतंकवादियों ने गज मोहि-उ-द्दीन शेख पुत्र अमा शेख के मकान में प्रवेश किया जहाँ मुम शेख नामक एक बीमार व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष थी तथा जो मकान मालिक के चाचा थे, मकान के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में लेटे हुए थे। प्रथम तल पर मौजूद आतंकवादियों ने आगे बढ़ते हुए अभियान दल पर गोलीबारी करनी जारी रखी। वृद्ध व्यक्ति को बचाने के लिए अभियान ने प्रथम तल से दो विभिन्न दिशाओं से आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद मकान में सामने से प्रवेश किया। असाधारण बहादुरी एवं सूझ-बूझ का परिचय देते हुए, दल ने ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश किया। जबकि 04 पुलिस कार्मिकों ने आतंकवादियों को उलझाए रखा, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ट्राल, श्री अमरजीत सिंह तथा निरीक्षक राशिद अकबर, एस.एच.ओ., पुलिस थाना अवंतीपुरा कमरे में दाखिल हुए तथा उन्होंने बीमार वृद्ध व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाया और उन्हें मकान के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। वृद्ध व्यक्ति को बचाने के बाद, सम्पूर्ण अभियान दल ने मकान

में जबरदस्त गोलीबारी शुरु कर दी तथा आतंकवादियों पर इतना दबाव बना दिया कि वे खिड़कियों से बाहर कूदने पर मजबूर हो गए तथा उन्होनें भागने का प्रयास किया, किन्तु अभियान दल ने उनका पीछा किया तथा एक नजदीकी मुठभेड़ में तीनों आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की बाद में मेहराज-उ-द्दीन (पाक प्रशिक्षित बी श्रेणी के पुन: प्रयुक्त आतंकवादी) उर्फ जाफर सिद्दीकी (एच.एम.) उर्फ अबगू सलमान साजद (एल ई टी) निवासी पस्तूना, ट्राल, जो मोंघामा ट्राल के 60 वर्षीय अब्दुल सतर की हत्या में शामिल था (2) मुल्तान, पाकिस्तान निवासी अबू दुजाना (एल ई टी) (3) पाकिस्तान निवासी अबू खालिद उर्फ अबू जाहिद के रूप में पहचान की गई तथा निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद जब्त किये गये:-

i)	ए के – 47 राइफल	:	01
ii)	ए के – 56 राइफल	:	02
iii)	मैगजीन ए के	:	10 (01 क्षतिग्रस्त)
iv)	ए के गोलाबारुद	:	180 राउंड
v)	वायरलेस सेट	:	01
vi)	चाइनीज मोबाइल सेट	:	01 (क्षतिग्रस्त)
vii)	पाउच	:	03

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अमरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और राशिद अकबर, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.09.2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 144-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. हेमन्त टोपो,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. नरेश प्रसाद शर्मा,
   उप-निरीक्षक
3. लुटु बनारा, (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया

यह संस्तुति दिनांक 5.12.2003 को गाँव नरकंडी, पुलिस थाना गोमिया, जिला बोकारो में हुई एक जबरदस्त मुठभेड़ के लिए की गई है। इस मुठभेड़ में लगभग 50 अधिकारियों और जवानों के एक छोटे पुलिस दल ने प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवादी संगठन अर्थात् माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आफ इंडिया (एमसीसीआई) के भारी हथियारों से लैस तथा पूरी तरह से सुसज्जित 150-200 वामपंथी उग्रवादियों के एक बड़े दल का मुकाबला किया।

पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग, श्री अनुराग गुप्ता को इस आशय की एक गुप्त सूचना मिली कि एक निर्माण कम्पनी (हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी) के अधिकारी प्रतिबंधित संगठन एम सी सी को भारी मात्रा में धन देने वाले हैं। तदनुसार, धन सहित इस निर्माण कम्पनी के अधिकारियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। अभियान क्षेत्र में सघन वन होने की वजह से यह अभियान सफल नहीं हो सका। तथापि, कम्पनी के अधिकारियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे जबरन वसूले गए धन का भुगतान करके लौट रहे थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि चुरचु पुलिस थाना के तहत आने वाले टुटकी जंगल में निपेन्द्र गंजू को 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। एक छापामारी दल का गठन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, उप-पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत टोपो तथा जिला पुलिस और के.रि.पु.बल के अधिकारी एवं कार्मिक, जो हजारीबाग में तैनात थे, शामिल थे। ज्योंही पुलिस दल टुटकी के घने जंगलों में पहुँचा, उस पर एम सी सी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया तथा पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरु कर दी। तथापि, पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी करते हुए सफलतापूर्वक हमले को विफल कर दिया तथा उग्रवादियों के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। गंभीर खतरे के बावजूद पुलिस दल ने उग्रवादियों का नरकंडी गांव की तरफ पीछा करने का निर्णय लिया, जहाँ उनके छिपे होने की आशंका थी। गांव की सीमा पर पहुँच कर पुलिस दल दो भागों में बंट गया जिसमें से एक दल का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत टोपो तथा दूसरे दल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्वयं कर रहे थे। जब उप-पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत टोपो के नेतृत्व में प्रथम पुलिस दल पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था तब पहाड़ी पर छिपे हुए उग्रवादियों ने अचानक उन पर ऊपर से गोलीबारी करनी शुरु कर दी। इससे पुलिस दल बड़ी मुश्किल में फंस गया क्योंकि उग्रवादियों को ऊंचाई तथा घने जंगलों का फायदा हो रहा था जबकि पुलिस दल एक खुले मैदान में था। तथापि, उप-पुलिस अधीक्षक श्री टोपो ने पहाड़ी पर स्वयं कमान संभाली और अन्य अधिकारियों तथा कार्मिकों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरुप पुलिस दल ने पहाड़ी पर उपस्थित उग्रवादियों पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी तथा इसके साथ साथ वे पहाड़ी पर चढ़ते भी रहे। इस गोलीबारी के दौरान, कांस्टेबल लुटु बनरा को गोली लग गई तथा उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस दल इस क्षति से पूरी तरह टूट गया, किन्तु उप-पुलिस अधीक्षक श्री टोपो ने तुरंत नीचे गिरे हुए पुलिस कार्मिक की राइफल छीनकर गोलीबारी करना तथा पहाड़ी

की ओर दौड़ना प्रारम्भ कर दिया। अधिकारियों तथा कार्मिकों ने अपने बहादुर नेता का अनुसरण करते हुए एक लम्बी कतार में पहाड़ी पर चढ़ना शुरु कर दिया तथा आतंकवादियों पर गोलीबारी करनी जारी रखी। इस गोलाबारी में, दो आतंकवादी (उनमें से एक की बाद में नृपेन्द्र गंजू के रुप में पहचान की गई), मारे गए तथा उनमें से बहुत से आतंकवादी घायल हो गए। इस जोखिम भरी खुली पहाड़ी ढ़ाल पर खतरनाक चढ़ाई के दौरान उप-निरीक्षक नरेश प्रसाद शर्मा दाहिने कंधे पर गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए, किन्तु उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना पहाड़ पर चढ़ते हुए अंत तक आतंकवादियों पर हमला जारी रखा। पुलिस दल के इस साहसिक कार्य से आतंकवादियों का मनोबल टूट गया तथा वे पहाड़ी के दूसरी ओर भागने लगे तथा उन्होंने अपने मृत साथियों के शवों, कुछ हथियारों और नफरी को वहीं छोड़ दिया। उप-पुलिस अधीक्षक टोपो ने तत्काल आर टी सेट पर अन्य पुलिस दल को इस मुठभेड़ के बारे में सूचित किया तथा उन आतंकवादियों का पीछा जारी रखा, जो अब जंगल में एक खाई में छिप गए थे। अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्होंने के.रि.पु. ब. के एक कांस्टेबल को खाई में ग्रेनेड फेंकने का निर्देश दिया जिसके फलस्वरुप आतंकवादियों को और अधिक चोटें आईं। जब उप-पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत टोपो का दल नक्सलियों का मुकाबला कर रहा था तब पुलिस अधीक्षक के नेत्तृव में एक दूसरे दल ने दक्षिणी दिशा से आतंकवादियों को घेर लिया। यह दल फिर समूहों में बंट गया। नक्सलियों के उस समूह, जो उप पुलिस अधीक्षक के दल से बचकर दूर भाग रहा था, की पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाले पुलिस दल से मुठभेड़ हो गई तथा उनमें से बहुत से आतंकवादियों को मार गिराया/घायल कर दिया।

जब उग्रवादी पूरी तरह पीछे हट गए थे, तब पुलिस दल पुन: एकत्र हुए तथा वे मृतकों एवं घायलों के साथ वापस चुरचु पुलिस थाना आए। तदनन्तर आसूचना जानकारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना से पता चला कि मुठभेड़ में कम से कम 10 और नक्सलवादी मारे गए थे, किन्तु उनके शव उनके साथी अपने साथ ले गए थे।

शौर्यपूर्ण कार्रवाई के स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई:-

1. रेग्युलर डी बी बी एल बन्दूक।
2. 20,000,00/- लाख रुपए (बीस लाख रु.)।
3. देशी राइफल।
4. एल एम जी के 252 खाली कारतूस।
5. एस एल आर के 327 खाली कारतूस।
6. .303 राइफल का चार्जर।
7. 20 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर तथा एक बंडल बिजली का तार।
8. उच्च तीव्रता वाला विस्फोटक जिलेटिन कारतूस-4

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री हेमन्त टोपो, उप पुलिस अधीक्षक, नरेश प्रसाद शर्मा, उप-निरीक्षक, स्वर्गीय लुटु बनारा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 05/12/2003 से दिया जायेगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 145-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री टी. रंगप्पा
पुलिस निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.3.2011 को पुलिस निरीक्षक टी. रंगप्पा को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि नगवाड़ा के समीप रिंग रोड पर 6-7 डकैतों का एक समूह आई टी सी गोदाम से हैदराबाद की ओर जा रहे तम्बाकू से भरे एक कंटेनर लारी के इंतजार में घात लगाए बैठा है। सूचना के अनुसार डकैतों के उस समूह ने ट्रक चालक पर हमला करके उसे ट्रक से बाहर निकाल दिया था और कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया था।

श्री टी. रंगप्पा तुरंत वर्दी में अपने स्टाफ के साथ वीरन्नापल्या रिंग रोड जंक्शन बैंगलोर गए तथा उन्होंने वहां पर डकैतों का इंतजार किया। प्रात: लगभग 4.30 बजे उन्होंने देखा कि केए-53-4805 नम्बर वाली उक्त लारी, जिसके पीछे केए-53-3375 नं. वाली एक टाटा सुमो चल रही थी, उनकी ओर आ रही है। उन्होंने तुरंत उस लारी को रुकने का इशारा किया किन्तु लारी आगे बढ़ गई। पुलिस निरीक्षक श्री टी. रंगप्पा तथा उनके स्टाफ ने डकैतों को पकड़ने के लिए तत्काल उनका पीछा करते हुए उनसे आगे निकल गए तथा उन्हें गोविन्दपुरा मेन रोड पर रोक लिया।

कंटेनर तथा टाटा सुमो से तुरंत 6-7 डकैत उतरे जो चाकू, तलवार, लोहे की छड़ों इत्यादि जैसे खतरनाक हथियारों से लैस थे तथा उन्होंने पुलिस दल पर हमला कर दिया। उनमें से एक डकैत ने पुलिस कांस्टेबल, सिराज अहमद के सिर पर तलवार से हमला करके उन्हें घायल कर

दिया। पुलिस निरीक्षक, टी. रंगप्पा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस डकैत को पकड़ने का प्रयास किया। उसी समय एक डकैत ने लोहे की छड़ से पुलिस निरीक्षक श्री टी.रंगप्पा के सिर पर हमला कर दिया। पुलिस निरीक्षक श्री टी.रंगप्पा ने अपने सिर पर होने वाले हमले को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया जिसके परिणामस्वरुप उनका दाहिना हाथ टूट गया। इसी बीच एक अन्य डकैत ने पुलिस कांस्टेबल श्री रंगदामैय्या पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। डाकुओं ने पुन: हमला करते हुए पुलिस निरीक्षक श्री टी. रंगप्पा तथा उनके स्टाफ को खतरनाक हथियारों से मारने का प्रयास किया। डकैतों द्वारा किए गए हमले में पुलिस निरीक्षक श्री टी. रंगप्पा, हेड कांस्टेबल भेमन्ना, पुलिस कांस्टेबल सिराज अहमद, पुलिस कांस्टेबल रंगदामैय्या को चोटें आईं। दाहिनें हाथ पर गंभीर चोट लगने के बावजूद पुलिस निरीक्षक टी. रंगप्पा ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली तथा अपने बांए हाथ से गोली चलाते हुए एक डकैत को घायल कर दिया तथा उसे काबू करने में भी सफल रहे।

पुलिस निरीक्षक ने न केवल स्वयं अपनी रक्षा की, अपितु उन्होंने अपने स्टाफ तथा लारी ड्राइवर की भी जान वीरतापूर्वक बचाई तथा पाँच डकैतों को गिरफ्तार किया। उन्होंने तम्बाकू से भरा कंटेनर, जिसकी कीमत 35.00 लाख रु थी, भी बरामद कर लिया।

इस संबंध में पुलिस थाना, कडुगोंडनहल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143,147, 148, 332, 333, 307 के तहत आपराधिक मामला संख्या 86/2011 दर्ज किया गया है। तम्बाकू कंटेनर की डकैती के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत पुलिस थाना देवनहल्ली में भी आपराधिक मामला संख्या 26/11 दर्ज किया गया है।

पुलिस थाना कडुगोंडनहल्ली के पुलिस निरीक्षक श्री टी.रंगप्पा स्वयं को आई गहरी चोटों के बावजूद इस खतरनाक स्थिति में अटल रहे तथा उन्होंने अत्यंत साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। वे न केवल सशस्त्र डकैतों से लड़े अपितु वे उन्हें पकड़ने में भी सफल रहे। पुलिस निरीक्षक टी.रंगप्पा ने अपनी जान को जोखिम में डालकर डकैतों को पकड़ने में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में श्री टी रंगप्पा, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29/03/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 146-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गोपाल बी. होसूर
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24-05-1993 को 7.30 बजे श्री गोपाल होसूर जन संपर्क बैठक आयोजित करने के लिए माले महादेश्वर हिल्स से कोलेगल के लिए रवाना हुए। चूँकि वे पहले से ही वन लुटेरों की हिट लिस्ट में थे, इसलिए उन्हें दो जीपों में 1 आर एस आई, 2 ए एच सी एवं 7 ए पी सी वाले कमांडो की एक टुकड़ी मुहैया करायी गयी थी। दल के सभी सदस्यों को पायलट एवं एस्कार्ट जीपों में एस एल आर एवं 50 राउन्ड गोला-बारुद मुहैया कराये गए थे। काफिला 0730 बजे एम एम हिल्स से रवाना हुआ और घोडे की नाल के वक्र चिह्नों से भरे तालाबेट्टा (निचली पहाड़ी) की ओर जा रहा था। वन लुटेरे वीरप्पन, जिसे श्री गोपाल होसूर के आने की भनक लग गई , ने शीघ्र ही अपने गिरोह के 60 से 70 सदस्यों के साथ कूड बमों .303 राइफलों, मैगनम राइफलों, एस बी बी एल, डी बी बी एल गनों एवं मजल लोडर्स के साथ कूच किया और सड़क के बायीं ओर टीले पर बड़े शिलाखंडों एवं झाड़ियों के पीछे मोर्चा संभाल लिया और उस रास्ते से होकर श्री गोपाल होसूर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। श्री होसूर के काफिले एम एम हिल्स से लगभग 10 किमी दूर चलने के बाद शानेश्वर मंदिर के बाद ऊपरी ढाल पर घोड़े की नाल के चिन्ह्न वाले 18वें वक्र रास्ते पर अपनी रफ्तार कर कर दी। ज्योंही रास्ते पर धीरे – धीरे चलने वाला काफिला दिखाई देने लगा और उसकी रेंज के भीतर आया, वीरप्पन और उसके गिरोह ने पुलिस दल पर घात लगाकर हमला कर दिया और गोलियों की बौछार शुरु कर दी तथा पुलिस दल पर ऊँचाई से क्रूड बम फेंके। पहला लक्ष्य पायलट जीप थी तथा चालक सहित जीप में बैठे सभी 6 कमांडो क्रूड बम विस्फोट में मारे गए। श्री गोपाल होसूर की जीप पर लुटेरे एवं उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा लगातार एंव निर्ममता से गोलीबारी की गई। हालांकि गिरोह ने 6 कमांडो को मार गिराया था और वे ऊँचाई से गोलीबारी करने के कारण बेहतर स्थिति में थे, तथापि श्री गोपाल होसूर ने अपना संयम नहीं खोया बल्कि जीप से कूद कर बाहर आ गए और आड़ लेकर अपनी जान की परवाह किए बगैर गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मारने के दृढ़ निश्चय के साथ गिरोह के सदस्यों पर गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने अपने एस्कार्ट दल को भी नीचे उतरने और गिरोह के सदस्यों पर गोली चलाने का आदेश दिया। जब श्री गोपाल होसूर अभियान में व्यस्त थे, तब वीरप्पन और उसके गिरोह के सदस्यों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए श्री गोपाल होसूर एवं उनके चालक पर गोली चलाना शुरु कर दिया। इसके परिणामस्वरुप एक गोली श्री

होसूर के गर्दन में लग गई और दूसरी गोली उनके सिर के बिल्कुल पास से निकल गयी। जीप के चालक के गर्दन में गोली लग गई तथा काफी खून बह रहा था और इलाज में थोडी सी भी देरी से होने से उसकी मृत्यु हो सकती थी, तथापि श्री गोपाल होसूर डरे नहीं, बल्कि गिरोह के सदस्यों पर गोलीबारी करने के लिए पर्याप्त हिम्मत जुटाई। उन्होंने गिरोह के आकार और अवस्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को भी सतर्क कर दिया तथा अतिरिक्त बल भेजने के लिए कहा। यद्यपि, श्री गोपाल होसूर और उनके दल में सदस्यों की संख्या लुटेरे और उसके दल के सदस्यों की तुलना में काफी कम थी, उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में गम्भीर चोट लगी थी और गिरोह की ओर से लगातार गोलीबारी चल रही थी, तथापि श्री गोपाल होसूर पीछे नहीं हटे, बल्कि प्रतिकूल स्थिति में भी उच्च कोटि का साहस दिखाते हुए पूर्ण प्रतिरोध किया। उन्होंने अतिरिक्त बल के आने तक वीरप्पन और उसके दल के सदस्यों को वहां से भागने नहीं दिया। बाद में आए अतिरिक्त बल ने मोर्चा सम्भाल लिया और जवाबी गोलीबारी की। गिरोह के 8 सदस्य मौके पर मार गिराए गए, जबकि अन्य सदस्य जंगल में भाग गए।

श्री गोपाल होसूर अचेत हो गए थे और उन्हें गोकुलम अस्पताल सेलम और उसके बाद सेंट जान मेडिकल अस्पताल बैंगलूर ले जाया। श्री गोपाल होसूर की गर्दन पर जो गोली लगी थी, वह उनकी भोजन एवं श्वास नली से होकर फेफड़े तक पहुंच गयी थी, जिससे उनके ये अंग गम्भीर रुप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनका चार बार आपरेशन किया गया, किन्तु उनका स्वस्थ हो जाना चिकित्सा की दृष्टि से चमत्कार माना जाता है। उनको पांच महीने तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था।

इस मुठभेड़ में श्री गोपाल बी. होसूर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24/05/1993 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 147-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

कुछ ही पुलिस कार्मिक ऐसे हैं, जो अपनी जान से अधिक महत्व अपनी ड्यूटी को देते हैं और पुलिस स्टेशन मुरैना के कांस्टेबल स्वर्गीय श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा उनमे से एक हैं।

दिनांक 15/10/2010 को कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र शर्मा मुरैना शहर के महादेवनाका रेलवे क्रॉसिंग पर ड्यूटी पर थे। जिस समय रेलवे इंजन वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक एक नाबालिग लड़की रेलवे ट्रैक पर आ गई। यह श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा के समर्पण एवं ड्यूटी की परीक्षा की घड़ी थी। श्री शर्मा तुरंत लड़की की ओर बढ़े और उसे रेलवे ट्रैक से बाहर धकेल दिया, किंतु श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा रेलवे इंजन से टकरा गए।

इस प्रकार, स्वर्गीय श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, कांस्टेबल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर असाधारण साहस एवं ड्यूटी के प्रति निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपेक्षा से अधिक कर्तव्य का निर्वहन किया।

स्वर्गीय श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15/10/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 148-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सारंगथेम इबोमचा सिंह,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. ख. बसंत कुमार,
   उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री तेज नारायण यादव (35) पुत्र, ओ राम दयाल यादव, गाँव, डुमरा, जिला मधुबनी, बिहार, ए/पी नागमपाल सिंहजुबुंग लेइराक का दिनांक 18.02.2012 को अपहरण किए जाने और

फिरौती माँगे जाने के बाद इम्फाल पुलिस को पूर्णतया सतर्क कर दिया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 113(2) 2012 इम्फाल पी एस के तहत इम्फाल थाने में दर्ज कराया गया था। आसूचना एकत्र की गई थी और दोनों जिले के सी डी ओ विभिन्न संदिग्ध स्थानों में अभियान चला रहे थे।

जाँच-पड़ताल एवं अभियानों के दौरान श्री एस.इबोमचा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (सीडीओ), इम्फाल पश्चिम को यह पता चला कि अगवा किए गए व्यक्ति को गृह निर्माण के लिए उसे किराए पर लेने के बहाने ले जाया गया है और लामलाई थाना, इम्फाल पूर्वी जिला के अंतर्गत केइबी क्षेत्र में कहीं छिपाकर रखा गया है। दिनांक 19.02.2012 को अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार के सदस्यों से बात की और पाँच लाख रुपए की फिरौती की माँग की तथा पुलिस को सूचित किए जाने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी।

सूचना के आधार पर, श्री एस.इबोमचा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (सीडीओ) आई/डब्ल्यू के नेतृत्व में इम्फाल पश्चिमी एवं पूर्वी जिलों के कमांडों का संयुक्त दल दिनांक 21.02.2012 को सुबह से ही केइबी क्षेत्र में अभियान चला रहा था। लगभग 1300 बजे श्री एस. इबोमचा को सूचना मिली कि अगवा किए गए व्यक्ति को चामुंग गाँव के पीछे पहाड़ी की ओर ले जाया गया है। यह सूचना प्राप्त होने के बाद, संयुक्त दल तुरंत उक्त क्षेत्र की ओर गया, टीले की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया गया।

दलों को श्री एस.इबोमचा सिंह और उपनिरीक्षक ख. बसन्त कुमार के नेतृत्व में दो समूहों में बाँटा गया, इन दलों ने चानुंग गाँव से प्रवेश किया और चानुंग टीले के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर तलाशी अभियान चलाया गया तथा टीले के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों को भी कवर कर लिया गया था। जब ये समूह विभिन्न दिशाओं से जा रहे थे, तो अचानक पुलिस दल पर उँचाई के स्थान से स्वचालित एवं अर्ध स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गई। शीघ्र ही उन्होंने रणनीतिपूर्वक मोर्चा संभाल लिया और उस सही स्थिति का पता लगाने के लिए अवलोकन किया कि गोलीबारी कहाँ से की जा रही है। कुछ समय बाद, गोलीबारी के स्रोत स्थान का पता लगा लिया गया किंतु अगवा किए गए व्यक्ति की संभावित मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए तुरंत बदले में गोलीबारी नहीं की गई। श्री एस. इबोमचा सिंह ने उप निरीक्षक ख. बसन्त कुमार को वायरलेस सेट पर गोलीबारी की आवाज की दिशा में बढ़ने के लिए कहा। आगे बिना किसी देरी के श्री एस. इबोमचा सिंह और उपनिरीक्षक के एच. बसनता कुमार अपने दल के साथ गोलीबारी के सही स्थान का पता लगाने के लिए गोलीबारी के स्रोत स्थान की ओर बढ़ गए। कुछ उँचाई पर चढ़ने के बाद, 3/4 व्यक्तियों को उपरी सिरे पर ऊँचे टीले के पीछे मोर्चा संभाले हुए देखा गया। श्री एस.इबोमचा सिंह और उप निरीक्षक ख. बसन्त कुमार ने चिल्लाकर उनको अपना परिचय बताने के लिए कहा, वहीं दल के शेष सदस्यों ने रेंगते हुए युक्ति से उस क्षेत्र की घेराबंदी की। बदले में हथियार से लैस अज्ञात व्यक्तियों ने एक बार फिर दोनों अधिकारियों पर गोली

चला दी क्योंकि वे आगे थे। श्री एस.इबोमचा सिंह और उप निरीक्षक ख. बसन्त कुमार अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलीबारी की दिशा में तेजी से एवं साहसपूर्वक आगे बढ़े, मोर्चा सँभाला और ए के राइफलों से जवाबी गोलीबारी की। अगवा किए गए व्यक्ति की संभावित मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सीधे कोई जवाबी गोलीबारी करना बहुत ही कठिन कार्य था। इसलिए, युक्तिपूर्वक अपने मोर्चों का ध्यान रखते हुए बहुत ही नजदीक से और बहुत कम समय में बारीकी से अवलोकन पर पला चला कि लगभग 20-25 मीटर की दूरी पर हथियार से लैस एक व्यक्ति अपने हाथ में पिस्तौल लिए उनकी ओर निशाना साध रहा है और गोली चलाने वाला है। कोई विकल्प न देखते हुए, श्री एस.इबोमचा सिंह और उप निरीक्षक ख. बसन्त कुमार ने गोली चलाकर उस व्यक्ति को मौके पर ही मार गिराया। उसके बाद गोलीबारी की 2-3 आवाजें सुनाई दीं किंतु वे गायब हो गए। यह भनक लगते ही कि उनमें से कुछ लोग बचकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, दल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत ही उनका पीछा किया। कुछ दूरी के बाद, अगवा किए गए व्यक्ति को छुड़ा लिया गया और अगवा करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अन्य लोग बच निकले।

श्री मोइरंगथेम रंजीत उर्फ अबुंगचा सिंह (26) पुत्र टोम्बी सिंह, वारखांग माखा लेइकेई, जो श्री तेज नारायण को छुड़ाने के अभियान के दौरान चानुंग टीले से बच निकला था, को भी तीन दिन के बाद दिनांक 25.02.2012 को इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

अभियान के बाद पूरी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान स्थल पर एक शव, एक राउन्ड से लोड एक .32 पिस्तौल, एक चीन निर्मित हथगोला और .32 कैलीबर के गोलाबारुद के तीन खाली खोखे मिले।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूरी जामातलाशी ली गई और उसके पैन्ट की दाहिने जेब से एक मोबाइल फोन हैंडसेट मिला तथा उसकी पहचान लूशांगखां माखा लेइकेई के सांगोलसेम रोमेन सिंह (30) पुत्र एस. इबोहानबी सिंह के रुप में की गई और उसने मृतक की पहचान लांगजाम धामेन मेइतेई (32), पुत्र एल.नाबा मेइतेई, केइबी शल्लम के रुप में की। मौके पर सत्यापन के बाद उसने खुलासा किया कि उसने श्री मोइरंगथेम रंजीत उर्फ अबुंगचा सिंह (26) पुत्र टोम्बी सिंह, बाखांग माखा लेइकेई तथा मृत व्यक्ति अर्थात धामेन के साथ मिलकर फिरौती के लिए दिनांक 18.02.2012 को नागमपाल सिंगजुबुंग लइराक से श्री तेज नारायण (35) को अगवा किया था और उसी दिन उन्हें चानुंग पहाड़ी पर लाये थे। उसी दिन से वे उसी पहाड़ी पर थे। उसके बाद, उसने यह खुलासा किया कि उनका संबंध किसी भूमिगत (अंडरग्राउंड) समूह से नहीं है बल्कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने एवं तुरंत पैसा कमाने के लिए गठित एक सशस्त्र गुट से है। इसलिए उसे मौके पर ही 1540 बजे गिरफ्तार किया गया था।

इस जोखिमपूर्ण बचाव अभियान में कमांडो, इम्फाल पश्चिम जिला अर्थात श्री एस. इबोमचा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (सीडीओ) और उप निरीक्षक ख. बसंत कुमार ने अदम्य पराक्रम एवं साहस का परिचय दिया। दोनों अधिकारियों ने अपने पुलिस कार्मिकों की दक्षतापूर्ण सहायता से अगवा व्यक्ति को छुड़ाया, अगवा करने वाले व्यक्ति को मार गिराया और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। यह सब उनकी नि:स्वार्थ कर्तव्यनिष्ठा और उच्च कोटि के अनुशासन के कारण संभव हुआ। यदि दोनों पुलिस अधिकारी तेजी से पेशेवर ढंग से एवं युक्तिपूर्वक मौके पर नहीं पहुँचते, तो अगवा व्यक्ति की जान चली गई होती।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सारंगथेम इबोमचा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और ख. बसंत कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21/02/2012 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 149-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पोतसंगबाम तरुणकुमार सिंह
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.01.2012 को लगभग अपराह्न.9.15 बजे, 10वें आम विधान सभा चुनाव, 2012 के संदर्भ में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अगवा करने और उन पर बम से हमला करने के इरादे से कियामगेई क्षेत्र के गांव के बीच की सड़क पर एवं उसके आसपास कुछ हथियार बंद भूमिगत गुटों की आवाजाही के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पी. तरुणकुमार सिंह अपने दल के साथ उक्त क्षेत्र की ओर चल पड़े तथा कियामगेई शांतिपुर की जाँच एवं छान-बीन शुरु कर दी। उक्त क्षेत्र की छानबीन करते समय करीब अपराह्न 9.35 बजे 3-4 अज्ञात युवक संदेहास्पद तरीके से छानबीन के स्थल की ओर पैदल आ रहे थे। उनके संदेहास्पद तौर-तरीके को देखकर उप निरीक्षक पी. तरुणकुमार सिंह ने उनको चिल्लाकर जाँच के लिए रुकने के लिए कहा। रुकने के बजाय वे भागकर धान के खेत में चले गए और कमांडो दल की ओर गोलीबारी शुरु कर दी। अज्ञात युवक ने कमांडो दल की ओर

एक हथगोला भी फेंका। भाग्यवश हथगोला सड़क एवं कमांडो वाहन रक्षक के पास फटा। उनकी गतिविधियों को देखकर कमांडो दल ने बेतार से सीडीओ नियंत्रण कक्ष को तुरंत अतिरिक्त सहायता बल भेजने के लिए कहा। अतिरिक्त सहायता बल के लिए अनुरोध करते हुए उप निरीक्षक पी. तरुणकुमार सिंह ने दो कांस्टेबलों अर्थात जोसेफ मेरिंग एवं ई. अबुंग सिंह के साथ उनका पीछा किया तथा रेंगते हुए दल का मोर्चा संभाल लिया और रणनीतिक मोर्चा संभालने के बाद जवाबी गोलाबारी शुरु कर दी। उप निरीक्षक पी.तरुणकुमार सिंह पूरी सूझ-बूझ से और उनकी ओर से सनसनाती हुए निकल रही गोलियों की परवाह किए बगैर रेंगते हुए हथियार बंद आतंकियों की ओर धीरे-धीरे बढ़े और जब आतंकी उठे ओर उन्हें गोली मारने का प्रयास किया, तो श्री पी. तरुणकुमार सिंह ने हथियार से लैस एक आतंकवादी को गोली से मार गिराया जो धान के खेत में मोर्चा संभाले हुए था और अन्य आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। जवाबी गोलीबारी में उप निरीक्षक पी. तरुणकुमार सिंह ने प्रतिकूल स्थिति में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल ही परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) इम्फाल पश्चिम के नेतृत्व में अतिरिक्त सहायता बल के पहुँचने के बाद उप पुलिस अधीक्षक (सीडीओ), इम्फाल पश्चिम और ओ सी (सीडीओ) इम्फाल पश्चिम ने मुठभेड़ के बाद सी डी ओ इम्फाल के दो दलों के साथ मिलकर स्थल की पूरी तलाशी ली। मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर, गोली से छलनी हुआ एक शव और 1 (एक) 9 एम एम पिस्तौल एवं मैगजीन तथा लाल पोलीथीन बैग में कुछ विस्फोटक सामग्री शव के पास पाई गई। क्षेत्र की आगे और तलाशी लेने पर, एक हथगोला पिन भी सड़क के किनारे पाया गया। मारे गए आतंकवादी की बाद में केइराव मेंजोर इंगखोल लेईकेई के मोहम्मद जमीरखान (30) के रुप में पहचान की गई, जो पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पी यू एल एल) का एक कट्टर सदस्य था।

इस मुठभेड़ में श्री पोतसंगबाम तरुणकुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.01.2012 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 150-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. तोईजाम खोगेन सिंह,
   उप निरीक्षक
2. खंगेमबाम सुनीलकुमार सिंह,
   उप निरीक्षक
3. बिनॉय इरोम,
   जमादार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 03/02/2011 को करीब पूर्वाह्न 10 बजे मोटबंग गाँव एवं खोलुईमोल हिल रेंज के आसपास के क्षेत्र में कांगलेईपाक कम्यूनिट पार्टी आफ कांगलेईपाक मिलिट्री काउन्सिल (संक्षेप में केसीपीएमसी) के कुछ सशस्त्र काडरों, जो फिरौती के लिए व्यपहरण में संलिप्त थे, की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर सी डी ओ यूनिट इम्फाल पश्चिम के एक चुनिंदा दल तथा 43 ए आर के एक दस्ते ने उक्त काडरों को पकड़ने के लिए उक्त क्षेत्र की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया।

करीब अपराह्न 12 बजे, जब संयुक्त दल उक्त स्थान की घेराबंदी कर रहा था, तब अत्याधुनिक हथियारों से लैस 3-4 युवकों को मोटबंग गांव से चुपके से खोलुईमोल हिल रेंज की ओर बढ़ते हुए तथा एक झरने को पार करते हुए देखा गया। सी डी ओ ने तत्काल उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए चुनौती दी। अपनी पहचान बताने के बजाय, उन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी। उक्त पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर पेड़ों के पीछे मोर्चा संभाल लिया। यद्यपि संयुक्त दल असुरक्षित स्थिति में था, तथापि, उन्होंने रणनीतिक रुप से अपनी स्थिति किसी तरह ठीक करने के बाद जवाबी गोलीबारी की। पहाड़ी क्षेत्र तथा झरने को पार करके संयुक्त बल को उस स्थान के पास पहुँचने में काफी कठिनाई पैदा हुई जहाँ से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे। गोलीबारी के दौरान उप निरीक्षक खंगेमबाम सुनीलकुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक टी. खोगेन सिंह और सीडीओ यूनिट इम्फाल पश्चिम के जेसी जमादार बिनॉय इरोम उस स्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जहाँ से आतंकवादी मोर्चा ले रहे थे तथा लगातार गोलीबारी हो रही थी, जबकि पीछे शेष कमांडो कार्मिक तथा 43 ए आर के कार्मिक जवाबी गोलीबारी कर रहे थे। प्रतिकूल स्थिति के बावजूद जब पीछे के कमांडो कार्मिक और पीछे के शेष

कार्मिक सहायता के रुप में गोलीबारी कर रहे थे, तब सी डी ओ यूनिट इम्फाल पश्चिम के उक्त तीन अधिकारी दो तरफा गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ गए तथा आंतकवादियों के नजदीक आ गए और उस पहाड़ी की ढलान पर स्थित एक स्थान से आतंकवादी की ओर युक्तिपूर्वक गोली चलाई जहाँ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। इस प्रकार एक सशस्त्र भूमिगत काडर को थिंगाशत गाँव की ओर आने वाली मोटाबंग खोलुईमोल हिल रेंज की निचली पहाड़ी पर मार गिराया गया और संयुक्त बल के आक्रामक अभियान का मुकाबला करने में असमर्थ अन्य आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों एवं लेथोड बम को लेकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए पीछे हटने लगे और पूर्वी पहाड़ी की ओर ऊपरी छोर की तरफ भाग गए। तथापि, संयुक्त बल आगे बढ़ता रहा तथा भागते हुए आतंकवादियों की ओर गोलीबारी करता रहा, किंतु आतंकवादी पहाड़ी क्षेत्र एवं घने झाड़-झंखाड़ की आड़ में भागने में सफल रहे।

लगभग 30 मिनट की मुठभेड़ के बाद पूरी तलाशी ली गई और मौके पर निम्नलिखित चीजें पाई गईं-

(1) गोली से छलनी एक शव ।
(2) एक मैगजीन सहित एक एके-56 राइफल।
(3) दो मैगजीन सहित दो एके-47 राइफलें।
(4) एक लेथोड बंदूक।
(5) एक मैगज़ीन सहित एक असंयोजित एम-16 राइफल।
(6) डेटोनेटर सहित चीन निर्मित एक हथगोला।
(7) सैंतीस एके राइफल गोलाबारुद।
(8) एके राइफल गोलबारुद के 11 खाली खोखे।
(9) एक डायरी।

बाद में, मृतक की पहचान स्वयंभू आर्मी चीफ लेफ्टीनेंट नओरेम कुमार सिंह उर्फ मणी उर्फ संगई राजन (43) पुत्र (स्व.) एन. मंगी सिंह निलाकुटी मयाई लेईकेई आफ कांगलेईपाक कम्यूनिटस्ट पार्टी आफ कांगलेईपाक मिलिट्री काउन्सिल (संक्षिप्त रुप में केसीपी-एमसी) के रुप में की गई।

वह निम्नलिखित अपराधों के लिए उत्तरदायी था:

1. दिनांक 21/12/2008 को राजभवन परिसर के अंदर दो हथगोला फेंकना, जिसमें से एक हथगोला राजभवन के दक्षिणी हिस्से के अंदर फटा।
2. टिंगरी लूकोल में दिनांक 22.11.2009 को चिंगमेराँग कराक के (स्व.) मंगी सिंह के पुत्र श्री नागेंगबाम कुबेर सिंह (70) की हत्या।
3. दिनांक 28.12.2009 को अपराह्न 9.30 बजे मपाओ थांगल गांव में ए आर के साथ सीडीओ-आई डब्ल्यू के संयुक्त दल और केसीपी (एम सी) के बीच मुठभेड़।

4. मपाओ थांगल गांव में दिनांक 18.12.2009 को एयरटेल फोन आपरेटर के दो स्टाफ का व्यपहरण।

5. सेकमई बाजार के (स्व.) जुगोल सिंह के पुत्र श्री खवईराकपाम इबोबी सिंह का व्यपहरण और बाद में उनकी रिहाई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री तोईजाम खोगेन सिंह, उप निरीक्षक, खंगेमबाम सुनीलकुमार सिंह, उपनिरीक्षक एवं बिनॉय इरोम, जमादार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03.02.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 151-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, मेघालय पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	हूबर्थ एस. मारक, एबी, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	डेविस एन.आर.मारक, सब डिविजनल पुलिस अधिकारी	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	रिंगरांग टी.जी. मोमिन, उप पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	सेंग्सराम च. मारक़, उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	राजेन्द्र पी. काहित, बीएन. कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	रीव्सगेवथूह, बीएन. कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, (जी एन एल ए), जो यूए (पी) अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिबंधित आतंकवादी गुट है, मेघालय राज्य में गारो हिल्स एवं पश्चिम खासी हिल्स जिलों में सक्रिय है। यह गुट फिरौती के लिए नागरिकों के व्यपहरण एवं अपहरण, व्यापक स्तर पर जबरन धन वसूली, पुलिस कार्मिकों एव नागरिकों की निर्मम हत्या और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला एवं आक्रमण जैसी घृणित एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रुप से लिप्त रहा है।

एक सुनियोजित रणनीति के भाग के रुप में, पूर्वी खासी हिल्स डीईएफ के ए बी सी हूबर्थ एस.मारक को जी एन एल ए गुट में घुसपैठ करने तथा गुट के सेंट्रल कमांड ढाँचे में काफी अंदर जाने के लिए सफलतापूर्वक भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से ए बी सी हूबर्थ एस. मारक को पुलिस भगौडे के रुप में दिखाया गया। जी एन एल ए के नेतृत्व द्वारा उनका स्वागत किया गया तथा ए बी सी हूबर्थ एस. मारक करीब एक महीने आतंकवादियों के साथ रहे और आतंकवादियों के साथ शिविर में रहने के दौरान उन्होंने सावधानीपूर्वक 8 अगस्त, 2011 को पुलिस को महत्वपूर्ण आसूचना जानकारी प्रेषित की। यह जानकारी आतंकवादी शिविर की सही अवस्थिति को उजागर किए जाने से संबंधित थी। इस जानकारी के आधार पर श्री डेविस एन.आर. मारक, आई पी एस के नेतृत्व में विशेष हथियार एवं सशस्त्र युक्ति (एस डब्ल्यू ए टी) के एक दल ने करीब 1400 बजे शिविर स्थल की ओर कूच किया। इस दल के अन्य सदस्य श्री रिंगरांग टी.जी.मोगिन, एम पी एस, एस आई सेंग्सराम च. मारक, बीएन सी राजेन्द्र पी. काहित एवं बीएन सी रीव्सगेवथूह उमलोग थे।

जैसे ही दल ने जंगल में प्रवेश किया और आतंकवादियों के शिविर के पास पहुँचा, जी एन एल ए काडरों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरु कर दी। भीषण गोलीबारी के बावजूद एस डब्ल्यू ए टी (स्वात) दल ने दल के सहायक सदस्यों द्वारा की जा रही कवर गोलीबारी में आगे बढ़ाना जारी रखा। इस प्रकार लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए स्वात दल ने अपनी जान को अत्यधिक खतरे एवं जोखिम में डाल दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में उप निरीक्षक सेंग्सराम च. मारक आतंकवादियों की गोलियाँ लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। फिर भी स्वात दल अति उत्साह एवं निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। आतंकवादी घने पेड-पौधों के बीच भाग गए। इस अभियान में, जी एन एल ए के चार शीर्ष काडर मारे गए। मारे गए इन आतंकवादियों की पहचान रोस्टर मारक, डिप्टी कमांडर-इन-चीफ एवं एरिया कमांडर-सेंट्रल कमांड, हेनिटसन (काडर) ब्रूनो (काडर) एवं जेकाइल के रुप में की गई। दल ने दो स्वचालित राइफलें, जिन्दा विस्फोटकों सहित एक ग्रेनेड लान्चर, आठ हथगोले एवं एक पिस्तौल जब्त की । स्वात दल द्वारा बहादुरी के साथ चलाए गए इस अभियान ने जी एन एल ए के सेंट्रल कमांड को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

इस मुठभेड में अधिकारियों एवं दल ने चार कट्टर आतंकवादियों को मारने में सफलता प्राप्त की तथा उनके शिविर को नष्ट कर दिया और काफी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारुद बरामद किया।

(i) एक ए डी-81 सीरीज राइफल और साथ में 4 मैगजीनें।
(ii) दो मैगजीन सहित एक 5.56 एम एम राइफल (प्राथमिकी में एम एस के राइफल के रुप में उल्लिखित)।
(iii) पाँच सेल सहित एक ग्रेनेड।
(iv) मैगजीन सहित एक पिस्तौल।
(v) दो 36 एच ई ग्रेनेड।
(vi) छह चाइनीज ग्रेनेड।
(vii) एक सिलिंड्रिकल ग्रेनेड।
(viii) विभिन्न कैलिबर वाले गोलाबारुद के 332 राउन्ड।
(ix) एक आई एन एस ए एस (इन्सास) मैगजीन।
(x) दो ड्रैगुनोव स्निपर राइफल मैगजीन ।
(xi) एके-47 के नौ खाली खोखे।
(xii) कई अभिशंसी दस्तावेज।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री हूबर्थ एस. मारक, एबी. कांस्टेबल, डेविस एन. आर. मारक, एस डी पी ओ, रिंगरांग टी.जी मोमिन, उप पुलिस अधीक्षक, सेंग्सराम च. मारक, उप निरीक्षक, राजेन्द्र पी. काहित, बीएन. कांस्टेबल एवं रीव्सगेवथूह, बीएन. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 09/08/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 152-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री वेपोटो राखो
हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

हवलदार वेपोटो राखो चाखेसांग 10वीं एन ए पी बटालियन (इंडियन रिजर्व) में एन सी ओ के रुप में सेवारत हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में तैनात हैं। यह यूनिट अगस्त, 2010 के अन्त से वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात थी। एन सी ओ वर्तमान में एडी एम कम्पनी सीक्यूएमएच के रुप में सेवारत हैं तथा बलरामपुर में यूनिट कोटे के प्रभारी भी हैं।

दिनांक 2/12/2010 को प्रात: 2 बजे से 2.15 बजे के बीच सी/एन पुरलेम्बा ने बलरामपुर सामुदायिक हाल, जहां यूनिट विभाग मुख्यालय स्थित है, की छत से अपनी सर्विस एके 47 संख्या उन एम-44-6986 ए आर एम आई 04 से हवा में गोलीबारी करनी शुरु कर दी। जब पश्चिम बंगाल सशस्त्र पुलिस के ड्यूटी पर तैनात संतरी संजय बोर ने हथियार से गोलीबारी न करने का अनुरोध किया, तब सी/एन पुरलेम्बा उग्र हो गये तथा संजय बोर पर गोली चला दी जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए और बाद में घायल होने की वजह से पुरुलिया सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

गोलियों की आवाज सुनने पर स्वर्गीय एबी. उप निरीक्षक केवरीहयोंग डोमनीक तथा हवलदार वी.राखो गोलीबारी के कारण का पता लगाने के लिए छत की तरफ दौड़े। उन्होंने सी/एन पुरलेम्बा को अपनी सर्विस एके-47 राइफल के साथ देखा, जो तनी हुई थी तथा दोबारा गोलीबारी के लिए तैयार थी। एबी. उपनिरीक्षक डोमनीक ने सी/एन पुरलेम्बा से पूछा यह क्या कर रहे हो, परन्तु उसने उन पर गोली चला दी तथा मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तब हवलदार वेपोटो राखो ने छत पर खतरनाक रुप से सशस्त्र सी/एन पुरलेम्बा पर झपट्टा मारने के लिए कुछ मिनट तक इंतजार किया। मौका देखते ही वह सी/एन पुरलेम्बा पर झपट पड़े और वे लगभग 20 मिनट तक आपस में जूझते रहे। जब हवलदार वेपोटो सी/एन पुरलेम्बा को काबू में करने के लिए अकेले ही जूझ रहे थे, तब उनके बचाव के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उनके संघर्ष के दौरान सी/एन पुरलेम्बा ने पूरी तरह से भरी हुई एके-47 मैगजीन से गोली चला दी। तथापि, हवलदार वेपोटो ने बन्दूक की बैरल को पकड़ लिया जिससे किसी को भी गोली नहीं लगी। अंतत सी/एन पुरलेम्बा को काबू में कर लिया गया और उसे निरस्त्र कर दिया गया इस संघर्ष में हवलदार वेपेटो का दायां हाथ, सी/एन पुरलेम्बा द्वारा बन्दूक से की गई लगातार गोलीबारी के कारण बुरी तरह जल गया।

इस प्रकार हवलदार वेपोटो ने खतरनाक रुप से सशस्त्र सी/एन, जो कई अधिकारियों/एनजीओ/एनसीओ तथा अन्यों की हत्या कर सकता था, को अकेले निरस्त्र करके अदम्य वीरता का परिचय दिया। उन्होंने बलरामपुर डी ई टी टी मुख्यालय में सभी की सुरक्षा तथा ड्यूटी को सर्वोपरि माना तथा अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल दिया उन्होंने सुरक्षा, सेवा

तथा समर्पण को आदर्श मानते हुए मौत के सामने अत्यधिक साहस का प्रदर्शन किया तथा वास्तव में एक बहादुर और समर्पित नागा सिपाही होने का परिचय दिया।

श्री वेपोटो राखो, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02/12/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 153-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक	4.	सतनाम सिंह, कांस्टेबल	
2.	गुरशरण सिंह, हेड कांस्टेबल	5.	सविन्दर सिंह, हेड कांस्टेबल	(मरणोपरांत)
3.	थमन सिंह, कांस्टेबल	6.	नरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल	(मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 25.04.2010 को श्री गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष की अगुवाई में एक पुलिस दल, जिसमें उनके बंदूकधारी पुलिस हेड कांस्टेबल गुरशरण सिंह, कांस्टेबल, सतनाम सिंह, दोनों कांस्टेबल एस एल आर से लैस, ए.के.-47 से लैस कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह, एस एल आर से लैस हेड कांस्टेबल सविंदर सिंह तथा उनके सरकारी वाहन के ड्राइवर कांस्टेबल थमन सिंह शामिल थे, गांव रातरवां क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे। 5वीं सी डी ओ बटालियन के जवानों ने गांव के दूसरी तरफ के क्षेत्र को घेर रखा था जो कि गांव रातरवां के श्री सुखवंत सिंह के डेरा से शुरु होता है। शस्त्रों से लैस आतंकवादियों ने पुलिस दल के जवानों को मारने और स्वयं बच निकलने के इरादे से पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। श्री गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, गुरदासपुर और उनके जवानों ने तत्काल पोजीशन ले ली और आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। शस्त्रों से लैस आतंकवादियों ने पुलिस हेड कांस्टेबल सविंदर सिंह तथा कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह पर हथगोले भी फेंके, जो एक स्थान पर पोजीशन लिए

हुए थे और जवाबी गोलीबारी कर रहे थे। ये दोनों पुलिस अधिकारी हथगोलों के आक्रमण से घायल हो गए लेकिन उन्होंने वीरतापूर्वक आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी, लेकिन कुछ समय पश्चात आतंकवादियों की ओर से किए जाने वाले हथगोलों के आक्रमण और गोलीबारी से गंभीर चोटें आने की वजह से इन दोनों ने दम तोड़ दिया। श्री गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष ने वायरलेस से पुलिस महानिदेशक को सूचित किया। पुलिस महानिदेशक कुछ अन्य अधिकारियों और बल के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए और घेराबंदी को और मजबूत किया तथा अपेक्षित रणनीतिक सहायता मुहैया करायी ताकि आतंकवादी भागने न पाएं। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के दौरान कांस्टेबल थमन सिंह तथा कांस्टेबल सतनाम सिंह को गोलियां लगने से गंभीर चोटें आईं लेकिन वे वीरतापूर्वक जवाबी गोलीबारी करते रहे। पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करते समय आतंकवादी घुटनों के बल धीरे-धीरे पुलिस वाहन की ओर इस इरादे से आगे बढ़ रहे थे कि वे पुलिस अधिकारियों को मार कर पुलिस वाहन को हथिया सकें। तथापि, लगभग डेढ़ घंटे तक हुई भारी गोलीबारी और भीषण मुठभेड़ के बाद, पाकिस्तानी राष्ट्रिक प्रतीत होने वाले हथियारों से लैस दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर मृतक आतंकवादियों से 2 ए के-47 राइफलें, 16 ए के-47 मैगजीनें, ए के-47 के 475 जिंदा कारतूस, ए के-47 के 9 खाली कारतूस, .30 बोर के 2 चीन में निर्मित माउजर, माउजर के 78 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन माउजर, एक एच ई 36 हथगोला, चीन में निर्मित 8 हथगोले, 4 इस्तेमाल किए गए हथगोले, 4 आई ई डी विस्फोटक, जिन्हें घटना स्थल पर निष्क्रिय कर दिया गया, 01 कम्पास, 01 पावर बैटरी, 2 रसायन बोतलें, 01 परफ्यूम, 01 लाइटर और 2390/-रूपए की भारतीय मुद्रा बरामद की गई। इस संबंध में, पुलिस थाना नारोट जयमल सिंह में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307, आयुध अधिनियम की धारा-25/54/59, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5, भारतीय पारपत्र अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत दिनांक 25.04.2010 को मामला प्राथमिकी सं.25 पंजीकृत किया गया है। इस भीषण मुठभेड़ में, पुलिस हेड कांस्टेबल सविंदर सिंह तथा कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह हथगोला आक्रमण तथा उग्रवादियों की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी में हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक सशस्त्र पाकिस्तानी आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी तथा आतंकवादियों पर गोली चलाते समय गंभीर रूप से घायल होने की वजह से दम तोड़ दिया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया। कांस्टेबल थमन सिंह और कांस्टेबल सतनाम सिंह, जिन्हें गोलियां लगी थीं, की हालत यद्यपि, बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, फिर भी वे वीरतापूर्वक सशस्त्र पाकिस्तानी आतंकवादियों पर गोलीबारी करते रहे। पुलिस हेड कांस्टेबल गुरशरण सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की तथा घायल कांस्टेबल सतनाम सिंह तथा कांस्टेबल थमन सिंह तक पहुंचने में कामयाब रहे और एक-एक करके दोनों कांस्टेबलों को समीप के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। श्री गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक ने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और मार्गदर्शन तथा योग्य नेतृत्व प्रदान किया तथा अपने अधीनस्थों को अनुदेश देते रहे और आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी भी की। इस प्रकार, डेढ़ घंटे

की भीषण मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकवादी मारे गए और उनके पास से उपर्युक्त हथियार/गोलाबारुद तथा विस्फोटक बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गरीब दास, उप पुलिस अधीक्षक, गुरशरण सिंह, हेड कांस्टेबल, थमन सिंह, कांस्टेबल, सतनाम सिंह, कांस्टेबल, स्वर्गीय सविन्दर सिंह, हेड कांस्टेबल और स्वर्गीय नरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.04.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 154-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री खेम सिंह, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 02.10.2008 को पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) धौलपुर ने करौली पुलिस को टेलीफोन पर सूचित किया कि पुलिस थाना सरमथुरा की पुलिस कुछ बदमशों का पीछा कर रही है तथा पीछा करने के दौरान इन बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। पुलिस द्वारा तेजी से पीछा किए जाने के दौरान बदमाश डोमपुरा गांव से जिला करौली की सीमा की ओर भागने लगे। इस सूचना के मिलने पर बिना कोई समय गंवाए एस एच ओ मसालपुर ने बल के साथ बदमाशों की तलाश शुरु कर दी। श्री खेम सिंह, हेड कांस्टेबल भी उनके साथ थे। श्री खेम सिंह, हेड कांस्टेबल द्वारा तलाशी शुरु की गई और इस तलाशी के दौरान सूचना मिली कि ये बदमाश हथियारों के साथ कोरीपुरा के जंगल में छिपे हुए हैं और इनके कोरीपुरा ताल पहुँचने की संभावना है। इस सूचना के बाद पुलिस दल ने कोरीपुरा के ताल की ओर कूच किया। जैसे ही करौली जिला तथा पुलिस थाना सरमथुरा की पुलिस कोरीपुरा के ताल पर पहुँची, बदमाशों ने महसूस किया कि वे दोनों ओर से पुलिस से घिर गए हैं और भागना शुरु कर दिया। खेम सिंह, हेड कांस्टेबल पर डकैत द्वारा गोली चलाए जाने बावजूद, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी इयूटी के निर्वहन के साथ समन्वय कायम करते हुए डकैत पर गोलियां चलाते रहे और डकैतों का लगातार

पीछा करते रहे। पीछा करने के दौरान हेड कांस्टेबल डकैतों के काफी नजदीक पहुँच गए। धान के खेत में छिपे हुए एक डकैत ने हेड कांस्टेबल पर गोली चला दी और गोली से घायल होने की वजह से उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। गोली लगने के बावजूद खेम सिंह डकैत लुटई मीना पर गोलियां बरसाते रहे और उसे घायल कर दिया, जिसकी गोली लगने के कारण बाद में मृत्यु हो गई। इस घटना के दौरान श्री खेम सिंह, हेड कांस्टेबल ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस संबंध में, पुलिस थाना मसालपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 384, 336, 353, 333, 120ख तथा आई आई आर डी अधिनियम और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत एफ आई.आर. सं. 148/2008 दर्ज की गई थी।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री खेम सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02.10.2008 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 155-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अनिल कुमार कपरवान,
   उप निरीक्षक
2. आदित्य कुमार भाटी,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 16.05.2010 को श्री अनिल कुमार कपरवान, उप निरीक्षक, गाजियाबाद को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी अजय, जिसके सिर पर 50,000/-रूपए का इनाम है, किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए इंडिगो कार द्वारा गाजियाबाद से हापुड़ की ओर जा रहा है। श्री कपरवान तत्काल सक्रिय हो गए और पुलिस दल को पुलिस जांच चौकी छिजारसी पर बुलाया तथा अपराधी को पकड़ने के लिए रणनीति पर चर्चा की और उसके आने का इंतजार करने लगे।

लगभग 13.50 बजे, उक्त इंडिगो तेज रफ्तार से गाजियाबाद की ओर से आ रही थी। पुलिस दल ने इंडिगो को रोकने के लिए बाधा खड़ी की, लेकिन कार ने 'यू' टर्न ले लिया। पुलिस दल ने कार की गति को बाधित करने के लिए एक ड्रम लुढ़काया, लेकिन इसके बदले में उक्त अपराधियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरु कर दी और वापस गाजियाबाद की ओर भागने लगे। पुलिस दल ने तुरंत उक्त कार का पीछा किया और जैसे भोवापुर मोड़ के समीप पहुँचे और उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की, तो चालाक अपराधियों ने एकाएक अपनी कार मोड़ी और तेजी से रिलांयस प्रोजेक्ट की ओर भागने लगे और जैसे ही सड़क खत्म हुई, अपराधियों ने अचानक कार रोकी, उससे उतरे और उसे वहीं छोड़कर रिलांयस प्रोजेक्ट स्थित झोपड़ पट्टी की ओर भागे और पुलिस दल पर लगातार गोलियां बरसाते रहे। यह देखते हुए कि अपराधी पुलिस दल पर लगातार गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं, श्री अनिल कुमार कपरवान 'करो या मरो' की स्थिति से गुजरते हुए भी, बिना भयभीत हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए दृढ़संकल्प थे। श्री अनिल कुमार कपरवान और श्री आदित्य कुमार भाटी, कांस्टेबल ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपराधियों को खुले में चुनौती दी और नियंत्रित गोलीबारी करते हुए उनकी फायरिंग रेंज की सीमा में आगे बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप एक अपराधी को वहीं घायल होकर नीचे गिराया और दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा। घायल अपराधी, जिसने घायल होने की वजह से दम तोड़ दिया, की पहचान कुख्यात अपराधी अजय के रूप में हुई। उसके पास से एक फैक्ट्री निर्मित पिस्तौल, 02 कारतूस तथा 09 मिमी. बोर के 05 खाली खोखे बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अनिल कुमार कपरवान, उप निरीक्षक और आदित्य कुमार भाटी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16.05.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 156-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. दीपक रतन,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. चमन सिंह चावड़ा,
   निरीक्षक
3. प्रशान्त कपिल,
   उप निरीक्षक
4. पुष्पेन्द्र शुक्ल,
   कांस्टेबल
5. नरेश कुमार,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27.10.2011 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर श्री दीपक रतन को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी मुस्तफा उर्फ कग्गा, जिसके सिर पर 50,000/-रुपए का इनाम है, गंगोह क्षेत्र में किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने जा रहा है। वे तत्काल दिनांक 27/28.10.2011 की रात को ही सक्रिय हो गए और एस आई, एस ओ जी तथा श्री चमन सिंह चावड़ा, निरीक्षक पुलिस थाना-गंगोह और सूचना देने वाले व्यक्ति, जो उन्हें वहां पर मिला था, के साथ ग्राम बीनपुर के समीप पहुँचे और वाहनों को वहीं छोड़कर गांव के जंगली इलाके की ओर चल दिए। वहाँ सूचना दने वाले व्यक्ति ने खेत में एक नलकूप की ओर इशारा करते हुए अपराधी मुस्तफा और उसके गैंग के वहां मौजूद होने के बारे में बताया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में श्री चमन सिंह चावड़ा, निरीक्षक; श्री प्रशांत कपिल, उप निरीक्षक, श्री पुष्पेन्द्र शुक्ल, कांस्टेबल तथा श्री नरेश कुमार, कांस्टेबल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रतन ने आस पास की भौगोलिक स्थित का त्वरित जायजा लेने के उपरांत रणनीतिक ढंग से नलकूप के समीप चकरोड के रास्ते घुटनों के बल चलना शुरु किया। एकाएक उनमें से एक बदमाश ने नलकूप की छत से पुलिस दल को देख लिया और अपने साथियों को चीख-चीख कर सावधान कर दिया और अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने स्वयं को बचाने के लिए शीघ्र ही खम्भे और खेत की मिट्टी के ढेर के पीछे पोजीशन ली। बदमाशों ने भी नलकूप की दीवारों के पीछे पोजीशन ले ली और गोलीबारी शुरु कर दी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, लेकिन बदमाश निरंतर गोलीबारी करते रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस दल बदमाशों की खतरनाक गोलीबारी के आक्रमण से भयभीत हुए बिना तथा अदम्य साहस के साथ, अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए, बदमाशों को पकड़ने के लिए कटिबद्ध होकर खम्भे की आड़ को छोड़ते हुए सावधानी पूर्वक और रणनीतिक ढंग से आगे बढ़े और उनके इस कौशल भरे दांव से प्रोरित होकर श्री चमन सिंह चावड़ा, निरीक्षक तथा पुलिस दल भी अपनी-अपनी आड़ को छोड़कर उनके पीछे हो लिए, लेकिन बदमाशों द्वारा की जा रही लगातार गोलीबारी से कुछ गोलियां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री चमन सिंह चावड़ा, निरीक्षक; प्रभारी, एस ओ जी तथा कांस्टेबल के बुलेट-प्रूफ जैकटों पर लगीं तथा उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और वे भाग्यवश सुरक्षित बच गए, लेकिन इन सबके बावजूद, इस 'करो या मरो' की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं और उनके निर्भीक नेतृत्व में श्री चमन सिंह चावड़ा और पुलिस दल उन बदमाशों की गोलीबारी की रेंज में उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए तथा आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी का सहारा लेते हुए आगे बढ़े जिसमें एक बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जबकि अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेतों से होकर भाग निकले। उनका पीछा किया गया, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका तथा जब घायल बदमाश को पास से देखा गया तो उसे मृत पाया गया, जिसकी कुख्यात अपराधी मुस्तफा के रुप में पहचान की गई।

की गई बरामदगी:

1. यू एस ए में बनी मैगजीन सहित फैक्ट्री निर्मित एक पिस्तौल, 02 जिंदा कारतूस और .45 बोर का खाली खोखा।
2. एक देशी पिस्तौल, 01 जिंदा कारतूस तथा 7.62 बोर का एक खाली खोखा।
3. 04 जिंदा कारतूस तथा 315 बोर के 12 खाली खोखे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दीपक रतन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चमन सिंह चावड़ा, निरीक्षक, प्रशान्त कपिल, उप निरीक्षक, पुष्पेन्द्र शुक्ल, कांस्टेबल और नरेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहें है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28/10/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 157-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	प्रमोद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल	(मरणोपरांत)	3.	भीमा शंकर, कांस्टेबल	(मरणोपरांत)
2.	अरुप रक्षित, कांस्टेबल	(मरणोपरांत)	4.	तेजेन्द्र सिंह कांस्टेबल	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29 अगस्त, 2010 को लगभग 0400 बजे, सामरिक अपेक्षाओं के अनुसार उचित तैयारी के बाद, 02 निरीक्षकों, 57 अन्य रैंकों के कार्मिकों, सामरिक मुख्यालय के घटकों, 04 पुलिस कार्मिकों तथा छत्तीसगढ़ पुलिस के 05 एस.पी.ओ. के एक दल ने दुर्गकोंडल एवं ग्राम-भुस्की (यह दुर्गकोंडल से पाखंजुर की ओर लगभग 8.5 कि.मी की दूरी पर मील पत्थर 34 एवं 35 के बीच, भानुप्रतापपुर-पाखंजुर अक्ष पर अवस्थित है) के बीच क्षेत्र की सफाई के लिए सामरिक मुख्यालय, दुर्गकोंडल से प्रस्थान किया। निरीक्षक अर्जुन सिंह की अगुवाई में एक दल को क्षेत्र निगरानी गश्त एवं सड़क सुरक्षा अभियान पर लगाया गया था, जबकि निरीक्षक मनीष कुमार के दल को सचल जांच चौकी तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। हर प्रकार के पूर्वोपायों

के साथ उक्त दल सामरिक रुप से आगे बढ़ा। कांस्टेबल अरुप रक्षित डीप सर्च मेटल डिटेक्टर (डी एस एम डी) की सहायता से सभी संभावित आई ई डी स्थलों की सफाई कर रहे थे। उनके पीछे पुलिस कांस्टेबल विष्णुराम लाडिया और एस पी ओ उम्मेद कुमार थे, जो सड़क के दाहिनी ओर से सुरक्षा कवर मुहैया करा रहे थे तथा हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल भीमा शंकर और कांस्टेबल तेजेन्द्र सिंह उनके ठीक पीछे थे, जो सड़क के बाईं ओर से सुरक्षा कवर प्रदान कर रहे थे।

लगभग 0650 बजे, जैसे ही मार्गदर्शी स्काउट दुर्गकोंडल से लगभग 8.5 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित मील पत्थर संख्या 33 और 34 के बीच पड़ने वाले एक मोड़ के समीप पहुँचे, तो मार्गदर्शी स्काउट उत्तर-पश्चिम दिशा से की जाने वाली भारी गोलीबारी की चपेट में आ गये। मार्गदर्शी टुकड़ी बिना एक पल गंवाए सड़क की बाईं ओर कूद गई और आड़ ले ली, लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने दक्षिण-पश्चिम दिशा से भी गोलीबारी शुरु कर दी। आरंभ में, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुप रक्षित, कांस्टेबल भीमा शंकर, कांस्टेबल तेजेन्द्र सिंह तथा गश्ती दल की अन्य सैन्य टुकड़ियां, अच्छी तरह से पोजीशन लिए हुए और मोर्चाबंदी किए हुए नक्सलियों, जिन्होंने जानबूझकर घात लगा रखी थी, द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी में फंस गई।

गश्ती दल पर निशाना लगाकर चौतरफा की जा रही गोलीबारी की भीषणता को देखते हुए हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुप रक्षित, कांस्टेबल भीमा शंकर और कांस्टेबल तेजेन्द्र सिंह ने अदम्य साहस और निर्भीकता का परिचय देते हुए नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी जिसके कारण कई नक्सली हताहत हुए। इन बहादुर सिपाहियों द्वारा की गई ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई के परिणामस्वरुप अच्छी तरह से पोजीशन लिए हुए नक्सलियों को अपनी पोजीशन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वहां पर गोलीबारी में फंसे गश्ती दल के सदस्यों को पुन: संगठित होने और अपनी स्थिति को बदलने का अवसर मिल गया जिससे गश्ती दल नक्सलियों के घात को तोड़ने में सफल हो गया। इन बहादुर सिपाहियों द्वारा की गई भीषण जवाबी कार्रवाई से चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी जिससे ये सिपाही खुले क्षेत्र में होने के कारण असुरक्षित हो गए। फिर भी, वे अपनी सुरक्षा की लेशमात्र भी परवाह न करते हुए मोर्चाबंद नक्सलियों की ओर बढ़ते रहे, जो छिपकर और सुरक्षित स्थिति में रहकर गश्ती दल को निशाना बना रहे थे। घातक गोलियों द्वारा घायल होने के बावजूद, भारी प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हुए भी वे उच्च कोटि की बहादुरी एवं साहस का परिचय देते हुए अपनी अंतिम सांस तक मोर्चे पर डटे रहे। कांस्टेबल तेजेन्द्र सिंह, जो जीवित बच गए थे, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्थिति बदल-बदल कर नक्सलियों पर तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक कि नक्सली वहां से भाग नहीं गए। इसी बीच गश्ती दल ने घात लगाकर हमला करने वाले अन्य नक्सलियों पर सीधी गोलीबारी करके तथा दूसरी दिशा से 51 एम एम मोर्टारों से उच्च विस्फोटकों को दागते हुए खाई में छिपे नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया, जो

अपनी रणनीति के अनुसार, घायल एवं हताहत नक्सलियों के साथ भागने में सफल रहे, जिसकी, बाद में विश्वस्त सूत्रों द्वारा पुष्टि की गई।

यह एक असाधारण अभियान था, जब सुरक्षा बलों द्वारा मोर्चाबंद नक्सलियों के घात लगाकर और जानबूझ कर किए गए हमले को नाकाम किया गया था। हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुप सिंह, कांस्टेबल भीमा शंकर और कांस्टेबल तेजेन्द्र सिंह द्वारा की गई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के वीरतापूर्ण प्रयासों से घात लगाकर किए गए हमले को निष्फल करने के अभियान में सफलता मिली और गश्ती दल के अन्य सदस्यों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सका। सीमा सुरक्षा बल के इस घात विरोधी अभियान ने नक्सलियों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी है।

घटनास्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:

i)	आई ई डी 9, भार .05 किग्रा.	01
ii)	इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर	01
iii)	तार लगभग	100 मीटर
iv)	पेट्रोल बम	03
v)	पेट्रोल बम के लिए इम्प्रोवाइज्ड डेटोनेटर	02
vi)	एसएलआर मैगजीन	01
vii)	7.62 मिमी. एस एल आर की गोलियां	13
viii)	7.62 मिमी. एस एल आर खाली खोखा-	18
ix)	.303 बिना दगे हुए	05
x)	ई एफ सी .303	10
xi)	ई एफ सी 5.56 मिमी.	15
xii)	ई एफ सी एके-47	04
xiii)	ई एफ सी 12 बोर	05
xiv)	खुखरी (छोटी)	01

इस मुठभेड़ में सर्वश्री स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय आरुप रक्षित, कांस्टेबल, स्वर्गीय भीमा शंकर, कांस्टेबल और तेजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.08.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 158-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. कोइचुंग अथांग आइमोल कांस्टेबल (मरणोपरांत)
3. घनोकर प्रमोद कांस्टेबल
4. करुथी वीरन विकनेश्वर कांस्टेबल
5. राहुल कुमार त्यागी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26 जून, 2011 को लगभग 0630 बजे श्री के.एन. यादव, सहायक कमांडेंट की कमान के तहत सामरिक मुख्यालय का एक दल, जिसमें 05 अधीनस्थ अधिकारी, 77 अन्य रैंक के अधिकारी तथा 02 छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्मिक (कुल 84) शामिल थे, सड़क सुरक्षा अभियान (आर एस ओ) हेतु सामरिक मुख्यालय से मंदिर टेकरी की ओर चला। कोयलीबेडा से लगभग 2 किमी. की दूरी पर दल के कमांडर ने प्रेक्षण द्वारा क्षेत्र को नियंत्रण में रखने के लिए दो टुकडियों को अनुकूल स्थान (टेकरी घात) पर तैनात कर दिया।

लगभग 1100 बजे, सड़क के दोनों ओर चार टुकड़ियों के साथ समुचित सामरिक व्यूहरचना का अनुसरण करते हुए सड़क सुरक्षा अभियान दल वापस लौटने लगा। जबकि, तीन टुकड़ियां विस्तारित लाइन में थीं, चौथी टुकड़ी एकल फाइल संरचना में (सुरक्षा को व्यापक बनाने हेतु सड़क से काफी दूर) थी। लगभग 1215 बजे जब दल ने सुलांगी (उप्पारपाड़ा) पार किया और बिल्कुल बांई ओर की टुकड़ी तारों की बाड़ से घिरे एक खुले स्थल से निकल रही थी, तभी उक्त टुकड़ी सामने की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गयी। नक्सलियों का एक बड़ा समूह टेकरी के समीप घनी वनस्पतियों के बीच पोजीशन लिए बैठा हुआ था। टुकड़ी के सतर्क सिपाहियों ने तेजी से पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी।

दल के कमांडर श्री के.एन. यादव, ए. सी. को यह समझने में देर नहीं लगी कि घात लगाए नक्सली अच्छी तरह से 'एल' आकार में फैले हुए हैं और इनका उद्देश्य पूरे दल को अपने जाल में फंसाना है। उन्होंने अपनी टुकडी को तत्काल टेकरी के दाहिनी ओर पोजीशन लेने का आदेश दिया। पुलिस दल ने जानबूझ कर घात लगाने की नक्सलियों की इस कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। बिल्कुल बांई ओर, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार तथा हेड कांस्टेबल मोहिंदर कुमार की अगुवाई में दो टुकड़ियां कांटेदार तार की बाड़ के दूसरी तरफ अलग-थलग पड़

गई थीं और नक्सलियों की घात के मजबूत केन्द्र के विरुद्ध छिड़े युद्ध का मुकाबला कर रही थीं। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार की अगुवाई वाली टुकडी नक्सलियों, जो पहले ही पेड़ों के पीछे अच्छी तरह से पोजीशन लिए हुए थे और जमीन की उँचाई पर थे, द्वारा की जा रही थी गोलीबारी की चपेट में आ गयी। सेक्शन कमांडर होने के नाते हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने तुरंत स्थिति को अपने हाथ में लिया और नक्सलियों की गोलीबारी के जवाब में गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने साथ ही अपनी टुकड़ी को आड़ (कवर) लेने का निर्देश दिया। भारी गोलीबारी के बीच अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने अपनी टुकड़ी का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वे गोली चलाने और आगे बढ़ो की रणनीति को अपनाते हुए नक्सलियों की पोजीशन की ओर घुटने के बल चलते हुए आगे बढ़ते रहे। भारी गोलीबारी से विचलित हुए बिना वे छिपे हुए नक्सलियों के साथ लड़ाई जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहे और नक्सलियों के एक समूह के साथ नजदीकी संघर्ष में शामिल हो गए। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार बहादुरी से लड़े और नक्सलियों पर गोलियां बरसायीं तथा 02-03 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें से एक, नक्सली कमांडर लालजी सिंह था। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी के दौरान, दुर्भाग्यवश एक गोली हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार के पेट पर लगी। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद वे नक्सलियों से जूझते रहे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उन्हें बहुत अधिक नुकसान पहुँचाता देखकर नक्सलियों ने उन पर चौतरफा गोली बारी करनी शुरु कर दी। बहादुर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार के शरीर पर कई गोलियां लगीं और वे अंतिम सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार की बहादुरी ने न केवल नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि नक्सली तेजी से अपने कदम पीछे खीचने पर मजबूर हो गए।

अपने सेक्शन कमांडर के उत्कृष्ट पराक्रम से प्रेरित होकर, कांस्टेबल के. विकनेश्वर ने नेतृत्व की सच्ची भावना का परिचय देते हुए अगले वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते टुकड़ी की कमान संभाली और नक्सलियों की योजना को नाकाम करने हेतु लड़ाई जारी रखने के लिए अपने साथी सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। भारी गोलीबारी का डटकर मुकाबला करते हुए, कांस्टेबल के. विकनेश्वर घने पेड़-पोधों के बीच सामरिक रुप से स्थिति को बदलते हुए तथा नक्सलियों पर लगातार गोलीबारी करते हुए अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अनुकरणीय साहस तथा उच्च कोटि के पेशेवर अंदाज का परिचय दिया। भीषण गोलीबारी के दौरान, कांस्टेबल के. विकनेश्वर ने देखा कि नक्सली अचानक बांई ओर से आक्रमण कर रहे हैं। कांस्टेबल के. विकनेश्वर ने अपनी जान और सुरक्षा की परवाह किए बिना अतिशीघ्र चतुराई से अपनी पोजीशन ली और भारी गोलीबारी करते हुए नक्सलियों को बहादुरीपर्वूक ललकारा और 2-3 नक्सलियों को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उनकी बांई भुजा और मूलाधार (पेरेनियम) भाग में गोलियां लगीं। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दो हथगोले फैंके जिसके परिणामस्वरुप भाग रहे कई नक्सली हताहत हुए और उनके बीच अफरा तफरी मच गई । उनकी इस साहसिक कार्रवाई ने कमाल कर दिखाया। नक्सली अपनी गोलीबारी की पोजीशन

छोड़कर भाग खड़े हुए। उनके साथी कांस्टेबल राजेशनाथ भी, जो इस भीषण लड़ाई में घायल हो गए थे, ने अपने साथी कांस्टेबल को कवरिंग फायर प्रदान करते हुए उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। नक्सलियों ने कई आई.ई.डी विस्फोटक जगह-जगह लगा रखे थे। कांस्टेबल के. विकनेश्वर की तत्परता और साहसिक सूझबूझ से एक भी आई.ई.डी. विस्फोट नहीं होने पाया और इस प्रकार, एक संभावित आपदा को रोका जा सका।

कांस्टेबल राहुल कुमार त्यागी, जो कि हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और इसके बाद कांस्टेबल के. विकनेश्वर की अगुवाई वाली टुकड़ी का हिस्सा होने के नाते नक्सलियों से मोर्चा ले रहे थे, ने जब यह देखा कि कांस्टेबल के. विकनेश्वर भीषण गोलीबारी के दौरान गभीर रुप से घायल हो गए हैं, तो उन्होंने तत्काल टुकड़ी की कमान अपने हाथ में ली और पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते रहे। कांस्टेबल राहुल कुमार त्यागी ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना भीषण गोलीबारी शुरु कर दी और नक्सलियों को गंभीर रुप से घायल कर दिया। अनुकरणीय साहस एवं जांबाजी का परिचय देते हुए अपने सेक्शन कमांडर, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार के शरीर को बचाने की कोशिश करते समय कांस्टेबल राहुल कुमार त्यागी की दाहिनी भुजा में गोली लग गई। गोलीबारी करने में असहाय और गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद यह बहादुर सिपाही अपने दृढ़ निश्चय एवं साहसिक जांबाजी का परिचय देते हुए घुटने के बल चलते हुए नक्सलियों की गोलीबारी वाले स्थान के नजदीक पहुँचा और अपने बाएं हाथ से दो हथगोले फेंके जिसकी वजह से खांई में छिपे नक्सलियों में तबाही मच गई और वे भागने पर मजबूर हो गए। खून के धब्बों और घसीट कर ले जाने वाली लाइनों से यह संकेत प्राप्त हुए कि इस कार्रवाई में कई नक्सली मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हुए हैं।

बाईं तरफ तैनात टुकड़ी नं. 2 भी, जो कि शत्रुओं की ओर से की जा रही गोलीबारी की चपेट में आ गयी थी, नक्सलियों की गोलीबारी का सामना कर रही थी। कांस्टेबल कोइचुंग अथांग आइमोल नक्सलियों की गोलीबारी को निष्फल करने हेतु अपने टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कांटेदार तारों की पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया, लेकिन देखा कि नक्सलियों की गोलीबारी से उनकी टुकड़ी पर खतरा मंडरा रहा है। अपने साथी सिपाहियों के जीवन को आसन्न खतरे को भांपते हुए कांस्टेबल कोइचुंग अथांग आइमोल ने अपनी निजी सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए और यह भलीभांति जानते हुए कि आगे का स्थान बिल्कुल निर्जन है, बिना किसी सुरक्षा कवर के नक्सलियों से मोर्चा लेने का निश्चय किया। अत्यधिक दिलेरी का परिचय देते हुए वे नक्सली ठिकाने पर झपट पड़े और बिल्कुल नजदीक से गोलियां चलाकर उनमें से दो नक्सलियों को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। उनके इस सहासिक कदम से नक्सली उन पर चारों ओर से गोलियां बरसाने लगे जो कि अन्यथा उनके साथी सिपाहियों के साथ जूझ रहे थे। नक्सलियों की गोलीबारी की दिशा बदलने से उनके साथी सिपाहियों को अपने ठिकाने बदलने और नक्सलियों से प्रभावकारी तरीके से मोर्चा लेने का महत्वपूर्ण समय मिल गया, जो कि नक्सली गोलीबारी के ठीक निशाने पर थे। इस कार्रवाई के

दौरान, इस वीर सिपाही को कई गोलियां लगीं और वे सर्वोच्च स्तर की साहचर्यता तथा प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए शहीद हो गए।

यह एक सुविचारित एवं पूर्ण नियोजित तथा सुविस्तारित नक्सली हमला था। प्रत्येक टुकड़ी 300-350 नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए भीषण हमले का मुकाबला कर रही था। स्थिति को समझकर तथा घात के आकार का आकलन करने के बाद, दल कमांडर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को नक्सलियों से मोर्चा लेने का निदेश दिया। टुकड़ियों ने आक्रमण व्यूह रचना अपनायी और नक्सलियों का मनोबल तोड़ने तथा उन्हें उनके ठिकानों से खदेड़ने के लिए उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल घनोकर प्रमोद ने अन्य साथियों के साथ नक्सलियों पर फुर्ती से आक्रमण किया। कांस्टेबल घनोकर प्रमोद सर्वोत्तम स्तर की पेशेवर बुद्धिमता का परिचय देते हुए आगे बढ़े और कई नक्सलियों के हताहत कर दिया। उनकी इस फुर्तीली और साहसिक कार्रवाई ने नकसलियों को अपने कदम पीदे खींचने पर मजबूर कर दिया। कांस्टेबल घनोकर प्रमोद ने अपनी जान और निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना नक्सलियों को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए भारी गोलीबारी के बीच उन पर हमला कर दिया। नकसलियों ने उन्हें निशाना बनाया और साहसिक गोलीबारी की लड़ाई में कांस्टेबल घनोकर प्रमोद के सीने में गोली लग गई। अपनी चोट को अनदेखा करते हुए कांस्टेबल घनोकर प्रमोद ने गोलीबारी जारी रखी और नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। कांस्टेबल घनोकर प्रमोद द्वारा की गई बहादुरीपूर्ण कार्रवाई तथा उनके उत्कट साहस ने नक्सलियों को टेकरी के दाहिनी ओर से खदेड़ने में निर्णायक भूमिका अदा की तथा नक्सलियों की पहल को नाकाम करने में सड़क सुरक्षा अभियान दल की सहायता की।

उपर्युक्त अभियान में सीमा सुरक्षा बल ने संख्या बल में कहीं अधिक खूंखार नक्सली काडरों द्वारा घात लगाकर किए गए सुविचारित, सुनियोजित हमले को नाकाम करके अनुकरणीय पेशेवरता, मुकाबले की साहससिकता एवं जांबाजी का परिचय दिया जो सुरक्षा कार्मिकों को आगे आने वाले वर्षों में प्रेरित करता रहेगा। यह उन विरले अभियानों मे से एक है, जिसमें, नक्सलियों को उनकी ही पसंदीदा सामरिक जमीन पर मात दी गई। इस अभियान में नक्सल कमांडर लालजी सिंह का शव बरामद हुआ तथा पुष्ट सूत्रों के अनुसार 19-20 नक्सली मारे गए और कई अन्य नक्सली घायल हुए। तथापि, नक्सलियों की रणनीति के मुताबिक वे मुठभेड़ स्थल से पलायन करते समय शवों/घायल व्यक्तियों को अपने साथ ले गए।

मुठभेड़-स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद किया गया:

i) संगीन सहित .303 राइफल
ii) 02 हथगोले (चीन में निर्मित)
iii) लगभग 30 से 35 किग्रा. (प्रत्येक) वजन वाले 02 आई.ई.डी.

iv) डेरोनेटर-03
v) इंसास एल एम जी मैगजीन-03
vi) .303 मैगजीन-01
vii) इंसास 5.56 मि.मी. के जिंदा राउन्ड्स-82
viii) 303 जिंदा राउन्ड्स-05
ix) ई एफ सी इंसास-65
x) ई.एफ-सी-303-08
xi) ई एफ सी एके-34
xii) ई एफ सी 12 बोर-07
xiii) ई एफ सी 7.62 मिमी.बोर-45
xiv) चाकू-01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्वर्गीय सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय कोइचुंग अथांग आइमोल, कांस्टेबल, घनोकर प्रमोद, कांस्टेबल, श्री करुथी वीरन विकनेश्वर, कांस्टेबल एवं राहुल कुमार त्यागी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.06.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 159-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. महेन्द्र सिंह, (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
   हेड कांस्टेबल
2. बुराडागुवटा वीरराजु, (वीरता के पुलिस पदक)
   कमांडेंट
3. नितिन देवीदास बागडे, (वीरता के पुलिस पदक)
   सहायक कमांडेंट

4.	राबिन सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के पुलिस पदक)
5.	मनोज कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के पुलिस पदक)
6.	कोश पाल, हेड कांस्टेबल	(वीरता के पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

उप पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कमांडेंट 191 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दिनांक 17.04.2011 से दिनांक 20.4.2011 तक खोबड़ामेंधा जंगल क्षेत्र में एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई जिसके तहत रात्रिकालीन टुकड़ियां ग्यारापट्टी की तरफ बढ़ीं। दिनांक 18.04.2011 को सुबह टुकड़ियां विशेष अभियान पर आगे बढ़ीं और रात्रि में घात लगा दी। दिनांक 19.04.2011 को 1230 बजे टुकड़ियां खोबड़ोंधा जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर गईं और विशेष दल ई/191 के आर-1, कांस्टेबल/जी डी राबिन सिंह ने लगभग 15/20 नक्सलियों को देखा और तत्काल टुकड़ियों को सतर्क किया और तत्काल गोलियां चलाकर एक नक्सली को मार गिराया। श्री नितिन आर-1 के बिलुकुल पीछे थे और उन्होंने एकाएक एक नक्सली को निशाना बनाकर गोली चलाई और उसे तत्काल मार गिराया। इसके जवाब में नक्सलियों ने टुकड़ियों पर जबरदस्त गोलाबारी शुरु कर दी। छह नक्सलियों ने पहाड़ियों पर चढ़कर कांस्टेबल/जी डी राबिन सिंह और श्री नितिन डी. बागडे पर गोलियां चलाईं और उन्होंने बहादुरी से नक्सलियों को उलझाए रखा। कमांडेंट बी. वीरराजु अपनी एस्कार्ट पार्टी के साथ गोलियां चलने की दिशा में भागे और नक्सलियों पर गोलियां दागीं। श्री बी. वीरराजु ने श्री नितिन से तालाब से बाहर आने के लिए कहा, परन्तु उन्हें उत्तर मिला कि भारी गोलीबारी के कारण वे फंसे हुए हैं। श्री बी. वीरराजु ने अपनी जान की परवाह किए बिना शिलाखंडों के बीच नक्सली को देखा और नक्सली को मार गिराया और फंसे जवानों को बचा लिया। मुठभेड़ जारी रहने के दौरान नक्सली अपने मृतक और घायल साथियों के साथ पहले स्थल को छोड़कर चले गए और ए/191 दल के सामने पुन: एकत्रित हुए। कमांडेंट के आदेश पर हेड कांस्टेबल/ज़ी डी महेन्द्र सिंह के कमान वाली टुकड़ी बायीं ओर गई और अपने मोर्चों से लगभग 20 मीटर की दूरी से नक्सली पर गोलियां चलाईं। हेड कांस्टेबल/जी डी महेन्द्र सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों पर गोलियों की बौछार कर दी तथा बांस के झुरमुटों के पीछे से गोलियां चला रहे नक्सली को तुरन्त मार गिराया। इसी बीच, कमांडेंट ने 51 मिमी. बम चलाने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप नक्सलियों से आग्नेयास्त्रों की अचानक जब्ती हो सकी। इसी बीच, कांस्टेबल/जी डी सतीश शिंदे गोलियों से घायल हो गए और उन्होंने हेड कांस्टेबल महेन्द्र सिंह से सहायता करने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने पीछे की ओर मुड़ कर देखा, एक नक्सली ने उनके गरदन में गोली मार दी

जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिकूल परिस्थितियों को भांपते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल/जी डी मनोज कुमार ने अपने ऊपर हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी राइफल ग्रेनेड को तैयार किया और एक ऊँचे कोण से 2 मिनट के अन्तराल पर 3 राइफल ग्रेनेड चलाए जिसके कारण अनेक नक्सली घायल हो गए और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। पुन: विभिन्न स्थलों से नक्सली जमा होकर बी, एफ/191 के विशेष दलों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। पहली टुकड़ी एफ/191 की कमान संभाल रहे हेड कांस्टेबल/जीडी कोशपाल ने नकसलियों को आगे बढ़ता देखकर तत्काल कांस्टेबल/जी डी अभिजीत कुस्पे से 51 मिमी. मोर्टार लिया और उसे 5 मिनट के अन्तराल के भीतर आगे बढ़ रहे नक्सलियों की दिशा में निशाना लगाकर 3 एच ई बम दागे। बम दागे जाने के बाद घायल नक्सलियों की आवाजें सुनायी दीं। एच ई बम के विस्फोट से नक्सलियों के दल का मनोबल टूट गया और जबाबी गोलीबारी बंद हो गई और नक्सली उस स्थान से भाग खड़े हुए। उपर्युक्त कार्रवाई में अधिकारियों और जवानों द्वारा प्रदर्शित वीरतापूर्ण कार्रवाई, सूझ-बूझ और अदम्य साहस अनुकरणीय है। अन्य सामग्रियों अर्थात् नक्सली अनुदेशों और अन्य मदों सहित पाउच-02, .303 राउंड-05, 7.62 मिमी. खाली खोखे-02, 08 मिमी. खाली खोखे-01, 5.56 मिमी. खाली खोखे-01, 12 बोर की एम्यूनिशन पाउच ब्लैक-02 सहित .303 माडिफाइड राइफल-01, सिंगल बैरल गन-01, 65 मिमी./12 बोर/30 जी एम एस-29 राउंड (सिंगल बैरल गन), ग्रेनेड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्वर्गीय) महेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल, बुराडागुवटा वीरराजु, कमांडेंट, नितिन देवीदास बागडे, सहायक कमांडेंट, राबिन सिंह, कांस्टेबल, मनोज कुमार, कांस्टेबल और कोश पाल, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19.04.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 160-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. पुरुषोत्तम जोशी,
   सहायक कमांडेंट

2. चन्दन नाथ,
कांस्टेबल
3. मनराज उमराव भोगाडे,
हेड कांस्टेबल
4. कोरे चन्द्रशेखर सुरेशराव, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल
5. यासिर मोहम्मद खान, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

मकडचुआ गांव (जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र) में नक्सलियों की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय आसूचना प्राप्त होने पर स्थानीय राज्य पुलिस संगठनों सहित श्री पुरूषोत्तम जोशी, सहायक कमांडेंट की कमान में एफ/192 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों द्वारा उक्त गांव में 20 अगस्त, 2011 को 0350 बजे एक घेराबंदी और तलाशी अभियान (सी ए एस ओ) चलाया गया।

जब गाँव के चारों ओर घेराबंदी की जा रही थी, तभी टुकड़ियों को ग्राम निवासियों, जो अपने-अपने घरों से निकलकर बाहर आने लगे थे, की ओर से अचानक जबरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ा। जब टुकड़ी ने आड़ लेकर अपनी जगह बनानी शुरु ही की थी, तभी नक्सलियों ने गोलीबारी की सीध में ग्राम निवासियों को बीच में लाकर टुकड़ियों को रणनीतिक दृष्टि से कुछ न कर पाने की स्थिति में ला खड़ा किया। इस प्रकार के प्रभावी मानव कवच का लाभ उठाकर नक्सली बेहतर कवर के लिए पास के खेत और झाड़ियों की ओर भाग जाने में सफल हो गए।

यह महसूस करते हुए कि टुकड़ी तेजी से आरंभिक प्रचालनात्मक लाभ खो रही है, पार्टी कमांडर श्री पुरूषोत्तम जोशी, सहायक कमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल/जीडी चंदन नाथ और राज्य पुलिस के हेड कांस्टेबल परदेशी देवांगन के साथ भाग रहे नक्सलियों का पीछा करने का निर्णय लिया। कांस्टेबल चंदन नाथ ने जबरदस्त प्रतिबद्धता का परिचय दिया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना डटे हुए नक्सलियों द्वारा उनकी ओर से की जा रही गोलीबारी का दृढ़तापूर्वक प्रभावी रूप से जवाब दिया। नक्सलियों के ठिकानों से आने वाली चीख-पुकार से यह पता चला कि कांस्टेबल नाथ द्वारा की गई साहसी जवाबी कार्रवाई से भाग रहे नक्सलियों में से कुछ नक्सली घायल हो गए हैं। कांस्टेबल नाथ की निर्भीक कार्रवाई से खोए हुए प्रचालनात्मक वर्चस्व को काफी हद तक पुन: स्थापित करने तथा नक्सलियों के प्रभावी रूप से एकजुट होने पर अंकुश लगाने में सफलता मिली। कांस्टेबल नाथ द्वारा किए गए दृढ़ हमले से उत्साहित होकर

श्री पुरूषोत्तम जोशी के नेतृत्व वाली हमला पार्टी ने साहसी जवाबी कार्रवाई की और धीरे-धीरे घुटने के बल छिपे हुए नक्सलियों की ओर बढ़े। उपर्युक्त कार्रवाई में कांस्टेबल नाथ नक्सलियों की गोली से घायल हो चुके थे और उनके पैर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांस्टेबल नाथ, चोट के बारे में अपने अभियान दल के साथियों को कुछ बताए बिना तब तक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि उनके कंपनी कमांडर ने उन्हें देख नहीं लिया जिन्होंने उन्हें तुरन्त बाहर ले जाने की व्यवस्था की।

इस अत्यन्त संवदेनशील और जटिल परिस्थिति के बीच कंपनी कमांडर द्वारा की गई सुनियोजित कार्रवाई न केवल प्रशंसनीय थी, बल्कि इससे अनुकरणीय समझदारी तथा अदम्य साहस भी प्रदर्शित होता है। श्री पुरूषोत्तम जोशी ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि अपनी ओर कम से कम क्षति हो, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रचालनात्मक वर्चस्व बनाने के लिए एक जोखिमपूर्ण जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व भी किया और नक्सलियों को प्रभावी रूप से तब तक रोके रखा जब तक कि अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं हो गई। अपनी जान के खतरों से पूरी तरह अवगत होते हुए भी आगे बढ़कर उनके द्वारा की गई साहसी कार्रवाई वह एकमात्र महत्वपूर्ण कारण है, जिससे घायल कांस्टेबल नाथ को बाहर लाने में सहायता मिली। चूंकि घनी झाड़ियों के कारण दिखाई देना काफी कम हो गया था, इसलिए श्री पुरूषोत्तम जोशी ने ग्रेनेड से नजदीकी हमला बोला जिससे नक्सलियों को और क्षति पहुंची। तथापि, इस कार्रवाई में एफ/192 बटालियन की हमला पार्टी को और चोट पहुँची और उसकी दशा पर सोच-विचार करते हुए श्री जोशी ने अपनी योजनाओं की प्राथमिकता पुन: तय करने तथा घेराबंदी मजबूत करने और टुकड़ी के घायल कार्मिकों के सुरक्षित बचाव के लिए योजना बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया।

इसी बीच, दिखाई देने में कमी और कठिन क्षेत्र होने से आई परेशानियों से जूझते हुए 206 कोबरा की अतिरिक्त टुकड़ी हमला करने के लिए घटना-स्थल पर पहुंचने में सफल हो गई। इसी बीच, नक्सली, अभियान में आए विराम का लाभ उठाकर, अपने घायलों को बाहर निकालने तथा घटना स्थल पर अपनी सुरक्षा पंक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने में सफल हो गए। इसलिए जैसे ही कोबरा दल द्वारा हमला किया गया, उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए, कोबरा के दो कार्मिक, कांस्टेबल चन्द्रशेखर कोरे और यासिर मोहम्मद खान लड़खड़ाते हुए सुरक्षित नक्सली ठिकाने की तरफ बढ़े। उनके दृढ़ हमले के पश्चात् हुई गोलीबारी में दोनों को गंभीर चोटें आईं जिनकी वजह से अन्तत: वे शहीद हो गए।

इस समय पर, 206 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल मनोज भोंगडे की दृढ़ कार्रवाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हेड कांस्टेबल भोंगडे ने न केवल घायल कोबरा कांस्टेबलों को बाहर निकाला, बल्कि अंतिम हमले के लिए घुटनों के बल आगे भी बढ़े, जिससे अन्तत: सुरक्षित नक्सली का खात्मा हुआ, जिसकी पहचान बाद में माओवादी चटगांव दलम के कमांडर रनिता के रूप में हुई।

बरामदगी:

i)	.303 राइफल	-	01
ii)	.303 के जिंदा राउंड	-	14
iii)	मैगजीन	-	01
iv)	चार्जर	-	04
v)	नकद	-	10,231/-रू.

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पुरूषोत्तम जोशी, सहायक कमांडेंट, चन्दन नाथ, कांस्टेबल, मनराज उमराव भोगाडे, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय कोरे चन्द्रशेखर सुरेशराव, कांस्टेबल और स्वर्गीय यासिर मोहम्मद खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.8.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 161-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	सुभाष चंद झा, निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	अशोक कुमार बासुमातारी, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
3.	मोहम्मद यूसुफ, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	रवि रंजन कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	एन.एच. खान, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	विजय कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

7.	शिवप्पा, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	सनोज कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

एक बोलेरो/टाटा सुमो द्वारा 10 से 12 सी पी आई माओवादियों के गांव-लुहुर बरास्ता गांव – छेंचा, पुलिस थाना बरवाडीह में संभावित रूप से आने की आसूचना प्राप्त हुई। तदनुसार, श्री बी.के. शर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रांची, उप पुलिस कमांडेंट 11 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा निरीक्षक एस.सी. झा की कमान में सी/11 के कार्मिकों तथा श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, एस डी पी ओ, बरवाडीह की कमान में पुलिस कार्मिकों के साथ एक अभियान की योजना बनाई गई। टुकड़ियों ने बरवाडीह की ओर जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की, परन्तु नक्सली काडर अपने वाहन को छेंचा गाँव में छोड़कर पैदल लुहुर की तरफ बढ़े और गाँव लुहुर, पुलिस थाना-बरवाडीह के निवासी श्री बैजनाथ सिंह खरवार के मकान में शरण ली। सी/11 की टुकड़ी और सिविल पुलिस दल दिनांक 28.01.2011 को 0200 बजे रणनीति बनाते हुए लुहुर की तरफ बढ़ा और अपने लक्ष्य बैजनाथ सिंह खरवार के मकान की घेराबंदी की। सी/11 की टुकड़ियों को तीन भाग में विभाजित किया गया। उप निरीक्षक/जी डी नरेन्द्र सिंह और हेड कांस्टेबल/जी डी वी.के. पाठक के नेतृत्व वाले दलों ने क्रमश: 300-350 मीटर की दूरी पर उत्तर और पश्चिम से घेराबंदी की, जबकि दो हमला दलों का नेतृत्व निरीक्षक/जीडी एस.सी. झा, ओ सी-सी/11 और एस डी पी ओ बरवाडीह ए.के. सिन्हा ने किया। हमला दल संतरी की उपस्थिति को देखकर उसकी तरफ घुटनों के बल बढ़ा। नक्सलियों के संतरी ने टुकड़ियों की आवाजाही को भांप लिया तथा गोलियां चलाते हुए मकान में छिपे दल के अन्य सदस्यों की ओर भागा। पुलिस दल ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन यह प्रयास विफल हो गया। हेड कांस्टेबल/जी डी ए.के. बासुमातारी, हेड कांस्टेबल/आर ओ एन.एच. खान, कांस्टेबल/जी डी मोहम्मद युसूफ, कांस्टेबल/जी डी विजय कुमार और कांस्टेबल/जी डी रवि रंजन कुमार के साथ निरीक्षक एस.सी. झा घुटनों के बल मकान के दक्षिण की ओर बढ़े, जबकि पुलिस दल के साथ कांस्टेबल/जी डी शिवप्पा और कांस्टेबल/जी डी सनोज कुमार घुटनों के बल मकान के पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़े। कांस्टेबल/जी डी शिवप्पा ने दरवाजे से दो नक्सलियों को बाहर आते हुए तथा लगातार गोलियां चलाते हुए देखा। कांस्टेबल/जी डी शिवप्पा और कांस्टेबल/जी डी सनोज कुमार ने नक्सलियों पर गोलियां चलाईं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। दो और नक्सलियों ने पूर्व दिशा की ओर भागने का प्रयास किया और सिविल पुलिस दल ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। दो और नक्सलियों ने पूर्व दिशा की ओर भागने का प्रयास किया और सिविल पुलिस दल ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। 03 नक्सलियों ने दक्षिण दिशा की ओर भागने

का प्रयास किया, लेकिन निरीक्षक/जी डी एस.सी. झा, हेड कांस्टेबल/जी डी ए.के. बासुमातारी, हेड कांस्टेबल/आर ओ एन.एच.खान, कांस्टेबल/जी डी मोहम्मद यूसुफ, कांस्टेबल/जी डी विजय कुमार और कांस्टेबल/जी डी रवि रंजन कुमार के नेतृत्व वाले हमला दल ने नक्सलियों पर गोली चलाकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। रूक-रूक कर गोलीबारी होती रही। एक नक्सली ने बचकर भागने का प्रयास किया, परन्तु पुलिस दल ने उसे गोली से मार गिराया। गोलीबारी लगभग 4-5 मिनट तक रूकी रही, परन्तु एक नक्सली, जिसकी पहचान बाद में बसंत यादव के रूप में हुई, गोलियां चलाते हुए पूर्व की ओर भागा, जिसे निरीक्षक/जी डी एस.सी. झा और हेड कांस्टेबल/जी डी ए.के. बासुमातारी द्वारा मार गिराया गया। इसी बीच, उप पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पलामू, श्री बी.के. शर्मा, कमाडेंट-।। बटालियन, के.रि.पु.ब., श्री डी.एन. लाल और पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री कुलदीप द्विवेदी अतिरिक्त टुकड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। 0450 बजे गोलीबारी पूरी तरह से रूक गई। सुबह होने पर स्थान की गहन रूप से तलाशी ली गई और 7.62 मिमी. एस.एल.आर.-01 (बॉडी नम्बर 10050017390 एफएफ 95), 7.62 मिमी. बोल्ट एक्शन राइफल-05, देशी पिस्तौल लांग बैरल-03, एस एल आर मैगजीन-02, 7.62 मिमी. जिंदा कारतूस-76 राउंड, 7.62 मिमी. खाली खोखे-10, 7.62 x .39 मिमी. जिंदा कारतूस-41 राउंड, 7.62 x .39 मिमी. खाली खोखे-12, अर्द्ध स्वचालित खाली खोखे (कैलिबर ज्ञात नहीं)-02, 08 मिमी. खाली खोखा-01, राउंड गोली (कैलिबर ज्ञात नहीं)-01, मोबाइल नोकिया-03 अतिरिक्त बैट्री के साथ, डायरी-10, मनी पर्स-01 2,500/-(दो हजार पांच सौ रू.) नकद के साथ, वर्दी बेल्ट-03, कारतूस पाउच बड़ा-01, कारतूस पाउच छोटा-03 के साथ नौ नक्सलियों के शव बरामद हुए। निरीक्षक/जी डी एस.सी. झा, के.रि.पु.ब. के नेतृत्व वाले सी/11 के हमला दल के सभी 8 सदस्यों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और जबरदस्त गोलीबारी के बीच बिना किसी क्षति के नौ नक्सलियों को निष्क्रिय कर दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुभाष चंद झा, निरीक्षक, अशोक कुमार बासुमातारी, हेड कांस्टेबल, मोहम्मद यूसुफ, कांस्टेबल, रवि रंजन कुमार, कांस्टेबल, एन.एच. खान, हेड कांस्टेबल, विजय कुमार, कांस्टेबल, शिवप्पा, कांस्टेबल और सनोज कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.01.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 162-प्रेज/2012, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जयमल सिंह (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

यह आसूचना मिलने पर कि पुलिस थाना छोटानगरा के अन्तर्गत रातामति के लगभग 4.5 किमी. दक्षिण स्थित नूरदाह में अनमोल दा, मिसिर बेसरा, समरजी और केन्द्रीय समिति के एक 60 वर्षीय सदस्य के नेतृत्व में लगभग 400 सी पीआई (माओवादी) कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, एक विशेष संयुक्त अभियान (ब्लैक थंडर) की योजना बनाई गई। उप महानिरीक्षक (अभियान) चाईबासा, उप महानिरीक्षक पुलिस कोल्हन रेंज, कमांडेंट 60/197/196/7 बटालियन, के.रि.पु.ब., एस डी पी ओ किरीबुरू, पुलिस अधीक्षक चाईबासा के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि नूरदाह गांव और इसके पास के जंगल क्षेत्रों में छापा तथा तलाशी अभियान चलाया जाए ताकि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके/पकड़ा जा सके। इस विशेष अभियान के लिए 03 आधार शिविरों की स्थापना की जानी थी और के.रि.पु.ब. की 24 कंपनियों, 203 कोबरा की 9 टीमों, जे जे तथा डी ए पी की 5 पार्टियों का उपयोग किया जाना था। योजना के अनुसार, जे जे के 2 हमला दलों के साथ प्रत्येक की 04 टीम सहित कोबरा की 2 पार्टियों को क्रमश: करमपदा और कदमटोला आधार शिविर से नूरदाह गांव और इसके पास के जंगल क्षेत्रों में छापा और तलाशी का कार्य सौंपा गया। कमांडेंट/ग्रुप कमांडर और टीम कमांडरों द्वारा टुकिड़यों की विधिवत रूप से ब्रीफिंग होने के बाद कोबरा की निर्धारित टीमें दिनांक 23.9.10 को सिन्द्री से होतवार गेम्स विलेज रांची रवाना हो गईं और आगे के निदेश हेतु 1900 बजे वहां पहुंच गयीं। अभियान पर चलने से पूर्व कमांडेंट 203 ने कोबरा और जे जे की टुकड़ियों की विस्तृत ब्रीफिंग की। योजना के अनुसार दो कोबरा पार्टियां, जे जे के 2 हमला दलों के साथ लैम्ब डी.एस. कासवा की कमान में हमला-1 दल तथा जे जे के 2 हमला दलों के साथ लैम्ब डी.ई. किंडो की कमान में हमला-2 दल उसी दिन रात में अपने-अपने आधार शिविर के लिए चल पड़े तथा दिनांक 24.9.10 को आधार शिविर पहुंच गए। दिनांक 24.9.10 की रात्रि में योजना के अनुसार दोनों टीमें क्रमश: करमपदा और कदमटोली (उड़ीसा) से सारंदा वन में धीरे से प्रवेश कर गईं। 25 तारीख को दोनों हमला दलों ने निर्धारित क्षेत्र की तलाशी ली। हमला-1 दल को गुंडीजोरा गांव के निकट एक शिविर मिला और आस-पास के क्षेत्र की घेराबंदी की और उसे सुरक्षित करके उस शिविर को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर, दूसरे हमला दल को नूरदाह गांव के निकट कोडापिटा नाले के पास एक शिविर (लक्षित क्षेत्र) मिला, लेकिन वहां कोई नक्सली नहीं था। टुकड़ियों ने आस-पास के क्षेत्र की घेराबंदी की तथा उसे सुरक्षित करके शिविर को नष्ट कर दिया और शिविर में नक्सलियों द्वारा छोड़ी गई कुछ सामग्रियां बरामद कीं। दोनों पार्टियों ने विभिन्न स्थानों पर लूप लिया। 26 की सुबह दोनों

पार्टियां अपने लूप से पूर्व-निर्धारित स्थान पर एक-दूसरे से मिलने चलीं। लगभग 0915 बजे लूप प्वाइंट से 4 किमी. चलने के बाद हमला दल दो, जो नक्सलियों के छिपने के ठिकानों को पहाड़ियों में ढूंढ रहा था, के स्काउट (कांस्टेबल जयमल सिंह) ने कुछ आवाजाही महसूस की और फील्ड सिग्नल के माध्यम से इसकी सूचना कमांडर को दी। स्काउटों से सिग्नल मिलने के बाद सभी लड़ाई के लिए तैयार होकर लक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। नक्सलियों, जिन्होंने मोर्चा सभाला हुआ था, ने चट्टानों के पीछे तथा लहरदार जमीन से दल कार्मिकों पर भारी गोलीबारी की। इसके बाद जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसी बीच कांस्टेबल/जी डी जयमल ने अदम्य धैर्य और साहस का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी के बीच नक्सलियों के काफी निकट पहुँच गए और जबरदस्त बहादुरी के साथ नक्सलियों पर गोलियों की बौछार कर दी और 01 नक्सली को मार गिराया। नक्सलियों की ओर से गोलीबारी कुछ देर के लिए रुकी रही। अपनी ड्यूटी के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए और अपनी जान की परवाह किए बगैर कांस्टेबल/जी डी जयमल सिंह आगे बढ़ते रहे तथा मारे गए नक्सली के काफी निकट पहुंचकर तथा अन्य कार्मिकों द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ ले कर मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार को लाने का प्रयास किया। मारे गए नक्सली का शव और हथियार निचले सतह पर था और कांस्टेबल जयमल सिंह के आगे बढ़ने से वे हमला पार्टी को दिखना बन्द हो गए। कुछ नक्सलियों, जो झाड़ियों के पीछे थे, ने कांस्टेबल/जीडी जयमल सिंह पर कई राउंड गोलियों चलाईं, ताकि वे मृत नक्सली का शव न ले जा सकें। इस जबरदस्त संघर्ष में एक गोली उनके सिर में लगी जिसकी वजह से घटना-स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। जबरदस्त संघर्ष पुन: शुरू हो गया और झाड़ियों के पीछे नक्सलियों को छूट गए गोलाबारूद सहित उनके व्यक्तिगत हथियार छीनने का अवसर मिल गया। भारी गोलीबारी के बीच कोबरा की टुकड़ियां कांस्टेबल/जीडी जयमल सिंह की तरफ बढ़ीं और पाया कि वे देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। बचकर भाग रहे नक्सलियों पर भारी गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई नक्सली घायल हो गए जिसका पता गहन तलाशी के दौरान चारों ओर बिखरे खून के धब्बों से चला। यह मुठभेड़ 3 घंटे चली। यह क्षेत्र काफी कठिन था, जिसमें तीव्र ढलान, उँचे वृक्ष, घनी झाड़ियां, नाले और उँची पहाड़ियों की श्रृंखला थी। बहादुरी के साथ पीछा करने तथा क्षेत्र की नाकेबन्दी करने के बावजूद नक्सली झाड़ियों, क्षेत्र और घने जंगल का लाभ उठाकर भाग जाने में सफल हो गए। पूरे क्षेत्र की तलाशी के बाद कांस्टेबल जयमल सिंह के शव के निकट, नक्सली के शव के साथ मैगजीन में आठ जिंदा राउंड के साथ .303 पुलिस राइफल, कंटेनर में चार एच ई बम, पिट्ठू, 03 मोबाइल सेट, 01 बारह बोर की राइफल, एक वायरलेस सेट, नक्सली साहित्य बरामद हुए। 4 दिन और 5 रात वाले इस अभियान में 12 नक्सली शिविर, 18 बंकर, 12 केन बम, 25 लिक्विड एक्सप्लोसिव जेल, भारी मात्रा में तारपोलिन, प्लास्टिक शीट मैट और अन्य सामग्रियां नष्ट की गईं।

इस गोलीबारी की घटना में कांस्टेबल/जीडी जयमल सिंह ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए एक नक्सली को मार गिराया। उन्होंने इस अभियान में अनुकरणीय साहस और

रणनीतिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और अभियान के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री जयमल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.09.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 163-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री डांगमेई स्टीफन (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस के शिविर पर हमला करने के इरादे से घूम रहे 20-25 माओवादी दस्ते के सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट आसूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बंडरबनी गाँव में सी आर पी एफ की 184 बटालियन, 205 कोबरा तथा स्थानीय पुलिस के घटकों द्वारा एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई। दिनांक 24/09/2010 को लगभग 2050 बजे शुरु किए गए इस अभियान में सी आर पी एफ की 184 बटालियन की तीन कम्पनियों (बी, डी और एफ कम्पनियों) की टुकड़ियां, 205 कोबरा की चार टीमें तथा राज्य पुलिस के समरुप घटक शामिल थे।

अभियान चलाए जाने के दौरान, बी/184 बटालियन की चौथी और पाँचवीं प्लाटूनों को गाँव के उत्तर में तैनात टुकड़ी के बिल्कुल बाईं ओर तैनात कर दिया गया। स्वर्गीय कांस्टेबल/जीडी डांगमेई स्टीफन बी/184 बटालियन की पाँचवीं प्लाटून की दूसरी टुकड़ी में शामिल थे। जब घेराबंदी की जा रही थी, तभी टुकड़ी अचानक माओवादी दस्ते के सदस्यों द्वारा लगाई गई घात में घिर गई, जिन्होंने अँधेरे का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ रही सुरक्षा बल की टुकड़ी पर हथगोलों की बौछार और गोलीबारी शुरु कर दी। हमले के समय कांस्टेबल/जीडी डांगमेई स्टीफन माओवादी गोलीबारी की लाइन में सबसे करीब थे।

इस भीषण गोलीबारी के बावजूद, कांस्टेबल/जीडी डांगमेई ने हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ रहे माओवादियों पर दमनात्मक गोलीबारी करने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की जवाबी गोलीबारी करने में कांस्टेबल/जीडी डांगमेई को गोलियां लगने से गंभीर चोटें आईं जो बाद में घातक सिद्ध हुईं। गंभीर शारीरिक चोटों और अत्यधिक खून बहने के बावजूद, कांस्टेबल/जीडी डांगमेई ने जवाबी गोलीबारी जारी रखी और माओवादी हमले को रोके रखा। उनके साहसपूर्ण जवाबी हमले ने न केवल महत्वपूर्ण कवर तथा सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनकी टुकड़ी के साथियों को घात को तोड़ने, दुबारा समूह बनाने तथा माओवादियों को आगे और उलझाए रखने में सफलता प्राप्त हुई।

वहीं दूसरी ओर कांस्टेबल/जीडी डांगमेई स्टीफन का गोलीबारी की दिशा में आगे बढ़ने का साहसिक कार्य किसी भी मानक से अविवेकपूर्ण प्रतीत होगा, लेकिन यह संभवत: अपरिहार्य एवं एक मात्र उपलब्ध विकल्प था। इस बात पर विचार करते हुए कि सुरक्षा बल गंभीर दृश्य एवं भूभागीय अवरोधों के कारण वास्तव में रणनीतिक दृष्टि से असुरक्षित स्थिति में थे, कांस्टेबल/जीडी डांगमेई का आत्मघाती रुप से आगे बढ़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वे साहसपूर्वक माओवादी गोलीबारी की ओर आगे नहीं बढ़े होते, तो विरोधी दल आगे बढ़ गया होता और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया होता। इसके विपरीत, डांगमेई की साहसपूर्ण कार्रवाई ने परिस्थिति को बदल दिया और एक खतरनाक माओवादी काडर को मारने और बहुत अधिक मात्रा में बरामदगी करने के अतिरिक्त आगे बढ़ रहे माओवादी काडर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका जीवन नहीं बचाया जा सका क्योंकि चिकित्सा सहायता के लिए उन्हें वहां से ले जाते समय गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

सी आर पी एफ की बी/184 बटालियन के कांस्टेबल/जीडी डांगमेई स्टीफन ने सी आर पी एफ की परिचालनात्मक नैतिकता के अनुरुप वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध बहादुरी से लड़ते हुए अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति निष्ठा दर्शाते हुए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनकी बहादुरी पूर्ण कार्रवाई और बलिदान के कारण, उन्होंने अपने साथियों और अन्य लोगों का बहुमूल्य जीवन बचा लिया।

की गई बरामदगी:

निर्देशात्मक बारुदी सुरंगें-03, 05 किग्रा स्लिटर, इम्प्रोवाइज्ड 9 एम एम पिस्टल-01, खाली कारतूस-15, जिंदा राउंड गोलाबारुद-02 और इम्प्रोवाइज्ड बम-20।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री डांगमेई स्टीफन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.09.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं.164-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. जतिन गुलाटी (मरणोपरान्त)
   सहायक कमांडेंट
2. राजेंद्र नाथ दास, (मरणोपरान्त)
   हेड कांस्टेबल
3. राजू राभा,
   हेड कांस्टेबल
4. कप्तान सिंह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

सीआरपीएफ की 39 बटालियन के 65 कार्मिकों की आवाजाही बी, सी, डी, ई, एफ, और जी बटालियन मुख्यालय के बीच तथा बटालियन मुख्यालय से बी, सी, डी, ई, एफ और जी कम्पनियों के बीच छुट्टी, पाठ्यक्रम और ड्यूटी इत्यादि के कारण होनी जानी थी। प्रचलित प्रथा के अनुसार, कार्मिकों की आवाजाही सामान्यत: सिविल बसों में होती थी और इस प्रकार दिनांक 29/06/2010 को सिविल बसों में यात्रा कर रहे कार्मिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए रास्ते पर एक आर एस ओ/आर ओ पी दल का गठन करने का निर्णय लिया गया था। ई और एफ कम्पनियों के आर एस ओ/आर ओ पी दल में 60 कार्मिक (सहायक कमांडेंट-1, निरीक्षक-1, उपनिरीक्षक-3, हेड कांस्टेबल-13, हेड कांस्टेबल (आप.)-1, कांस्टेबल-40, एस पी ओ-1, कुल=60) शामिल थे। उप निरीक्षक एस.एस. बोहरा की कमान के अधीन ई/39 के 23 कार्मिक भी एक गठन में धान के खुले खेत में सड़क के बाईं और चल रहे थे। उप निरीक्षक बी.डी.बारिक की कमान के अधीन एफ/39 के 17 कार्मिक वन कवर से होकर सड़क के दाईं और विस्तारित लाइन में चल रहे थे। शेष 19 कार्मिक श्री जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन सड़क

के निकट उपर्युक्त दलों के पीछे चल रहे थे। उपर्युक्त दल 2 ऊपर और 1 नीचे के फॉर्मेशन में चल रहे थे। लगभग 1315 बजे जब दल रकस नाला की पुलिया के निकट पहुँच रहे थे, तब नक्सलियों ने नाले की तरफ से पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और नाले की दायीं/पिछली ओर की ऊँचाईयों से सैन्य दलों ने भी जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी।

श्री जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेंट ने अपनी पार्टी को सड़क की दांई और आगे बढ़ने तथा वन कवर का प्रयोग करते हुए आगे आने वाले नाले को पार करने का तत्काल निदेश दे दिया। उन्होंने ई/39 के कार्मिक को सड़क के दाईं ओर से आगे बढ़ने के लिए कहा जहाँ वन कवर उपलब्ध था। वे बहादुरी पूर्वक ऊपर नीचे बढ़े और उन्होंने नक्सली हमले का प्रभावकारी जवाब देने के लिए अपने कार्मिकों को प्रोत्साहित किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने दाईं ओर से नाले को पार किया और नाला पार करने के लिए नक्सली गोलीबारी में फँसे कार्मिकों की सहायता करने के लिए अपनी पार्टी को आदेश दे दिया। उन्होंने फँसे हुए कार्मिकों की सहायता करने के लिए कवरिंग गोलीबारी भी की। इस अधिकारी ने हेड कांस्टेबल राजू राभा को नाले को पार करने, सुविधाजनक ऊँचाइयों तक पहुँचने और नक्सलियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करने के लिए भी प्रेरित किया। वे नक्सलियों के साथ जमी हुई लड़ाई में लगे हुए थे जिसमें हर समय उनके चारों तरफ गोलियाँ चल रही थीं। सहायक कमांडेंट जतिन गुलाटी ने भी अच्छे नेतृत्व कौशलों का प्रदर्शन किया और अपने सैन्यदलों को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। इस गंभीर परिस्थिति में भी उन्होंने अपना मानसिक संतलन बनाए रखा और कांस्टेबल जीडी कप्तान सिंह को नाले के निकट राइफल ग्रेनेड दागने का आदेश दिया जहाँ नक्सलियों ने आड़ ली हुई थी। इन राइफलों ग्रेनेडों के दागे जाने के फलस्वरुप नक्सलियों में खलबली मच गई और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना शुरु कर दिया। जब वे कवरिंग गोलीबारी करने में लगे हुए थे तब उनके सिर में पीछे से चोट लग गई और घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। पीछे से गोली लगने से पहले उन्होंने अपने हथियार से एक नक्सली कमांडर, जो उपस्थित सभी लोगों के सामने अपनी एल एम जी से गोलियाँ चला रहा था, सहित कुछ नक्सलियों को मार गिराया था। यद्यपि वे खाली हाथ थे, फिर भी उन्होंने अपनी त्वरित सूझ-बूझ से स्थिति को बहादुरीपूर्वक सम्भाल लिया और अनुकरणीय ढंग से अपना कर्तव्य निभाया । सम्पूर्ण अभियान के दौरान उन्होंने अपूर्व शौर्य, साहस और उच्च स्तर की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैन्य दलों को नक्सली हमले का प्रभावकारी ढंग से जवाब देने का निदेश देते हुए उत्कृष्ट रुप से अपने सैन्यदल की कमान सम्भाली। यहाँ पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बहादुर अधिकारी स्वर्गीय श्री जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेंट के साहस और बलिदान पर विचार करते हुए, उत्तराखण्ड सरकार ने देहरादून (उत्तराखण्ड) में उनके नाम पर एक शहीदी स्मारक चौक का निर्माण कराके दिवंगत अधिकारी को सम्मान प्रदान किया है।

चूँकि नक्सली अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे, इसलिए हेड कांस्टेबल/जीडी राजेंद्र नाथ दास, जो एफ/39 दल के साथ थे, ने तत्काल पोजीशन ले ली और नक्सलियों के विरुद्ध जवाबी

गोलीबारी की। सैन्यदलों और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी युद्ध के दौरान वे सामने से नेतृत्व करते हुए अन्य कार्मिकों का निरंतर हौसला बढ़ाते रहे और स्वयं उन्होंने कई नक्सलियों को मार गिराया और अपने सैन्यदलों को निर्भय होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्यवश उन्हें एक नकसली की गोली लग गई और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अपनी जान देने से पहले, उन्होंने अनुकरणीय साहस, बहादुरी, तत्परता और सूझ-बूझ का परिचय दिया। इस प्रकार स्वर्गीय हेड कांस्टेबल/जीडी राजेन्द्र नाथ दास ने अपूर्व शौर्य, साहस और उच्च स्तर की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

नक्सलियों की ओर से की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी को देखकर हेड कांस्टेबल/जीडी राजू राभा जो एफ/39 के दल से संबंद्ध थे, ने तत्काल पोजीशन ले ली और नक्सलियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने एफ/39 के सभी जवानों को जवाबी गोलीबारी करने के लिए कहा। उन्होंने कांस्टेबल/जीडी अनिल कुमार को प्रथम उपचार उपलब्ध कराया जो मुठभेड़ में घायल हो गए थे और उनका हथियार ले लिया तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रख लिया। उन्होंने उस पेड़ की तरफ गोलीबारी की जहाँ से ई/एफ कम्पनी के कार्मिकों की ओर निरंतर गोलीबारी की जा रही थी। उसके बाद वहाँ से गोलियाँ चलनी बंद हो गई। निरीक्षक परमानंद के घायल होने पर भी उन्होंने उन्हें भी प्रथम उपचार उपलब्ध कराया। श्री जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेंट के ओदश पर वे आगे बढ़े/ नाले को पार किया और ऊँचे स्थानों से नक्सलियों पर गोलियाँ चलाईं। उन्होंने कांस्टेबल/जीडी कप्तान सिंह को भी नाले की तरफ राइफल ग्रेनेड दागने का निदेश दिया। इस प्रकार हेड कांस्टेबल/जीडी राजे राभा ने मुठभेड़ के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना अनुकरणीय साहस, बहादुरी और शौर्यपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया।

जब नक्सली सैन्यदलों पर अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे, तब कांस्टेबल/जीडी कप्तान सिंह जिन्हें सी आर पी एफ, एफ/39 बटालियन की पार्टी में तैनात किया गया था, को नक्सलियों पर राइफल ग्रेनेड दागने का आदेश दिया गया। उन्होंने 4 राइफल ग्रेनेड दागे जो नाले के निकट गिरे और नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए। नक्सलियों ने चिल्लाना शुरु कर दिया और वहां से भागने लगे कुछ समय पश्चात् नाले की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। ये राइफल ग्रेनेड तुरंत दागे जाने की वजह से कुछ नक्सली मारे गए थे। तत्पश्चात् श्री जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेंट के आदेश पर, उन्होंने नाले को पार किया और घात में फंसे सैन्यदलों को सहायता उपलब्ध कराना शुरु कर दिया। इस प्रकार, कांस्टेबल/जीडी कप्तान सिंह ने मुठभेड़ के दौरान अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्वर्गीय) जतिन गुलाटी, सहायक कमांडेट, (स्वर्गीय) राजेंद्र नाथ दास, हेड कांस्टेबल, राजू राभा, हेड कांस्टेबल और कप्तान सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29/06/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 165-प्रेज/2012, राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. गोरख अश्रुबा इंगोले,
   हेड कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
2. जोगिंदर कुमार,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
3. हसनैन अंसारी,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
4. जोहन मोहम्मद,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक
5. दया राम,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस यूनिट की कम्पनी, जिले भेजी में आश्रम परिसर में रखा गया था, वहां से हटाना था और उसे नए शिविर में ठहराया जाना था। तदनुसार, भेजी में नए शिविर का निर्माण कार्य दिनांक 3/5/2011 से शुरु किया गया। कम्पनी डी/2 के कार्मिक उपलब्ध पुलिस कार्मिकों सहित तीन से चार पार्टियों का गठन करने के पश्चात् नए शिविरों में कार्य कर रहे निर्माण कामगारों को सुरक्षा उपलब्ध कराया करते थे। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भेजी चौकी घने जंगलों में स्थित एक सुनसान चौकी है जहाँ लोग नहीं रहते हैं। यह चौकी घने जंगलों और कठिन भूभाग से घिरी है।

दिनांक 11/06/11 को लगभग 0700 बजे सी आर पी एफ डी/2 की तीन टीमें (पार्टियाँ) चीता गुलाब सिंह की कमान के अधीन सिविल पुलिस के प्रतिनिधि सहायक उप निरीक्षक बिबाश

कीर्तिनिया, सिविल पुलिस-5, एस पी ओ-4 से गठित सिविल पुलिस की एक टीम सहित क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने तथा नए गठित होने वाले शिविर के आस-पास के क्षेत्र की छानबीन एवं तलाशी के लिए चार टीमों का गठन करने के पश्चात् शिविर के बाहर तीन दिशाओं में चली गई। इन पार्टियों ने आस-पास के क्षेत्र की छानबीन एवं तलाशी के पश्चात, जो घने वनों वाला क्षेत्र है, निर्माण कामगारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी दिशाओं में पिकेट स्थापित कर दिए। सभी कार्मिक बी/पी जैकेट पहने हुए थे। डी/2 के 44 कार्मिकों की बाहर जाने वाली नफरी को तीन टीमों में बाँटा गया और चौथी टीम में पुलिस/एस पी ओ (सिविल पुलिस-5+4 एस पी ओ) के नौ कार्मिक शामिल थे। जब ये पार्टियाँ अपने संबंधित ए ओ आर की छानबीन एवं तलाशी की प्रक्रिया में लगी हुई थीं, तभी अचानक शिविर की उत्तरी दिशा से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु हो गई और इसके पश्चात् सभी दिशाओं से गोलीबारी होने लगी। यह आकलन किया गया है कि लगभग दो सौ से तीन सौ नक्सलियों ने पोजीशन ले रखी थी और उन्होंने उन सभी कार्मिकों को उलझाए रखने और उन्हें समाप्त करने के लिए सभी दिशाओं से घात लगा रखी थी, जो जंगल के अंदर घूमकर तथा शिविर की परिधि की सुरक्षा करके नए तैयार किए जाने वाले शिविर की सुरक्षा करने के लिए शिविर के बाहर आ गए थे। हेड कांस्टेबल जी.ए. इंगोले के नेतृत्व में ग्यारह कार्मिकों की पहली पार्टी जो उत्तरी दिशा की ओर बढ़ गई थी और क्षेत्र की छानबीन एवं तलाशी और साफ करने की प्रक्रिया में थी, पहली पार्टी थी जो सबसे पहले भारी मात्रा में हथियारों से लैस और रणनीतिपूर्वक पोजीशन लिए हुए नक्सलियों के सम्पर्क में आई थी। जब इस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु हुई, तब हेड कांस्टेबल जी.ए. इंगोले ने सच्चे नेतृत्व और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, नक्सलियों को चुनौती दी और अपने कार्मिकों को सुरक्षित स्थानों पर पोजीशन लिए हुए नक्सलियों पर हमला करने के लिए कहा। तुरंत ही, कांस्टेबल/जी डी जोगिंदर कुमार बाईं ओर से हमला कर दिया जहां से पाँच फुट ऊँचे और 450 फुट लम्बे बांध के पीछे से नक्सलियों द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी। इसके साथ-साथ सामने से भारी गोलीबारी हो रही थी। इस तरफ नक्सलियों ने कई पेड़ों के पीछे पेजीशन ले रखी थी। शुरुआती गोलीबारी में हेड कांस्टेबल जी.ए. इंगोले के बांए पैर में गोली लग गई। तथापि, अपूर्व धैर्य और अनुकरणीय साहस दर्शाते हुए उन्होंने पेड़ों के पीछे छिपकर गोलीबारी कर रहे नक्सलियों पर हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को चुनौती दी और अपनी टीम के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। इसी बीच कांस्टेबल/जी डी हसनैन अंसारी, जो नक्सलियों की ओर गोलीबारी कर रहे थे भी गले में गोली लगने से घायल हो गए। ऐसे मोड़ पर, सहायता की गुहार करने की बजाय अपने जान की परवाह किए बिना, उन्होंने दो एच.ई. हथगोले निकाले और बांध के पीछे नक्सलियों पर फेंक दिए। कांस्टेबल/जीडी जोगिन्दर कुमार, जिन्होंने नक्सलियों पर हमला बोल दिया था, आगे बढ़े और नक्सलियों पर गोलियाँ चलाते हुए बांध पर चढ़ गए। कांस्टेबल/जीडी दया राम, जो हेड कांस्टेबल/जीडी जी.ए. इंगोले के करीब थे, ने जमीन पर पोजीशन ले ली और नक्सलियों पर गोलीबारी जारी रखी। इसी बीच कांस्टेबल/जीडी जोहन मोहम्मद, जिनके पास 51 एम एम मोर्टार था, ने नक्सली पोजीशनों पर बमबारी करके तुरंत जवाब दिया। इन सभी कार्मिकों का टीम के सदस्यों ने प्रभावकारी ढंग से सहायता की। अन्य

दिशाओं में, सी आर पी एफ दो अन्य पार्टियों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी चल रही थी। इन अधिसंख्य कार्मिकों द्वारा दर्शाए गए असीम धैर्य, बहादुरी, अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उनके द्वारा किये गये हमले के कारण नक्सली हताहत हो गए और उन्हें अपने घृणित इरादों को छोड़ने तथा पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। गोलीबारी के दौरान चूंकि हेड कांस्टेबल/जीडी जी.ए. इंगोले, कांस्टेबल/जीडी जोगिंदर कुमार और कांस्टेबल/जीडी हसनैन अंसारी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने नक्सलियों पर हमला बोल दिया था, इसलिए पहले से ही पोजीशन लिए हुए नक्सली, जो बड़ी संख्या में थे तथा रणनीतिपूर्ण स्थिति में होने के कारण लाभकारी स्थिति में थे, हताहत हुए और आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास पीछे हटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। तथापि, पोस्ट की रक्षा करते हुए हमारे तीन अत्यंत बहादुर हेड कांस्टेबल/ जी डी जी.ए. इंगोले, कांस्टेबल/जीडी जोगिंदर कुमार, कांस्टेबल/जीडी हसनैन अंसारी ने बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए अपनी जान दे दी। पीछे हटते समय, नक्सलियों ने धुएँ की परत पैदा करने के लिए एक प्रकार के स्मोक बमों का इस्तेमाल किया और हताहत हुए अपने लोगों को अपने साथ लेते हुए पीछे हटना शुरु कर दिया। यद्यपि अधिक संख्या में होने और अपनी और सही समय और आश्यर्च के घटक होने के बावजूद, हेड कांस्टेबल/जीडी गोरख अश्रुबा इंगोले, कांस्टेबल/जीडी जोगिन्दर कुमार, कांस्टेबल/जीडी हसनैन अंसारी, कांस्टेबल/ जीडी जोहन मोहम्मद और कांस्टेबल/जीडी दया राम द्वारा प्रदर्शित शौर्यपूर्ण कार्रवाई और बहादुरी के दृढ़ और साहसिक प्रदर्शन के कारण नक्सलियों के पास पीछे हटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। तीनों दिवंगत, स्वर्गीय हेड कांस्टेबल/जीडी गोरख अश्रुबा इंगोले, स्वर्गीय कांस्टेबल/जीडी जोगिंदर कुमार, स्वर्गीय कांस्टेबल जी डी हसनैन अंसारी और सक्षम रुप से सहायता प्रदान करने वाले कांस्टेबल/जीडी जाहेन मोहम्मद, कांस्टेबल/जीडी दया राम अपनी शौर्यपूर्ण कार्रवाई के कारण वास्तव में अलंकरण से नवाजे जाने के पात्र हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुठभेड़ स्थल से मारे गए नक्सलियों के शव बरामद नहीं किए जा सके। तथापि, इस अभियान में मारे गए नक्सलियों के संबंध में समाचार पत्रों में समाचार छप गया था।

दिनांक 11/06/2011 और 14/06/2011 को भेजी में घटनास्थल से क्षेत्र की सामान्य तलाशी के दौरान निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई :-

एच ई नं. 36 का हथगोला-01, 7.62 एम एम के खाली खोखे-118, 7.62X39 एम एम के खाली खोखे-100, 5.56 एम एम इंसास के खाली खोखे-35, 303 एम एम के खाली खोखे-73,-303' के मिसफायर-02: 303" के जिंदा राउंड-01, 12 बोर की बंदूक के जिंदा राउंड 04, 12 बोर की बंदूक के खाली खोखे-02, एच ई संख्या 36 हथगोले का लीवर-01, 7.62X39 एम एम ए के-47 की टूटी हुई स्प्रिंग-01,, बोल्ट-1, प्लास्टिक की पानी की बोतलें-02, ग्रेनेड का पाउच-01, 7.62x39एम एम के मिसफायर-04,हरे रंग की मंकी कैप-01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्वर्गीय गोरख अश्रुबा इंगोले, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय जोगिंदर कुमार, कांस्टेबल, स्वर्गीय हसनैन अंसारी, कांस्टेबल, जोहन मोहम्मद, कांस्टेबल और दया राम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11/06/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 166-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अशोक कुमार दाश
सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

स्वयं अपने स्रोत और अन्य स्रोतों से यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ माओवादियों/एस के जी एम दस्ते के सदस्यों के साथ पी एस बी जे सी/एस के जी एम अध्यक्ष लाल मोहन टूडू के दिनांक 22/02/2010 की शाम को गाँव-नार्चा में आने की संभावना है, श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट ने इस समूह को पकड़ने के लिए नार्चा खाल में घात लगाने के लिए 66 बटालियन के कमांडेंट के परामर्श से एक अभियान की योजना बनाई। योजना के अनुसार, श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन दो एन सी ओ और नौ कांस्टेबलों से गठित क्यू ए टी क्षेत्र की स्थलाकृति का उपयोग करते हुए चुपके से और रणनीतिपूर्वक कांतापहाड़ी के संयुक्त बल शिविर की पूर्वी ओर से आगे बढ़ी, जबकि एक प्लाटून उप निरीक्षक/जीडी ए.सी. स्वेन की कमान के अधीन अतिरिक्त बल वृद्धि की आवश्यकता की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए मोटर साइकिलों सहित एक सेक्शन को आरक्षित रखते हुए कुछ समय पश्चात् पश्चिमी ओर से आगे बढ़ी।

श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट के साथ दिनांक 22/02/2010 को लगभग 2100 बजे क्यू ए टी जब सड़क के पूर्वी ओर से खड़ी फसलों वाले कृषि क्षेत्रों से होकर नार्चा गाँव के निकट पहुँची, तब पार्टी ने नार्चा गाँव के दक्षिणी ओर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। पुलिस पार्टी उनको पकड़ने के लिए रेंगकर आगे बढ़ी, तभी अचानक नार्च खाल के निकट उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। लेकिन निर्भीक श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट, और जी सी भुवनेश्वर के उनके स्काउट हेड कांस्टेबल/जीडी एस, एन. दास और 66 बटालियन के कांस्टेबल/जी डी पी.के. बिस्वास, जो आगे थे, अपने सरकारी हथियारों से आत्म-रक्षा में जवाबी

गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े और माओवादियों को दो समूहों में विभाजित होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें से एक समूह दक्षिणी दिशा की ओर जबकि दूसरी समूह पश्चिमी दिशा की ओर गया।

इसी समय श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट ने क्यू ए टी के एक दल को आगे बढ़ने और दक्षिणी दिशा की ओर जा रहे माओवादी समूह का पीछा करने का आदेश दे दिया जबकि क्यू ए टी के अन्य सदस्यों के साथ स्वयं वे पश्चिमी दिशा की तरफ 'गोली मारो और आगे बढ़ो' की रणनीति अपनाकर माओवादियों के पास पहुँचने का प्रयास किया। यद्यपि उनकी संख्या काफी अधिक थी तथापि, श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट, ने केवल दो कार्मिकों के साथ, और माओवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना माओवादियों को रोके रखा, जबकि एक समय रिजर्व पार्टी के पहुंचने और माओवादियों की ओर से गोलीबारी रुकने नार्चा खाल के निकट जंगल क्षेत्र में लगभग 15-30 मिनट तक दुश्मनों की भारी गोलीबारी में फंस गए थे। उनके साहसपूर्ण तरीके से और रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ने के कारण माओवादियों की हालत पस्त हो गई थी और अचानक उनका पासा पलट गया था तथा उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा था।

अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ पार्टी ने उस क्षेत्र को घेर लिया और हैंड हेल्ड सर्च लाइट (एच एच एस एल) और नाइट विजन डिवाइसों (एन वी डी) की सहायता से गहन तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान, संयुक्त बलों वाली पार्टी को एक पिस्तौल के साथ गोली से छलनी हुआ एक शव मिला। आगे और तलाशी करने पर, पास के ही स्थान से एक देशी पिस्तौल और एक बैग बरामद किया गया। गोली से छलनी शव को सिविल पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगढ़ ले जाया गया। बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने घायल व्यक्ति को 'मृत लाया गया' घोषित कर दिया, जिसकी पहचान बाद में लाल मोहन टूडू, अध्यक्ष पी एस बी जे सी/एस के जी एम, माओवादियों के एक शीर्ष नेता के रुप में की गई। तत्पश्चात उप पुलिस अधीक्षक लालगढ़, प्रभारी लालगढ़ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के व्यक्ति अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया।

यदि श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट ने साहसिक कार्रवाई न की होती तो सम्पूर्ण माओवादी गैंग बच कर भाग गया होता और सी आर पी एफ टीम को भारी क्षति पहुँचाई होती। सम्पूर्ण अभियान में श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट का सामने से किया गया नेतृत्व अपूर्व साहस, अनुकरणीय नेतृत्व गुण, अद्वितीय शौर्यपूर्ण कार्रवाई और माओवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बावजूद दबाव में भी दृढ़ता का परिचायक है । गंभीर व्यक्तिगत जोखिम में भी सम्पूर्ण समर्पण और त्याग की उच्च स्तर की भावना का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने घने जंगल में अपने बल का सी पी आई (माओवादी)/एस के जी एम के कट्टर कार्यकर्ताओं के साथ एक सफल मुठभेड़ का नेतृत्व किया। श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट ने अपनी सर्विस राइफल एके-47 से 05 राउंड चलाए थे।

की गई बरामदगी:

(क)	इटली में बनी स्वचालित पिस्तौल संख्या 1104, आटो पिस्तौल 7.65-01		
(ख)	7.65 एम एम की मैगजीन	-	02
(ग)	जिंदा गोलाबारुद 7.65 एम एम	-	05
(घ)	गोलाबारुद 7.65 के खाली खोखे	-	03
(ङ)	सिंगल शूटर पाइप गन बैरल सइज 4"	-	01
(च)	8 एम एम के खाली खोखे	-	02
(छ)	जिंदा गोला बारुद 8 एम एम	-	06
(ज)	.303 के जिंदा गोलाबारुद	-	01
(झ)	12 बोर के विशेष खाली खोखे	-	02
(ञ)	खाली खोखे एके-47	-	07
(ट)	खाली खोखे इंसास 5.56 एम एम	-	02
(ठ)	मोबाइल-नोकिया	-	02
(ड)	पी एस बी जे सी/एस के जी एम की अभिशंसी पर्ची	-	01

इस मुठभेड़ में श्री अशोक कुमार दाश, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22.02.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 167-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	के.एच.धरमबीर सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	विवेक कुमार दीक्षित, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

3. मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

4. जितेन्द्र कुमार, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 10/03/2011 को एक विश्वसनीय स्रोत से इस आशय की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि शशधर महतो और सुचित्रा महतो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के जम्बोनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चनसोरा गांव के निकट किसी स्थान पर एक गुप्त बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, के.रि.पु. बल की ए/165 बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री मृत्युंजय हजरा ने उप पुलिस अधीक्षक बेलपहाड़ी और बिनपुर के प्रभारी के परामर्श से छापा और तलाशी अभियान की योजना बनाई। तदनुसार, श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट ने 03 हेड कांस्टेबल/जीडी, 01 हेड कांस्टेबल/आर ओ, 17 कांस्टेबल/जीडी और 02 कांस्टेबल/बीयूजी सहित 24 कार्मिकों वाली ए/165 की एक शक्तिशाली प्लाटून तैयार की । यह पार्टी 13 मोटर साइकिलों पर अभियान पर गई। इसी प्रकार, श्री ए.के. घोष, उप पुलिस अधीक्षक और श्री सुकोमल कान्ति दास, प्रभारी, पुलिस स्टेशन –बेलपहाड़ी, ने अपनी मोटर साइकिलों का उपयोग किया और सैन्यदलों सहित गन्तव्य की ओर प्रस्थान किया। लगभग 14 किमी की दूरी तय करने के बाद पार्टी उपर्युक्त नक्सली नेताओं की तलाश में गाँव–चनसोरा के निकट पहुँच गई। पार्टी के पास उपलब्ध स्रोत की सहायता से गांव चनसोरा के बाहरी ओर संदिग्ध मकानों के एक झुंन्ड की पहचान की गई। श्री मृत्युंजय हजरा सहायक कमांडेंट ने मुखबिर को नक्सलियों द्वारा बैठक के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मकान की पहचान करने का निदेश दिया। मुखबिर के संकेत पर सैन्य दलों ने संदिग्ध मकान, जहाँ नक्सलियों के उपस्थित होने की संभावना थी, के कुछ मीटर पहले अपनी मोटर साइकिलें छोड़ दीं।

श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट ने अभियान की योजना के तहत सैन्यदलों को निदेश दिया। उन्होंने संदिग्ध मकान से सी पी आई (माओवादी) के दो काडरों को बाहर आते देखा और उन्होंने संयुक्त बलों की उपस्थिति को देखते ही अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल/जी डी जितेन्द्र कुमार ने भी तत्काल जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। अचानक अन्य दोनों नक्सलियों ने मकान से लगभग 15 मीटर दूर ताड़ के पेड़ के पास पोजीशन ले ली और अपने अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल/जीडी जितेन्द्र कुमार गोलियों की भारी बौछार से बच गए और तालाब के किनारे के निकट ही तत्काल पोजीशन ले ली। श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट ने छापा मारी दल का नेतृत्व करते हुए अचानक एक

बार पुन: नक्सलियों की बौछार झेली, लेकिन वे डटे रहे और अत्यधिक धैर्य का प्रदर्शन किया। नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। श्री मृत्युंजय हजरा ने अपनी 9 एम एम सर्विस पिस्तौल से 05 राउंड गोलियाँ चलाईं। श्री मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट, द्वारा की गई लक्ष्यबद्ध, सटीक और आक्रामक जवाबी गोलीबारी के कारण दोनों ही नक्सली बाल –बाल बचे और उन्हें घटनास्थल से भागना पड़ा। एक नक्सली अपनी एके-47 राइफल से गोलियाँ चलाता हुआ दक्षिण की ओर भागा, जबकि दूसरा नक्सली, जंगल क्षेत्र की ओर भाग गया। श्री हजरा ने नक्सली का पीछा किया, लेकिन ऊबड़-खाबड़ जमीन और घनी हरियाली का फायदा उठाते हुए वह बचकर भागने में सफल हो गया। इसी बीच, कांस्टेबल/जीडी जितेन्द्र कुमार ने मकान के पीछे पेड़ों के बगीचे में एक व्यक्ति को छिपे हुए देखा और उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा किया तथा उसे एक देशी लोडेड बंदूक सहित जिंदा गिरफ्तार कर लिया।

कांस्टेबल/जीडी के.एच धरमबीर सिंह और कांस्टेबल/जीडी विवेक कुमार दीक्षित ने तालाब के दक्षिणी भाग में पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने देखा कि एक नक्सली एके-47 से पार्टी की ओर गोलीबारी कर रहा है और पास की घनी हरियाली में बचकर भाग निकलने का प्रयास कर रहा है। कांस्टेबल/जीडी के.एच. धरमबीर सिंह ने नक्सली को रुकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन नक्सली ने कांस्टेबल/जीडी के.एच. धरमबीर सिंह और कांस्टेबल/जीडी विवेक कुमार दीक्षित को लक्ष्य बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने उन पर चलाई जा रही गोलियों की परवाह किए बिना रणनीतिपूर्वक पोजीशन ले ली और तत्काल प्रतिक्रिया की ताकि नक्सलियों को बचकर भागने से रोका जा सके। अचानक, कास्टेबल/जी डी के.एच. धरमबीर सिंह अपनी पोजीशन से बाहर आ गए और स्वयं खड़े होकर, अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे नक्सली पर गोली चला दी। इसी बीच, कांस्टेबल/जीडी विवेक कुमार दीक्षित भी अपनी पोजीशन से बाहर आ गए और नक्सली पर गोली चला दी। लगभग 30 मिनट तक दोनों पार्टियों के बीच गोलीबारी चली और कुछ समय बाद जब नक्सलियों की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई, तब सैन्यदलों ने क्षेत्र की तलाशी ली और एक नक्सली को दाएं हाथ में अपनी एके-47 राइफल और ट्रिगर पर तर्जनी उंगली के साथ जमीन पर मृत पाया। मृत नक्सल की बाद में शसधर महतो, सी पी आई (माओवादी) के बी जे ओ बी आर (बिहार झारखण्ड उड़ीसा सीमा क्षेत्रीय समिति) के सदस्य के रुप में पहचान की गई। इस बहादुरीपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने में, श्री मृत्युंजय हजरा सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल/जीडी के.एच. धरमबीर सिंह और कांस्टेबल/जीडी विवेक कुमार दीक्षित ने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ते हुए जान को गंभीर व्यक्तिगत जोखिम होने के बावजूद विशिष्ट/असाधारण बहादुरी, अतुलनीय साहस, पूर्ण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

की गई बरामदगी:

क्रम संख्या	हथियार/गोलाबारुद का नाम और बरामद की गई वस्तुएं	बरामद की गई वस्तुओं की संख्या
01	बट नं. के टी 434270 वाली एके-47 फोल्डिंग राइफल	01
02	एके-47 मैगजीन	03
03	एके-47 जिंदा गोलाबारुद	69 राउंड
04	एके-47 खाली कारतूस	05
05	मोबाइल हैंडसेट	01
06	यात्री बैग	01
07	देशी पाइप गन	01
08	.08 एम एम जिंदा गोलाबारुद	05
09	इम्प्रोवाइज्ड रिवॉल्वर	01
10	.09 एम एम पिस्तौल मैगजीन	01
11	.303 जिंदा गोलाबारुद	01
12.	7.62 एम एम जिंदा गोलाबारुद	07
13	12 बोर का जिंदा गोलाबारुद	23
14	फ्लैश गन	01
15	भारी मात्रा में नक्सली सामग्रियां	01
16	620/-रुपये (नकद)	

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के.एच.धरमबीर सिंह, कांस्टेबल, विवेक कुमार दीक्षित, कांस्टेबल, मृत्युंजय हजरा, सहायक कमांडेंट और जितेन्द्र कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10/03/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 168-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री कुलविंदर सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को 1900 बजे निरीक्षक/जीडी राजीव थापा की कमान के अधीन जी/63 की दो प्लाटून और श्री ललित कुमार यादव, उप कमांडेंट के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन राज्य पुलिस पार्टी सहित यूनिट क्यू आर टी जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में घोड़ागाँव पुलिस स्टेशन की ओर विशेष अभियान ड्यूटी के लिए गई थी, जो नारायणपुर से लगभग 22 किमी. और कुरुसनार में ई/63 बटालियन से 11 किमी. दूर है। दिनांक 16/02/2008 की सुबह घोड़ागाँव के जंगल क्षेत्र में पहुँचने पर, पार्टी को तीन समूहों में बाँटा गया और उन्होंने सम्पूर्ण जंगल क्षेत्र की तलाशी लेना शुरु कर दिया। लगभग 1030 बजे, नक्सलियों ने सैन्यदलों पर अचानक भारी गोलीबारी शुरु कर दी। सी आर पी एफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की और लगभग 30-40 मिनट तक मुठभेड़ हुई। इसी बीच, नक्सलियों ने कुछ बारुदी सुरंगों का भी विस्फोट कर दिया किन्तु पुलिस पार्टी और सी आर पी एफ पार्टी ने बहुत अच्छा समन्वय दर्शाया और नक्सलियों पर गोलीबारी की और कुछ दूरी तक उनका पीछा किया। कांस्टेबल/जीडी कुलविंदर सिंह, जो क्यू आर टी के सदस्य थे, ने नक्सलियों पर गोलियाँ चलाईं और उनका उनकी भागने की दिशा में पीछा किया। कांस्टेबल/जीडी कुलविंदर सिंह ने पहल की और अपनी जान की परवाह किए बिना रेंगकर आगे बढ़े और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए बहुत नजदीक से नक्सलियों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके परिणामस्वरुप दो खतरनाक नक्सली मारे गए और हमारे अपने जवानों और पुलिस पार्टी को, सम्भावित रुप से घायल होने और मरने से बचाया जा सका। अगर उन्होंने यह पहल नहीं की होती तो, नक्सली हमारे सैन्यदलों को बहुत बड़ी मात्रा में हताहत करने में सफल हो गए होते और पहाड़ी भूभाग और घने जंगलों का फायदा उठाते हुए बचकर भाग गए होते। वे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलियों का पीछा किया और उन्हें देखकर अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। इसके परिणामस्वरुप नक्सलियों ने अपनी ओर से गोलीबारी बंद कर दी और घटनास्थल से भाग गए। बाद में, क्षेत्र की तलाशी के दौरान करेलघाटी दलम के बल्ली और बोट्टी राम नामक दो खतरनाक नक्सलियों के शव पाए गए और घटनास्थल से भारमर बन्दूक-01, एक मैगजीन और 08 राउंडों के साथ 9 एम एम की 01 पिस्तौल, हथगोला-01, टिफिन बम इत्यादि और रोजमर्रा के काम आने वाली/प्रसाधन की मदें बरामद की गईं। बल्ली नामक नक्सली घोषित नक्सली था जिसने सी आर पी एफ 63 बटालियन के 4 सी आर पी एफ कार्मिकों की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब्त शस्त्रों, गोलाबारुद और विस्फोटकों इत्यादि सहित वांछित खतरनाक नक्सलियों के शवों को पुलिस स्टेशन नारायणपुर के सुपुर्द कर दिया गया था और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत एफ आई आर संख्या 120/2008 नारायणपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

कांस्टेबल/जीडी कुलविंदर सिंह ने क्यू आर टी का सदस्य होने के नाते कार्रवाई की दृष्टि से बहुत फुर्तीले और तेज थे और उन्होंने अपनी तेज प्रतिक्रियाओं के कारण विगत में कई

नक्सलियों को मारने और गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार 63 बटालियन के कांस्टेबल/जी डी कुलविंदर सिंह ने मुठभेड़ के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना असाधारण और अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी दर्शाई और शौर्यपूर्ण कार्रवाई की।

इस मुठभेड़ में श्री कुलविंदर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16/12/2008 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 169-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बलविन्दर सिंह,
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 17/06/2010 को लगभग 1600 बजे, उप पुलिस अधीक्षक (एस ओ जी), बारामूला ने गनाई मोहल्ला, पुशनाग, जिला बारामूला (ग्रिड संदर्भ एन-40,ई-21) में एच यू एम(हरकत-उल-मुजाहिदीन) के दो खतरनाक पाकिस्तानी उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना दी। यह क्षेत्र रिंगी गाँव के बाईं ओर श्रीनगर से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए पर माइलस्टोन नं. 35 किमी. से ठीक 6 किमी. दूर है। इसकी पुष्टि डॉ. एन.सी. अस्थाना, आई पी एस, आई जी पी, अभियान, कश्मीर, सीआरपीएफ द्वारा भी की गई थी। श्री दलीप सिंह अम्बेश, कमांडेंट -53 बटालियन, सी आर पी एफ द्वारा पुलिस अधीक्षक (अभियान) श्री जुबेर, उप पुलिस अधीक्षक श्री मोहम्मद यूसुफ और हैदरबाग में कर्नल अमर की कमान के अधीन 29 आर आर के सैन्यदलों सहित श्री हरीश त्रिपाठी, सहायक कमांडेंट, एस ओ जी (जेकेपी) बारामूला के साथ क्यूएटी और एच क्यू/ 53 बटालियन की एक टुकड़ी डी/129 बटालियन सी आर पी एफ को शामिल करके 1700 बजे एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। यह संयुक्त टीम लगभग 1700 बजे गनाई मोहल्ला, पुशनाग, जिला बारामूला पहुँच गई और मकान को घेर लिया। जब एस ओ जी (जे के पी) बारामूला के कार्मिक उस मकान के सामने खड़े लोगों से उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तभी उस मकान में पहले से ही उपस्थित उग्रवादियों ने

अपने स्वचालित हथियारों से एस ओ जी (जे के पी) कार्मिकों पर अंधाधुंध तीन गोलियाँ चला दीं। श्री दलीप सिंह अम्बेश, कमांडेंट 53 बटालियन, सी आर पी एफ, जो एस ओ जी (जे के पी) के ठीक पीछे थे, ने ए के-47 से गोलीबारी का जवाब दिया। सी आर पी एफ की 53 बटालियन के क्यू ए टी कमांडर ने पोर्टेबल पी ए माइक पर उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। 2-3 मिनट के अन्दर 3-4 महिलाएँ और एक आदमी, जो बीमार थे, भागते हुए उस मकान से बाहर आए और उस मकान में घुस गए जिसमें हमारे सैन्यदलों ने पोजीशन ले रखी थी और इस बात की पुष्टि की कि उस मकान में दो उग्रवादी उपस्थित हैं। उग्रवादियों ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और दो अलग-अलग कमरों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सूर्यास्त के बाद उस मकान के आसपास, जिसमें उग्रवादियों ने पोजीशन ले रखी थी, वाहन लगाकर उनकी हेड लाइटों का उपयोग किया गया। तत्काल ही सैन्यदलों ने 29 आर आर और 53 बटालियन सी आर पी एफ के जनरेटर का उपयोग करते हुए बिजली का अस्थाई कनेक्शन ले लिया। लगभग 0110 बजे उग्रवादियों ने गोलीबारी बंद कर दी। सैन्यदलों के कमांडरों ने एक कमांड पोस्ट की स्थापना कर ली थी और लक्ष्यों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करने तथा मकान तक पहुँचने के लिए कवरिंग गोलीबारी करने के लिए एल एम जी लगाने की तत्काल योजना बना ली थी। अपने जीवन की परवाह किए बिना 53 बटालियन सी आर पी एफ के हेड कांस्टेबल/जीडी बलविन्दर सिंह ने लक्ष्य बनाए गए मकान की खिड़की के सामने रक्षात्मक पोजीशन ले ली और उस खिड़की पर, जहाँ एक उग्रवादी ने पोजीशन ले रखी थी और रुक-रुककर गोलियाँ चला रहा था, अपने स्वचालित हथियार से बहादुरी से गोलीबारी जारी रखी। दिनांक 18/06/2010 को लगभग 0730 बजे, उग्रवादी की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। दिनांक 18/06/2010 को लगभग 0735 बजे सभी टीमों/बलों के कमांडरों द्वारा रुम इंटरवेंशन ड्रिल के साथ अंतिम आक्रमण की योजना बनाई गई। सी आर पी एफ की एक टीम और एस ओ जी (जे के पी) की एक टीम को उग्रवादियों में से एक उग्रवादी को समाप्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अन्य लोगों के साथ हेड कांस्टेबल/जीडी बलविंदर सिंह निर्भय होकर आगे बढ़े और खिड़की से हथगोले फेंकते हुए उस मकान में प्रवेश किया। उस कमरे में सीमेंट की स्लैब के नीचे छिपे उग्रवादी ने सैन्यदलों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। हेड कांस्टेबल/जीडी बलविंदर सिंह उस सीमेंट की स्लैब के पास पहुँच गए और एक हथगोला फैंक दिया और तुरंत रक्षात्मक पोजीशन ले ली। इसके बाद उग्रवादी की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। 29 आर आर और ब्रिगेडियर एम.एस. जसवाल, कर्नल अमर और पुलिस अधीक्षक (ओपीएस) श्री जुबेर की कमान के अधीन एस ओ जी (जे के पी) से गठित एक अन्य टीम ने भी अन्य कमरों (उस मकान के बीच में और बाईं ओर स्थित कमरों) के खाली कराके दूसरे उग्रवादी को समाप्त कर दिया। लगभग 0915 बजे उस मकान की तलाशी करने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद किए गए। बाद में सिविल पुलिस द्वारा उनकी पहचान एचयूएम (हरकत-उल-मुजाहिदीन) गुट के पाकिस्तानी निवासी सजाद और उमर के रुप में की गई।

निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद बरामद किए गए:-

(1)	एके-47 राइफल	:	02
(2)	एके मैगजीन	:	04
(3)	एके गोलाबारुद	:	38 राउँड
(4)	वायरलेस सेट	:	02
(5)	यू बी जी एल ग्रेनेड	:	02

इस मुठभेड़ में श्री बलविंदर सिंह ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18/06/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 170-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जोसेफ कीशिंग
द्वितीय कमान अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस/सीपीएमएफ शिविर पर हमला करने के प्रयोजन से अगुईसोल, बक्शीबनन और पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला पश्चिमी मेदिनीपुर के अंतर्गत नेक्राकुंडा गाँव के बीच स्थित जंगल में सी पी आई (माओवादी) के 15/20 काडरों की उपस्थिति के बारे में एक विश्वसनीय आसूचना जानकारी प्राप्त हुई थी। इस खतरे को समाप्त करने के लिए एक कम्पनी द्वारा इन क्षेत्रों में तलाशी लेने, घात लगाने तथा छापा डालने के लिए दिनांक 23/08/2010 को एक अभियान की योजना बनाई गई। इस अभियान को सक्षम प्राधिकारी अर्थात महानिरीक्षक (अभियान) पश्चिम बंगाल द्वारा अनुमोदन किया गया था। अनुमोदन प्राप्त होने पर, श्री जोसेफ कीशिंग, द्वितीय कमान अधिकारी ने संयुक्त बल अर्थात एफ/184 की दो प्लाटूनों और राज्य पुलिस की एक टुकड़ी को ब्रीफ किया।

श्री जोसेफ कीशिंग, द्वितीय कमान अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त बल ने अभियान के लिए शिविर (धेरुआ में स्थिति एफ/184 की कम्पनी के अवस्थान) से दिनांक 23/08/2010 को

2300 बजे प्रस्थान किया। दिनांक 24/08/2010 को लगभग 0100 बजे सैन्य दल अगुईसोल, बक्शीबनन और नेक्राकुंडा के बीच स्थित जंगल के किनारे पहुँच गए और पोजीशन ले ली तथा नाइट विजन डिवाइसों से उन क्षेत्रों का अवलोकन कर रहे थे। एन वी डी के माध्यम से यह देखा गया कि बाँध पर/तालाब के किनारे कुछ व्यक्ति एक समूह में हथियारों के साथ बैठे हुए हैं और संदिग्धावस्था में घूम रहे हैं। द्वितीय कमान अधिकारी तथा सहायक कमांडेंट लुक-छिपकर उस समूह के पीछे गये और सैन्य बल चुपके से उनके पीछे-पीछे गया क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहे थे। लगभग 0210 बजे जब संदिग्ध माओवादी अपने संतरी की निगरानी में आराम के लिए लेटे हुए थे, तब संयुक्त बल ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादी संतरी ने संयुक्त बल की मौजूदगी को भांपकर शायद अपने सहयोगियों को सावधान करने तथा जगाने के लिए संयुक्त बल के विरुद्ध नारा लगाते हुए सैन्यदलों पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री जोसेफ कीशिंग, द्वितीय कमान अधिकारी ने विशिष्ट अदम्य साहस, अनुकरणीय नेतृत्व के गुणों, विलक्षण शौर्यपूर्ण कार्रवाई और माओवादियों की ओर से गोलीबारी के बावजूद व्यक्तिगत जोखिम में भी दबाव में धैर्य रखते हुए, सम्पूर्ण समर्पण और बलिदान की उच्चतम भावना का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने माओवादियों के साथ एक सफल मुठभेड़ में अपने बल का नेतृत्व किया। अगर उन्हें देख लिया गया होता, तो उनका जीवन संकट में पड़ गया होता क्योंकि वे सचमुच दुश्मनों की गुफा में घुस रहे थे, जिन्हें सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बारे में सावधान कर दिया गया था। भारी गोलीबारी में भी निर्भय रहते हुए, श्री जोसेफ कीशिंग, द्वितीय कमान अधिकारी जो पहले ही धीरे से शत्रुओं के संतरी के बहुत निकट पहुँच गए थे, रणनीतिपूर्वक और दृढ़ता से गोलीबारी मुख्य स्थान तक पहुँच गए और अपनी ए के एम राइफल से गोली चलाई तथा माओवादी संतरी को समाप्त कर दिया। बाद में, दो .303 बोल्ट एक्शन राइफल, एक 12 बोर बैरल की बंदूक, 9 एम एम कार्बाइन और अन्य गोलाबारुद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री जोसेफ कीशिंग, द्वितीय कमान अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24/08/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 171-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. खिरोडा कुमार लैंका,
   हेड कांस्टेबल
2. गोपाल एच.धारवाड़,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 12/03/2011 को लगभग 1030 बजे पुलिस स्टेशन सोपोर जिला बारामूला (जम्मू और कश्मीर) के अंतर्गत कार्लटेंग, सोपेर में डॉ. मोहम्मद रमजान सोफी के क्लीनिक में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में पुलिस अधीक्षक, सोपोर के माध्यम से एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। जेकेपी के एस ओ जी और 22 आर आर सहित सी आर पी एफ की 177 बटालियन और 179 बटालियन के सैन्य दल तत्काल कार्लटेंग में डा. सोफी के क्लीनिक पहुँच गए और शीघ्र ही उस क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। सूचना प्राप्त होने पर, महानिरीक्षक (अभियान) कश्मीर, सी आर पी एफ लगभग 1150 बजे स्थल पर पहुँच गए और अभियान का पर्यवेक्षण किया।

यह पता चला कि डा. मोहम्मद रमजान सोफी की बहन और कुछ सिविलियन क्लीनिक में फँसे हुए थे। 177 बटालियन सी आर पी एफ के हेड कांस्टेबल/जीडी के.के. लैंका और कांस्टेबल/जीडी गोपाल अपनी जान को गंभीर खतरे में डालते हुए भारी गोलीबारी के बीच रेंगकर उस क्लीनिक के दरवाजे पर पहुँच गए। उन्होंने डा. सोफी की बहन और अन्य सिविलियनों को क्लीनिक से सुरक्षित बाहर निकालना सुनिश्चित किया और आतंकवादियों को बचकर भाग निकलने से भी रोका। इस गोलीबारी में एक आतंकवादी, नामत: कलीमुल्ला उर्फ शमशेर उर्फ तलवार भाई (एच यू एम का डिवीजनल कमांडर) निवासी पाकिस्तान घटनास्थल पर ही मारा गया। इस आतंकवादी ने चारों ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया था और बाउंड्री की दीवार के ऊपर कूदने का प्रयास किया। उस पर कांस्टेबल/जीडी गोपाल एच.डी और अन्य लोगों द्वारा गोलियाँ चलाई गईं और वह मारा गया। अगर आतंकवादी दीवार फाँद गया होता, तो वह न केवल बच गया होता बल्कि उसने सैन्यदलों को भी काफी अधिक संख्या में हताहत कर दिया होता।

एक अन्य आतंकवादी, एल ई टी का वसीम अहमद गनाई (दिनांक 31/01/2011 को सोपोर में दो मासूम बालिकाओं की हत्या में लिप्त) दीवार के पीछे नाली में और अन्य ढाँचों में लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा। इस गोलीबारी में डा. सोफी के क्लीनिक में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया लेकिन अभियान चलता रहा। शाम को लक्ष्य क्षेत्र में सी आर पी एफ की 177/179 बटालियनों और 22 आर आर के जनरेटर सेटों /पोर्टेबल लाइटों से प्रकाश की व्यवस्था की गई। सैन्यदलों ने रात्रि के लिए कंसर्टिनतार के बंडलों से उस क्षेत्र को सील कर दिया और घेर लिया। दिनांक 13/03/2011 को पहली किरण के समय तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। हेड कांस्टेबल/जीडी के.के. लेंका और कांस्टेबल/जीडी गोपाल एच.डी.आतंकवादियों की ओर से की जा रही सीधी और भारी गोलीबारी के बावजूद लक्ष्य मकान में प्रवेश कर गए। उन्होंने उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया और तत्पश्चात उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि वह आतंकवादी उन पर निरंतर गोलीबारी कर रहा था और उनके पास ऐसा कोई कवर नहीं था जहाँ से वे कोई रक्षात्मक पोजीशन ले सकते थे। तथापि, लम्बी और भीषण गोलीबारी के बाद वह आतंकवादी मारा गया।

हेउ कांस्टेबल/जीडी के.के. लेंका और कांस्टेबल/जीडी गोपाल एच.डी. ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सम्पूर्ण अभियान में बहादुरी से लड़े। दिनांक 13/03/2011 को लगभग 1200 बजे अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद बरामद किये गये:-

i)	एके 47 राइफल-	-	02
ii)	एके 47 मैगजीन	-	07
iii)	एके 47 राउंड	-	154
iv)	चीनी पिस्तौल की मैगजीन	-	01
v)	चीनी पिस्तौल के जिंदा राउंड	-	04

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री खिरोडा कुमार लेंका, हेड कांस्टेबल और गोपाल एच. धारवाड़, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13.03.2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 172-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजीव सिंह,
   सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)
2. प्रवीण कुमार चौधरी,
   सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3. नृपेन्द्र देब बर्मा,
   हेड कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. पी. गोपी नाथ,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

उदघाटन रेल को ध्वस्त करने/उस पर हमला करने की लश्कर की योजना के बारे में विशिष्ट आसूचना प्राप्त होने पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर-अनंतनाग रेल सेवा के उदघाटन (10 अक्टूबर 08) की संध्या पर 130 सी आर पी एफ के सैन्य दलों द्वारा खेल्लान में घेराबंदी की गई और बाद में एस ओ जी अनंतनाग, 31 और 55 आर आर सहित 182/40/90/सेक्टर कमांड पोस्ट सी आर पी एफ भी इसमें शामिल हो गई। तलाशी लिए जाने के दौरान लगभग 0730 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी, जिसमें एक मेजर घायल हो गए। तदनंतर, उस मकान को घेर लिया गया जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे, जो गाँव के उत्तरी छोर पर पहाड़ी पीपल के जंगल से सटा हुआ था। घेर लिए जाने के बावजूद, आतंकवादियों ने प्रतिरोध करना जारी रखा और सैन्यदलों को नजदीक पहुंचने से रोके रखा। चूँकि शीघ्र ही शाम होने वाली थी, इसलिए श्री नलिन प्रभात, उप महानिरीक्षक अभियान, ने जे के पी और आर आर के अधिकारियों के साथ परामर्श करके अश्रु गैस का उपयोग करने का निर्णय लिया। सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार चौधरी और सहायक कमांडेंट संजीव सिंह को अश्रु गैस का प्रयोग करके आतंकवादियों को बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया और श्री नलिन प्रभात ठीक उनके पीछे थे तथा हेड कांस्टेबल/जीडी एन.डी.बर्मा और कांस्टेबल/जीडी पी. गोपीनाथ कवरिंग गोलीबारी कर रहे थे। इसके परिणामस्वरुप एक सिविल व्यक्ति को बंधक बनाकर उसकी आड़ लेते हुए एक आतंकवादी मकान के बाहर निकला। श्री नलिन प्रभात ने अपना हथियार जमीन पर रखने के बाद उस आतंकवादी को बातचीत में उलझाकर उसका ध्यान भटका दिया। इसी बीच, उन्होंने दो सहायक कमांडेंटों को संकेत कर दिया जो मकान के निकट किनारे की ओर आगे खड़े

थे। उन्होंने एक साथ गोली चलाई, जिससे आतंकवादी मारा गया तथा बंधक बनाए गए व्यक्ति को बचा लिया गया।

तेजी से रात घिरते देख तथा एक और रात तक घेराबंदी की परेशानी से चिंतित होकर श्री नलिन प्रभात ने दूसरे आतंकवादी, जो निरंतर गोलीबारी कर रहा था, का खात्मा करने के लिए मकान तक पहुँचने का निर्णय लिया। हेड कांस्टेबल/जीडी एन.डी.बर्मा और कांस्टेबल/जीडी पी.गोपनाथ उप महानिरीक्षक के साथ मकान की एक खिड़की की तरफ रेंगकर आगे बड़ गए। उप महानिरीक्षक से संकेत प्राप्त होने पर दोनों ने अंदर गोलियाँ चला दीं, जिसके परिणामस्वरुप वह आतंकवादी मारा गया। कुछ मिनट तक इन्तजार करने के पश्चात्, उस मकान की तलाशी ली गई और उसमें दूसरे आतंकवादी का शव मिला। मारे गए आतंकवादियों की पहचान:1) मोइन अहमद मीर उर्फ हमजा, (ii) अबू हमास, निवासी पाकिस्तान के रुप में की गई। निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की गईं:

i)	एके 47 राइफल	-	1
ii)	एके 56 राइफल	-	1
iii)	एके मैगजीनें	-	04
iv)	जिंदा राउंड	-	34
v)	ग्रनेड	-	01 (नष्ट किया गया)

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उदघाटन के दिन ट्रेन अथवा रेल सम्पत्ति पर हमले के कारण सी आर पी एफ और सम्पूर्ण सुरक्षा बल की छवि खराब हो गई होती, क्योंकि इसकी इरकान (आई आर सी ओ एन) कम्पनियां देहात में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रेलवे के निकट तैनात की जाती हैं। मारे गए आतंकवादी दिनांक 02 सितम्बर, 08 को एक कचरे में हमला करने के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें एक सी आर पी एफ के जवान की मौत हो गई थी और उसकी एके-47 राइफल छीन ली गई थी। बरामद किए गए एके हथियारों में से एक वही हथियार था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजीव सिंह, सहायक कमांडेंट, प्रवीण कुमार चौधरी, सहायक कमांडेंट, नृपेन्द्र देब बर्मा, हेड कांस्टेबल और पी.गोपी नाथ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10.10.2008 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 173-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आर. बेंसिगर, कांस्टेबल
2. गणपत, सहायक कमांडेंट
3. गायकवाड़ गणेश बापूराव, कांस्टेबल
4. एम.गोबी, कांस्टेबल
5. सुधीर कुमार नायक, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27/09/2009 को गाँव लरियार, पुलवामा में तैनात श्री गणपत ओसी-जी/180 सी आर पी एफ को गाँव अमलार, जिला-पुलवामा में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 28/09/2009 को प्रात: गणपत 36 कर्मियों की एक पार्टी के साथ उस गाँव में पहुँच गए। गाँव में पहुँचने पर, गाँव के मुखिया गुलाम हसन शेख ने उन्हें आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में बताया। श्री गणपत सहायक कमांडेंट ने अद्भुत साहस और कर्तव्यपरायणता दर्शाते हुए उस क्षेत्र की उचित घेराबंदी सुनिश्चित की। कांस्टेबल/जीडी गणेश गायकवाड़ और कांस्टेबल/जीडी मथलई मुथु गोबी, जिन्हें (गुलाम हसन ने स्वामित्व वाले) लक्ष्य मकान के सामने तैनात किया गया था, उस मकान से निकलने वाले फेरान पहने हुए तीन आदमियों को चुनौती दी। इसके उत्तर में उनमें से एक ने अपनी राइफल से दो गोलियाँ चलाईं। दोनों ही कांस्टेबलों ने अपनी जान के जोखिम की परवाह न करते हुए भागते हुए आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की। दो आतंकवादी गलियों में छिपने में कामयाब हो गए और केवल एक आतंकवादी दिखाई दे रहा था जिसने बाथरुम के निकट एक महिला को झपटकर पकड़ लिया था और उस निर्दोष महिला का जीवन बचाने के लिए कांस्टेबलों से गोलीबारी बंद करने को कह रहा था। जब आतंकवादियों ने उस महिला को छोड़ दिया और भागना शुरु किया, तब दोनों ही कांस्टेबलों ने सामने से बहादुरी से उनका सामना करते हुए उस पर गोली चला दी और उसको गोली लग गई क्योंकि बाद में वहाँ खून फैला हुआ पाया गया था। तथापि, उस आतंकवादी ने दो मंजिला मकान के पीछे पोजीशन ले ली। कांस्टेबल राजयन बेंसिगर, जिन्होंने एक पेड़ के तने के पीछे पोजीशन ले रखी थी, ने आतंकवादियों पर गोलियाँ चला दीं और उन्हें बचकर भागने नहीं दिया। उन पर भी भारी गोलीबारी की गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान को बड़े जोखिम में डालते हुए और अतुलनीय साहस दर्शाते हुए अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वास्तव में, अन्य दो आतंकवादी जो उपर्युक्त कांस्टेबलों की नजरों से ओझल हो गए थे, वे भी पीछे से उस दुमंजिला

मकान के पीछे आ गए थे और घेराबंदी के दाईं ओर पोजीशन लिए हुए सैन्य दलों के पास आमने-सामने आ गए थे। बहुत ही समीप कांस्टेबल सुधीर कुमार नायक भी शौर्यपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन करते हुए छिपे हुए आतंकवादियों पर गोलियाँ चला रहे थे। ओ सी ने इसी बीच बटालियन के प्रभारी कमांडेंट श्री आर के बेहरा, द्वितीय कमान अधिकारी और एस एच ओ, पुलिस स्टेशन अवन्तीपुरा को सूचित कर दिया । मकान के अंदर छिपे उग्रवादी सैन्य दलों पर निरंतर गोलीबारी कर रहे थे। जवाब में द्वितीय कमान अधिकारी ने डा. एन.सी. अस्थाना आई पी एस, महानिरीक्षक (अभियान) सी आर पी एफ, कश्मीर को सूचित कर दिया जो अपने पास उपलब्ध सैन्यदलों के साथ यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुँच गए। आतंकवादी आड़ लेकर गोलियाँ चला रहे थे और उनकी गोली उस समय श्री बेहरा, द्वितीय कमान अधीकारी की जिप्सी पर कई स्थानों पर लगी जब वे जिप्सी से उतर रहे थे। श्री आर के बेहरा, द्वितीय कमान अधिकारी ने अपनी जान को गंभीर जोखिम में डालते हुए और कर्तव्यपरायणता दर्शाते हुए रेंगकर हेड कांस्टेबल भँवर लाल की तरफ बढ़ गए जिनके दाहिने हाथ के अग्रभाग में गोली लग गयी थी और उन्होंने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी का बहादुरी पूर्वक सामना करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हेड कांस्टेबल भँवर लाल को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद, श्री आर.के. बेहरा, 2-आई/सी रेंगकर लक्ष्य मकान की ओर बढ़ गए और साहस के सर्वोच्च उदाहरण का परिचय देते हुए और पेड़ के पीछे आतंकवादियों के निकट पोजीशन लेते हुए उन्होंने पास के नाले से गोलीबारी कर दी। चूंकि 180 बटालियन, सी आर पी एफ के नियमित कमांडेंट छुट्टी पर थे, इसलिए महानिरीक्षक (अभियान), सी आर पी एफ कश्मीर द्वारा कमांडेंट 130 और कमांडेंट 185 बटालियन को और बलों के साथ वहाँ पहुँचने का निर्देश दिया गया। इसी बीच, उप पुलिस अधीक्षक अमरजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक अवन्तीपुरा भी उस स्थान पर हुँच गए थे। डा. एन.सी. अस्थाना, महानिरीक्षक (अभियान) सी आर पी एफ, कश्मीर ने कमान सम्भाल ली और अभियान का मुठभेड़ स्थल पर ही रहकर पर्यवेक्षण किया। सैन्यदलों ने लक्ष्य पर बहुत सटीक गोलीबारी की। श्री गणपत, सहायक कमांडेंट द्वारा घेराबंदी का ऐसा अच्छा नेतृत्व किया गया कि आतंकवादी बचकर भाग नहीं सके। यह अभियान अनुकरणीय तरीके से चलाया गया और अंतत: हमारे बलों में किसी और के हताहत हुए बिना बहुत कम समय में सभी तीनों आतंकवादी मारे गए।

1) मेहराजुद्दीन पुत्र अब्दुल कयूम, निवासी पस्तूना, ट्राल, जिला-पुलवामा (जम्मू और कश्मीर)। वह एल ई टी का क्षेत्रीय कमांडर था और दक्षिणी कश्मीर में एलईटी के वर्तमान डिवीजनल कमांडर अब्दुल रेहमा के बाद द्वितीय कमान अधिकारी था।

2) मुल्तान, पाकिस्तान का अबू दुजाना।

3) पाकिस्तान का अबू जाहिद उर्फ अबू दुजाना।

मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से निम्नलिखित हथियार, गोलाबारुद और उपस्कर बरामद किए गए:-

क) एके-56 राइफलें-2

ख) एके-47 राइफल-1

ग) एके मैगजीन-10

घ) एके गोलाबारुद-180

ङ) वायरलेस सेट (केनवुड)-1

च) मोबाइल हैंडसेट (चीन निर्मित)-1

छ) पाउच-3

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आर.बैंसिगर, कांस्टेबल, गणपत, सहायक कमांडेंट, गायकवाड़ गणेश बापूराव, कांस्टेबल, एम गोबी, कांस्टेबल और सुधीर कुमार नायक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28/09/2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 174-प्रेज/2012 - राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के.डी.देव
   हेड कांस्टेबल
2. बिपुल चेतिया
   हेड कांस्टेबल
3. रौशन अली
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 07/04/2009 को लगभग 0700 बजे सुश्री माया रानी, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन ई/133 बटालियन सी आर पी एफ की दो प्लाटूनें घागरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में सिविल पुलिस के घटक के साथ एरिया डोमीनेशन ड्यूटी पर थी। सी आर पी एफ की पार्टी ने गाँव जिलिंगसेरा और ताबिल टोइल को पहाड़ी पर पहुँचने के लिए पूरे गाँव को पार किया था। लगभग 1445 बजे सी आर पी एफ की यह पार्टी जब पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, तब यह मोटरसाइकिलों पर सवार नक्सली समूह के स्काउट के सम्पर्क में आ गई। तुरन्त ही के.रि.पु.बल के स्काउट हेड कांस्टेबल/ जी डी के.डी. देव और हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया ने उन्हें चुनौती दी। चुनौती दिए जाने पर नक्सलियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी

शुरु कर दी जिसका हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी.देव, हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और कांस्टेबल/जीडी रौशन अली द्वारा उचित कवर लेते हुए और बहुत अच्छे रणनीतिक कौशलों के साथ उचित जवाब दिया गया। इसी बीच नक्सलियों ने मोटरसाइकिलें छोड़ दीं और के.रि.पु.बल के सैन्य दलों पर गोलीबारी करते हुए जंगल की ओर भागना शुरु कर दिया। के.रि.पु. बल और माओवादी समूह, जो संख्या में लगभग 30 थे, के बीच भीषण गोलीबारी शुरु हो गई। एक घण्टे तक बहुत पास से चली इस गोलीबारी में के.रि.पु. बल के सैन्यदलों ने एच-ई. बम और राइफल ग्रेनेड दागे। सूचना प्राप्त होने पर श्री प्रमोद कुमार, डी.सी. (अभियान) की कमान के अधीन 133 की क्यू आर टी और पुलिस अधीक्षक गुमला श्री उपेन्द्र सिंह घटनास्थल की ओर चल पड़े। मुठभेड़ के बाद उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद किए गए जिनकी बाद में संजय ओरांव, पी एल एफ आई समूह के क्षेत्रीय कमांडर, निवासी हिसिर, पुलिस स्टेशन बिहान पुर, जिला गुमला और बिरसा ओरांव निवासी पालकोट, पुलिस स्टेशन पालकोट, जिला गुमला के रुप में पहचान की गई। एक उग्रवादी संतोष केरकेट्टा, आयु-14 वर्ष, पुत्र सुखदेव केरकेट्टा, निवासी सालगी, पुलिस स्टेशन घागरा, जिला गुमला को भी गिरफ्तार किया गया और दो हथियार बरामद किए गए।

बाकी उग्रवादी घने जंगल से ढँके हुए पास के झरने से होकर भाग गए। तथापि, यह आशा की जाती है कि कुछ और उग्रवादी घायल हुए हैं। मारे गए और गिरफ्तार किए गए उग्रवादी पूर्व में जे एल टी के नाम से जाने वाले माओवादी के पी एल एफ आई घटक के हैं। सम्पूर्ण अभियान में हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी.देव, हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और कांस्टेबल/जीडी रौशन अली ने अनुकरणीय बहादुरी, दृढ़ निश्चय और सूझ-बूझ का परिचय दिया और इसके द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर की गई तवरित कार्रवाई के परिणामस्वरुप उग्रवादियों को मारा जा सका। मारे गए उग्रवादियों के शवों के अतिरिक्त निम्नलिखित हथियार भी बरामद किए गए।

स्लिंग के साथ एक 9 एम एम कार्बाइन, कार्बाइन मैगजीन-एक, 9 एम एम पिस्तौल (संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित)-एक, 9 एम एम मैगजीन-एक, 9 एम एम जिंदा राउंड-11, सिम कार्ड के साथ मोबाइल सेट-तीन (एक रिलायंस और एक नोकिया), ओजी हैंड बैग-एक, बैंडोलियर ओ जी-एक, नौ सिम कार्ड, एक पी एल एफ आई पैंफलेट, बिना नंबर प्लेट वाली दो मोटरसाइकिलें (एम बजाज डिस्कवर और एक 125 सी सी बजाज), एक पर्स से एक इंसास का हत्था। बरामद किए गए सभी हथियार/गोला बारुद, अन्य सामान, गिरफ्तार किए गए और मारे गए उग्रवादियों के शवों को पुलिस स्टेशन घागरा के सुपुर्द कर दिया गया है।

दिनांक 07/04/2009 की घटना की अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरुप जिलिंगसेरा जंगल क्षेत्र की घेराबंदी करने तथा तलाशी लेने के प्रयोजन से पुलिस अधीक्षक गुमला उपेन्द्र सिंह और श्री प्रमोद कुमार डी सी (अभियान)/133 द्वारा एक अभियान की योजना बनाई गई। अभियान की

योजना के अनुसार, सुश्री माया रानी, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन ई/133 की दो प्लाटूनें और श्री प्रमोद कुमार, डी सी (अभियान) की कमान के अधीन क्यू आर टी/133 और पुलिस स्टेशन घागरा के प्रभारी अधिकारी के अधीन पुलिस स्टेशन घागरा का सिविल पुलिस घटक दिनांक 07/04/2009 के मुठभेड़ स्थल, जिलिंगसेरा के जंगल में धेराबंदी करने और तलाशी लेने के लिए पहुँच गया। गाँव जिलिंगसेरा के उत्तर में जंगल में मुठभेड़ स्थल की छानबीन एवं तलाशी के दौरान एक उग्रवादी का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान बाद में सोनू मुण्डा उर्फ दया मुण्डा, आयु 19/20 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय देवगुन मुण्डा, निवासी सालगी डुरियाटोली, पुलिस स्टेशन घागरा, जिला गुमला के रुप में हुई जो दिनांक 07/04/2009 की मुठभेड़ के दौरान अपने सहयोगी विमल लाकड़ा के साथ बचकर भागने में सफल हो गया था। आगे और तलाशी लेने पर एक बड़े शिलाखण्ड के पीछे पड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद की गई।

सम्पूर्ण अभियान में, हेड कांस्टेबल/जीडी के.डी. देव, हेड कांस्टेबल/जीडी बिपुल चेतिया और कांस्टेबल/जीडी रौशन अली ने अपनी जान को जोखिम में डालकर धैर्य और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने न केवल तीन खतरनाक उग्रवादियों को मार गिराया, बल्कि माओवादी के पी एल एफ आई घटक के हौसले भी काफी हद तक पस्त कर दिए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के.डी.देव, हेड कांस्टेबल, बिपुल चेतिया, हेड कांस्टेबल और रौशन अली, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 07/04/2009 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 175-प्रेज/2012, राष्ट्रपति, सशस्त्र सीमा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुभाष (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री सुभाष, कांस्टेबल उस टुकड़ी में थे जो बी पी संख्या 140/3 से बी पी संख्या 141 तक लालभीत जी आर 9860 के सामान्य क्षेत्र में छिपे विद्रोहियों के बारे में आसूचनात्मक जानकारी

प्राप्त होने के फलस्वरुप 3/4 अप्रैल, 2011 की मध्यवर्ती रात्रि में तलाशी अभियान के लिए गई हुई थी। वापस आते समय टुकड़ी जी आर संख्या 9860 के सामन्य क्षेत्र में 140/3 के निकट संदिग्ध एन डी एफ बी (एटी) विद्रोहियों की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गई।

उक्त कांस्टेबल/जीडी ने अतुलनीय साहस, धैर्य, दृढ़ता और वफादारी का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सामने से आई आई जी की घात पर हमला कर दिया। उन्होंने टुकड़ी के बाकी कार्मिकों को अन्य दिशाओं से विद्रोहियों पर हमला करने में सक्षम बनाने के लिए विद्रोहियों को बहुत करीब से सामने से उलझाए रखा। कांस्टेबल/जीडी सुभाष की बहादुरीपूर्ण और निर्भीक कार्रवाई के परिणामस्वरुप घात सफलतापूर्वक तोड़ी जा सकी और व्रिदोहियों को भागना पड़ा। तथापि, इस अभियान के दौरान इस कार्मिक को विद्रोहियों के स्वचालित हथियारों से दाईं कनपटी पर गंभीर चोटें आईं जिसके परिणामस्वरुप उनकी मौके पर ही मृत्यु हुई।

श्री सुभाष ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने देश और टुकड़ी के लिए अनुकरणीय साहस, दृढ़ता और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। उनकी असीम बहादुरी के कारण विद्रोहियों को भागना पड़ा। उनकी इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरुप घात के दौरान उग्रवादी उनका व्यक्तिगत हथियार तक नहीं छीन सके। कांस्टेबल/जीडी सुभाष ने न केवल अनुकरणीय बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया बल्कि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिया।

इस मुठभेड़ में श्री स्वर्गीय सुभाष, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04/04/2011 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 176-प्रेज/2012 - भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में शनिवार, दिनांक 9 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित इस सचिवालय की दिनांक 27 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 120-प्रेज/99 के तहत श्री राज कपूर, कांस्टेबल, 62 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वीरता के लिए दिये गये पुलिस पदक को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और पुलिस पदक को शासित करने वाले नियमों के नियम 8 के तहत उस पदक को जब्त किया जाता है।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 177-प्रेज/2012, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
उप पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री एन. पी. सिंह, सी ओ सिटी प्रथम, अलीगढ़ को 25.4.2005 को एक व्यक्ति नामत: इस्लाम से एक लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ-साथ 4000/-रु. की लूटपाट की सूचना आर टी सेट से प्राप्त हुई। श्री एन. पी. सिंह ने सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों को हीरो होंडा मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हुए अपराधियों की खोज करने का अनुदेश दिया। श्री एन. पी. सिंह अपने वाहन में गोंडा मार्ग जाने के लिए तलासपुर पुलिया की ओर बढ़े। श्री एन. पी. सिंह ने दो युवकों, जिन पर अपराधी होने का संदेह प्रतीत होता था, को एक मोटरसाइकिल से आते देखा और उन्होंने श्री एन. पी. सिंह के वाहन की नीले रंग की लाइट को देखने पर अपनी मोटरसाइकिल तेजी से वापिस मोड़ ली। श्री सिंह ने सी सी आर को स्थिति की सूचना देते हुए उनका पीछा किया। श्री सिंह ने भाग रहे अपराधियों को उच्च स्वर में रुकने के लिए ललकारा लेकिन अपराधियों ने श्री सिंह को मारने की मंशा से उन पर गोलियां चला दीं लेकिन वे बाल-बाल सा बच गए। उस समय तक उप निरीक्षक श्री फर्मूद अली पुंडीर, प्रभारी एस.ओ.जी. ने श्री सिंह को सूचित किया कि वे कुछ बल के साथ तलासपुर पुलिया पहुँच गए हैं, तब श्री सिंह ने प्रभारी एस.ओ.जी. को सूचित किया कि अपराधी तलासपुर पुलिया की ओर बढ़ रहे हैं और वे उनका पीछा कर रहे हैं। श्री एन. पी. सिंह ने श्री पुंडीर को अपने वाहन को उचित तरीके से तिरछा करके अपराधियों के रास्ते को रोकने का आदेश दिया। श्री पुंडीर ने रास्ते को रोक दिया और तब अपराधी और कोई विकल्प न देखकर खेतों की ओर भाग लिए। अपराधियों ने अपना वाहन छोड़ दिया और खेतों के पास एक चारदिवारी के पीछे पोजीशन ले ली। श्री सिंह ने शीघ्रता से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अपराधियों की तलाश हेतु पुलिस पार्टी की मदद के लिए पुलिस वाहनों के चालकों को अपने वाहनों की हेड लाइटें जलाने का आदेश दिया। श्री सिंह ने उप निरीक्षक को अपने दायीं तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा और उन्होंने स्वयं चारदिवारी के नजदीक कोने में पोजीशन ले ली और पुन: अपराधियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। उनकी इस आवाज पर अपराधियों ने गोलियां चलाईं और श्री सिंह को बचाने में वह चारदिवारी का कोना उनके लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ। प्राणों के उच्चतम जोखिम में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर श्री सिंह एक हाथ में टार्च लेकर दूसरे हाथ से अपराधियों पर गोलियाँ चलाते रहे। एस.ओ.जी प्रभारी श्री पुंडीर और उनके साथ चल रहे बल ने भी अपराधियों पर गोलीबारी की। जब अपराधियों की ओर से की

जाने वाली गोलीबारी रुक गई तब श्री एन.पी. सिंह पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़े और उन्होंने अपराधियों में से एक अपराधी को वहां मृत पाया। उस अपराधी की कुख्यात शंकर उर्फ शंकरिया के रुप में पहचान की गई, जिस पर 20,000/-रु. का इनाम था और जो 45 जघन्य अपराध संबंधी मामलों में संलिप्त था। इस मुठभेड़ के दौरान श्री एन. पी. सिंह सी.ओ. सिटी प्रथम के दायें हाथ का अग्र भाग गोली लगने से घायल हो गया लेकिन उस बहादुर अधिकारी ने जख्मी होने के बावजूद उस हाथ से गोलीबारी जारी रखी। उप निरीक्षक फर्मूद अली पुंडीर और कांस्टेबल 181 सी.पी. राकेश कुमार भी जख्मी हो गए। निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

(1) फैक्टरी निर्मित एक पिस्तौल, 20 सजीव और 10 खाली राउंड।
(2) एक रिवाल्वर, वेबले स्कॉट (इग्लैंड निर्मित),02 खाली राउंड।
(3) एक मोटरसाइकिल सं. यूपी-81 एल 6977
(4) लूटे गए 4000/-रु.

इस मुठभेड़ में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 178-प्रेज/2012- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री नवीन अरोड़ा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

नीरज सिंह एक खूँखार अपराधी था जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,00,000/- रूपए के इनाम की घोषणा की थी। वह 02 कांस्टेबलों की सनसनीखेज और नृशंस हत्या तथा दिनांक 16.03.2010 को पुलिस हिरासत से भागने के कारण वांछित था।

एस टी एफ यू.पी. को नीरज सिंह को गिरफ्तार करने का दायित्व सौंपे जाने पर, श्री नवीन अरोड़ा, एस एस पी एस टी एफ ने श्री साहब रशीद खान, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक दल का गठन किया। निश्चित और विश्वस्त खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर कि अपराधी नीरज सिंह दिनांक 03.05.2010 को अंसल कॉलोनी, आगरा पहुँच सकते हैं, श्री नवीन अरोड़ा अपने दल के साथ लगभग 0330 बजे अंसल कॉलोनी, आगरा के शास्त्रीपुरम चौराहे पर पहुँच गए। श्री नवीन अरोड़ा ने क्रमश: श्री साहब रशीद खान, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री बिजेन्दर सिंह त्यागी, निरीक्षक, श्री अरविंद कुमार, हेड कांस्टेबल तथा अपने ही नेतृत्व में 04 दलों का गठन किया। उन्होंने नीरज सिंह को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई और दलों को उनके मोर्चे पर तैनात कर दिया। लगभग 0445 बजे मुखबिर ने सड़क पर आते हुए एक व्यक्ति की अपराधी नीरज सिंह के रूप में पहचान की। श्री नवीन अरोड़ा ने उसे रूकने के लिए ललकारा परन्तु बदले में उसने एस एस पी को मारने के लिए उसपर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सतर्क नवीन अरोड़ा बाल-बाल बच गए।

श्री साहब रशीद खान और उसके दल के साथी भी अपने मोर्चे से अपराधी को घेरने के लिए आगे बढ़े, परन्तु चालाक नीरज ने उनकी गतिविधि को धत्ता बता दिया और उनपर लक्षित गोलीबारी शुरू कर दी तथा तेजी से रोड डिवाइडर को छलाँगते हुए अपना मोर्चा संभाल लिया। श्री नवीन अरोड़ा और श्री साहब रशीद खान अपने दल के साथियों एस आई देवेश सिंह, एस आई विकास कुमार पाण्डेय, एस आई गजेन्द्र पाल सिंह, एच सी अजय त्रिपाठी के साथ कुशल युद्धनीतिक कला का परिचय देते हुए अपराधी नीरज सिंह की ओर रेंगते हुए बढ़ते रहे जो निरन्तर गोलीबारी कर रहा था और चिल्ला रहा था कि 'मैने हाल में दो पुलिसकर्मियों को मार दिया।

हालांकि नीरज सिंह पुलिस कर्मियों पर उन्हें मारने के निश्चित ईरादे से निरन्तर गोलीबारी कर रहा था, श्री नवीन अरोड़ा ने संयम बरती और पुलिस दल का साहस बढ़ाते रहे, जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया तथा अपने जान-माल की सुरक्षा एवं संरक्षा की परवाह किए वगैर रणनीतिपूर्वक और साहस से तथा अपराधी को जिंदा गिरफ्तार करने की मंशा से उसकी गोलीबारी की सीमा में बढ़ गए और अपनी आत्मरक्षा में सीमित गोलीबारी करते रहे, जिसके कारण वह घायल होकर गिर गया। अपराधी नीरज सिंह के साथ खुले स्थान में इस भयंकर एवं आमने-सामने की दुष्कर मुठभेड़ के बाद, जब सतर्कतापूर्वक नजदीक से देखा गया तो वह मृत पाया गया। निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए थे:-

1. 9 मि.मी. बोर की एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और 03 खाली खोखे
2. 315 बोर की एक देशी पिस्तौल, 03 जिंदा कारतूस और 03 खाली खोखे

इस मुठभेड़ में श्री नवीन अरोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.05.2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 179-प्रेज/2012- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमरेश कुमार सिंह बघेल,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 04/06/2010 को श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी को जब सूचना मिली कि वाराणसी के शहरी क्षेत्र में कुछ जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए खूँखार अपराधी संतोष कुमार गुप्ता, जिसपर 1,50,000/- रूपए का इनाम रखा गया है, चल पड़ा है तो वे तत्काल हरकत में आ गए। श्री विजय भूषण ने श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी, निरीक्षक चेतगंज को उनके दल के साथ बुलाया, अपराधियों को पकड़ने की योजना बनाई और दो दलों का गठन किया गया। दोनों दलों को चौकाघाट और तेलियागंज तिराहा दोनों जगहों पर वाहनों की गहन जांच करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात कर दिया गया ।

लगभग 2400 बजे, सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ से एक मारूति कार को चौकाघाट की ओर आते देखा गया था और जैसे ही पुलिस दल ने इसे रूकने का निर्देश दिया, अपराधियों ने पुलिस दल पर गोलियां चला दीं और तेजी से तेलियागंज तिराहे की ओर भाग चले। इसकी जानकारी मिलने पर, अपर पुलिस अधीक्षक अपने दल के साथ चौकाघाट की ओर बढ़ गए और जब तेज गति से चल रही मारूति कार उनके पास आई तो निरीक्षक चेतगंज ने कुशलतापूर्वक अपनी बोलेरो कार आगे कर दी और मारूति कार को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने बुद्धिमतापूर्वक परेशानहाल अपराधियों को घेर लिया। अपनेआप को पुलिस से घिरा हुआ पाकर, उन्होंने पुलिस दल पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी निरन्तर गोलियां बोलेरो कार के आगे के शीशे को तोड़ती हुई सीट में घुस गई। अपर पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक चेतगंज सावधानीपूर्वक वाहन से निकल गए, एक नजदीकी मंदिर के पीछे मोर्चा संभाल लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए अपराधियों को चेतावनी दी। परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर

गोलेयां बरसाने का दु:साहस जारी रखा। अपर पुलिस अधीक्षक चालाकी से अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी ओर बढ़े, तभी अचानक अपराधियों ने उन्हें देख लिया और निरन्तर गोलीबारी शुरू कर दी। इस परिस्थिति में, अपर पुलिस अधीक्षक निडर बने रहे और उन्होंने हमले का बहादुरी से सामना किया। अपराधियों के इस आक्रमण के विरूद्ध, अदम्य साहस और अपने विलक्षण नेतृत्व के साथ उन्होंने निरीक्षक चेतगंज, श्री अमरेश कुमार सिंह बघेल, उप निरीक्षक और श्री विजय प्रताप सिंह, सिपाही के साथ मिलकर अपनी जान को जोखिम में डालकर तथा बहादुरी का परिचय देते हुए अपराधियों के विरूद्ध जंग छेड़ दी और अपराधियों की गोलीबारी के दायरे में आगे बढ़े तथा आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाते हुए उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी पस्त होकर गिर गए और घायल हो गए। बाद में दोनों अपराधियों को मृत घोषित कर दिया गया। उनमें से एक अपराधी की पहचान ऊपरवर्णित अपराधी संतोष कुमार गुप्ता के रूप में की गई और दूसरे की पहचान खूँखार अपराधी संतोष सिंह के रूप में की गई थी। निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए थे:-

1. अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल, 09 कारतूस और .450 बोर के 17 खाली खोखे
2. फैक्ट्री निर्मित एक पिस्तौल, 05 कारतूस और 9 मि.मी. बोर के 07 खाली खोखे

इस मुठभेड़ में श्री अमरेश कुमार सिंह बघेल, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04/06/2010 से दिया जाएगा।

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2012

No. 120-Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Commandant Mohammad Shahnawaz (0641-E).

CITATION

Deputy Commandant Mohammad Shahnawaz (0641-E) joined the Indian Coast Guard on 27 December 2004.

2. On 26 November 2011, a vessel MSV Ave Maria was hit by a cyclone. Due to heavy rolling and pitching the vessel's rudder got uprooted and vessel went out of control. MV Othelo present in the area was directed by Coast Guard Maritime Co-ordination Center(Mumbai) to recover 11 crew members (all Indian) of MSV Ave Maria. ICGS C -134 under the command of the officer sailed from Vizhinjam harbour in adverse weather conditions with almost zero visibility for evacuation of the crew members from ex-MSV Ave Maria.

3. A rendezvous was affected with MV Othelo. However, the vessel refused to lower its accommodation ladder due to rough seas for disembarkation of the 11 crew. The officer suggested MV Othelo to open its Pilot Door to facilitate the crew disembarkation. The officer himself was on wheel and precisely placed the vessel alongside Pilot Door of MV Othelo. Throughout this period C-134 was in constant danger of being capsized. As all 11 sailors were extremely exhausted, they had to be physically assisted for transferring into the C-134. After the successful recovery of 07 survivors, a strong wave crashed on the deck and swept away one survivor who was embarking C-134. The survivor managed to hold the ship's guardrail and hung dangerously between the two banging ships. It was evident that this 64 year old survivor would surely drown in the crashing waves. However, the officer, disregarding his own safety, crawled on his hands and knees and successfully grabbed the victim and with all his remaining strength, lifted the exhausted survivor to safety. After successful recovery of all 11 sailors, the ship detached herself from MV Othelo and shaped the course for Vizhinjam harbour for handing over the survivors to the Police for further action.

4. Deputy Commandant Mohammad Shahnawaz (0641-E) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 121-Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Chandan Kumar Das, Uttam Navik(Power), 04915-W.

CITATION

Chandan Kumar Das, Uttam Navik(Power), 04915-W joined the Indian Coast Guard on 28 January 2003.

2. The enrolled person(EP) is an air crew man diver and is posted at 842 Squadron (Coast Guard) since 01 September 2008. On 04 August 2011, Chandan Kumar was detailed as a free diver for a Search and Rescue (SAR) mission on Chetak helicopter CG 811. After about 20 minutes of flying in inclement weather conditions, the aircraft located a distressed vessel with half of the forward section inside water and the entire ship tilted forward. The adverse weather conditions made the rescue task even more difficult. A group of survivors were sighted on the rapidly sinking ship. After a quick assessment of the situation, it was decided to lower the free diver onboard to facilitate speedy rescue of the personnel.

3. Chandan Kumar was winched down in the quarterdeck of the vessel which had inclined sharply due to the ship's forward tilt. He courageously set foot upon the slippery and inclined deck of the distressed vessel and with scant regard to his own safety, gingerly made way across to the group of survivors. Displaying immense presence of mind, he swiftly gathered all the ship crewmembers and quickly briefed them about the rescue drill for winching up by the helicopter and the contingency plan of action in case the ship sank before the rescue operation could be completed. Thereafter, he reconnoitered for a safe winching area at considerable risk to himself in the rolling pitching deck and signaled to the helicopter to begin the rescue work.

4. Chandan Kumar painstakingly assisted each one to be recovered by the rescue helicopter. This task was perilous as there was every danger of him being washed off the deck by the ferocious waves of the sea that were breaking over the sinking vessel. His determination to prevail in face of heavy weather and winds resulted in the safe and expeditious evacuation of 15 crew members from an otherwise certain watery doom.

5. Chandan Kumar Das, Uttam Navik(Power), 04915-W has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 122-Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer:-

Inspector General Suresh Kumar Goyal, TM (5001-P)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 123-Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:-

(i) Commandant Nalam Venkata Rama Rao (0175-V)
(ii) Commandant Alok Kumar Madhukar (0176-X)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

The 23rd November 2012

No. 124–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri V. Shiva Kumar
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

A seven member dacoit gang, armed with short guns and daggers was on the spree of robbing the public of their money and cars which committed 16 heinous crimes in Mumbai and Pune including the murder of Sri Adhav, Inspector of Police and one constable in the year 2006 and a Bank robbery in Mumbai and 7 dacoities in Cyberabad Commissariat of Andhra Pradesh, at the point of guns and daggers. They posed challenge to the Department and it was an acid test to the Cyberabad Police. Shri V. Shiva Kumar, SI was specially chosen to nab this notorious gang. Shri V. Shiva Kumar, SI succeeded in nabbing Ravi Talla on 06.10.2011 at Kondapur under PS Madhapur of Cyberabad.

When Shri V.Shiva Kumar, SI of Madhapur PS with two constables, intercepted the kingpin on 06.10.2011, he along with two others, all armed with firearms pounced on the party and one of them opened fire on police party. Shri V Shiva Kumar had to either succumb to their firing or nab them at the cost of his life and also the lives of general public and other two constables who were unarmed. Shri V Shiva Kumar swiftly acted, warned the offenders to surrender. But when they fired at police party, he also fired in return at them due to which one of them fell down with bullet injury, while one more, armed with firearm, was caught and the third number of the gang fled away and arrested later. Had Shri V Shiva Kumar not fired at the offenders in time, they would have definitely killed the police party and thus he saved lives of police party and also nabbed all of them. Crime Branch Police of Mumbai had, on information furnished by Madhapur Police, visited Hyderabad and took the accused on PT Warrant in respect of their cases. Thus a notorious interstate gang who mercilessly execute their operation with firearms etc., was apprehended and number of cases of Maharashtra and A.P. were got detected.

Shri V. Shiva Kumar, SI exhibited courage and commitment and risked his life in volley of firing of the mercenary armed dacoits and returned fire resulting in fire arm injury to one and apprehension of another member of the gang.

Recovery made:

1) 7.65 mm automatic pistols 2 Nos. made in Italy.
2) 8 mm country made tapanchas 3 Nos.
3) 7.65 mm live ammunition 4 Nos.
4) 32 mm live round one.
5) 8 mm empty cartridges 3 Nos.
6) One TATA Indica car.
7) Property documents worth Rs 25.00 lacs purchased with the money robbed earlier.

In this encounter Shri V. Shiva Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06/10/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 125–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **A Prabhu**
   Junior Commando

2. **Naguru Anil Kumar**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24-09-2011 on receipt of credible information by OSD Kothagudem about the movement of about 20 members of Venkatapuram Area Committee Maoists in Charla P.S limits to commit offences, the Greyhounds team consisting Shri A Prabhu, JC and Shri Naguru Anil Kumar, JC was detailed for the operation.

On 25-09-2011, the Greyhounds team sighted (6) Maoists in olive green dress with weapon running on a track from South to North and informed the same to Group in-charge Sri D.N.Reddy. The Maoists discerned the team and were ready to attack, but, Shri A Prabhu, JC and Shri N. Anil Kumar, JC alongwith others quickly moved tactically by dividing into 2 teams of 3 each and warned the Maoists to surrender. When the Maoists opened fire against A Prabhu, JC and N. Anil Kumar, JC, they tactically faced the bullets. Shri A Prabhu, JC and Shri N. Anil Kumar, JC covered left and right sides and retaliated fire resulting in the death of 2 hard core Maoists and recovere. One 7.62mm SLR, 16 live rounds, one empty case struck in the body of weapon and one 8mm Rifle with 16 live rounds.

Sri A.Prabhu, JC Greyhounds has exhibited conspicuous gallant great determination and courage even while chasing the Maoists, grave risk to his life from the attacking Maoists Shri N. Anil Kumar, JC Greyhounds has also actively participated in chasing the Maoist. Thus the brave, determination, courage and the adventure of Shri A Prabhu, JC and Shri Naguru Anil Kumar, JC raised the moral of the Police as they moved against the incessant firing of the Maoists and neutralized them unmindful of being killed.

In this encounter S/Shri A. Prabhu, JC and Naguru Anil Kumar, JC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/09/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 126–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri N. Ramoji Naik,
Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded

On reliable information from GC (operations) Greyhounds about the movement of Khammam, Karimnagar and Warangal area committee Maoists in Gundala PS limits in Khammam District, and after briefing from OSD, Kothagudem the S-9B and S-8B assault Units of Greyhounds planned an operation to attack the banned Maoists of KKW area committee.

On the night of 20/02/12, Shri N Ramoji Naik, JC alongwith his unit reached Sainapalli outskirts at about 2015hrs and moved towards North East direction of Sainapalli village. Then the unit in-charge received a phone call from GC (Ops) about the arrival of the banned Maoists to Kommugudem (v) of Gundala PS limits. Then the unit in-charge separated his men into 4 parties to cover all the 4 escaping tracks in the area. The unit in-charge entrusted (6) JCs including Shri N. Ramoji Naik, JC of Greyhounds to SI Dammupet PS to cover track 4 and the remaining party to cover 3 tracks. Shri N Ramoji Naik, JC along with his in-charge SI reached Northern side of the village and was observing track-4, when he sighted the Maoist members in a very near distance in olive green uniforms and armed with deadly weapons. Immediately he confirmed them as Maoists and asked them to surrender, but they opened fire with A.K-47 and other deadly fire arms indiscriminately with an intention to kill the police party, resulting a bullet injury to left hand of Shri N. Ramoji Naik, JC. Though he was suffering from heavy bleeding and in spite of risk to his life he retaliated the Maoists with fire due to which Suthari Papa Rao @ Singanna, A/45yrs, Dy. Dala Commander of CPI Maoists KKW Company died at the spot and 2 SLR weapons with magazines and 60 No's of SLR live rounds were recovered .from the scene.

In this encounter Shri N. Ramoji Naik, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20/02/2012.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 127–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Pranjal Pratim Saikia (Posthumously) 02. Bhaben Borah, Havildar
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15.03.2011 at about 11:30 am on receipt of a reliable source information about ULFA cadres taking shelter in Tangana Majgaon & Bongaligaon areas under Kakopather PS, a joint team of Tinsukia District Police & Army launched a search operation by splitting into three small groups and each group conducted search of separated hamlets of 9-10 houses each. At about 1345 hrs. as a police operation group led by SI(P) Pranjal Pratim Saikia approached the house of one Sarbeswar Moran of Tongana Bongali Gaon, he along with Hav Bhaben Borah cautiously approached the entry gate at rear of house by crawling, for surprise raid while others laid cordon at a distance. However, the group of ULFA extremists taking shelter inside started heavy firing towards them, probably having peeked from window of the thatched house and seen the police team approaching. SI(P) Pranjal Pratim Saikia and Hav. Bhaben Borah, having come under direct line of fire, quickly ducked themselves just outside the house and crawled to safe ground and nearby tree for cover and at the same time retaliated by firing from their weapons. Despite being hit by a bullet, SI(P)Pranjal Pratim Saikia continued firing alongwith Hav. Bhaben Borah and as result of their retaliation, they saw extremist emerging from the house trying to run away. SI(P) Pranjal Pratim Saikia despite being injured directed his fire at the extremists along with Hav. Bhaben Borah and they could inflict bullet injuries on 2(two) extremists who later succumbed to the injuries on the spot, while the other managed to escape. SI(P) Pranjal Pratim Saikia was evacuated but succumbed to his bullet injury on chest enroute to hospital. He along with Hav. Bhaben Borah, disregarding the grave threat to their personal lives at the call of the duty, exhibited exemplary courage in engaging the armed extremists and neutralized 2 (two) in direct exchange of fire, who were later identified as hardcore ULFA extremists - Pinku Mahanta @ Illu s/o Lakhewar Mahanta of Kherjan PS Kakopather and Lulu Moran, s/o Surjjya Moran of village Mamoroni PS Digboi both of Tinsukia district.

Under the above facts and circumstances, it is evident that SI(P) Pranjal Pratim Saikia and Hav. Bhaben Borah promptly responded to the call of duty, showed exemplary leadership in leading the operation from the front and exhibited raw courage in engaging the extremists till they were neutralized despite the bullet injury that the former suffered and thereafter he made the supreme sacrifice in the line of duty. Thus both of them have touched upon the highest standards of gallantry, leadership and sacrifice that is expected of a true soldier of the nation, which deserves to be duly recognized by a grateful nation. The following items were recovered from the encounter site:-

AK 56 live rifle	-	01 no.
AK 56 live ammunition	-	19 rds.
Empty cases of AK series	-	05 nos.
Hit bullet	-	02 nos.
AK damaged ammunition	-	01 no.
Mobile Handset	-	02 nos.
Mobile SIM cards	-	04 nos.
Incriminating documents	-	01 no.
Extortion note pad	-	02 nos.
7.65 mm Pistol	-	01 no.
7.65 mm live ammunition	-	03 nos.
7.65 mm empty cases	-	03 nos.
Cash(Indian currency)	-	Rs.1,500/-

In this encounter late Shri Pranjal Pratim Saikia, Sub Inspector and Shri Bhaben Borah, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15/03/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 128–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Anand Prakash Tiwari **(1st Bar to PMG)**
Superintendent of Police

02. Deben Chutia (PMG)
AB Constable

03. Ratneswar Kalita (PMG)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 2nd February, 2010 at 1545 hrs, Shri A P Tiwari, IPS, SP Udalguri received an input about the presence of a group of hardcore ULFA terrorists including the Commander of 27th BN of ULFA at village Bhekulikanda, PS-Kalaigaon, District-Udalguri, Assam. The officer immediately carried out detailed planning and along with a team of SDPO, Bhergaon and armed party moved towards the village located at a distance of 10 Km from Kalaigaon PS. Following the input, he moved with tactical skills and stealthily approached the house in which the terrorists were taking shelter. Approximately 50 meters short of the house, he stopped all police parties and briefed all of them including Army, who arrived there at the point of time. On seeing the approaching parties, the ULFA militants opened indiscriminate fire from inside the house taking strategic advantages, as result of which one Army Jawan and one civilian aged 11 years sustained bullet injuries. The injured jawan and the civilian boy were evacuated immediately. Though the police and Army party came under heavy fire, Shri A P Tiwari, IPS alongwith Shri T R Pegu, SDPO, Bhergaon and 2 constables, namely Ratneswar Kalita (PRC) and Deben Chutia moved forward and demonstrated an extraordinarily high quality of leadership at the time of crisis and remained unperturbed even in the face of intense gun fire and succeeded in holding the force personnel together and led the retaliatory action by front. Also the officer applied his mind in such an adverse condition and vehicles were brought in the cordon area with tactical approach and their lights pointed strategically towards the sheltering house. Shri Anand Prakash Tiwari Superintendent of Police, Shri Deven Chutia, AB Constable and Shri Ratnewar Kalita, Constable displayed selfless courage by advancing ahead amidst heavy fire from inside the house and continued their retaliatory fire pointing towards the house where the militants holed up. The firing stopped from inside the house at dawn and a search was conducted in the house. Two extremists were lying dead with AK 56 rifle, 2 Nos of Pistols, 4 Grenades with Ammunitions, pouch etc soon after both the slain militants were identified as SS Captain Bosha Singh @ Ramujjal Kakoti, Commandant of 27th BN ULFA and SS Sergt Major Bishnu Ram Deka @ Anku Bania of 27 BN ULFA.

As an intelligent and responsible police officer, Mr A P Tiwari, IPS himself generated the intelligence about the militants. He also demonstrated rare act of valour and high degree of responsibility and leadership by leading the operations himself from the front. He led the operation being fully aware of the fact that the

extremists were equipped with highly sophisticated weapons and grenades. Through his gallant act with a high degree of motivation and dedication to the cause of the nation, devotion to duties and responsibilities, commitment to his work and effective leadership Shri A P Tiwari, IPS, SP Udalguri along with Shri T R Pegu, SDPO Bhergaon and CT Ratneswar Kalita (PRC) and ABC Deben Chutia succeeded in neutralizing the extremist elements, who had been threatening the very essence of the sovereignty, unity and integrity of our country. AK- 56 Rifle-01, AK-56 Magazine-02 Nos, AK 56 Ammns- 05 Nos. 9 mm Pistol- 01, 9mm Magazine- 01, 9 mm Ammn. live – 03rds, 7.65 magazine-01, 7.65 Ammn. 6 rds. Hand Grenade- 04, Satellite phone with charger- 01, Sattellite SIM – 01, Mobile phone- 05 , SIM card new- 15, SIM card old- 60 , Motor bike Hero Honda- 01, AK-56 empty cases- 70 , 9 mm empty cases- 03, 7.65 pistol – 01, 7.65 magazine- 01, 7.65 live ammns- 06 Nos.

In this encounter S/Shri Anand Prakash Tiwari, Superintendent of Police, Deven Chutia, AB Constable and Ratneswar Kalita, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/02/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 129–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ramesh Prasad Verma, (PMG)
Sub Inspector

02. Pravendra Bharati, (1ST Bar to PMG)
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 08.04.2009, the then SP Shri Kannan received a reliable information that Shambhu Singh and his dreaded gang, wanted in several criminal cases, had taken shelter in Lakhanpatti falling under Khodwanpur Police station. Immediately mobilized force and officers' rushed to the spot with all force and men under his command.

Two parties were assigned to plug the routes which might facilitate entry of criminals in the village Lakhanpatty. The first at Morthat, an exit point situated roughly one kilometre south east and the second at Lakhanpatty Chauar, situated at around 600 meters away west from the Place of occurrence. Since the criminals were hiding in a densely grown maize field surrounded by thick vegetation, police approached them from both left and right sides. SP strategically put more men in the left flank to minimize chances for the criminals to escape by taking advantage of the vegetation. Raiding teams approached the place of occurrence from north by crawling over almost 400 meters from the road. On a sudden approach of the police, the shocked criminals opened fire which hit SI Ramesh Prasad Verma grievously on his right shoulder and cheek. As a quick response, the SP expanded the flanks lineally to restrict criminals movement. But the criminals sprayed bullets indiscriminately to pressurize the police to retreat. Repeated warning from the police was not responded by criminal's rather new volley of fire. To save the life of policemen and protect the government weapons from being looted, the SP ordered the right flank to open controlled fire and the left flank to dominate their side.

Meanwhile, excessive bleeding made the condition of the injured SI critical. Taking him out of the firing zone, while firing was going on made the task more risky. Raiding party members had narrow escape. After a gun battle for over two and half hours, firing from criminals subsided. Then left flank cautiously started moving towards the maize field for search.

Suddenly, one criminal Bablu Singh, who was still hiding in the maize field, opened fire on the left flank in order to escape eastwards. He was successfully nabbed with two weapons in his possession. During search, bullet hit dead bodies later identified as the gang leader Sambhu Singh and Suresh Mahato and arms and ammunition were recovered from the place of occurrence.

It is worth mentioning that Sambhu Singh had been charge sheeted in twenty five cases including six murder cases and Suresh Mahato in seven cases including four murder cases.

In this fierce encounter the SP P Kannan, leading from the front, with his meticulous strategic planning, was the guiding force throughout the operation. He remained firm even when one of his men was seriously injured by criminals and ensured minimum but effective fire power from the police. SI Ramesh Prasad Verma's performance was ostentatious display of valour. In spite of having narrow escape from the jaws of death, he fired nine rounds from his service pistol. SI Pravendra Bharati, taking grave risk to life, dared to nab Bablu Singh, who still was trying to dissuade the police by firing on them with a loaded carbine and pistol. Constable Bhushan Jha and Vijay Kumar stood firm alongwith the team showing

resolute courage and discipline throughout the operations, an act of bravery & valor. The following recovery was made in this operation:-

(a) Double barrel regular Gun	-	01
(b) Carbine-country made	-	01
(c) Muskets	-	03
(d) Pistol- country made	-	03
(e) Live ammunition of 12mm caliber	-	03
(f) Live ammunition of .315mm caliber	-	23
(g) Live ammunition of .9mm caliber	-	01
(h) Empty cases of .9mm caliber	-	03
(i) Empty cases of 12 mm caliber	-	07
(j) Empty cases of .315mm caliber	-	16
(k) Mobile sets	-	02
(l) SIM cards	-	05
(m) Cash	-	Rs. 21880/-

In this encounter S/Shri Ramesh Prasad Verma, Sub Inspector and Pravendra Bharati, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08/04/2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 130–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Haryana Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Babu Ram, (Posthumously)
EHC

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 09.12.2009 at about 4.00 AM, police officials of PCR No.34, Gurgaon, who were on patrolling duty reached Khandsa Road, noticed that a Bolero jeep coming from Anaj Mandi side reversed all of a sudden after seeing the Police vehicle and sped away. Information was sent to Police Control Room Gurgaon that a vehicle has hit PCR No.26 of P.S Civil Lines, Gurgaon resulting in injuries to one official of the PCR, and fled away. On the PCR No.34 reaching at Khandsa Road, Sector-10, Gurgaon turning point towards Sun Rise Hospital, an Indica Car No.DLI YA 7559 coming from city Gurgaon side was stopped by the police officials of the PCR for

checking. In the meantime, the aforesaid Bolero came from City Gurgaon side, which was signaled to stop by Shri Babu Ram, EHC. The Bolero's driver accelerated and hit PCR No.34 driven by Shri Babu Ram, EHC and as a result he was seriously injured and taken to a local hospital where he was declared dead by the doctor. Number of Bolero was noted as HR-26 AM 5646. Its driver and 2/3 occupants fled away taking advantage of the darkness. In this regard case FIR No.365 dated 9.12.2009 u/s 302/307/353/34 IPC stands registered at P.S. Sector-10, Gurgaon.

As is evident from the above, Shri Babu Ram, EHC has shown exceptional courage, presence of mind, devotion to duty and bravery in challenging the anti social elements. He lost his life while performing duty to control crime and criminals and to make life of the citizens safe.

In this encounter late Shri Babu Ram, EHC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09/12/2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 131–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Amarjit Singh,** **(1st Bar to PMG)**
   Dy. Superintendent of Police

2. **Javeed Ahmad Yatoo,** **(PMG)**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 16-09-2010, Dy SP Tral accompanied by SHO P/S Tral, Nafri of SOG Tral, 3 PARA, 42 RR during patrolling at Wadkani-Doodhklian forests received information about the presence of HM terrorists in the said jungle. Accordingly, whole area was cordoned off immediately. However a large numbers of Bakerwal shepherd and Gujjars present alongwith their livestock and other belongings were evacuated to nearby safer place. Search operation was carried out during which the terrorists hiding inside thick undergrowth/bushes opened fire on a search party. The

fire was retaliated and exchange of fire continued for the whole day and terrorists keep on changing their position/locations. Accordingly, four searching parties were formulated under the command of Shri Amarjit Singh Dy SP Tral, Inspector Javid the then SHO P/S Tral and two parties under the command of Army officers of 3 PARA and 42 RR. All the four parties started search from different ends of jungles. Dy SP Tral alongwith Ct Nazir Ahmed, Ct Ab Qyoom, Ct Manzoor Ahmed, SPO Ali Mohd, SPO Ab Rashid, SPO Nazam-ud-din and other army personnel were the first party attacked by terrorists. The second party commanded by inspector Javid Ahmed gave cover fire to the party lead by Dy. SP Tral. All the parties immediately took position surrounding the hiding terrorists and plugging all the escape routes. The terrorists segregated into two groups and engaged the police/Army parties in two different locations. One party headed by Dy SP Tral came under heavy fire from the terrorists, but despite heavy firing the party members were able to position themselves in such a way that three terrorists got surrounded and after exchange of fire which lasted for several hours all the three terrorists were killed. Meanwhile second party headed by Inspector Javid Ahmad alongwith SI Nazir Ahmad and other police personnel engaged other remaning two terrorists. The exchange of fire continued for the whole day and ended with the killing of other two terrorists also. The search operation was accordingly carried out during which dead bodies of five terrorists alongwith arms/ammunition were recovered. During the operation, Amarjit Singh (Dy SP Tral) and Inspector Javid Ahmed have shown extra ordinary courage and fought the terrorists face to face in the thickly forested area without caring for their lives. The following arms/ammn were recovered:-

i)	AK 47/56 rifles	05 Nos.
ii)	Magazine AK-47	09 Nos.
iii)	Live cartridge AK-47	120 rounds
iv)	Empty cartridge	40 Nos.
v)	Hand Grenades	12 Nos.
vi)	Blind grenades	02 Nos.
vii)	Pouch	05 Nos.

In this encounter S/Shri Amarjit Singh, Dy. Superintendent of Police and Javeed Ahmad Yatoo, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/09/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 132–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Harbans Lal
SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 07.05.2009, over a specific information, regarding presence of terrorists at Affan Nar in general area of Khurhama Lolab, a joint operation was carried out by SOG, Kupwara & troops of 18 RR. During the search operation, the terrorists who were hiding in the dense forests fired upon the operational party indiscriminately. Police party cordoned off the target area, where the terrorists were hiding. Since the terrorists had taken shelter of dense forests, the operational party remained determined and concentrated on the operation whole heartedly. Sg CT Harbans Lal 7th Bn who has good experience in counter insurgency operations tactfully handled the operation and positioned his nafri in such a manner so that there is least chance of escaping of terrorists and directed them to keep the terrorists engaged from one side and tackled the operation with high standard of skill and advanced towards the target area without caring for his life and reached to the close proximity of terrorists even in such a terrain where the terrorists were having an upper hand. Sg Ct. Harbans Lal with the highest degree of bravery, professionalism and gallant action alongwith his party retaliated the attack of the terrorists. During the encounter, one un-identified terrorist was killed. The following arms and ammunition were recovered from the site of encounter:

1.	AK -47Rifles	:	01 (damaged)
2.	AK-47 Mgs	:	02 Nos.
3.	AK-47 Ammn	:	31 Rds live

In this encounter Shri Harbans Lal, Sg. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08/05/2009.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 133–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mushtaq Ahmad
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04.04.2010 at 2010 hrs, some terrorists of HM outfit tried to enter the residence of Sh Ab. Gani Dar, District president Congress, at Rahmoo with the intention to kill the protectee and his family members including the Police personnel deployed with him as PSO. The terrorists climbed the retaining wall and reached near the guard room and asked the Police personnel to open the door and handover the weapons to them. The PSO namely Mushtaq Ahmad, Ct who was present on duty acted bravely, without caring for his life and told them that the door is open. As soon as the terrorists tried to open the door, the alert Constable inside the guard room targeted one of the terrorist and injured him thereby forcing the others to flee down into the lawn of protectee. The daring constable came out of the guard room and gunned down one terrorist in the lawn while another terrorist got injured.

In the meanwhile Police Pulwama was also informed about the incident who informed the nearest security forces camps of 53 RR and 183 Bn CRPF to reach the spot. Till the other reinforcement from Pulwama reported there, 53 RR was first to reach the spot and cordoned the area. At 2040 Hrs when Police reached the spot, the cordon was further strengthened and search of terrorists was conducted at 2100 hrs and a dead body of a terrorist who was identified as Aslam Kalas @ Janbaz S/O Ilma Kalas R/O Naserpora Keller was recovered. After identification, the dead body of slain terrorist was handed over to Police party for further disposal/legal formalities. However, the search for another terrorist was continued with the help of accompanied security forces and at 0200 hrs one more terrorist was arrested in the nearby vicinity of the target house in an injured condition. The injured terrorist who was identified as Arshid Ahmad Parray S/O Mehraj-ud-din R/o Chowan Keller, was immediately evacuated to District Hospital Pulwama for first aid. Arms/ammunition was also recovered from the possession of the killed/arrested terrorists. The said terrorists were involved in various militancy related incidents in the district and their death was a setback to HM outfit and was indeed a great achievement for Police which was achieved due to the exemplary/bravery/gallant action displayed by Shri Mushtaq Ahmad, Ct. The following arms and ammunition were recovered:

1.	Pistol Chinese	:	01
2.	Pistol –Mgs	:	01

3.	Pistol rounds	:	03 Rds.
4.	Mobile Chinese	:	01
5.	Mobile Nokia	:	01
6.	Purse black colour	:	01
7.	Mobile battery	:	02
8.	SIM Airtel	:	02
9.	Grenade Chinese	:	01

In this encounter Shri Mushtaq Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/04/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 134–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Shamsheer Hussain,
Addl. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18.07.2010, over a specific information, regarding presence of a LeT Divisional Commander Abu Zar @ Ajmal Shah R/O PAK, in the house of Ghulam Mohi-u-Din Bhat S/O Abdul Rahim Bhat R/O Garoora, SOG Bandipora with the assistance of 10 Garhwal, laid a cordon around the house. The hiding terrorist opened indiscriminate firing as an attempt to break cordon and the forces could not retaliate fully for having apprehension of civilian causalities. Addl SP Bandipora, Shri Shamsheer Hussain, who was leading the operation in consultation with Army authorities, devised a plan to evacuate the civilians and also to avoid any collateral damage during the operation. Shri Shamsheer Hussain, SP advanced very close to the buildings adjoining to the target house by putting himself in great risk to ensure that no civilian is present in these houses. The process continued for the whole night.

Next day on 19.07.2010, in the morning, the terrorist started indiscriminate firing and came out of the target house. The fire was retaliated but he managed to break the inner cordon and fled away taking the advantage of thick bushes and fruit trees around the target house. Shri Shamsheer Hussain, SP remained camped in the

area for developing specific input regarding the whereabouts of the fleeing terrorist. At around 1700 hours, the officer developed specific information through local source about presence of the fleeing terrorist in the house of one Mohammad Ramzan Ganie R/O Mir Mohalla, Garoora. Accordingly, the cordon was laid by SOG Bandipora with the assistance of Army 10 Garhwal Regiment. Noticing that the forces are approaching the target house, the terrorist fired indiscriminately. Again the first priority was given to evacuation of all the civilians. The officer being head of party again ensured evacuation of all civilians from the adjoining houses and thereafter retaliated the fire effectively in a professional manner without caring for his life and neutralized the terrorist on spot without having any collateral damage or causality on own side. The killed terrorist namely Abu Zar @ Ajmal Shah r/o PAK, Divisional Commander of LeT outfit was most wanted terrorist of North Kashmir who had let loose a reign of terror in the area and also remained instrumental in motivating many local youths for joining the terrorist cadres. He was active in North Kashmir since 1998 and was involved in numerous terrorist incidents. The following arms/amns were recovered:

1.	AK-47	:	01 No.
2.	AK Magazines	:	04 Nos.
3.	AK Rounds	:	187 Nos.
4.	Chinese Grenade	:	03 Nos. (Destroyed)
5.	Pouch	:	01 No.
6.	Torch Cell	:	19 Nos.
7.	Transistor	:	01 No.
8.	Cell Phone	:	01 No.

In this encounter Shri Shamsheer Hussain, Addl. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18/07/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 135–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amit Kumar
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21.10.2010, acting over a specific information regarding presence of terrorists in the house of one Abdul Majeed Bhat S/O Late Gh. Qadir Bhat R/O Maloora Sumbal, a massive search and cordon operation was launched by Police Srinagar under the command of Shri Amit Kumar, IPS the then SP West Zone Srinagar, with the assistance of Police Bandipora and security forces. As the cordon was being laid, the holed up terrorists tried to escape from the said house. Sensing the movement of terrorists by the Police Party, they were asked to surrender, who instead fired indiscriminately upon the searching party. However, the Police party under the command of SP (West) showed utmost determination & courage and retaliated the fire without caring for their lives and advanced towards the target house.

As soon as, the operational party reached in close proximity of the target house, the terrorists opened heavy volume of fire on them and policemen had a narrow escape. In the meanwhile, it came to know that some civilians had got trapped in the adjacent house of the target house. Shri Amit Kumar, SP with the help of a small contingent of Police, evacuated the civilians safely. One of the terrorists namely Assadullah @ Shoaib R/O Pak tried to escape from the cordon. However, the Police party under the command of SP, thwart his attempt and killed him on spot. Later on, the other two terrorists were also got killed who were identified as Yasir Bhai @ Yousuf Bhai R/O Pakistan and Mubashir Bhat @ Mumtaz R/O Pakistan. All the three killed terrorists were of "A" category. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -Rifles	:	03
2.	AK –Mgs	:	15
3.	AK-Ammn	:	265 Rds
4.	Hand Grenades	:	02
5.	UBGL Grenades	:	06
6.	Pouches	:	02
7.	Radio Antenna	:	02

In this encounter Shri Amit Kumar, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/10/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 136–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gulab Singh, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19.03.2011, during conduct of patrolling in village Donadoo, shopian, SI Gulzar Ahmad (IC Police Camp Keller) alongwith Police party and 44 RR received a specific information about presence of terrorists in Shah Mohalla of the said village. Acting on information, SI Gulzar Ahmad alongwith HC Gulab Singh, HC Mahesh Kumar and Sgct Swaran Singh without caring for their precious lives entered into the suspected house belonging to one Shahnawz Hussain Shah S/O Khadam Shah for searches. As soon as, they entered in the said house, the terrorists hiding under the roof opened heavy volume of fire upon the Police party. The Police party immediately took cover and retaliated the fire bravely and in the ensuing encounter one hardcore terrorist Ab Rashid Awan S/O Mohd Hussain R/O Rakh Pahlipora Donadoo Keller was killed during the encounter HC Gulab Singh also laid down his life for the Nation. HC Gulab Singh, who without caring for his precious life voluntarily entered into the target house, had played a vital role in the said operation and laid down his life for the cause of Nation while fighting with the terrorists. The following arms and ammunition were recovered from the site of encounter:

1.	AK -56 Rifles	:	01
2.	AK –Mgs	:	02
3.	AK-Ammn	:	07 Rds
4.	Chinese H/Grenades	:	01
5.	Pouch	:	01
6.	Solar Plate	:	01
7.	Knife	:	01
8.	Nokia Mobile set (without SIM)	:	01
9.	Nokia Battery	:	01

In this encounter late Shri Gulab Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19/03/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 137–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Sanjeet Singh**
   Head Constable

2. **Mohammad Rafi**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 28.11.2010, acting over a specific information about presence of terrorists in Kalamal area of Police Station Gandoh, a joint search operation by the contingents of Police, 26 RR and CRPF 151 Bn Gandoh was launched in Kalamal area. The area was cordoned off and on noticing it, the terrorists hiding in that area opened indiscriminate firing on operation party with the intention to kill them. The operation party effectively retaliated the fire in self-defense and an encounter took place between terrorists and operation party. HC Sanjeet Singh and Constable Mohd Rafi were leading the troops, took the terrorists from the front and retaliated the fire effectively and bravely without caring for their lives.

In the ensuing encounter two terrorists were got killed who were later identified as (1) Tousif Ahmed S/O Mohd Rafiq R/O Mukhyas, Tehsil –Gandoh "A" Category HM Terrorist and (2) Imtyaz Ahmed S/O Noor Mohammad R/O Tandla Tehsil Gandoh "B" Category HM terrorist. Both hardcore HM terrorists were involved in numbers of militancy related /subversive activities in the jurisdiction of PS Gandoh. The following Arms/ammunition were also recovered from the slain terrorists.

1.	LMG	:	01 No.
2.	Magazine SLR	:	01 No.
3.	Pistol (Chinese) without magazine	:	01 No.

In this encounter S/Shri Sanjeet Singh, Head Constable and Mohammad Rafi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/11/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 138–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Qasim Din,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21.04.2011, acting over an information regarding the movement of terrorists of LeT outfit in Sranwan Keshwan area of District Kishtwar, a joint operation party consisting of Police/Army & CRPF launched a search operation in the said area. On seeing the search party closing on terrorists tried to break the cordon by opening fire. On this, the search party retaliated in self defence. In the ensuing gun battle two terrorists namely (i) Mohd Sultan Bhat S/O Abdul Gani Bhat R/O Naik Mohalla Sranwan code Abu Numan and (ii) Jan Mohd S/O Mohd Khalil R/O Hirkani Drubeel were killed whereas the other terrorists were managed to escape. One of the slain terrorists was a Category "C" terrorist.

HC Qasim Din, who was the part of main striking Party, personally generated such specific information and also led the Ops party from front showing exemplary courage, dedication and devotion to the duties and bravery of the highest order during encounter by commanding Ops and retaliating the attack without caring for his personal safety as a result of which the above named terrorists were killed. The role of HC Qasim Din in the instant operation was highly commendable. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -56 Rifle	:	01 No.
2.	AK-56 Magazines	:	02 Nos.
3.	AK-56 Amn	:	12 Rds.

In this encounter Shri Qasim Din, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/04/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 139–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Altaf Ahmad Khan,**
   Superintendent of Police

2. **Mohammad Shafi,**
   Head Constable

3. **Ather Parvaiz,**
   SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 06-07/05/2010, acting on a specific information regarding movement/ presence of a group of LeT terrorists, an operation was carried out by Police Sopore with the assistance of 30 RR under the supervision of Shri Altaf Ahmad SP Sopore in village Dogripora. Shri Altaf Ahmad who was commanding his Police component remained on forefront alongwith HC Mohd Shafi 1st Bn and Sg.Ct Athar Parvaiz. The team after evacuating the civilians from the house, started search of the house and during the course of which, terrorists fired volley of bullets on the operational party causing severe injuries to Lnk. Anoop Kumar who later on succumbed to his injuries. Shri Altaf Ahmad, however, kept his nerves and inspired his men especially HC Mohd Shafi and Sgct Ather Parvaiz to proceed ahead. In retaliatory fire, six terrorists among which three were identified as @ Farhat Alam @ Abu Saad R/O Pakistan, @ Qasim @ Sayeed Bhai R/O Pakistan and Gh. Mohammad Kumar S/O Subhan Kumar R/O Takiya Panzla were eliminated. The officer and his men exhibited great alacrity/professionalism which proved instrumental in the neutralization of six hard core terrorists of LeT outfit including two top commanders. In the entire operation, SP Altaf Ahmad, HC Mohd Shafi and Sgct Ather Parvaiz played a conspicuous role of bravery which not only resulted in the elimination of six hard core terrorists but safe evacuation of innocent civilians. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -47 Rifles	:	06 Nos.
2.	AK –Mgs	:	20 Nos.

3.	AK-Ammn	:	470 Rds
4.	Pistol	:	04 Nos.
5.	Pistol Mag	:	05 Nos.
6.	Pistol Ammun	:	67 Nos.
7.	UBGL	:	14 Nos.
8.	H/Grenades/Chinese	:	09 Nos.
9.	Grenade thrower	:	01 No.
10.	Pocket Diary	:	01 No.

In this encounter S/Shri Altaf Ahmad Khan, Superintendent of Police, Mohammad Shafi, Head Constable and Ather Parvaiz, Sg. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/05/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 140–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri P.N. Tikoo,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21.05.2009, over a specific information about presence of terrorist in the forests of village Gudder Kulgam, a joint operation was carried out by Police Kulgam with the assistance of troops of 09 RR, 18 Bn and 3rd Bn CRPF to arrest/eliminate the hiding terrorists. The operation party was divided in four groups to corner the target area. The SOG parties under the overall supervision and leadership of Shri P N Tickoo, Dy SP Ops Kulgam started to conduct the search in thick bushy jungle so as to flush out the terrorists. At about 0810 AM, when the search of the target area was going on, the operation party came under heavy volume of fire of the terrorists from different directions. However, the Dy. SP Ops Kulgam kept his nerves and retaliated the fire with full force thereby engaged the terrorists in fierce gun battle for about 1 & ½ hours. Despite poor visibility and lack of natural advantage, Shri P N Tickoo, Dy SP succeeded in elimination of one of the terrorists, who was later on identified as Ahmed Din S/O Mamdoo @ Wasim R/O Shabrash Mahoor. He was a dreaded terrorist of HM outfit of PPR.

Shri P N Tikoo, Dy SP (Ops) Kulgam meticulously planned the operation and volunteered to execute the operation by leading from the front without caring for his personal safety and exhibited raw and rare courage through a dare devil action with highest dedication and devotion towards the duty. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK Rifle	:	01
2.	Pistol (Chinese)	:	01
3.	AK Magazine	:	04
4.	Pistol Mag	:	02
5.	AK Amn	:	98 Rds.
6.	Pistol Amn	:	08 Rds.
7.	Satellite Phone	:	01
8.	Wireless set	:	01

In this encounter Shri P N Tikoo, Dy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/05/2009.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 141–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mumtaz Ahmed,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26.05.2011 at about 1225 hours, SI Gulzar Ahmad I/C Police Camp Keller generated specific information through reliable source regarding presence of some terrorists in Bongagam Keller. Acting upon this information, SI Gulzar Ahmad alongwith contingent of Police Camp Keller and troops of 14th Bn CRPF rushed towards said village and cordoned off the area. In the meantime SP Shopian alongwith Dy SP (Ops) Imam Sahib reached the spot and after analyzing the situation, asked the Police/CRPF parties to start search. During the search operation, SP Shopian Shri Mumtaz Ahmed and his PSO Const. Fazal Rehman came under

heavy volume of fire by the terrorists hiding inside the residential house belonging to one Bilal Ahmad Khanday S/O Qadir Khanday R/O Bonagam Keller in which Police party had a narrow escape. Before planning the next move, the civilians trapped in and around the target houses were evacuated to safer places in order to avoid any human loss. To make operation successful, two assault groups were formed under the Command of SP Shopian and Dy SP (Ops) Imam Sahib. The 1st group led by Shri Mumtaz Ahmed, SP Shopian tried to enter the target house from the front with covering fire by the 2nd group under the Command of Dy SP (Ops) Imam Sahib.

As soon as the assault group reached near the main entrance of the suspected house, the besieged terrorists lobbed grenades followed by heavy volume of indiscriminate fire on the operational groups with their automatic/sophisticated weapons. The operational parties led by SP acted swiftly and did not provide any opportunity to the terrorists to flee from the spot. Displaying extra ordinary presence of mind and courage, the Police party under the command of SP without caring for their precious lives took cover at a very close proximity of the target house and fought bravely from the front. During the heavy gun battle which lasted for the day, two terrorists of JeM outfit identified as Qari Zubair R/O Pakistan (Central Commander) and Imran Khan S/O Mohammad Maqbool R/O Keller were killed. Both the terrorists had spread a reign of terror among the general masses and were also involved in brutal killing of 06 members of Gujjar Community including 03 women and a child in Keller area during the year 2009. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -56	:	01 No.
2.	AK –47	:	01No.
3.	AK-Ammn	:	65 Rds.
4.	AK-Magazine	:	05 Nos.
5.	.99 ammunition	:	08 Nos.
6.	Diary	:	01 No.
7.	Pouch	:	02 Nos.
8.	I/Card	:	02 Nos.

In this encounter Shri Mumtaz Ahmed, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/05/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 142–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Abdul Jabbar Bhat** **(1st Bar to PMG)**
   SG. Constable

2. **Nissar Ahmed** **(PMG)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17.06.2010, an information was received regarding the presence of terrorists in the house of Mohd Ramzan Ganie & Maqbool Ganie S/O Aziz Ganie R/O Pushnag, Kreeri. The input was shared with Army 29 RR, CRPF 53 Bn & 129 Bn and accordingly the operation was meticulously planned/launched by Sh Mohd Yousif –KPS (Dy SP-Ops) Baramulla. The initial cordon of the target house was laid swiftly by the SOG personnel under the command of Dy SP Yousif and Army 29 RR. The terrorists opened fire on the operational party, however, police party did not retaliate the fire, as the civilians were trapped inside the target/nearby houses and therefore a joint team of Police/CRPF became volunteered for the rescue operation under the command of Dy SP (Ops) Mohd Yousif, while the army party headed by Maj Anil Sharma gave the covering fire to the rescue party and engaged the terrorists in gun battle. During the entire rescue operation the dreaded terrorists kept on firing indiscriminately upon the operation party, however with great caution and care all the civilians were successfully evacuated. Due to darkness the operation was suspended during the night hours of 17/18.06.2010 keeping the cordon intact and during the wee hours of 18.06.2010, the hiding terrorists fired indiscriminately upon the cordon party laid on the rear side of the target house with the intention to breach the cordon and escape, but the cordon party of police led by Dy SP Mohd Yousif and CRPF party have retaliated fire in an effective manner and constrained the terrorists in the target house.

During the morning hours of 18.06.2010, as both the terrorists were still fighting with the operational party and had occupied a safe position in the target house and it was a challenging task for the security force to eliminate the dreaded terrorists. Therefore, a small police party comprising of Dy SP Mohd Yousif, HC Mohd Amin, Abdul Jabbar Bhat and Const Nissar Ahmed opted voluntarily to enter in the target house for neutralizing the terrorists. The team of army/CRPF have kept the cordon tight and while maintaining a great co-ordination with the cordon party, the assault party without caring for their personal safety and showing high level of

professionalism entered in the target house. The assault party after occupying the vantage points lobbed grenades/fired in the rooms where the terrorists were holed up and in ensuing gun battle both the terrorists belonging to HuM outfit got killed, who were later on identified as @ Umar R/O Pakistan and @ Sajad R/O Pakistan. The killed terrorists were dreaded, battle hardened and active in the area for a long time.

The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -47 Rifles	:	02 Nos.
2.	AK Magazines	:	04 Nos
4.	AK-Ammn	:	38 Rds
5.	Wireless set	:	01 No.
6.	UBGL Grenades	:	02 Nos.

In this encounter S/Shri Abdul Jabbar Bhat, Sg. Constable and Nissar Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18/06/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 143–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Amarjit Singh,**
   Dy. Superintendent of Police

2. **Rashid Akber,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 28.09.2009, acting on a specific information regarding presence of terrorists in Village: Almar, Police personnel of P.S. Awantipora and troops of CRPF 180 Bn, cordoned off the said village and conducted search under the command of Inspector Rashid Akber, SHO P.S. Awantipora. The terrorists present in the village fired upon them resulting in injuries to two CRPF personnel and a civilian. The

search party retaliated the fire. In the meantime SP Awantipora alongwith QRT, reinforcement from the 42 RR, 185 Bn CRPF and SOG Tral under the command of Dy.SP (Ops) Tral reached on the spot. The operation team evacuated the civilians to safer places and the operation was re-launched for which a small team of Police officials was organized to neutralize the terrorists.

In the meanwhile, terrorists entered into the house of Gh.Mohi-u-din Sheikh S/O Ama Sheikh, where a bed ridden person namely Mum Sheikh, uncle of the house owner aged about 72 years was lying in one of the rooms in the ground floor. The terrorists who were in the first floor kept on firing on the advancing party. In order to rescue the old man, the operation party entered the house from the front despite heavy volume of fire of terrorists from two different directions from the first floor. Exhibiting extraordinary bravery and presence of mind, the party entered the ground floor. While 04 police personnel kept the terrorists engaged, Shri Amarjeet Singh, Dy. SP (Ops) Tral and Inspr. Rashid Akber, SHO P.S. Awantipora entered into the room and took ailing old man on their back and moved him out of the house to safer place. After rescuing the old man, the entire team charged the house with high volume of fire mounting pressure on the terrorists who were forced to jump out from the windows and tried to flee but the party chased them and neutralized all the three terrorists in a close combat. The killed terrorists were later on identified as (1) Mehraj-u-din (Pak trained re-cycled militant of B category) @ Jaffer Sadique (HM) @ Abgu Salman Sajad (LeT) R/O Pastoona, Tral, involved in the killing of Abdul Satar aged 60 years of Monghama Tral (2) Abu Dujana R/O Multan, Pakistan (LeT) (3) Abu Khalid @ Abu Zahid R/O Pakistan and following arms/ammn and other articles were seized:-

i)	AK-47 Rifle	:	01 No.
ii)	AK-56 Rifle	:	02 Nos.
iii)	Magazine AK	:	10 Nos (01 damaged)
iv)	AK ammunition	:	180 Rds.
v)	Wireless Set	:	01 No.
vi)	Mobile Set Chinese	:	01 No. (Damaged)
vii)	pouches	:	03 Nos.

In this encounter S/Shri Amarjit Singh, Dy. Superintendent of Police and Rashid Akber, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/09/2009.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 144–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Hemant Toppo,**
   Dy. Superintendent of Police

2. **Naresh Prasad Sharma,**
   Sub Inspector

3. **Lutu Banara,** **(Posthumously)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

This recommendation emanates from a bold encounter which took place on 5.12.2003 at Village Narkandi, PS Gomia Disrict Bokaro. In this encounter a small police team of about 50 officers and men took a huge contingent of 150-200 heavily armed and well-fortified left wing extremists belonging to the banned left wing extremist organization viz the Maoist Communist Center of India (MCCI).

The Superintendent of Police Hazaribagh received secret information that the officials of a construction company(Hindustan Construction Company) intended to pay a huge amount of money to the banned outfit MCC. Accordingly a trap was laid to catch their officials with the money. The plan did not succeed because of the thickly forested area of operation. The company officials were however caught while they were returning after paying the extortion money. During interrogation they confessed to having paid Rs. 20 Lakhs to Nipender Ganjhu at Tutki forest in Churchu PS. A raiding party comprising of SP Hazaribagh, Dy. SP Shri Hemant Toppo and officers and men of District Police force and the 22nd Bn. of CRPF stationed at Hazaribagh was organized. As soon as the police party approached the dense Tutki Jungle, they were ambushed by the MCC extremists who let loose a heavy volley of fire on the police party. The police party under the able command of the SP and Dy. SP, however successfully repulsed the attack by firing back and forced the extremists to retreat. In spite of the great danger, the police party decided to follow the extremists towards village Narkandi where the extremists were likely to be hiding. On reaching the outskirts of the village, the police split into two parties, one lead by the Dy. SP Shri Hemant Toppo and other by the SP himself. As the first police party led by Dy. SP Shri Hemant Toppo was advancing towards a hillock, the extremists who had taken cover on the top of the hillock suddenly fired upon them. This police party found itself in a totally adverse situation because the extremists had the

advantage of height and good forest cover where as the police party was in an open field. However, Dy. SP Shri Toppo personally led the charge on the hill and exhorted other officers and men to do the same. As a result the police party started to fire on the extremists on the hill top and also to climb simultaneously. During this exchange, a bullet hit Constable Lutu Banra, who died on the spot. The police party was totally shaken by this loss, but Dy. SP Shri Toppo immediately snatched the Rifle of the fallen policeman and started firing with it and running towards the hilltop. The officers and men followed the example of their brave leader and started climbing the hilltop in an extended line and also kept on firing at the extremists. In this exchange, two of the extremists (one of them later identified as Nripender Ganhju), were killed and many of them were injured. During this dangerous climb on the exposed incline of the hillock, SI Naresh Prasad Sharma was seriously hit on the right shoulder by a bullet, but without caring for his life, he continued to climb and attack the extremists till the end. This courageous act of the police party broke the moral of the extremists and they started to run towards the other side of the hillock and left behind the bodies of their dead comrades alongwith some weapons, cash etc. Dy. SP Toppo immediately informed the other parties about the encounter on the RT set and kept on chasing the terrorists who had now taken shelter in a forest trench. Without caring for his life, he directed a CRPF constable to lob grenades in the trench and this resulted in further injuries to the extremists. While the team of Dy. SP Shri Hemant Toppo was encountering the Naxalites, the other team led by the SP had surrounded the extremists from the Southern side. This team had further split into groups. The group of Naxalites who were running away from the team of Dy. SP, had an encounter with the police team led by the SP.

After the extremists had finally retreated, the police parties reassembled and come back to Churchu PS alongwith dead and injured. Subsequent intelligence inputs as well as information from various sources indicated that at least 10 other Naxalites were also killed in the encounter, but their dead bodies were carried away by their comrades.

The following recoveries were made at the site of gallant action:-

(1) Regular DBBL Gun.
(2) Rs. 20,000,00/- (Rupees twenty lakhs).
(3) Country made Rifle.
(4) 252 Empty Cartridges of LMG.
(5) 327 Empty Cartridges of SLR.
(6) Charger of .303 Rifle.
(7) 20 pieces of Electric Detonator & a bundle of Electric wire.
(8) High Explosive – Gelatin Cartridges 4 piece.

In this encounter S/Shri Hemant Toppo, Dy. Superintendent of Police, Naresh Prasad Sharma, Sub Inspector and Late Lutu Banara, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05/12/2003.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 145–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Karnataka Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri T. Rangappa,
Police Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29-03-2011 the Police Inspector, T.Rangappa received credible information that a container lorry loaded with tobacco proceeding from ITC godown to Hyderabad was way laid on the ring road near Nagawara by a gang of 6-7 dacoits. As per the information the gang had assaulted and dragged the driver and hijacked the container.

Sri.T.Rangappa immediately proceeded in uniform to Veerannapalya Ring Road junction Bangalore along with his staff and waited for dacoits. At around 04-30 A.M. he noticed that the said lorry bearing No.KA-53-4805 followed by a TATA Sumo No KA-53-3375 approaching towards them. He immediately signaled to stop the said lorry but they proceeded further. Sri.T.Rangappa, PI and his staff immediately followed the said vehicle alongwith his staff rushed to apprehend the dacoits, over took them and stopped at Govindapura main road.

Immediately 6-7 dacoits got down from the container and Tata Sumo armed with deadly weapons like knife, swords, iron rods etc, and attacked the police party. One of the dacoits assaulted PC, Siraj Ahmed with a sword and injured him on his head. PI, T.Rangappa risking his life attempted to apprehend them. At the same time one of the dacoits assaulted PI Sri.T.Rangappa with Iron Rod on his head. Sri.T.Rangappa, PI lifted his right hand to prevent the attack on his head as a result he sustained fracture on his right hand. In the mean time another dacoit tries to stab PC Sri. Rangadamaiah. The dacoits further attacked and tried to kill PI Sri.T.Rangappa and his staff with deadly weapons. P.I. Sri.T.Rangappa. H.C Bhemanna, PC Siraj Ahmed, P.C Rangadhamaiah sustained injuries during the assault by the dacoits. Inspite of the severe injury to the right hand, P.I.T.Rangappa, drew his service pistol and fired with his left hand and injured one of the Dacoits and he also succeeded in overpowering him.

The PI not only saved himself but also saved the lives of his staff and the lorry driver bravely and successfully arrested a gang of 5 dacoits. He also recovered the container along with tobacco worth about Rs.35.00 lakhs.

In this regard a case in Kadugondanahalli PS crime No. 86/2011 u/s 143, 147, 148, 332, 333, 307 r/w 149 IPC has been registered. A case has also been registered at Devanahalli P.S Crime No. 26/11 U/s 395 IPC, regarding the dacoity of Tobacco container.

Sri.T.Rangappa, PI, Kadugondanahalli PS in spite of sustaining grievous injuries remained steadfast in this dangerous situation showing great courage and devotion to duty. He not only fought with the armed dacoits but also succeeded in nabbing them. P.I.T.Rangappa had exhibited conspicuous courage in arresting the dacoits at a grave personal risk to his life.

In this encounter Shri T. Rangappa, Police Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/03/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 146–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Karnataka Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gopal B. Hosur,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24-5-1993 at 0730 Hours, Shri Gopal Hosur left Male Mahadeshwara Hills for Kollegal for organizing mass contact meetings. Since he was already in the hit list of the forest brigand, he was provided with a section of commandos consisting of 1 RSI, 2 AHCs and 7 APCs in two jeeps. All the members of the team were provided with SLRs and 50 rounds of ammunition in pilot and escort jeeps. The convoy left MM Hills at 0730 Hours and was moving towards Talabetta (foot of the Hill) full of horse-shoe curves. The forest brigand Veerappan who got scent of the movement of Shri Gopal Hosur, immediately moved with 60 to 70 of his gang

members, took position behind big boulders and bushes on the hillock on the left hand side of the road with crude bombs, .303 rifles, Magnum Rifles, SBBL, DBBL Guns and Muzzle loaders and waited for Shri Gopal Hosur to come that way. The convoy of Shri Hosur moved about 10 KMs from MM Hills and slowed down to negotiate an up-gradient horse-shoe 18th curve after Shaneshwara Temple. The moment the convoy which was slowly negotiating the curve was sighted and was within its range, Veerappan and his gang ambushed the Police party and opened a volley of bullets and hurled crude bombs at the Police Party from a height. The Pilot jeep was the first target and all the 6 commandos in the jeep including the driver succumbed to the explosions of the crude bombs. Shri Gopal Hosur's Jeep was subjected to a continuous and relentless firing from the brigand and his gang members. Even though the gang had killed 6 commandos and were at an advantageous position of firing from a higher altitude, Shri Gopal Hosur did not loose cool, but jumped out of the jeep and taking cover, started firing at the gang members ignoring the risk to his own life, with a firm determination to eliminate as many members of the gang as possible. He also ordered his escort party to get down and open fire at the gang members. When Shri Gopal Hosur was engaged in the operation, Veerappan and his gang members took advantage of the situation fired at Shri Gopal Hosur and his driver. As a result, Shri Hosur was hit by a bullet in the neck and another narrowly missed his head. The driver of the jeep Ravi sustained bullet injury to neck and was profusely bleeding and even a small delay in medical treatment would result in his death, Shri Gopal Hosur did not panic but mustered enough strength to fire at the gang members. He also alerted the Control Room about the size and location of the gang asking for reinforcement. Though Shri Gopal Hosur and his team was greatly outnumbered by the brigand and his gang, he was seriously injured in a critical part of his body, and that the firing from the gang continued unabated, Shri Gopal Hosur did not step back, but exhibiting the highest order of courage in the face of adversity put up a great resistance. He did not allow Veerappan and his gang members to run away till the reinforcements arrived. The reinforcement party took positions and returned fire. 8 members of the gang were killed on the spot while others ran away into the forests.

Shri Gopal Hosur who fell unconscious was rushed to Gokulam Hospital, Salem and thereafter to St.John's Medical College Hospital, Bangalore. The bullet that hit Shri Gopal Hosur on his neck had pierced through his food and wind pipes and reached the lungs causing severe damage. He was operated upon four times and his recovery is considered to be a medical miracle. He was hospitalized for five months.

In this encounter Shri Gopal B.Hosur, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/05/1993.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 147–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gyanendra Sharma (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

There are very few Police personnel who count their duty before their life, Constable late Shri Gyanendra Sharma of P.S. Kotwali Morena was one of them.

On dated 15/10/2010 CT Gyanendra Sharma was on duty at Mahadevnaka railway crossing at Morena City. At the time Railway Engine was crossing, a minor girl suddenly came on the railway track. This was the time of examination of devotion and duty of Shri Gyanendra Sharma. Shri Sharma rushed towards the girl and pushed her away from the railway track but Shri Gyanendra Sharma was dashed by the railway Engine.

Thus, Late Shri Gyandendra Sharma, CT displayed an example of extra ordinary courage and devotion to his duty putting his life into a grave danger. He performed the duty beyond the call of nature.

Late Shri Gyanendra Sharma, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15/10/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 148–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sarangthem Ibomcha Singh,**
   Deputy Superintendent of Police

2. **Kh. Basanta Kumar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

The Imphal police were fully alerted after the kidnapping and demand for ransom of Shri Tej Narayan Yadav (35) s/o O Ram Dayal Yadav of Dumra village, district Madhubani, Bihar, a/p Nagamapal Singjubung Leirak on 18.02.2012. It referred to Imphal Police station under FIR 113(2)2012 Imphal PS u/s 365/34 IPC. Intelligence was collected and CDO of the twin districts were conducting operations in different suspected places.

During the course of investigation and operations, Shri S Ibomcha Singh, Dy. SP(CDO), Imphal west came to know that the victim was taken on the pretext of hiring him for construction of a house, and kept hidden somewhere in Keibi area under Lamlai PS, Imphal East District. On 19.02.2012, the kidnappers called up the family members and demanded a ransom amount of Rs. five lacs with dire consequences if the police are informed.

On the basis of the information, the combined team of Commando Imphal West and East districts led by Shri S Ibomcha Singh, Dy SP (CDO) I/W were conducting operation at Keibi area on 21.02.2012 since early morning. At around 1300 hrs, Shri S Ibomcha got an information that the kidnapped victim was taken towards the hill behind Chanung village. On receipt of the information, the combined team rushed to the said area, cordoned off the hillock and search operation was conducted.

The teams were divided into two groups led by Shri S Ibomcha Singh and SI Kh Basantaa Kumar, entering from Chanung village and conducted search operation from the western towards the eastern portion of the Chanung Hillock, covering the northern and southern portions of the hillock. While the groups were moving in from different directions, suddenly, the police team was fired upon with automatic and semi-automatic weapons from a higher up location. Immediately, they took positions strategically and observed to locate the exact position from where the firing came.

After some time, the source of the firing was ascertained but considering the possible presence of the kidnapped victim no immediate retaliation was resorted. Shri S Ibomcha Singh informed SI Kh Basanta Kumar to move in towards the direction of firing sound on the wireless set. Without any further delay Shri S Ibomcha Singh and SI Kh Basantaa Kumar followed by their team closed in towards the source of firing to ascertain the exact location. After moving up a little higher, ¾ persons were seen taking position behind a higher mound at the upper ridge. Shri S Ibomcha Singh and SI Kh Basanta Kumar shouted and asked them to identify themselves, while the rest of the team crawled and cordoned off the area tactically. The unknown armed persons fired at the two officers again as they were in the forefront. Shri S Ibomcha Singh and SI Kh Basanta Kumar without caring for their lives, swiftly and courageously moved forward against the firing, took positions and returned the fire using AK rifles. It was a very difficult task for them for any direct retaliation with the possible presence of the kidnapped victim. So, a very close and extremely quick examination was minutely observed while taking care of their own positions tactically, then at a distance of about 20-25 meters, one armed person with a pistol in his hand was seen pointing towards them and about to fire. Having no alternative, Shri S Ibomcha Singh and SI Kh Basanta Kumar immediately force to the armed person and shot him dead at the spot. After that there was 2-3 firing sound came but disappeared in the distance. Sensing some of them, trying to escape, the team immediately chased them without caring for their safety. After some distance, the kidnapped victim was rescued and overpowered one kidnapper. The others escaped.

Shri Moirangthem Ranajit @ Abungcha Singh (26) s/o Tombi Singh of Wakhong Makha Leikai, who escaped from the Chanung hillock during the rescue operation of Shri Tej Narayan was also arrested after three days by Imphal East District Police on 25.02.2012.

After the operation, a thorough search was conducted. During the search one dead body, one .32 pistol loaded with one round, one Chinese made hand Grenade and three empty cases of .32 calibers ammunition were found from the site.

The apprehended person was thoroughly frisked and found one mobile phone handset on his right side pocket of his trouser and was identified as Sangolsem Romen Singh (30) s/o S Ibohanbi Singh of Loushangkhong Makha Leikai and he identified the deceased as one Longjam Dhamen Meitei (32), s/o L Naba Meitei of Keibi Shallam. On the spot verification, he disclosed that he along with shri Moirangthem Ranajit @ Abungcha Singh (26) s/o Tombi Singh of Wakhong Makha Leikai and the deceased namely, Dhamen Kidnapped Shri Tej Narayan (35) for ransom from Nagamapal Singjubung Leirak on 18.02.2012 and brought him at Chanung hill on the same day. Since the day they were still in that hill, further he disclosed that they do not belong to any UG group but an armed gang group formed to target innocent people and earn quick money. So, he was apprehended at the spot at 1540 hrs.

In this crucial rescue operation, the Commando, Imphal West District namely Shri S. Ibomcha Singh, Dy.SP (CDO) and SI Kh, Basantaa Kumar displayed undaunted valour and raw courage. The two officers aptly assisted by their police personnel rescued the victim, killed the kidnapper and arrested his associate due to their selfless devotion to duty and discipline of the highest order. Had the two police officers not reached swiftly professionally and tactically, the life of the victim might have lost.

In this encounter S/Shri Sarangthem Ibomcha Singh, Dy. Superintendent of Police and Kh. Basanta Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/02/2012

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 149–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Potsangbam Tarunkumar Singh
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 20.01.2012 at about 9.15 pm received a reliable information regarding movement of some armed UG cadres in and around the inter village road of Kiyamgei areas with intention of kidnapping and bomb attack on the active workers of Congress in c/w with 10th General Assembly Election, 2012. Based on this input, SI P Tarunkumar Singh with his team proceeded towards the said area and started frisking and checking at Kiyamgei Santipur. While frisking on the said area at about 9.35 pm, 3-4 unknown youth were coming towards the frisking zone on foot in a suspicious manner. On seeing their suspicious nature, SI P Tarunkumar Singh shouted them to stop for verification. Instead of stopping they ran away to paddy field and started firing towards the Commando party. The unknown youth also threw a hand grenade towards the Commando party. Luckily, the grenade was blasted near the road and Commando vehicle Rakshak. On seeing their activates, the Commando party informed the CDO Control Room through wireless set for immediate reinforcement. While requisitioning reinforcement, SI P Tarunkumar Singh with two constables namely, Joseph Maring and E. Abung Singh chased and crawling on

factional position and retaliated the fire after taking strategic positions. SI P Tarunkumar Singh with a sharp presence of mind and unmindful of bullets kept whizlling passed them, crawled inch by inch towards the armed militants and when the militant got up and tried to shoot at them, Shri P Tarunkumar Singh shot down one of the armed militants who was taking position at the paddy field and the others escaped taking advantage of darkness. In the retaliating fire, SI P Tarunkumar Singh displayed exemplary courage in complete disregard to his personal safety under hostile and adverse situation.

After reaching the reinforcement team led by Addl SP(Ops), Imphal West, Dy.SP (CDO), Imphal West and OC(CDO) Imphal West with two teams of CDO Imphal West, a thorough search was carried out after the encounter. On search of the encounter site, one bullet riddle dead body alongwith 1 (one) 9 mm pistol with magazine and some explosive material in a red polythene bag were found nearby the dead body. On further search of the area, one hand grenade pin was also found from road side. The slain militant was later on identified as Md Zamir Khan (30) of Keirao Menjor Ingkhol Awang Leikai, a hard core member of Peoples United Liberation Front (PULF).

In this encounter Shri Potsangbam Tarunkumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20/01/2012

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 150–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Toijam Khogen Singh,**
   Sub Inspector

2. **Khangembam Sunilkumar Singh,**
   Sub Inspector

3. **Binoy Irom,**
   Jemadar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 3/2/2011 at around 10 am, on receipt of a specific information regarding presence of some armed cadres of Kangleipak Communist Party of Kangleipak Military Council (KCPMC for short) at adjoining place of Motbung village and Kholuimol Hill range who were involved in kidnapping for ransom, a selected team of CDO unit Imphal West and a column of 43 AR organized a cordon and search operation in the said area to nab the said cadres.

At around 12 pm., while the combined team was cordoning the said place, 3-4 youths holding sophisticated weapons were observed sneaking out stealthily from Motbung village towards Kholuimol hill range crossing one stream. Immediately the CDO's challenged them for their identities. Instead of disclosing their identities they opened fire to the Police party. They climbed up the said hill and took position behind the trees standing on the hill slope. Though the combined team was in the unsecured position, retaliated the fire after somehow managing their positions in strategically. The hilly terrain and crossing the stream caused extreme difficulty for the combined force to close in the place after where the militants were firing. In the course of firing, SI T. Khogen Singh alongwith SI Kh. Sunilkumar Singh and JC Jamadar Binoy Irom of CDO unit Imphal West were focusing the place where the militants were taking position and incessant firing was coming while the remaining commando personnel in the rear as well as the 43 AR personnel were exchanging the fire. Despite the adverse situation, while the commando personnel in the rear as well as the remaining personnel in the rear were providing the support fire, the said three officers of CDO unit Imphal West managed to advance forward by crawling amidst the exchange of firing and could close nearer to the militants and tactically charged towards the militant at one of the locations on a hill slope where incessant firing was coming. Thus, one armed underground cadre was eliminated at the foothill of Motabung Kholuimol hill range leading to Thingashat village and the other militants, unable to withstand the aggressive drive of the combined force, started retreating firing indiscriminately with sophisticated weapons as well as lathod bombs and fled towards the higher ridge of the eastern hill side. However, the combined force continued to advance forward and fired towards the fleeing militants, the militants managed to escape taking cover of hilly terrain and thick undergrowth.

After the encounter which lasted for about 30 minutes, a thorough search was carried out and the following items were found at the spot.

(1) One bullet riddled dead body.
(2) One AK-56 rifle along with one magazine.
(3) Two Nos of AK-47 rifles along with two magazines
(4) One lathod gun

(5) One unassembled M-16 rifle along with one magazine.
(6) One Chinese hand grenade with detonator
(7) Thirty seven nos of AK Rifle ammunition
(8) Eleven nos. of empty cases of AK rifle ammunition
(9) One diary.

Later on, the deceased was identified as a self styled Army Chief Lieutenant Naorem Kumar Singh @ Mani @ Sangai Rajen (43) S/O (L) N. Mangi Singh of Nillakuthi Mayai Leikai of Kangleipak Communist Party of Kangleipak Military Council (KCP-MC for short)

He was responsible for the following crimes:-

1. Hurling of two hand grenade inside the complex of the Raj Bhavan in which one was exploded inside southern side of the Raj Bhavan on 21/12/2008.

2. Killing of Shri Nagegbam Kuber Singh (70) S/O (L) Mangi Singh of Chingmeirong karak on 22.11.2009 at Tingri Loukol.

3. Encounter between KCP (MC) and combined team of CDO-IW with AR at Mapao Thangal Village on 28.12.2009 at 9:30 pm.

4. Kidnapping of two Staff of Airtel mobile phone operator on 18.12.2009 at Mapao Thangal village.

5. Abduction and subsequent released of Shri Khawairakpam Ibobi Singh (53) S/O (L) Jugol Singh of Sekmai Bazar.

In this encounter S/Shri Toijam Khogen Singh, Sub Inspector, Khangembam Sunilkumar Singh, Sub Inspector and Binoy Irom, Jemadar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/02/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 151–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Meghalaya Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Huberth S. Marak, AB Constable** — **(PPMG)**
2. **Davis N.R. Marak, Sub Divisional Police Officer** — **(PMG)**
3. **Ringrang T.G. Momin, Dy. Superintendent of Police** — **(PMG)**
4. **Sengsram Ch. Marak, Sub Inspector** — **(PMG)**
5. **Rajendra P. Kahit, Bn Constable** — **(PMG)**
6. **Riewsngewthuh, Bn Constable** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

The Garo National Liberation Army, (GNLA) which is a banned terrorist outfit under the UA(P) Act, is operating in the Garo Hills and West Khasi Hills District in the state of Meghalaya. The heinous criminal and anti-national activities actively indulge in by this outfit are kidnapping and abduction of civilians for ransom, rampant extortion, senseless murder of police personnel and civilians and ambush and attacks on Security Forces.

As part of a well planned strategy, ABC Huberth S. Marak of East Khasi Hills DEF was successfully planted to infiltrate the GNLA outfit and get deep inside the Central Command structure of the outfit. In consultation with Senior Officers of Police Headquarters, ABC Huberth S. Marak was shown a police deserter. He was welcomed by the GNLA leadership and ABC Huberth S. Marak stayed with the Militants for about a month and meticulously relayed critical intelligence inputs to the Police on 8th August, 2011 while he was living in the camp with the militants. The inputs related to pin pointing the exact location of the militant camp. Based on this input, a team of Special Weapons & Armed Tactics (SWAT) under the

leadership of Shri Davis N.R. Marak, IPS, proceeded to the location of the camp at around 1400 hrs. The other members of the team were Shri Ringrang T.G. Momin, MPS, SI Sengsram Ch. Marak, BNC Rajendra P. Kahit and BNC Riewsngewthuh Umlong.

As the team entered the jungle and was approaching the camp of the militants, the GNLA cadres opened indiscriminate fire at the Police Team. In spite of the heavy oncoming gun-fire, the SWAT Team continued unabated to advance under cover-fire provided by the support team members. In advancing thus to the target, the SWAT Team put their lives at great risk and extreme danger. In the exchange of fire with the militants, Sub-Inspector Sengsram Ch. Marak was critically injured when bullets from the militants hit him. The SWAT Team still moved on with great courage and determination. The militants fled away into the dense foliage. In the operations four top cadres of the GNLA were killed. The slain militants were identified as Roster Marak, Dy. Commander-in-Chief and area Commander-Central Command, Henitson (cadre) Bruno (cadre) and Jekyl. The teams also seized two automatic rifles, one Grenade launcher with live explosives, eight Hand Grenades and one Pistol. The operation bravely undertaken by the SWAT Team completely destroyed the central command of the GNLA.

In this encounter, team of officers and men succeeded in killing four hardcore militants and destroyed their camp and recovered a sizeable cache of arms and ammunitions:-

i) One AD- 81 Series Rifle with 4 magazines.
ii) One 5.56 mm rifle with two magazines (indicated in the FIR as MSK rifle)
iii) One grenade launcher with five cells.
iv) One pistol with magazine
v) Two 36 HE grenades.
vi) Six Chinese Grenades.
vii) One Cylindrical grenade
viii) 332 rounds of different caliber ammunition.
ix) One INSAS magazine
x) Two dragunov sniper rifle magazine
xi) Nine AK-47 empty cases
xii) Several incriminating documents.

In this encounter S/Shri Huberth S. Marak, Ab Constable, Davis N.R. Marak, SDPO, Ringrang T.G. Momin, Dy. Superintendent of Police, Sengsram Ch. Marak, Sub Inspector, Rajendra P. Kahit, Bn, Constable and Riewsngewthuh, Bn Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09/08/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 152–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Nagaland Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vepoto Rhakho,
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 2/12/2010 at 2:10 am to 2:15 am C/N Purlemba started firing in the air from his service AK 47 bearing No.NM-44-6986 AR MI 04 from the roof top of Balarampur Community Hall from where the Unit Dept. Headquarter is located. When requested by West Bengal Arm Police sentry on duty Sanjoy Bor not to fire with the weapon, C/N Purlemba got furious and shot Sanjoy Bor causing serious injuries and later succumbed to his injuries even before reaching Purulia Sardar Hospital.

On hearing the shots Late AB SI Kewerieheung Dominique and Havildar V Rhakho rush up to the terrace to find out the reason for the firing. They saw C/N Purlemba with his service AK -47 rifle which was cocked and ready to fire again. ABSI Dominique asked C/N Purlemba what is going on but was shot at and died on the spot. Then Hav. Vepoto Rhakho waited for few minutes to pounce upon the dangerously armed C/N Purlemba on the terrace. Seeing opportunity he pounced upon C/N Purlemba and they struggled against each other for almost 20 minutes. No one else came to his rescue when Hav Vepoto was struggling alone to over power C/N Purlemba. In the process of their struggle C/N Purlemba fired from a fully loaded AK -47 magazines. However, Hav Vepoto got hold of the barrel of the gun thereby deflecting the bullets from hitting anyone. Finally, C/N Purlemba could be overpowered and disarmed him. In the process of their struggle the right hand of Hav Vepoto got severely burnt due to incessant firing of the gun by C/N Purlemba.

Hav Vepoto had therefore displayed his most conspicuous gallantry by disarming single handedly a dangerously armed C/N who could have killed so many officers/NGOs/NCOs and ORs. He had put the security of every one at Balarampur Dett Headquarter and duty above his own and risked his life, he had displayed extreme courage at the face of death upholding Motto of Security, Service and Sacrifice truly signifying a brave and dedicated Naga soldier.

Shri Vepoto Rhakho, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/12/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 153–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Punjab Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Garib Dass, Dy. Superintendent of Police**
2. **Gursharan Singh, Head Constable**
3. **Thaman Singh, Constable**
4. **Satnam Singh, Constable**
5. **Sawinder Singh, (Posthumously) Head Constable**
6. **Narinder Singh, (Posthumously) Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25.04.2010, a police party headed by Shri Garib Dass, Deputy Superintendent of Police, Control Room with his gunmen PHC Gursharan Singh, Constable, Satnam Singh, Constable both armed with SLRs, Constable Narinder Singh armed with AK-47, HC Sawinder Singh, armed with SLR and Constable Thaman Singh, driver of his govt. vehicle were conducting search in the area of village Ratarwan. The jawans of 5th CDO Bn. had cordoned the area on other side of the village from the dera of one Sukhwant Singh of village Ratarwan, the armed terrorists started firing at the police party indiscriminately with the intention to kill them and to make their escape. Shri Garib Dass, Deputy Superintendent of Police, CR, Gurdaspur and his men, immediately took the position and retaliated the fire in self defence. The armed terrorists also threw hand grenades at PHC Sawinder Singh and Constable Narinder Singh who had taken position at one place and were retaliating the fire. Both these police officials were injured due to grenade attack but they kept on firing on the terrorists in a very gallant manner but after some time both

succumbed to serious injuries due to grenade attack and firing from the terrorists side. Shri Garib Dass, Deputy Superintendent of Police, CR informed the DGP on wireless network. The DGP with the other officers and force rushed to the spot, strengthened the cordon and provided the requisite tactical support so that terrorists may not escape. In the cross firing, Constable Thaman Singh and Constable Satnam Singh received serious bullet injuries but they kept on retaliating the fire in gallant manner. The terrorists while firing heavily on the police party, kept in crawling and advancing towards the police vehicle with the intention to kill the police officials & capture the police vehicle. However, after heavy exchange of fire for approx. 1 ½ hours and fierce encounter, both the armed terrorists appearing Pak nationals were killed. On search of the site of encounter from the slain terrorists AK-47 rifles/2, magazines AK-47/16, live cartds AK-47/475, empty cartds AK-47/9, Mouser .30 bore Chinese/2, live cartds of Mouser/78, Magazine Mouser/2, HE 36 hand grenade/1, Chinese Grenade/8, used grenades/4, IED blast/4 which were defused at the spot, compass/1, power Battery/1, Chemical bottle/2, perfume/1, Lighter/1, Indian currency Rs.2390/- were recovered. In this connection, case FIR No.25 dated 25.04.2010 u/s 302/307/IPC, 25/54/59 Arms Act, 3/4/5 Explosive Substance Act, 3 Indian Passport Act, PS Narot Jaimal Singh has been registered. In this fierce encounter, PHC Sawinder Singh and Constable Narinder Singh, though were seriously injured in the grenade attack and heavy firing from the terrorist side, kept on firing at the armed Pak terrorists in a very gallant manner and while firing at the terrorists, succumbed to serious injuries and made the supreme sacrifice of their lives. Constable Thaman Singh and Constable Satnam Singh who also had received bullet injuries, though their condition had become serious kept on firing at the armed Pak terrorists in a very gallant manner. PHC Gursharan Singh without caring for his personal safety, fired heavily at the terrorists and managed to reach upto injured Constable Satnam Singh and Constable Thaman Singh and evacuated them to nearby safer places one by one. Shri Garib Dass, Deputy Superintendent of Police did not loose balance of his mind, provided guidance, able leadership and kept on passing instructions to his subordinates and also fired heavily on the terrorists. Thus, after a fierce encounter of 1 ½ hours both the terrorists were killed and from their possession, arms/ammunitions and explosive material as mentioned above were recovered.

In this encounter S/Shri Garib Dass, Dy. Superintendent of Police, Gursharan Singh, Head Constable, Thaman Singh, Constable, Satnam Singh, Constable, Late Sawinder Singh, Head Constable and Late Narinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/04/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 154–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Khem Singh, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 02/10/2008 S.P. Dholpur telephonically informed Karauli police that police of P.S. Sarmathura is chasing some badmasan and during the course of chasing these badmasan fired upon them. During the hot chasing by police the badmasan were running from village Dompura towards the border of Distt. Karauli. On this information without wasting any time SHO Masalpur along with force started search of the badmasan. Shri Khem Singh HC was accompanied with them. The search was made by Shri Khem Singh HC and during this search the information received that these badmasan with arms are hiding in the jungle of Koripura and likely to reach the Tal of Koripura. On this information police party turned towards the Tal of Koripura. As soon as police of Distt. Karauli and P.S. Sarmathura reached on the Tal of Koripura the badmasan felt surrounded by police from both sides and started fleeing. Despite the firing of dacoit upon Khem Singh HC, he displayed exemplary courage and maintaining coordination with discharge of his duty fired at the dacoit and continued chasing of dacoits. During this chasing, HC reached nearer to the dacoits. One dacoit concealing his presence in the rice field fired at HC and hit him hard and later he succumb to bullet injury. Despite bullet injury Khem Singh was firing at dacoit Lutai Meena and injured him, who later died due to bullet injury during this incident Shri Khem Singh, HC sacrificed his life. In this connection F.I.R. No. 148/2008 U/s 147, 148, 149,307, 384, 336, 353, 333, 120B IPC and IIR.D. Act, 3/25 Arms Act. registered at P.S. Masalpur.

In this encounter Late Shri Khem Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/10/2008.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 155–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anil Kumar Kaparwan**
   Sub Inspector

2. **Aditya Kumar Bhati**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 16/05/2010 Shri Anil Kumar Kaparwan, Sub-Inspector Ghaziabad received an information that the movement of notorious criminal Ajay having a reward of Rs. 50,000/- in Indigo car from Ghaziabad to Hapur to commit some heinous crime. Shri Kaparwan immediately sprung into action, called police reinforcement at police out-post Chijarsi and deliberated the strategy to nab the criminal and started waiting for his arrival.

At about 13.50 hrs. the Indigo car arriving speedily from Ghaziabad and the police party intercepted the Indigo car to stop, but the car took a U-turn. The Police party promptly rolled a drum to stall the speed of car and in turn, suddenly the criminals opened fire on police party and back towards Ghaziabad side. Police party immediately chased said car and when reached near the Bhovapur Mod and tried to overtake the tricky criminals suddenly turned their car and drove it speedily on Reliance project road and as the road ended, the criminals suddenly stopped the car, alighted and abandoned it and ran towards Reliance project hutment, incessantly firing towards the police party. Shri Anil Kumar Kaparwan, seeing the criminals, firing incessantly on the police party and it being a situation of 'do or die', yet he was undeterred and determined to arrest the criminals. Shri Anil Kumar Kaparwan and Shri Aditya Kumar Bhati, Constable, undertaking a great risk to their life, challenged the criminals, in the open and moved ahead in their firing zone with restrained firing causing one of the miscreant to fell down, injured, whereas another had escaped. The injured criminal, who succumbed to injuries was identified to be said notorious criminal Ajay. One pistol factory made, 02 cartridges and 05 empty shells of 9mm bore were recovered.

In this encounter S/Shri Anil Kumar Kaparwan, Sub Inspector and Aditya Kumar Bhati, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/05/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 156–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Deepak Ratan, Senior Superintendent of Police**
2. **Chaman Singh Chawda, Inspector**
3. **Prashant Kapil, Sub Inspector**
4. **Pushpendra Shukla, Constable**
5. **Naresh Kumar, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27.10.2011, Shri Deepak Ratan, S.S.P., Saharanpur received an information that the movement of notorious criminal Mustfa @ Kagga, having a reward of Rs. 50,000/-, to commit some henious crime in Gangoh area. Immediately in the night of 27/28.10.2011 sprung into action and direct to S.I, SOG and Shri Chaman Singh Chawda, Inspector P.S. Gangoh with source, who met him there, reached near village Beenpur and leaving vehicles there and moved towards village forest area. There, the source pointing towards a tube well in the field, informed the presence of criminal Mustafa and his gang.

Shri Deepak Ratan S.S.P. alongwith Shri Chaman Singh Chawda, Inspector, Shri Prashant Kapil, S.I., Shri Pushpendra Shukla, Constable and Shri Naresh Kumar, Constable, headed by S.S.P., after prompt geographical evaluation of the surrounding, promptly, started crawling and strategically through the Chakroad, close to the tube well. Suddenly, one of the miscreants from the roof-top of tube well, spotted them and screamed to warn his companions and abruptly opened indiscriminate firing. S.S.P. and other police personnel quickly took position, behind

a pillar and a heap of field-clay to save them. The miscreants also took position behind the walls of tube well and started firing. Then S.S.P. challenged the miscreants to surrender, but miscreants continued firing. S.S.P. and police party undeterred of dangerous firing offensive of the miscreants and with indomitable courage, in utter disregard of his personal safety and security and with determination to arrest the miscreants, leaving the side of pillar, vigilantly and strategically, moved ahead and inspired of his move, Shri Chaman Singh Chawda, Inspector and police team, also followed, leaving their hidings, but the incessant firing-shots by miscreants went through the bullet-proof jacket's of S.S.P., Shri Chaman Singh Chawda, Inspector, Incharge SOG and a Constable, tearing it and they were providentially saved, but inspite of it, in this situation of 'do or die', S.S.P., himself and under his dauntless leadership, Shri Chaman Singh Chawda and police team moved ahead, in their firing range, to capture the miscreants alive, resorting controlled firing in self-defence, in which one of the miscreants fell injured, whereas, others escaped in the darkness through sugarcane fields. They were chased but could not be apprehended and the injured miscreant, when seen closely, was found dead who identified to be notorious criminal Mustfa.

Recovery made:-

1. One factory made pistol with magazine made in USA, 02 live cartridges and 01 empty shell of .45 bore.
2. One country made pistol, 01 live cartridge and 01 empty shell of 7.62 bore.
3. 04 live cartridges and 12 empty shells of 315 bore.

In this encounter S/Shri Deepak Ratan, Senior Superintendent of Police, Chaman Singh Chawda, Inspector, Prashant Kapil, Sub Inspector, Pushpendra Shukla, Constable and Naresh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/10/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 157–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Pramod Kumar Singh, Head Constable** **(Posthumously)**

2. **Arup Rakshit, Constable** **(Posthumously)**

3. **Bheema Shankar, Constable** **(Posthumously)**

4. **Tejendra Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29th August 2010 at about 0400 hrs, after due preparation as per tactical requirements, a party comprising 02 Inspectors, 57 Other Ranks, Tactical Headquarter elements, 04 Police Personnel and 05 SPOs of Chhattisgarh Police left Tactical Headquarter, Durgukondal for sanitizing the area between Durgkondal and Village Bhuski (located on Bhanpratappur-Pakhanjur axis, between Milestones 34 and 35, at a distance of approx. 8.5 Kms from Durgukondal towards Pakhanjur).

The party led by Inspector Arjun Singh was detailed to carryout Area Domination Patrol and Road Security Operation, while the party of Inspector Manish Kumar was tasked to lay Mobile Check Post. The party advanced tactically taking all precautionary measures. Constable Arup Rakshit, was clearing all the probable Improvised Explosive Device (IED) sites with the help of Deep Search Metal Detector (DSMD). He was followed by Police Constable Vishnu Ram Ladiya and SPO Umed Kumara providing cover from right side of the road and Head Constable Pramod Kumar Singh, Constable Bheema Shankar and Constable Tejendra Singh were just behind, covering the left side of the road.

At about 0650 hrs, as the leading scouts reached a road bend between Mile Stones No. 33 and 34, located approx. 8.5 Kms from Durgukondal, the scouts came under heavy volume of fire from the North-West direction. The leading troops without losing a moment, jumped towards the left side of the road and took cover, but by this time, the Naxals started firing from South-West direction also. Initially, Head Constable Pramod Kumar Singh, Constable Arup Rakshit, Constable Bheema

Shankar, Constable Tejendra Singh and other troops of the patrolling party were pinned down by the heavy volume of fire of the well-positioned and well-entrenched Naxalites who had laid a deliberate ambush.

Observing the effectiveness of the aimed fire on the patrolling party from all directions, Head Constable Pramod Kumar Singh, Constable Arup Rakshit, Constable Bheema Shankar and Constable Tejendra Singh, by displaying indomitable courage and combat audacity, retaliated fire of Naxals which caused causality on the Naxals. The relentless retaliation by these gallant soldiers compelled the well-entrenched Naxals to shift their positions, which provided an opportunity to the pinned down members of the patrolling party to reorganize and maneuver their positions which enabled the patrol party in breaking the Naxals ambush. The fierce retaliation by these brave soldiers attracted fire assault from all around making it untenable for these men in open. Still, they continued their advance in utter disregard to their personal safety towards the well-entrenched Naxals who were targeting the patrol from well-disguised and covered positions. Despite grievous bullet injuries, they stood their ground and fired till they breathed their last, exhibiting highest degree of chivalry and courage under heavy odds. Constable Tejendra Singh, who survived, kept on firing on the Naxal's position, without caring for his personal safety, by shifting positions till the Naxals fled from the site. In the meanwhile, the patrol engaged the other firing positions of the ambush by direct fire and by firing high explosive from 51 mm Mortars from other directions and uprooted the well-dug-in Naxals who managed to flee with causalities and injured Naxals, as per their tactics, which was later confirmed through reliable sources.

This is one of the rarest operations, when a deliberate ambush by well-entrenched Naxalites was broken by the Security Forces. The gallant efforts of taking the Naxalites head-on by Head Constable Pramod Kumar Singh, Constable Arup Rakshit, Constable Bheema Shankar and Constable Tejendra Singh made it a successful Counter Ambush operation and saved the precious lives of other members of the patrolling party. This Counter Ambush by BSF has made an indelible dent in the psyche of Naxalites.

The following recoveries made from the site :

i)	IED 9Wt. 05 Kg.	01 No.
ii)	Electronic detonator	01 No.
iii)	Wire Appx.	100 Mtres.
iv)	petrol Bomb	03 Nos.
v)	Improvised Detonator	02 Nos. for petrol bomb
vi)	Magazine SLR	01 No.
vii)	Amn 7.62 mm SLR	13 Nos.
viii)	EFCs 7.62 mm SLR	18 Nos.

ix)	.303 Misfire	05 Nos.
x)	EFC.303	10 Nos.
xi)	EFC 5.56 mm	15 Nos.
xii)	EFC AK 47	04 Nos.
xiii)	EFC 12 Bore	05 Nos.
xiv)	Khukhari (small)	01 No.

In this encounter S/Shri Late Pramod Kumar Singh, Head Constable, Late Arup Rakshit, Constable, Late Bheema Shankar, Constable and Tejendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/08/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No.158–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Suresh Kumar** **(Posthumously)**
   Head Constable

2. **Koichung Athang Aimol** **(Posthumously)**
   Constable

3. **Ghanokar Pramod**
   Constable

4. **Karuthi Veeran Vikneshwar**
   Constable

5. **Rahul Kumar Tyagi**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26th June 2011, at about 0630 hrs, a party of Tac HQrs consisting of 05 Subordinate Officers, 77 Other Ranks and 02 personnel of Chhattisgarh Police (Total 84), under command of Shri K N Yadav, Assistant Commandant left the Tac HQrs

Koyalibeda for Road Security Operation (RSO) towards Mandir Tekri. About 02 Kms from Koyalibeda, the Party Commander deployed two sections on a vantage feature (Ambush Tekri) for domination of area by way of observation.

At about 1100 hrs, the Road Security Operation Party started returning back adopting proper tactical formation with four sections on each flank of the road. While three sections were in Extended Line, the fourth section was in Single File Formation (farthest from the road to provide depth). At around 1215 hrs, when the party crossed Sulangi (Upparpara) and the extreme left section was negotiating an open patch surrounded by barbed wire fencing, the Section came under heavy volume of fire from the front. A large group of Naxals had positioned itself in thick vegetation on the nearby Tekri. The alert men of the Section swiftly took position and retaliated with effective firing.

Party Commander Sh. K N Yadav, AC was quick to appreciate that the Ambush was well spread out in 'L' shape and laid with an aim to trap the whole party. He immediately ordered his troops to take position on the right Tekri. Party successfully foiled the Naxal's attempt of deliberate Ambush.The two Sections on the extreme left, led by Head Constable Suresh Kumar and Head Constable Mohinder Kumar respectively, were isolated on the other side of the barbed wire fence and were fighting pitched battle against strong nucleus of the Ambush. The Section commanded by Head Constable Suresh Kumar came under heavy volume of fire by the Naxals who were already well positioned behind trees and raised ground. Head Constable Suresh Kumar being Section Commander, immediately took charge of the situation and retaliated the Naxals' fire. He simultaneously directed his section to take cover. Amidst heavy fire and unmindful of his own personal safety, Head Constable Suresh Kumar led his section from the front. He crawled towards the Naxal's positions, employing fire and move tactics. Undeterred by the heavy volume of fire, he charged towards the entrenched Naxals and came in close combat with a group of Naxals. Head Constable Suresh Kumar fought valiantly and sprayed bullets on the Naxals killing 02-03 Naxals one of whom was a Naxal Commander, namely Lalji Singh. During the heavy exchange of fire, unfortunately one bullet hit Head Constable Suresh Kumar on abdomen. Despite grievous injury, he continued engaging the Naxals and compelled them to flee. Seeing him causing maximum damage, the Naxals directed maximum fire towards him from different directions. Brave Head Constable Suresh Kumar received several bullets on his body and attained martyrdom, fighting till his last breathe. The bravery of Head Constable Suresh Kumar not only shattered the morale of the Naxals but also ensured that the Naxals make hasty retreat.

Inspired by the conspicuous gallant action of his Section Commander, Constable K Vikneshwar being the next senior in true spirit of leadership, took charge of the Section and motivated his fellow soldiers to continue the fight to thwart

the plan of Naxals. Daring the heavy fire, Constable K Vikneshwar continued to advance alongwith his Section by tactically changing position amidst thick vegetations and firing steadily on the Naxals. He displayed exemplary courage and high degree of professionalism. During the fierce gun battle, Constable K Vikneshwar saw Naxals suddenly charging from the left flank. Constable K Vikneshwar, unmindful of his own life and safety, quickly maneuvered his position and bravely challenged the Naxals with heavy gun fire killing 2-3 Naxals on the spot. In this process, he also received bullet injuries on left arm and perineum region. Despite being grievously injured, he lobbed two grenades, resulting causalities and chaos amongst the fleeing Naxals. His courageous action yielded result. The Naxals were uprooted from their firing positions. His buddy Constable Rajesh Nath, who was also injured in the fierce battle, provided fire cover to his comrade and shifted him to a safer place. The Naxals had planted numerous Improvised Explosive Device. The alacrity and boldness of Constable K Vikneshwar ceased the opportunity of initiating even a single IED, thus, prevented possible disaster.

Constable Rahul Kumar Tyagi who was engaging the Naxals being part of section led by Head Constable Suresh Kumar and later by Constable K Vikneshwar observed that, Constable K Vikneshwar was seriously injured during the fierce gun battle, he immediately took charge of the section and continued advancing by taking positions. Constable Rahul Kumar Tyagi, without caring for his personal safety, started firing fiercely and inflicted serious injuries to the Naxals. Exhibiting exemplary courage and camaraderie, while trying to retrieve the body of his Section Commander Head Constable Suresh Kumar, he was hit by bullet in his right arm. Though incapacitated for firing and grievously hurt, this gallant soldier, displaying strong determination and combat audacity, crawled close to the firing positions of the Naxals and lobbed two grenades with his left arm, which created havoc amongst the well-entrenched Naxals and compelled them to retreat. The blood stains and dragging lines indicated that a number of Naxals were either killed or injured in this action.

Section No.2 on the left, which was also exposed in open to the enemy fire, was retaliating the Naxal's fire. Constable Koichung Athang Aimol advanced ahead with his Section to neutralize the Naxal fire. He successfully negotiated the initial obstacle of barbed wire, but observed that the fire of the Naxals was threatening his Section. Sensing imminent danger to the lives of his fellow soldiers, Constable Koichung Athang Aimol, in utter disregard to his personal safety, decided to charge the Naxal head-on, knowing fully well that the patch ahead was open, having no cover. Displaying extreme valor, he pounced upon the Naxal positions and killed two of them on the spot by spraying bullets from a close distance. His daring-dash invited barrage of fire from the Naxals from all directions who were otherwise engaging his fellow soldiers. This diversion of Naxal fire provided crucial few moments to his fellow comrades, who were under effective Naxal fire, in shifting their positions and engaging the Naxals more effectively. In this course, this gallant soldier received several bullets in his body and attained martyrdom displaying highest level of camaraderie and commitment.

This was a deliberate, well planned and well spread Naxal Ambush. Each Section was fighting a battle with strong Ambush laid by 300-350 Naxals. Appreciating the situation and after assessing the extent of the Ambush, the party Comdr directed his troops to charge the Naxalites and break the Ambush. The Sections adopted assault formation and charged the Naxals, firing heavily to break their will and evict them from their positions. Constable Ghanokar Pramod, along with others launched a lightening assault on the Naxals. Constable Ghanokar Pramod surged ahead displaying highest level of professional acumen and inflicted causalities. His energetic and daring action compelled the Naxals to withdraw. In utter disregard to his life and personal safety, Constable Ghanokar Pramod further charged towards Naxals amid heavy firing to dislodge them from other positions. The Naxals targeted him and in the eventual gun battle Constable Ghanokar Pramod received bullet injury in his chest. Unmindful of his injury, Constable Ghanokar Pramod fired continuously and forced the Naxals to flee. The gallant action and raw courage displayed by Constable Ghanokar Pramod was pivotal in dislodging Naxals from the right most Tekri and helped the Road Security Operation party in wresting the initiative from the Naxals.

BSF Party in above operation displayed exemplary professionalism, combat audacity and bravery by beating back a well-conceived deliberate Ambush laid by numerically superior hardcore Naxalite cadres which will inspire men in uniform in the coming years. This is one of those rare operations, wherein the Naxals have been defeated on the ground of their choosing. In this operation dead body of Naxal Commander Lalji Singh was recovered and as confirmed by the sources 19-20 Naxals were killed and several others injured. However, as per tactics of the Naxals, they took away the dead bodies/injured person while fleeing from the encounter site.

The following Arms/Ammn recovered from the site of encounter:

i) . rifle with bayonet
ii) Hand grenade- 02 Nos (Chinese made)
iii) I?EDs- 02 Nos having weight approx- 30 to 35 Kgs each
iv) Detonator - 03 Nos.
v) INSAS LMG Mag – 03 Nos.
vi) .303 Mag -01 No.
vii) Live rds 5.56 mm INSAS- 82 Nos.
viii) .303 live Rds- 05 Nos.
ix) EFC INSAS- 65 Nos.
x) EFC .303 – 08 Nos.
xi) EFC AK – 34 Nos.
xii) EFC 12 Bore – 07Nos.
xiii) EFC 7.62 mm bdr.- 45 Nos.
xiv) Knife- 01 No.

In this encounter S/Shri Late Suresh Kumar, Head Constable, Late Koichung Athang Aimol, Constable, Ghanokar Pramod, Constable, Karuthi Veeran Vikneshwar, Constable and Rahul Kumar Tyagi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/06/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 159 –Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Mahinder Singh, Head Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
2.	**Buradaguwta Veerraju, Commandant**	**(PMG)**	
3.	**Niteen Devidas Bagade , Assistant Commandant**	**(PMG)**	
4.	**Rabin Singh, Constable**	**(PMG)**	
5.	**Manoj Kumar, Constable**	**(PMG)**	
6.	**Kosh Pal, Head Constable**	**(PMG)**	

Statement of service for which the decoration has been awarded

A special operation was planned in the Khobramendha jungle area by Commandant 191 Bn, CRPF based on the inputs provided by the DIGP (OPS) CRPF and SP Gadchiroli w.e.f. 17/04/2011 to 20/04/2011 night troops moved to Gyarapatti. On 18/04/2011 early hrs troops moved on special ops and laid night ambush. On

19/04/2011 at 1230 hrs troops entered Khobramendha jungle area, the R-1 of the special team E/191, Ct./GD Rabin Singh spotted about 15-20 naxals and immediately alerted the troops and opened the fire instantly killing one of the Naxal. Sh. Niteen was just behind the R-1, opened fire all at once aimed at one of the naxal and killed him instantly. The naxals in retaliation opened heavy fire on the troops. Six of the naxals went on the hills and opened fire on Ct/GD Rabin Singh and Sh. Niteen D. Bagade by them bravely engaged the naxals. The Commandant, B. Veerraju with his escort party rushed in the direction of the fire and opened fire on the naxals. Shri B. Verraju asked Sh. Niteen to come out from the pond but it was replied that due to heavy fire they were holed up. Sh. B Veerraju without caring for his life spotted the naxal between boulders and shot dead the naxal and rescued the holed up personnel. As the exchange continued the naxals left first location with their dead and injured and regrouped in front of A/191 team. As ordered by Commandant Section U/C HC/GD Mahinder Singh moved to the left flank and fired at the naxal from about 20 meters from their positions. The HC/GD Mahinder Singh without caring for his life, fired volley of rounds on naxals and instantly killing the naxal who was firing from behind the bamboo bush. In the meantime, the Commandant ordered firing of 51 MM bomb resulting in sudden seizure of fire from naxals. In the meantime, Ct./GD Satish Shinde got bullet injury and asked HC Mahinder Singh to help him. As he looked back one of the Naxals shot him on his neck resulting succumbing to injury. Sensing the adversity of situation and without caring for his life Ct/GD Manoj Kumar prepared his Rifle grenade, despite of heavy fire on him, fired 3 rifle grenades within a gap of 2 minutes at high angle resulting injuries to several naxals and made them to retreat. Again Naxals regrouped from indifferent locations opened heavy fire on special teams of B, F/191. HC/GD Koshpal who was commanding 1st section F/191 saw naxals advancing and he immediately took 51 mm Mortar from Ct./GD Abhijit Kuspe and fired 3 HE Bombs aiming in the direction of advancing naxals within an interval of 3 to 5 minutes. After firing ailing of injured naxals were heard. The blasts of HE bomb shook the moral of Naxal group and the fire exchange was stopped and naxal fled from the place. The gallant action, presence of mind, conspicuous bravery shown by the officers and men in the above sequence of action is exemplary. .303 modified rifle-01, single barrel gun-01, 65 mm/12bore/30 Gms-29 rds(single barrel gun), grenade along with pouch-02, .303 rounds-05, 7.62 mm empty cases-02,08 mm empty case-01, 5.56 MM empty case-01, ammunition pouch black of 12 bore-02 including other articles i.e. naxal instructions and other items recovered.

In this encounter S/Shri (Late) Mahinder Singh, Head Constable, Buradaguwta Veerraju, Commandant, Niteen Devidas Bagade, Assistant Commandant, Rabin Singh, Constable, Manoj Kumar Constable and Kosh Pal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19/04/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 160–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Purushottam Joshi,**
   Assistant Commandant

2. **Chandan Nath,**
   Constable

3. **Manraj Umrao Bhongade,**
   Head Constable

4. **Kore Chandrashekhar Sureshrao,** **(Posthumously)**
   Constable

5. **Yaser Mohd. Khan,** **(Posthumously)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on a reliable intelligence input regarding the presence of Naxals at Village Makadchuwa (Distt: Gadchiroli, Maharashtra), a cordon and search operation (CASO) was launched at 0350 hrs on 20th of August 2011 in the said village by the troops of F/192 Bn,CRPF under the command of Shri Purshotam Joshi, Asstt. Comdt. alongwith local state Police formations.

Even as a cordon was being laid around the village, the troops encountered a sudden and intensive volley of gunfire directed from the village residents who had started coming out of their dwellings. Even as the contingent started taking positional cover, the Naxals succeeded in placing the troops in a tactical handicap by exposing the residents of the village towards the line(s) of fire. Having thus taken advantage of an effective human shield, the Naxals managed to flee to the adjacent agricultural tracts and vegetation to gain better cover.

Realizing that the contingent was quickly losing the initial operational advantage, the Party Commander Shri Prushotam Joshi A/C, along with his buddy CT/GD Chandan Nath and State Police HC Pardeshi Devangan decided to pursue the fleeing Naxals. CT Chandan Nath showed great determination and without caring for his personal safety, effectively retaliated the determined volleys fire that the entrenched Naxals were pouring toward his direction. As was revealed from shouts of screams and groans from the Naxal positions, the bold counter-offensive by CT Nath also managed to inflict injuries on some of the retreating Naxals. CT Nath's fearless action also managed to regain much of the lost operational initiative and stall an effective re-grouping by the Naxals. Emboldened by the resolute assault by CT Nath, the assault party led by Shri Purushotam Joshi initiated a bolder offensive and gradually crawled forward towards the entrenched Naxals. In the ensuing engagement, CT Nath was hit by a gunshot fired by the Naxals seriously causing injuries to his legs. Without informing his operational mates about the injury, CT Nath continued with his advance until he was spotted by his Company Commander who organized an immediate evacuation.

In the midst of this extremely sensitive and complicated situation, the course of action adopted by the Company Commander was not only praiseworthy, but revealed both exemplary level-headedness as well as an exemplary level of courage. Shri Purushotam Joshi not only ensured that co-lateral damages are restricted, he personally led a daring counter-attack to regain the operational upper-hand and stall an effective Naxal retreat till such time reinforcements were available. His daring action in advancing fully aware of the hazards that it entailed for his own safety was the single most important factor that helped in extraction of injured CT Nath. As the visibility got severely restricted due to the thick vegetation cover, Shri Purushotam Joshi launched into a close-quarter grenade attack inflicting further injuries to the Naxals. However, as the engagement led to another injury to the assault party of F/192 Bn, Shri Joshi, decided to re-prioritize his plans and concentrate on strengthening the cordon and organize the safe evacuation of the injured contingent personnel.

Meanwhile, battling the odds imposed by visibility and a tough terrain, the reinforcements of 206 CoBRA succeeded in reaching the spot of engagement to launch a further assault. The Naxals, meanwhile, had been able to take advantage of the lull in the operations to organize the evacuation of their own injured and further strengthen their own defenses at the spot. Hence, as soon as the assault was launched by the CoBRA team, it faced a stiff resistance. Braving severe handicaps, two CoBRA personnel, CTs Chandrashekhar Kore and Yaser Mohammed Khan, lurched themselves towards the entrenched Naxal position. In the exchange of fire that followed their determined charge, both sustained grievous injuries leading to their subsequently martyrdom.

At this stage, the resolute action of HC Manoj Bongade of 206 CoBRA Battalion, played a critical part. Not only did HC Bongade pull out the injured CoBRA Constables to safety, he crawled forward to launch into the final assault and subsequent elimination of the entrenched Naxal, who was later identified as Ranita, the Commander of the Maoist Chatgaon Dalam.

Recovery:

i) .303 Rifle	-	01 No.
ii) Live Rounds of .303	-	14 Nos
iii) Magazine	-	01 No.
iv) Chargers	-	04 Nos.
v) Cash	-	Rs.10,231/-.

In this encounter S/Shri Purushottam Joshi, Assistant Commandant, Chandan Nath, Constable, Manraj Umrao Bhongade, Head Constable, Late Kore Chandrashekhar Sureshrao, Constable and Late Yaser Mohd. Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20/08/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 161–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Subash Chand Jha, Inspector** **(PPMG)**

2. **Ashok Kumar Basumatari, Head Constable** **(PPMG)**

3. **Mohd. Yusuf, Constable** **(PMG)**

4. **Ravi Ranjan Kumar, Constable** **(PMG)**

5.	**N.H. Khan, Head Constable**	**(PMG)**
6.	**Vijay Kumar, Constable**	**(PMG)**
7.	**Shivappa, Constable**	**(PMG)**
8.	**Sanoj Kumar, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

An intelligence input was received regarding likely visit of 10 to 12 CPI (Moists) to village – Luhur via village-Chhencha, P.S-Barwadih by a Bolero/Tata Sumo. Accordingly, an operation was planned by Sh. B.K.Sharma, DIGP (Ops), CRPF, Ranchi, DIGP, Palamu Range Shri Laxshman Prasad, SP Latehar and Sh. D.N.Lal Commandant 11 Bn, CRPF comprising personnel of C/11 under command Inspector S.C.Jha and police personnel under command Ashwini Kumar Sinha, SDPO, Barwadih. The troops put a Naka on approach road to Barwadih but Naxal cadres left their vehicle at Chhencha village and moved towards Luhur on foot and took shelter in the house of Sh. Baijnath Singh Kharwar resident of Village – Luhur, Police Station – Barwadih. Troops of C/11 and civil police contingent moved tactically towards Luhur at 0200 hours on 28/01/2011 and put a cordon around the target house of Baijnath Singh Kharwar. Troops of C/11 were divided into three parts. Parties led by SI/GD Narendra Singh and HC/GD V.K.Pathak put a cordon from northern and western side respectively at a distance of 300-350 meters whereas two strike parties were led by Inspector/GD S.C.Jha, OC-C/11 and SDPO Barwadih A.K.Sinha. Strike party noticed presence of sentry and moved by crawling towards him. Sentry of naxals sensed the troops movement and started firing and running towards the other members of the group hiding in the house. The police party challenged the naxals to surrender but in vain. Inspector/GD S.C.Jha along with HC/GD A.K.Basumatari, HC/RO N.H.Khan, CT/GD Mohd. Yusuf, CT/GD Vijay Kumar and CT/GD Ravi Ranjan Kumar moved by crawling to southern side of the house whereas CT/GD Shivappa and CT/GD Saroj Kumar crawled towards N.E. direction with the police party. CT/GD Shivappa noticed two of the naxales coming out of the door and firing continuously. CT/GD Shivappa and CT/GD Sanoj Kumar fired at naxals and neutralized them. Two more naxals tried to escape towards eastern direction and were neutralized by civil police party. 03 naxals tried to escape towards southern direction but strike party led by Inspector/GD S.C.Jha, HC/GD A.K.Basumatari, HC/RO N.H.Khan, CT/GD Mohd. Yusuf, CT/GD Vijay Kumar and CT/GD Ravi

Ranjan Kumar fired on the naxals neutralizing them. Fire continued intermittently. One of the naxals tried to escape but was shot by police party. Fire stopped for about 4-5 minutes but later naxal identified as Basanta Yadav ran firing in eastern side who was shot by Inspector/GD S.C.Jha and HC/GD A.K.Basumatari. In the meantime DIGP(Ops), CRPF, Palamu, Commandant-11 Bn, CRPF and S.P. Latehar reached the destination with reinforcement. Firing stopped completely at 0450 hours. After the day break area was searched thoroughly and dead bodies of nine Naxals were recovered along with 7.62 mm SLR - 01 No (Body No. 10050017390 FF 95), 7.62 MM Bolt Action Rifle - 05 Nos, Country made Pistol long barrel - 03 Nos, SLR Magazine - 02 Nos, 7.62 mm live Amn -76 Rounds, 7.62 mm Empty case - 10 Nos, 7.62 X .39 mm live Ammunition - 41 Rounds, 7.62 x .39 mm empty case - 12 Nos, Semi Automatic empty case (Calibre not known) - 02 Nos, 08 mm empty case - 01 No, Round Bullet (Calibre not known) - 01 No, Mobile Nokia - 03 Nos with extra Battery, Diary - 10 No, Money Purse - 01 No with Cash worth Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand five hundred) only, Uniform Belt - 03 Nos, Ammunition Pouch Large - 01 No, Ammunition Pouch Small - 03 Nos. All the 08 members of strike party of C/11 led by Inspector/GD S.C.Jha, CRPF has fought gallantly and in fierce gun battle neutralized nine naxals without any collateral damage.

In this encounter S/Shri Subash Chand Jha, Inspector, Ashok Kumar Basumatari, Head Constable, Mohd. Yusuf, Constable, Ravi Ranjan Kumar, Constable, N.H. Khan, Head Constable, Vijay Kumar, Constable, Shivappa, Constable and Sanoj Kumar,Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/01/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 162–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jaimal Singh (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

A special joint OPS (Black thunder) was planned on the intelligence input that a training camp of around 400 CPI (Maoist) activists is running under leadership of Anmol Da, Misir Besra, Samarji, and one of the Central Committee member aged 60 yrs at Noordah which was around 4.5Km south of Ratamati under PS Chotanagra.

After detailed discussion among DIG (OPS) Chaibasa, DIG Police Kolhan Range, Commandant 60/197/196/7 Bn CRPF,SDPO Kiriburu S.P.Chaibasa it was decided to conduct raid and search operation at Noordah village and adjoining forest areas to arrest/nab members of the banned outfit. To conduct this special operation 03 base camps have to be established and 24 coys of CRPF, 09 teams of 203 CoBRA, 05 teams of JJ and DAP have to be utilized. According to plan 02 parties of CoBRA comprising 04 teams each with 02 assault group of JJ each were assigned task to raid and search at Noordah and adjoining forest areas from the basecamp Karampada and Kadamtola respectively. After due briefing of the troops by commandant/group commander and team commanders detailed teams of CoBRA were moved from Sindri on 23/09/10 to Hotwar games village Ranchi and reached there at 1900 hrs. for further induction. Before moving for operation a detailed briefing was again done by the commandant 203 to the troops of CoBRA and JJ . As per plan two CoBRA parties one as strike-1 under command Lamb D.S.Kaswa with 02 assault group of JJ and strike-2 under command Lamb D.E. Kindo with 02 assault group of JJ were moved for their respective base camp in the night of same day and reached at base camp on 24/09/10. On the night of 24/09/10 as per plan both teams sneaked into Saranda forest from Karampada and Kadamtoli (Orrisa) respectively. On 25th both the strike parties searched the assigned area. Strike-1 found one camp near Gundizora village and destroyed the camp after cordoning and securing surrounding area. On the other hand Second strike group found one camp (Target area) near Kodapita nala near Noordah village but no naxal was found there. The troops destroyed the camp after cordoning and securing surrounding area and recovered some items left behind by the naxal in the camp .Both the parties took lup at different places. On 26th morning both the parties moved from their lup to meet with each other at predefined place. At about 0915 hrs after covering 4 km from lup point the scout (Ct Jaimal Singh) of strike two which was moving in the hillock duly searching the naxals hideouts sensed some movement and intimated the same to commander through field signal. After getting signal from the scouts everyone was turndown to battle mode and advanced towards the target area. Naxals who had taken position fired heavily on the team personnel from behind the rocks and undulating ground. Fierce encounter took place. In the mean time CT/GD Jaimal exhibiting exemplary courage and valour tactically reached very close to the naxals under heavy firing & inflicted heavy firing on naxals exhibiting great bravery killing 01 naxal. Firing from naxal side stopped for some time. Showing highest devotion to duty and without caring about his life CT/GD Jaimal singh kept advancing reached very near to the killed naxal and tried to drag the body and weapon of killed naxals under covering fire of other personnel. Body and weapon of killed naxal was in a depression and further advance made by Ct. Jaimal Singh made him out of sight from rest of the striking party. Few naxals who were behind the bushes fired many rounds on CT/GD Jaimal Singh to preventing him to taking away the body of killed naxal. In this fierce battle, one bullet hit his head due to which he succumbed to death on the spot. Fierce encounter started once again and the naxal who were behind the bushes got the

opportunity to snatch away his personal weapon along with left over ammunitions. Amidst heavy firing CoBRA troops advanced in direction of advance of CT/GD Jaimal Singh found him sacrificed to the call of nation. Heavy firing was inflicted upon escaping naxals which resulted in injury to many of them as blood stains all around noticed during extensive search. The encounter lasted for 3 hrs. The terrain was very tough comprising steep slope, tall trees, heavy bushes, nalas, and series of high hills. Despite of brave chasing and cordoning of the area the naxal manages to escape taking advantage of bushes, terrain and dense forest. Dead body of naxal with .303 police rifle with eight live rounds in the magazine, four HE bombs in the container, pitthu, 03 mobile set, 01 twelve bore rifle, one wireless set, Naxal literature were recovered very close to the body of ct Jaimal Singh . During 4 days and 5 night operation 12 naxals camps, 18 bunkers, 12 cane bombs, 25 liquid explosive gel, huge quaintly of tarpoline, plastic sheet mats and other-items were destroyed.

In the ensuing gun battle, Ct/GD Jaimal Singh, has exhibited extraordinary bravery and killed one naxal. He had shown exemplary gallantry and tactical swiftness in this operation and sacrificed his life during operation

In this encounter Late Shri Jaimal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/09/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 163–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dangmei Stephen (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the receipt of a specific intelligence report regarding the presence of 20-25 Maoist squad members moving with an intent to attack a police camp, a Special Operation was planned by the troops of 184 Bn CRPF, 205 CoBRA and the local State Police formations at village Bandarbani of West Medinipur district of West Bengal. Launched at about 2050 hrs on 24/9/2010, the operation involved the troops of three companies of 184 Bn CRPF (B, D & F Coys), four teams of 205 CoBRA and matching components of the State Police.

During the conduct of the operation, the 4th and 5th platoons of B/184 Bn were placed at the extreme left of the contingent deployed towards the north of the village. CT/GD Dangmei Stephen was part of the 2nd Section of 5th Platoon of B/184 Bn. While the cordon was being laid, the contingent suddenly fell into an ambush by the Maoist Squad members, who, having taken advantage of the cover of darkness, unleashed a volley of grenades and ammunition fire at the approaching SFs contingent. CT/GD Dangmei Stephen was closest to the Maoist line of fire at the time of the attack.

Despite this deadly fusillade, CT/GD Dangmei kept his nerve and retaliated by steadily moving forward to open suppressive fire on the advancing Maoists. It appears that in carrying out this counter-offensive, CT/GD Dangmei received serious injuries from gunshot wounds which ultimately proved to be fatal. Despite serious physical injuries and profuse bleeding, CT/GD Dangmei continued with his offensive and stalled the Maoist onslaught. His bold counter-attack not only provided the critical cover and protection, it enabled his Section-mates the vital opportunity to break the ambush, regroup and further engage the Maoists.

On hindsight, the daring act of CT/GD Dangmei Stephen in advancing in the line of fire would seem reckless by any standards, but was probably an unavoidable and the only available option. Considering that the Security Forces were virtually in a tactically blind position with severe visual and terrain restrictions, the virtually suicidal advance of CT/GD Dangmei assumes significant importance. Had he not daringly moved forwards towards the line of Maoist fire, it is quite possible that the adversary would have taken the upper hand caused severe loss to the Security Forces. Instead, Dangmei's bold action turned the situation around and, besides killing a hardened Maoist cadre and making considerable recoveries, enabled his fellow troops to force a hasty Maoist retreat. It is rather unfortunate that his life could not be saved as he succumbed to his injuries while being evacuated for medical support.

CT/GD Dangmei Stephen of B/184 BN CRPF sacrificed his life, fighting gallantly, showing unparalleled courage and devotion to duty against Left Wing Extremism, in tune with the operational ethos of the CRPF. By his brave action and sacrifice, he saved precious lives of his colleagues and others.

Recovery made:

Directional mines- 03 Nos, Splinters more than 05 Kgs., Improvised 9 m.m. pistol- 01 No., Empty cartridges- 15 Nos., Live rounds ammunitions- 02 Nos. and Improvised bombs- 20 Nos.

In this encounter Late Shri Dangmei Stephen, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/09/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 164–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Jatin Gulati, Assistant Commandant** **(Posthumously)**

2. **Rajendra Nath Das, Head Constable** **(Posthumously)**

3. **Raju Rabha, Head Constable**

4. **Kaptan Singh Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

The movement of 65 personnel of 39 Bn, CRPF was to be carried out between B,C,D,E,F & G coys and Bn HQrs and vice versa on account of leave, course and duty etc. As per practice in vogue, the movement of the personnel was normally carried out in civil buses and as such, it was decided to organize a RSO/ROP along the route to provide security to personnel travelling in civil buses on 29/6/2010. The RSO/ROP party of E&F coys consisted of 60 personnel (AC-1, Insp-1, SIs-3, HCs-13, HC(Optr)-1, CTs-40,SPO-1 Total=60). 23 personnel of E/39 were also moving under the command of SI S.S.Bohra on the left side of the road in open paddy field in single formation. 17 personnel of F/39 under the command SI B.D. Barik were moving in extended line on the right side of the road through forest cover. The remaining 19 personnel were moving under the command of Shri Jatin Gulati, A/Comdt behind the above parties near the road. The above parties were moving in 2 up and 1 down formation. At about 1315 hrs when the parties were nearing the culvert over Rakas Nala, the Naxals started firing at the party from the nala and from the higher features on the right/ rear side of the nala, troops also retailed with fire.

Shri Jatin Gulati, AC immediately ordered his party to move to right of the road and cross nala ahead using forest cover. He exhorted the personnel of E/39 to move over to right side of the road where forest cover was available. He moved up

and down bravely and encouraged his personnel to repulse the naxal attack effectively. In the process, he crossed over the nala from the right side and ordered his party to give covering fire to help the personnel trapped under naxal fire to cross the nala. He also gave covering fire to help the trapped personnel. The officer also inspired HC Raju Rabha to cross the nala, reach for vantage heights and fire at the Naxals effectively. He was engaged in a pitched battle with the Naxals with bullets flying around him all the time. Asstt. Comdt Jatin Gulati also showed good leadership skills and marshaled his troops very well, in this grave situation also he maintained his composure and ordered Ct/GD Kaptan Singh to fire Rifle Grenades near the location of nala where the Naxals had taken cover. It was firing of these rifle grenades which brought about commotion within the Naxals and they started retreating from the battle-ground. When he was engaged in giving covering fire, he was hit on his head from behind and died on the spot. Before he was hit by bullets from behind, he had killed few Naxals using his weapon including a Naxal Commander who was firing with LMG in full view of all people present. Though he was raw hand, he tackled the situation bravely with his quick presence of mind and executed his duty in an exemplary manner. He displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of order throughout the operation and commanded his troops in an excellent manner, while exhorting them to retaliate Naxal attack effectively without caring for his life. It is pertinent to mention here that considering the valour and sacrifice of the brave officer Late Jatin Gulati, Asstt Comdt., Govt. of Uttarakhand has given honour to the depart officer by constructing a martyr memorial Chowk in his name in Dehradun (Uttarakhand).

Since Naxalities were firing indiscriminately, HC/GD Rajendra Nath Das who was with F/39 party immediately took position and retaliated fire against the Naxals. During the fierce fire fight between the troops and Naxals he was constantly encouraging the troops by leading his men from front and killed few Naxals himself and motivated his troops to advance without fear. Unfortunately he was hit by a bullet of a Naxal and died on the spot. Before he laid down his life, he had shown exemplary courage, braveness, promptness and presence of mind. Thus Late HC/GD Rajendra Nath Das displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

On seeing the indiscriminate firing from Naxals HC/GD Raju Rabha who was detailed with the party of F/39, immediately took position and started firing on the Naxals. He exhorted all the Jawans of F/39 to retaliate the firing. He rendered first aid to CT/GD Anil Kumar who was injured in the encounter and took his weapon and kept it in his custody. He fired at the tree from which naxal firing was coming continuously towards E/F coy personnel. Thereafter firing stopped coming from that side. When Insp Parmanad was injured, he rendered first aid to him also. On the order of Shri Jatin Gulati, Asstt Comdt he advanced/ crossed the nala and fired at the naxals from higher reaches. He ordered Ct/GD Kaptan Singh to fire Rifle Grenade towards the Nala also. Thus HC/GD Raju Rabha displayed exemplary courage, bravery and exhibited gallant action without caring his life during the encounter.

When the Naxals were firing indiscriminately on the troops, CT/GD Kaptan Singh who was detailed with the party of F/39 Bn, CRPF was ordered to fire rifle grenade on Naxals. He fired 4 Nos. rifle grenades which landed near the nala and demoralized the naxals. Naxals started shouting and began fleeing. After some time, firing stopped coming from the nala side. Some Naxals were killed due to prompt firing of these rifle grenades. Thereafter under the orders of Shri Jatin Gulati, Asstt.Comdt he crossed the nala and started to give support to help the troops trapped in ambush. Thus CT/GD Kaptan Singh displayed exemplary courage and bravery during the encounter.

In this encounter S/Shri (Late) Jatin Gulati, Assistant Commandant, (Late) Rajendra Nath Das, Head Constable, Raju Rabha, Head Constable and Kaptan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/06/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 165–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Gorakh Ashruba Ingole Head Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
2.	**Joginder Kumar, Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
3.	**Hasnain Ansari, Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
4.	**Johan Mohd, Constable**	**(PMG)**	
5.	**Daya Ram, Constable**	**(PMG)**	

Statement of service for which the decoration has been awarded

In compliance to directions of Hon'ble Supreme Court of India, the company of this unit which was accommodated in an Ashram premises at Bheji had to be moved out and accommodated in new camp. Accordingly, construction work of new camp at Bheji started w.e.f 3/5/2011. Men of the company (D/2), after forming three to four parties including available police personnel used to provide security to construction workers working in new camps. It would be important to mention that Bheji post is an isolated post deep inside jungle, wherein, there is no population. The post is surrounded by thick jungle and difficult terrain.

On 11/06/11 at about 0700 hrs. three teams (parties) of D/2 CRPF under command Cheetah Gulab Singh, along with Civil Police representative ASI Bibash Kirtinia, and one team of Civil Police comprising Civil Police-5, S.P.O.-4 went outside the camp in three directions after forming total four teams for Area Domination and to comb the surrounding area of new upcoming camp. These parties, after combing the surrounding area, which is thickly forested would have placed pickets in all the directions to provide security cover to the construction workers. All men were wearing B/P jackets. The outgoing strength of 44 men from D/2 was divided into three teams and the fourth team was of nine personnel from Police /SPO (Civil Police-5 + 4 SPOs). While these parties were in the process of combing their respective AOR,s, suddenly, very heavy firing of Automatic weapons started from Northern Direction of the camp immediately followed by firing from all the directions. It is estimated that between two to three hundred Naxalites had taken position and laid ambush from all directions to engage and eliminate all the personnel who moved out of the camp to secure the new upcoming camp by moving inside the jungle and securing the periphery of the camp. The first party of eleven personnel, headed by Head Constable- G. A. Ingole, which had moved towards North direction and was in the process of combing and clearing the area, was the first party which came in contact with the heavily armed and tactically propositioned Naxalites. When heavy firing started on this party Head Constable G. A. Ingole, exhibiting true leadership and conspicuous courage, challenged the Naxalites and exhorted the men to assault on the propositioned Naxalites at secured places. Immediately, CT/GD Joginder Kumar charged towards left flank, from where heavy firing was being done by the naxalites from behind a five feet high and 450 feet long bund. Simultaneously, heavy firing was coming from front side. On this side, Naxalites had taken positions behind numerous trees. In the initial fire, Head Constable G. A. Ingole sustained bullet injury on his left leg. However, showing sheer grit and exemplary courage, he charged towards Naxalites hiding and firing from behind the trees. Simultaneously, he challenged Naxalites and exhorted men of his team. Meanwhile, CT/GD Hasnain Ansari who was firing at Naxalites also sustained serious bullet injury on his neck. At this juncture, instead of calling for help, without caring his personal life, he pulled out two H.E Hand Grenades and threw on Naxalites behind the bund. CT/GD

Joginder Kumar, who had charged on the Naxalites, advanced and climbed on the bund shooting the Naxalites. CT/GD Daya Ram who was closed to HC/GD G.A. Ingole, positioned himself on the ground, and kept firing on naxalites. Meanwhile CT/GD Johan Mohammed, who was carrying 51 mm Mortar, immediately retaliated by bombing the Naxalite positions. All these men were effectively supported by the team members. In other directions, exchange of fire between two other CRPF parties and Naxalites was on. The sheer grit, valour, exemplary courage shown by these out numbered men, and exhibiting conspicuous bravery the assault made by them inflicted casualties on Naxalites and forced them to drop their evil design and retreat. During the exchange of fire, without caring for their personal safety since HC/GD G. A. Ingole, CT/GD Joginder Kumar and CT/GD Hasnain Ansari had advanced and assaulted on the naxalites, the prepositioned Naxalites, who were in advantageous position being large in number and tactically positioned, suffered casualties and were taken by surprise. They had no choice but to retreat. However defending the post our three extremely brave HC/GD G. A. Ingole, CT/GD Joginder Kumar, CT/GD Hasnain Ansari laid down their lives fighting bravely. While retreating, the Naxalites used some kind of smoke Bombs to create smoke screen and started retreating and taking away the casualties from their side. The Naxalites, though in large numbers and also having the element of timing and surprise on their side had no option but to retreat in the face of a determined and courageous show of gallant action and bravery exhibited by HC/GD Gorakh Ashruba Ingole, CT/GD Joginder Kumar, CT/GD Hasnain Ansari, CT/GD Johan Mohd and CT/GD Daya Ram. The three deceased Late HC/GD Gorakh Ashruba Ingole, Late CT/GD Joginder Kumar, Late CT/GD Hussain Ansari and who were ably assisted by CT/GD Johan Mohd, CT/GD Daya Ram truly deserve to be decorated with Medal for their Gallant action. It is also mentioned here that dead body of killed naxals could not be recovered from the encounter site. However, news regarding killing of naxals in this operation was published in News papers.

Following items recovered during general area search at the incident place at Bheji on 11/6/11 & 14/06/11:-

HE No. 36 Hand Grenade- 01, 7.62 mm empty case 118 Nos, 7.62× 39 MM empty case-100 Nos, 5.56 mm INSAS empty cases-35 Nos, .303 mm empty cases -73 Nos, .303mm misfire – 02Nos, .303 live rds.-01 No., 12 Bore Gun Live Rds 04 nos, 12 bore Gun empty cases-02 Nos, HE No. 36 Hand Grenade Lever-01No., 7.62×39mm AK-47Broken Spring-01 No., Bolt-01 No., Plastic water bottle-2 Nos., Grenade Pouch-01 No., 7.62×39 mm misfire-04 Nos., Monkey cap green-01Nos.

In this encounte S/Shri Late Gorakh Ashruba Ingole, Head Constable, Late Joginder Kumar, Constable, Late Hasnain Ansari, Constable, Johan Mohd, Constable and Daya Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11/06/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 166–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashok Kumar Dash,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting specific information from own source and other sources that Lal Mohan Tudu, President of PSBJC/SKGM along with some Maoists/SKGM squad members were likely to visit village-Narcha in the evening on 22/02/2010, Shri Ashok Kumar Dash, Assistant Commandant, planned an operation in consultation with commandant 66 Bn. to lay ambush at Narcha Khal to apprehend the group. As planned, QAT comprising of two NCO and nine CTs under command of Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant, moved stealthily and tactically using topography of the field towards Narcha Khal area from East side of Kantapahari Joint forces camp, while one platoon, under command SI/GD AC Swain, moved from West side at little later, keeping one section as reserve ready with Motor Cycles, to react in case of requirement for reinforcement.

When QAT with Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant, reached near Narcha Village at around 2100 hrs on 22/02/2010 through cultivable fields with standing crops on eastern side of the road, the party noticed some suspicious movement on the south side of village Narcha. The police party crawled and advanced to apprehend them when all of the sudden, just near Narch Khal, it was fired upon indiscriminately. But undeterred, Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant, and his scout HC/GD S.N. Das of GC Bhubaneswar and CT/GD P.K. Biswas of 66 Bn, who were in the front, retaliated in self-defence by firing from their service weapons and advanced forcing the Maoists to split themselves into two-one moving in southern while the other going western direction.

At this point, Shri Ashok Kumar Dash, Asstt. Commandant, ordered one group of QAT to move and pursue the Maoists group heading towards south direction and he while himself alongwith the other QAT member tried to approach the Maoists adopting 'fire-and-move' tactics towards west direction. Even though, clearly outnumbered, Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant, with just a couple of personnel, and without caring for safety of his own life in the face of heavy fire by Maoists, kept them at bay even though at one point nearly pinned down by the heavy

volume of enemy fire in the Jungle patch adjacent to Narcha Khal for a good 15-30 minutes pending arrival of the reserve party and cessation of firing from the Maoists. His courageous and tactical advance had taken the wind out of the Maoists sails as they found the tables suddenly turned and they themselves were facing the fusillade by this one move that the security forces made.

The augmented party cordoned and conducted a thorough search with the help of Hand Held Search Light (HHSL) and Night Vision Devices(NVD). During the course of search operation, the joint forces party found one bullet ridden body with one pistol. On further search, one country made pistol and one bag were recovered from nearby area. Immediately the bullet-ridden body was shifted to PHC Lalgarh by the civil police. The Medical Officer of PHC later declared the injured as 'brought dead' and the deceased was later identified as Lal Mohan Tudu, President PSBJC/SKGM, one of the top Maoist leaders. The place of incident was subsequently visited by Dy. SP Lalgarh, I/C Lalgarh and Senior CRPF Officers.

But for the daring act of Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant not only the entire Maoist gang have skulked away but would have inflicted heavy casualties on the CRPF team. In the entire operation, Shri Ashok Kumar Dash, Asstt. Commandant, led from the front signified great courage, exemplary leadership qualities, conspicuous gallant act and tenacity under pressure despite the heavy firing from the Maoist side. At great personal risk, displaying total devotion and stellar spirit of sacrifice, he led his force in the dense forest to a successful encounter with the hardcore activists of CPI(Maoists)/SKGM. Shri Ashok Kumar Dash, Asst. Commandant had fired 05 rounds from his service rifle AK-47.

Recoveries made:

a)	Automatic pistol made in Italy No.1104,Auto Pistol 7.65	- 01
b)	Magazine of 7.65 mm	- 02
c)	Live Amns. 7.65 mm	- 05
d)	Empty Case Amn. 7.65	- 03
e)	Single Shooter pipe gun Barrel size 4"	- 01
f)	Empty Case 8 mm	- 02
g)	Live Amn. 8 mm	- 06
h)	.303 live Amn.	- 01
i)	12 bore special empty case	- 02
j)	Empty case AK-47	- 07
k)	Empty Case INSAS 5.56 MM	- 02
l)	Mobile Nokia	- 01
m)	Incriminate leaflet of PSBJC/SKGM	

In this encounter Shri Ashok Kumar Dash, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22/02/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 167–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K.H. Dharambir Singh** **(PPMG)**
   Constable

2. **Vivek Kumar Dixit** **(PPMG)**
   Constable

3. **Mritynjyay Hazra,** **(PMG)**
   Assistant Commandant

4. **Jitendra Kumar** **(PMG)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of specific information from one credible source on 10/03/2011 that Shasadhar Mahato and Suchitra Mahato are going to hold a secret meeting some where near Village-Chansora under PS-Jamboni, Dist-West Midnapore, West Bengal, Shri MritynjyayHazra, AC of A/165 BN CRPF in consultation with Dy. SP Belpahari and I/C Binpur, planned Raid and Search operation. Accordingly Shri MritynjyayHazra, AC, prepared one strong platoon of A/165 consisting of 24 personnel including 03 HC/GD, 01 HC/RO, 17 CT/GD and 02 CT/Bug. The party moved on 13 Motor Cycles for the operation. Similarly Shri A.K. Ghosh, Dy. SP Belpahari and Shri Sukomal Kanti Das, IC PS-Belpahari used their Motor Cycles and proceeded towards the destination alongwith the troops . After covering a distance of almost 14 Kms the party reached near village-Chansora in search of above Naxal leaders. A cluster of suspected house were identified with the help of source present with the party on the outskirts of village-Chansora. Shri MritynjyayHazra AC directed the informer to identify the house where the Naxals had arranged meeting. On the clue of the informer the troops left their bikes some metres before a suspected house where the Naxals were likely to be present.

Shri MritynjyayHazra, AC directed troops as per operation plan. He saw two of the CPI(Maoist) cadres coming out of suspected house and on seeing the presence of the joint Forces, they opened fire indiscriminately with sophisticated weapons. Shri MritynjyayHazra AC and CT/GD Jitendra Kumar also retaliated immediately. Suddenly other two Naxals took their positions near a palm tree around 15 metres away from the house and started firing with their sophisticated weapons. Shri Mritynjyay Hazra, AC and CT/GD Jitendra Kumar survived from volley of heavy fire and took position immediately near the edge of pond. Shri Mritynjyay Hazra AC, leading the raid group, suddenly again faced a volley of fire by Naxals, but he remained undeterred and showed utmost restraint. The Naxals were ordered to surrender but in vain. Shri Mritynjyay Hazra fired 05 rounds from his 09 mm service Pistol. Due to sharp, accurate and aggressive retaliation by Shri Mritynjyay Hazra, AC both the Naxals had a narrow escape and had to run from the spot. One of the Naxal ran towards the south side firing with his AK-47 whereas the other ran towards jungle area. Sh. Hazra chased the Naxal but he managed to escape taking advantage of the undulating ground and the thick vegetation. Meanwhile, CT/GD Jitendra Kumar saw a person hiding amongst the grooves of tree at the back side of house and he chased the person and apprehended him alive with one country made rifle loaded.

CT/GD KH Dharambir Singh and CT/GD Vivek Kumar Dixit had taken position on the southern part of the pond. They saw that one Naxal with AK-47 firing towards the party and trying to escape in the nearby thick vegetation. CT/GD KH Dharambir Singh warned the Naxal to freeze and to surrender but in turn the Naxal opened indiscriminate fire aiming CT/GD KH Dharambir Singh and CT/GD Vivek Kumar Dixit. They tactically took position and reacted quickly, without caring the bullets fired on them, so as to stop the Naxal from escaping. Suddenly, CT/GD KH Dharambir Singh came out of his position and from his standing position, he fired the Naxal who was firing indiscriminately. In the meantime Ct/GD Vivek Kumar Dixit also came out from his position and fired at the Naxal. Exchange of fire took place between both the parties for about 30 minutes and after some time when there was no further firing from Maoist side. Then troops search the area and found a Naxal dead on the ground with his AK-47 in his right hand with his index finger on the trigger. The eliminated naxal was later identified as Shasadhar Mahato, member of BJOBRC (Bihar Jharkhand Orissa Border Regional Committee) of CPI (M) moist. In the execution of this brave act, Shri Mritynjyay Hazra AC, Ct/GD KH Dharambir Singh and Ct/GD Vivek Kumar Dixit displayed exceptional/ extraordinary bravery, an unparallel courage, great devotion to duty in the face of grave personal risk to the life fighting against left wing extremism.

Recoveries Made :-

Sl. No.	Name of Arms/Ammns and Articles recovered	No of Items recovered
01	AK-47 Folding Rifle bearing Butt No-KT-434270	01 No

02	AK-47 Magazine	03 Nos
03	AK-47 Live ammunition	69 Rounds
04	AK-47 Blank Cartridge	05 Nos
05	Mobile Handset	01 No
06	Traveler Bag	01 No
07	Country made Pipe Gun	01 No
08	.08 mm Live Ammunitions	05 Nos
09	Improvised Revolver	01 No
10	.09 mm Pistol Magazine	01 No
11	.303 Live Ammunition	01 No
12	7.62 mm Live Ammunitions	07 Nos
13	12 Bore Live Ammunitions	23 Nos
14	Flash Gun	01 No
15	Heavy amount of Naxal Materials	01 No
16	Rupees 620/-(Cash)	

In this encounter S/Shri K.H. Dharambir Singh, Constable, Vivek Kumar Dixit, Constable, Mritynjyay Hazra, Assistant Commandant, and Jitendra Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10/03/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 168–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kulwinder Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15th December 2008 at 1900 hrs, two platoons of G/63 under the command of Insp/GD Rajiv Thapa and Unit QRT under overall supervision of Shri. Lalit Kumar Yadav Deputy Commandant along with State police party left for a special operation duty towards village Ghodagaon Police station in District Narayanpur, Chhattisgarh, which is about 22 kms away from Narayanpur and 11 kms from E/63 Bn location Kurusnar. On reaching the jungle area of Ghodagaon on 16/12/2008

morning, the party was divided into three groups and they started searching the entire jungle area. Around 1030 hrs, suddenly, naxalites started heavy firing upon the troops. The joint party of CRPF and police fired in retaliation and the encounter took place for about 30-40 minutes. Meanwhile Naxalites also blasted a few landmines but the police party and CRPF party showed great coordination and fired on the Naxalites and chased them up to some distance. CT/GD Kulwinder Singh who was a member of QRT fired on the naxalites and chased them in the direction in which they were running. CT/GD Kulwinder Singh took the initiative and without caring for his life tactically crawled forward and fired volley of burs of fire from a very close range on the naxalites showing exemplary courage, as a result of which two hardcore naxalites were killed and precious lives of our own jawans and police party were saved from possible injury and death. Had he not taken this initiative, the naxalites could have managed to inflict major casualty to our troops and could have escaped taking advantage of the hilly terrain and dense forests. He was the person who chased the naxalites and seeing him others followed him. As a result of this naxalites stopped their firing and run away from the place of incident. Later on while searching the area, bodies of two hardcore wanted Naxalites namely Balli and Botti Ram belonging to Karelghati Dalam were found and Bharmar gun-01, 9 mm Pistol-01 with one Magazine and 08 rounds, Hand grenade -01 Tiffin bomb etc and other Daily usable/toiletry items recovered from the site. The naxalite namely Balli was a listed naxalite and he was instrumental in killing of 4 CRPF personnel of 63 Bn CRPF on 02/02/2008. The recovered dead bodies of hardcore wanted naxalites along with seized Arms, Amns and explosives etc were handed over to PS Narayanpur and FIR No.120/2008, under section 147,148,149,307IPC 25,27 Arms Act under PS Narayanpur had registered.

CT/GD Kulwinder Singh being a member of QRT was operationally very active and swift and has been also instrumental in killing and apprehending many naxalites in the past by his quick reflexes. Thus CT/GD Kulwinder Singh of 63Bn had displayed extraordinary and exemplary courage, bravery and did a gallant act without caring for his life during the encounter.

In this encounter Shri Kulwinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/12/2008.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 169–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Balwinder Singh
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17/6/10 at about 1600 hrs, Dy. SP (SOG), Baramulla informed about the presence of two dreaded Pakistani Militants of HuM (Harkat-ul-Mujaheedin) outfit at Ganai Mohalla, Pushnag, District Baramulla (Grid Reference N-40, E-21). This area is on the left side of the Ringi village and just 6 Kms away from Milestone No.37 Km at National Highway 1 A, from Srinagar to Baramulla. This was also confirmed by Dr. N.C. Asthana, IPS, IGP, Ops, Kashmir, CRPF. A joint Operation was planned by Shri Dalip Singh Ambesh, Commandant-53 Bn, CRPF comprising QAT and 1 Sec. of HQ/53 Bn, D/129 Bn, CRPF with Shri Harsh Tripathi, Asstt. Comdt., SOG(JKP) Baramulla along with SP (Ops) Shri Zuber, Dy. SP Shri Mohd. Yusuf and the troops of 29 RR under Command Col. Amar at Hyderbagh (29 RR Unit HQR) at 1700 hrs. The joint team reached Ganai Mohalla, Pushnag, District Baramulla at around 1700 hrs. and cordoned the house. While SOG (JKP) Baramulla personnel were making queries from the persons standing in front of that house about the presence of militants, the militants who were already present in that house fired three bursts indiscriminately by their automatic weapons on SOG (JKP) personnel. Shri Dalip Singh Ambesh, Commandant-53 Bn, CRPF, who was just behind the SOG (JKP) retaliated the fire with his AK-47. The QAT Commander of 53 Bn, CRPF on portable PA Mic, announced to the militants to surrender. Within 2-3 minutes 3-4 women and one man who were sick, came running out of that house and entered the house in which our troops had taken position and confirmed that two militants were present in that house. The militants did not pay heed to warning and resorted to indiscriminate firing from two separate rooms. After the sunset the head lights of the vehicles were used by placing the vehicles at safe places around the house where militants took position. Immediately, the troops established temporary connection of electricity using generator of 29 RR and 53 Bn, CRPF. At about 0110 hrs, the militants stopped firing. The Commanders of the troops had established a COMMAND POST and formulated an instant plan of placing LMGs to fire effectively on the targets and to give covering fire to access that house. Without caring his life HC/GD Balwinder Singh of 53 Bn, CRPF took defensive position in

front of the window of the target house and kept on retaliating the fire with his automatic weapon boldly on the window where one of the militants was positioned and was firing intermittently. At around 0730 hrs, on 18/6/10 firing stopped from militant's side. At around0735 hrs. on 18/6/10 the final assault with room intervention drill was planned by the Commanders of all the teams/Forces. One team of CRPF and one team of SOG (JKP) were given responsibility to eliminate one of the militants. HC/GD Balwinder Singh with others advanced dauntlessly and lobbed grenades from the window and entered into the room. The militant who was hiding beneath the cement slab in that room opened burst fire at our troops. HC/GD Balwinder Singh went near that cement slab lobbed a grenade and took defensive position promptly. After that there was no fire from the militant's side. Another team consisting 29 RR and SOG (JKP) under Command Brig. M.S. Jaswal, Col. Amar and SP (OPS) Shri Zuber also cleared the other rooms (rooms situated at the middle and the left side of that house) and eliminated the second militant. At around 0915 hrs on searching the house, two dead bodies of militants were recovered. Later they were identified by Civil Police as SAJAD and UMER of HuM (Hurkat-ul-Mujaheedin) outfit, residents of Pakistan.

The following arms and ammunition were recovered:-

(1)	AK-47 Rifles	:	02 Nos.
(2)	AK Magazine	:	04 Nos
(3)	AK Ammn.	:	38 Rds.
(4)	Wireless set	:	01 No.
(5)	UBGL grenades	:	02 Nos.

In this enccunter Shri Balwinder Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18/06/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 170–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Joseph Keishing,
Second-in-Command

Statement of service for which the decoration has been awarded

A credible intelligent input was received about presence of 15/20 armed cadres of CPI(Maoist) in the jungle in between Aguisol, Baxibanan and Nekrakunda village, under PS Kotwali, District West Medinipur with a view to attack Police/CPMF camp. To neutralize this threat, an operation was planned for one Coy to search, ambush and raid the areas on 23/08/2010. The operation plan was approved by the competent authority i.e. the IG (Ops) West Bengal. On getting the approval, Shri Joseph Keishing 2nd-in-Command briefed the joint force i.e. 2 platoons of F/184 and 1 section of State Police.

The joint force led by Shri Joseph Keishing, 2nd-in-Command left camp (F/184 Coy location in Dherua) on foot at 2300 hrs on 23/08/2010 for operation. At around 0100 hrs on 24/08/2010, the troops reached the edge of the jungle between Aguisol, Baxibanan and Nekrakunda, took up position and, were observing the areas through Night Vision Devices. It was observed through the NVD that a group of persons, with Arms were sitting and moving suspiciously on the Bundh/bank of a pond. The party was stalked by 2nd Command and Asstt. Commandant, followed stealthily by forces as they were moving from one location to another. At around 0210 hrs as the suspected Maoists were lying down to rest with vigil by their sentry, the joint force tried to cordon them off. But unfortunately, the Maoist sentry sensing the presence of joint force, opened fire on troops, while shouting slogan against the joint force perhaps to alert and wake up his associates. Shri Joseph Keishing, 2nd-in-Command, signified great courage, exemplary leadership qualities, conspicuous gallant act and tenacity under pressure despite firing from the Maoist side at great personal risk, displaying total devotion and stellar spirit of sacrifice, he led his force in the front to a successful encounter with the Maoists. Had he been noticed, his life would have been in peril as he was virtually sneaking into the enemies den, who had been alerted to the presence of security forces. Dauntless under heavy fire, Shri Joseph Keishing, 2nd-in-Command, who already, had stalked very near to the enemies sentry, moved with tactic and tenacity right to the epicenter of tension, fired from his AKM rifle and neutralized the Maoist sentry. Later two .303 Bolt action rifle, one 12 Bore barrel gun, 9mm carbine and other ammunitions were recovered.

In this encounter Shri Joseph Keishing, Second-in-Command displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/08/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 171–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Khiroda Kumar Lenka,**
   Head Constable

2. **Gopal H. Dharwad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12/3/2011 at about 1030 hrs. a specific information was received through SP Sopore about the presence of terrorists in the clinic of Dr. Mohammad Ramzan Sofi at Karlteng, Sopore, under PS Sopore, Dist. Baramulla (J&K). Immediately the troops of 177 Bn and 179 Bn. CRPF along with SOG of JKP and 22 RR rushed to the clinic of Dr. Sofi at Karlteng and quickly cordoned off the area. On receipt of information, IG (Ops) Kashmir, CRPF, reached the spot at about 1150 hrs and supervised the operation.

It was learnt that the sister of Dr Mohammad Ramzan Sofi and some civilians were trapped inside the clinic. HC/GD K.K. Lenka and Ct/GD Gopal H.D. of 177 Bn. CRPF crawled to the gate of the clinic in the midst of heavy fire facing grave risk to their own life. They ensured the safe evacuation of Dr. Sofi's sister and other civilians from the clinic and also prevented the terrorists from escaping. In the gun battle one terrorist, namely, Kalimullah @ Shamsher @ Talwar Bhai (Divisional Commander HuM) r/o Pakistan, was killed on the spot. This terrorist had tried to escape by firing all around indiscriminately and tried to jump over the boundary wall. He was fired upon by Ct/GD Gopal H.D. and others and killed. Had the terrorist crossed the wall he would not only have escaped but would have also inflicted heavy casualties on the troops.

Another terrorist, Wasim Ahmed Ganai of LeT (involved in the murder of two innocent girls in Sopore on 31/01/2011), constantly kept changing his position in the drain behind the wall and other structures. The clinic of Dr. Sofi caught fire in the gun battle and was totally gutted but the operation continued. In the evening the target area was illuminated with generator sets/ portable lights of 177/179 Bns. CRPF and 22 RR. The troops sealed and cordoned off the area with concertina wire rolls for the night. Search operations were resumed at first light on 13/03/2011. HC/GD K.K. Lenka and Ct/GD Gopal H.D. entered the target house despite direct and heavy fire from the terrorist. They wounded him critically and then had to withdraw as the terrorist was firing continuously at them and they had no cover from where they could take a defensive position. However, after a protracted and fierce gun battle, the terrorist was killed.

HC/ GD K.K. Lenka and Ct/GD Gopal H. D. exhibited exemplary courage and without caring for their safety fought tenaciously throughout the operation. The operation was completed successfully at about 1200 hrs on 13/03/2011. Following arms and ammunition were recovered from the killed terrorists :-

i)	AK47 rifle	-	02
ii)	AK47 magazine	-	07
iii)	AK47 rounds	-	154
iv)	Chinese pistol magazine	-	01
v)	Chinese pistol live rounds	-	01

In this encounter S/Shri Khiroda Kumar Lenka, Head Constable and Gopal H. Dharwad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13/03/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 172–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Sanjeev Singh, (PMG)
Assistant Commandant

2.	**Parveen Kumar Choudhary, Assistant Commandant**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Nripendra Deb Barma, Head Constable**	**(PMG)**
4.	**P. Gopi Nath, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the eve of inauguration (10 Oct 08) of the Srinagar – Anantnag train service, by the Hon'ble Prime Minister, a cordon was laid in Khellan, by the troops of 130 CRPF and joined, later, by 182 / 40 / 90 / Sector Command Post CRPF, alongwith SOG Anantnag, 31 and 55 RR, on specific intelligence about the plan of Lashkar to sabotage/attack the inaugural train.

Around 0730 hrs, the terrorists started firing, while the search was being conducted, injuring a Major. Subsequently, the house where the terrorists were holed up was zeroed upon, which was at the northern extremity of the village, abutting a poplar forest. Despite being cornered, the terrorists continued to put up stiff resistance and prevented the troops from closing in. As the day was rapidly progressing towards the evening, Shri Nalin Prabhat, DIG Ops, in consultation with JKP and RR officers, decided to use Tear Smoke munition: Asstt. Commandant Paraveen Kumar Choudhary and Asstt. Commandant Sanjeev Singh were tasked to smoke out the terrorists, with Shri Nalin Prabhat being directly behind and HC/GD N.D.Barma and CT/GD P. Gopinath giving covering fire.

Consequently, a terrorist came out of the house, taking cover of a civilian hostage. Shri Nalin Prabhat distracted the terrorist, by engaging him in conversation, after keeping his weapon on the ground. In the meantime, he signaled to the two Asstt. Commandants, who were ahead, in the flank, adjacent to the house, they fired in unison, neutralizing the terrorist and effecting the hostage's escape.

With darkness fast approaching and worried at the portent of keeping the cordon for another night, Shri Nalin Prabhat decided to approach the house, to neutralize the second terrorist, who was continuing to fire. HC/GD N.D. Barma and CT/GD P. Gopinath crawled, alongwith the DIG, to one of the house's windows. On a signal from the DIG, both fired inside neutralizing the terrorist. After waiting for a few minutes, the house was searched and the second terrorist's body was found.

The deceased terrorists were identified as : (i) Moin Ahmed Mir @ Hamza, (ii) Abu Hamas, R/O Pakistan. The following recoveries were made:

i)	AK 47 Rifle	:	1 No.
ii)	AK 56 Rifle	:	1 No.
iii)	AK Magazines	:	04 Nos.
iv)	Live Rounds	:	34 Nos
v)	Grenade	:	01 No (destroyed).

It is pertinent to mention that an attack on either the train or rail property, on the day of inauguration by the Hon'ble PM, would have shown CRPF and the entire security force in poor light, as its IRCON companies are deployed, along the railway, dominating the countryside. The deceased terrorists were responsible for the attack in Litter, on 02 Sep 08, in which one CRPF jawan was killed and his AK 47 snatched. One of the recovered AKs was the same weapon.

In this encounter S/Shri Sanjeev Singh, Assistant Commandant, Parveen Kumar Choudhary, Assistant Commandant, Nripendra Deb Barma, Head Constable and P. Gopi Nath, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10/10/2008.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 173–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **R. Bensiger,**
   Constable

2. **Ganpat,**
   Assistant Commandant

3. **Gaikwad Ganesh Bapurao,**
   Constable

4. **M. Gobi,**
Constable

5. **Sudhir Kumar Nayak,**
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27/09/2009, specific information about presence of terrorists in village Amlar, Distt-Pulwama was received by Shri Ganpat, OC-G/180 CRPF located at village Lariyar, Pulwama. On 28/09/2009 Shri Ganpat took a party of 36 men to the village at dawn break. Upon reaching the village, the village headman Ghulam Hassan Sheikh informed them about presence of terrorists. Shri Ganpat, A/C showing great courage and devotion to duty ensured proper cordoning of the area. CT/GD Ganesh Gaikwad and CT/GD Mathalai Muthu Gobi, who were placed in front of the target house (owned by Ghulam Hasan Sheikh) challenged three men clad in pheran emerging from the house. In response, one of them fired two bursts from his rifle. Both CTs unmindful about the risk to their life retaliated the fire on fleeing terrorists. Two terrorists managed to hide themselves in the streets and only one could be seen who had grabbed a woman near a bathroom, forcing CTs to withhold the fire to save the innocent lady when the terrorists released the woman and started to run, he was fired upon by the both CTs braving the terrorist from the front and hit as blood was found splattered there later on. The terrorist however took position behind the double storeyed house. CT Rajayan Bensiger who had taken positioned behind tree trunk fired at the terrorists not permitting them to escape. He was also fired upon heavily but he did not leave his position taking great risk of his life and showing unparallel courage. In act, other two terrorists who had vanished from eyes of above CTs, had also come behind the double storeyed house and came face to face with the troops positioned in right side of the cordon. In the nearest proximity Ct Sudhir Kumar Nayak was also firing at the hiding terrorists showing gallant action. The OC, had in the meantime, informed the in-charge Commandant of the Bn, Shri R K Behera , 2-I/C and SHO, PS Awantipora. The militant inside the house were continuously firing on the troops. The 2-I/C, in turn, informed Dr. N C Asthana IPS, IG(Ops) CRPF, Kashmir who reached the incident site as quickly as possible with the troops available with them. The terrorists were firing from cover and their bullet hit the Gypsy of Shri Behera, 2-I/C at several places even as he was alighting from the Gypsy. Shri R K Behera, 2-I/C taking great risk of his life and showing devotion to his duties crawled towards HC Bhanwar Lal who had sustained bullet injury in right forearm and evacuated him boldly facing the heavy firing of the terrorists. After evacuation of HC Banwar Lal, Shri R K Behera, 2-I/C crawled towards the target house and positioned himself near the terrorists showing supreme example of courage and fired taking position behind the tree from the nearby nallah. Since, the regular Commandant of 180 Bn CRPF was on leave, Commandant 130

and Commandant 185 Bns were directed by the IG(Ops), CRPF, Kashmir to reach there with reinforcements. Meanwhile, Dy.SP Amarjit Singh and S P Awantipora had also reached the place. Dr. N C Asthana, IG(Ops) CRPF, Kashmir took the command and supervised the operation in full battle gear from the very spot of action. The troops maintained very accurate fire on the target. The cordon was led so perfectly by Shri Ganpat, A/C that the terrorists could not escape. The operation was conducted in a copy book fashion and eventually all the three terrorists were killed without any further casualty amongst our ranks within very short duration. In this operation, following terrorists of LeT were killed:-

1) Meharajuddin S/O Abdul Qayoom, resident of Pastoona, Tral, Distt-Pulwama (J&K). He was the Area Commander of the LeT and Second-in-Command to Abdul Rehma, the present Divisional Commander of LeT in South Kashmir.
2) Abu Dujana of Multan, Pakistan.
3) Abu Zahid Alias Abu Sahid of Pakistan.

The following arms, ammunitions and equipments were recovered from the possession of the slain terrorists:-

a)	AK-56 Rifles	-	2 Nos.
b)	AK-47 Rifle	-	1 No
c)	AK Magazines	-	10 Nos.
d)	AK ammunitions	-	180 Nos
e)	Wireless set (Kenwood)	-	1 No
f)	Mobile handset(Chinese)	-	1 No
g)	Pouches	–	3 Nos

In this encounter S/Shri R. Bensiger, Constable, Ganpat, Assistant Commandant, Gaikwad Ganesh Bapurao, Constable, M. Gobi, Constable and Sudhir Kumar Nayak, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/09/2009

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 174–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K.D. Dev,**
   Head Constable

2. **Bipul Chetia,**
   Head Constable

3. **Raushan Ali,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 7/4/2009, at about 0700 hrs, two platoons of E/133 Bn. CRPF under the command of Miss Maya Rani, A/C along with civil police component led by Ghagra P.S. officer in-charge was on area domination duty. The CRPF party had moved cross-country to reach the hillock of the village Jilingsera and Tabil toil. At about 1445 hours when this CRPF party was moving down hill, it came across the scout of naxal group who were on Motor cycles. Immediately the CRPF scout HC/GD K.D. Dev and HC/GD Bipul Chetia challenged them. On being challenged, the naxals opened fire with automatic weapons which was duly retaliated by HC/GD K.D. Dev, HC/GD Bipul Chetia and CT/GD Raushan Ali taking proper cover and moving with great tactical skills. Meanwhile the naxals abandoned the motor cycles and started moving towards the jungle while firing on CRPF troops. A heavy exchange of fire followed between CRPF & the Maoist group who about 30 in numbers. In an hour long close gun battle CRPF troops fired H.E. bombs and Rifle grenades. On getting information QRT of 133 under command Shri Pramod Kumar D.C. (Ops) & S.P. Gumla Shri Upendra Singh rushed to the spot. After encounter when the area was searched two dead bodies of extremists later identified as Sanjay Oraon, Area Commander of PLFI group, R/o Hisir, PS Bihanpur, District Gumla and Birsa Oraon R/o Palkot, PS Palkot, District Gumla were recovered. One extremist Santosh Kerketta, Aged-14 Yrs, S/o Sukhdev Kerketta, R/o Salgi, PS Ghagra, District Gumla was also apprehended and two weapons recovered.

Rest of the extremists fled through the adjoining rivulet covered with thick forest. However it is expected the few more extremists have been injured. The killed and apprehended extremists are from the PLFI faction of Maoist earlier known as JLT. In the whole operation HC/GD K.D. Dev, HC/GD Bipul Chetia and CT/GD Raushan Ali exhibited exemplary bravery, sheer determination and presence of mind and whose swiftness of action risking their own lives resulted in killing of the

extremists. In addition to the dead bodies of killed extremists the following weapons were also recovered.

One 9 mm Carbine with sling, Carbine magazine- one, 9mm Pistol (Made in USA)- one, 9mm Magazine-one, 9mm live Rounds-Eleven Nos, Mobile sets with Sim Card – three Nos. (one Reliance and two Nokia), O.G. hand bag –one, Bandolier O.G.-one, Nine Sim card, one PLFI Pamphlet, Two Motor cycle without number plate (one Bajaj discover and One 125 CC Bajaj), one INSAS pull through in the one Purse. All recovered Arms/Amn., other items, apprehended and killed extremists have been handed over to PS Ghagra.

In the follow up to the incident dated 07/04/2009 an operation was planned by SP Gumla Upendra Singh and Shri Pramod Kumar DC(Ops)/133 to cordon and search the area of Jilingsera jungle. As per operational plan two platoons of E/133 under command Miss Maya Rani, Assistant Commandant and QRT/133 under command Shri Pramod Kumar, DC(Ops) and civil police component of PS Ghagra under officer in-charge PS Ghagra left for cordon and search in the jungle of Jilingsera, the site of 07/04/2009 encounter. During combing of the encounter site in the jungle North of village Jilingsera, dead body of one extremist later identified as that of Sonu Munda alias Daya Munda, aged 19/20 years, S/o Late Devgun Munda, R/o Salgi Duriatoli, PS Ghagra, District Gumla who had managed to escape during 07/04/2009 encounter with his associate Vimal Lakra was found. Further search resulted in recovery of one Hero Honda Motor cycle lying behind the large boulder.

In the entire operation, HC/GD K.D. Dev, HC/GD Bipul Chetia and CT/GD Raushan Ali have exhibited grit and swiftness of action risking their own live in which they not only killed three dreaded extremists but also dented the morale of the PLFI faction of Maoist considerably.

In this encounter S/Shri K.D. Dev, Head Constable, Bipul Chetia, Head Constable and Raushan Ali, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/04/2009

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 175–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Sashastra Seema Bal:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Subhash (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Subhash , Constable was in the section which had gone for search operation on the intervening night of 3rd/4th April, 2011 following an intelligence input about insurgents hiding in the general area of Lalbhita GR 9860 from BP No. 140/3 to BP No. 141. On its way back the section came under heavy fire of insurgents suspected to be of NDFB (AT) near 140/3 in general area GR No. 9860.

The said Const/GD displayed incredible courage, grit, determination and loyalty in utter disregard to his personal safety charged the ambush of the IIGs from the front. He engaged the insurgents from the front from close quarters enabling the rest of the personnel of the section to mount attack on the insurgents from flanks. The brave and undaunted charge of Const/GD Subhash successfully broke the ambush and the insurgents had to flee. During this operation, however, the individual sustained grievous injury from automatic weapons of insurgents on the right temple resulting in his death on the spot.

Shri Subhash displayed exemplary courage, grit, determination for the honour of his country and unit with utter disregard to his personal safety. His undaunted bravery coursed the insurgents to flee. It was a gallant act on his part that he did not ever allow the militants to snatch away his personal weapon during the ambush. Const./GD Subhash not only exhibited exemplary valor and courage but also made the supreme sacrifice of his life for the nation.

In this encounter Late Shri Subhash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/04/2011.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 176-Pres/2012 – The Police Medal for Gallantry awarded to Shri Raj Kapoor, Constable, 62 Bn, Central Reserve Police Force vide this Secretariat Notification No. 120-Pres/99 dated the 27th September, 1999 published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India dated Saturday, the 9th October, 1999 is hereby cancelled and the medal is forfeited under Rule 8 of the Rules governing the award of Police Medal.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 177–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Narendra Pratap Singh
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Sri N.P.Singh, C.O. City First, Aligarh on 25.04.05 received an information through R.T. Set of a robbery of Rupees 4000/- along with a licensee revolver from a person named Islam. Sri N. P. Singh instructed all concerned police stations to start checking for criminals using a Hero Honda Motorcycle Sri N. P. Singh in his vehicle moved towards the Talaspur Pulia on his way to Gonda Marg. Sri N. P. Singh saw two youths suspected to be the criminals, coming on a motorcycle, who, at the sight of blue light of Sri N. P. Singh's vehicle quickly turned back. Sri Singh chased them informing the situation to the C.C.R. Sri Singh challenged the fleeing criminals in a loud voices to stop but the criminals fired at Sri Singh with an intention to kill but he just escaped. At that time S.I. Sri Farmood Ali Pundir, I/C S.O.G., informed Sri Singh that he along with some force has reached Talaspur Pulia, Sri Singh informed to I/C S.O.G. that the criminals were moving towards Talaspur Pulia and he was chasing them. Sri N.P. Singh ordered Mr. Pundir to block the way for the criminals by placing his vehicle in suitably oblique position. Sri Pundir blocked the way and the criminals had no option ran towards the agriculture-fields. The criminals left their vehicle and took position behind the boundary wall surrounding the agriculture field. Sri Singh displayed a quick presence of mind and ordered the drivers of police vehicles to switch on their headlights to help police party to search the criminals. Sri Singh asked S.I. to move forward to his right side and he himself took position near corner of the boundary wall and again warned the criminals to surrender. At his voice the bullets came from the criminals and Sri Singh's narrow protection of the corner of the boundary wall was just enough for his providential escape. Exposing his life to the highest risk of mortal injuries Sri Singh opens fire at the criminals with his torch in one hand. S.O.G. incharge Sri Pundir and his accompany force also fired at the criminals. When the fire from the criminals stopped Sri N.P.Singh along with other members of police force advanced cautiously and found one of the criminals lying dead there . The criminal was identified as the notorious Shanker@ Shankaria, who had a reward Rs. 20,000/ and involved in 45 heinous cases. During this encounter Shri N. P. Singh C.O. City First sustained a bullet injury on the front portion of the right hand, the hand of the brave officer continued to fire even after the injury. S.I. Farmood Ali Pundir and Const. 181 C. P. Rakesh Kumar were also injured. The following recoveries were made:-,

1. One Pistol Factory made, 20 live & 10 empty rounds.
2. One Revolver, Webley Scott(Made in England) 02 empty rounds.
3. One Motorcycle N0. U.P.-81L 6977
4. Robbed amount Rs. 4000/-

In this encounter Shri Narendra Pratap Singh, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2005

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 178–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Naveen Arora
Senior Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Neeraj Singh was a hardened criminal on whom the Government of UP had declared a reward of Rupees 1,00,000/- He was wanted in sensational and gruesome murder of 02 constables and escape from police custody on 16.03.2010.

On being entrusted the task of arrest of Neeraj Singh to STF UP, Shri Naveen Arora, SSP STF constituted a team under the leadership of Shri Shahab Rashid Khan, Addl.SP. On getting definite and credible intelligence that criminal Neeraj Singh shall arrive on 03.05.2010 in Ansal Colony, Agra. Shri Naveen Arora with his team reached at Shaastripuram crossing Ansal Colony Agra at about 0330 hrs. Shri Naveen Arora constituted 04 teams respectively led by Shri Shahab Rashid Khan, Addl. SP, Shri Bijender Singh Tyagi, Inspector, Shri Arvind Kumar, HC and himself. He briefed the strategy to arrest the Neeraj Singh and deployed the teams to their position. At about 0445 hrs. the informer identified a person coming on the road as dreaded criminal Neeraj Singh. Shri Naveen Arora challenged him to stop but he in turn daringly opened fire on SSP to kill him but the vigilant Shri Naveen Arora providentially escaped.

Shri Shahab Rashid Khan and his team mates also moved from their position to cordon the criminal but the clever Neeraj foiled their move and dared targeted

firing upon them and abruptly jumped the road divider and took position. Shri Naveen Arora and Shri Shahab Rashid Khan with team mates SI Devesh Singh, SI Vikas Kumar Pandey, SI Gajendra Pal Singh, HC Ajay Tripathi using strategical field craft tactics, crawled towards the criminal Neeraj Singh who continued his incessant firing and kept shouting 'I had killed two policemen recently'.

Even as Neeraj Singh was firing indiscrieminately upon police personnel with a definite intention to kill them, Shri Naveen Arora kept his cool and encouraged the police party who displayed exemplary courage and valour and without caring for safety and security of their lives and limb strategically and gallantly and with an intention to arrest the criminal alive moved ahead in his firing range and resorted to restricted firing in their self-defence causing him to fell down, injured. After this fierce and arduous face to face encounter in the open with the criminal Neeraj Singh when vigilantly and closely seen, was found dead. The following Arms/ammunition were recovered:-

1. One pistol, 10 live cartridge and 03 empty shells of 9 mm bore
2. One country made pistol, 03 live cartridge and 03 empty shells of 315 bore

In this encounter Shri Naveen Arora, Senior Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/05/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 179–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amresh Kumar Singh Baghel,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04/06/2010 Shri Vijay Bhushan, Addl.S.P.Varanasi received an information that the movement of notorious criminal Santosh Kumar Gupta, having a reward of Rs. 1,50,000/- to commit some henious crime in Varanasi city area,

immediately sprung into action. Shri Vijay Bhushan called Shri Girja Shankar Tripathi, Inspector Chetganj with his team, discussed plan to nab the criminals, organised two teams. Chawkaghat and Teliabagh Tri-Junction and both the teams were strategically, deployed for intensive vehicle checking.

At about 2400 hrs., one Maruti car coming from the side of City Railway station was sighted at Chawkaghat and as soon, the police team intercepted it to stop. The criminals fired on police party and speeded towards Teliabagh tri-junction, getting this information, Addl. S.P., immediately moved towards Chawkaghat accompanying his team and when the speedily coming Maruti car neared them, Inspr. Chetganj strategically put Bolero car and restrained the Maruti car, to move ahead and Addl. S.P. skillfully covered him and frustrated criminals. Getting them surrounded by the police, they furiously opened firing on the police party and their indiscriminate firing shots pierced the wind-glass of Bolero car, entered in the seat. Addl. S.P. and Inspr. Chetganj, cautiously alighted from vehicles, took position behind a nearby temple and challenged the criminals to surrender, but they dared to continue firing on the police party. Addl. S.P. skillfully crawled towards the criminals to arrest them, but suddenly the criminals sighted them, opened incessant firing. In this situation Addl. S.P. was undeterred and he dauntlessly led the attack, against this offensive of the criminals, with indomitable courage and with his illustrious leadership, launched a crusade against criminals and he, himself and followed by Inspr. Chetganj, Shri Amresh Kumar Singh Baghel, S.I. and Shri Vijay Pratap Singh, Const. displaying gallant act of bravery and risk to their life and moved ahead, in the firing range of criminals and challenged them with restrained firing in self-defence, causing the criminals to scream and fell down, injured. Both the Criminals were later declared dead. One of the criminal was identified to be above, said criminal Santosh Kumar Gupta and another criminal was identified as dreaded criminal Santosh Singh. Following arms/ammunitions were recovered:-

1. One pistol made in USA, 09 cartridges and 17 empty shell of .450 bore
2. One pistol factory made, 05 cartridges and 07 empty shells of 9 mm bore

In this encounter Shri Amresh Kumar Singh Baghel, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/06/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012

MGIPF—[PART I—SEC. 1]—120 Copies.